दशम माला, खंड 12, अंक 48

सोमवार, 11 मई, 1992
21 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARL... ...RARY
No. 64
Date 12.4.54

(खंड 12 में अंक 41 से 49 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 11 मई, 1992/21 वैशाख, 1914 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
17	नीचे से पंक्ति 14	"श्री राव राय" के स्थान पर "श्री रवि राय" पढ़िये ।
19	7	"मंत्रालय में" के स्थान पर "मंत्रालय के" पढ़िये ।
51	21	"थाणे" के स्थान पर "ठाणे" पढ़िये ।
52	13	"भारत के नियंत्रक" के पश्चात "एवं" अंतःस्थापित कीजिए ।
52	नीचे से पंक्ति 9	"एल0टी0 200/92" के स्थान पर "एल0टी0 2002/92" पढ़िये ।
54	11	"श्री रंगराजन कुमार मंगलन" के स्थान पर "श्री रंगराजन कुमारमंगलम" पढ़िये ।

विषय सूची

दशम माला, खंड 12, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 48, सोमवार, 11 मई, 1992/21 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
कुछ बैंकों द्वारा लोक निधि के दुरुपयोग के बारे में	6–29
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के विघटन के फलस्वरूप स्वतन्त्र हुए राज्यों को 11-5-92 को मान्यता दिया जाना	
श्री एडुआर्डो फैलीरो	46
सभा पटल पर रखे गए पत्र	52–53
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	53–54
दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक— —पुर:स्थापित	54
नियम 377 के अधीन मामले	54–58
(एक) उड़ीसा में विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	54
(दो) तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट जिले में मन्नालुरपेटी में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम	54–58
(तीन) मध्य प्रदेश के बंडोल ग्राम में दुग्ध संयंत्र स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
कुमारी विमला वर्मा	55
(चार) पंजाब में सेना और अन्य अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता	
श्री जगमीत सिंह बराड़	55–56
(पांच) पीलीभीत उत्तर प्रदेश में बसे बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता	
डा० परशुराम गंगवार	56
(छः) उत्तर प्रदेश में दोहरी घाट से सहजनवा और खलीलाबाद से बलरामपुर तक बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल	56

94/Lok Sabha/93—1

(सात) उड़ीसा में क्योंझरगढ़ में खनन और भू-विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा	56–57
(आठ) दिल्ली, त्रिवेन्द्रम और मंगलौर के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री एम० रमन्ना राय	57
(नौ) उत्तर प्रदेश में टिहरी गढ़वाल में भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों को राहत दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सैफुद्दीन चौधरी	57–58
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक	**58-135**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सीताराम केसरी	58–59
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	60–69
श्री दिग्विजय सिंह	69–75
श्री रामविलास पासवान	75–83
श्री मणि शंकर अय्यर	83–91
श्रीमती सुशीला गोपालन	91–94
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	95–99
श्री बी० अकबर पाशा	100–102
श्री गुमान मल लोढा	102–106
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	106–113
श्री भोगेन्द्र झा	114–120
श्री राजगोपाल नायडू रामासामी	120–122
श्री कोडीकुन्नील सुरेश	122–123
श्री एस०एम० लालजान बाशा	123–124
श्री चित्त बसु	124–127
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	127–133
श्री सूरज मंडल	133–135
श्री एन० डेनिस	135

लोक सभा

सोमवार, 11 मई, 1992/21 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने एक नोटिस दिया अयोध्या के संबंध में, कल तक पार्लियामेंट चलने वाला है, बोम्मई जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गई थी, इस सदन में दो बार चर्चा हो चुकी है । हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ ? सरकार उस रिपोर्ट को टेबल पर रखने जा रही है या नहीं ? **(व्यवधान)** ....

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हमारी भी एक कमेटी गई थी, उसकी रिपोर्ट भी है । उसे भी रखा जाए और दोनों पर बहस हो जाए । हमारी आफर है, आज ही बहस हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है । **(व्यवधान)** .....

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जहरीली शराब के कारण उड़ीसा में स्थिति बहुत गंभीर है । इसमें 275 गरीब लोगों की मृत्यु हुई है और 600 से अधिक लोगों को हस्पताल में भर्ती किया गया है । यह बहुत ही गंभीर स्थिति है । इस जहरीली शराब से उड़ीसा में सैकड़ों लोगों की जानें गयी हैं और हमें इस मुद्दे को उठाने का अवसर प्रदान किया जाए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें ।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए । कृपया हमें बोलने की अनुमति दें । मैंने एक नोटिस भी दिया है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलें ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : इस सदन में शुक्रवार को यह मामला उठा था और लीडर्स की मीटिंग में भी यह बात हुई थी । बोम्मई जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, जो गवर्नमेंट स्पोंसर्ड

कमेटी है और उस कमेटी की रिपोर्ट अखबार में आ गई, मैम्बर पार्लियामेंट को मालूम नहीं हो रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट क्या है। यह बात तय हो गई थी कि उस कमेटी की रिपोर्ट को रखा जाएगा। ····(व्यवधान) यह सरकार बताएगी कि वह गवर्नमेंट की कमेटी थी या नहीं थी। एन० आई० सी० के तहत उस कमेटी का फौरमेशन हुआ था।····(व्यवधान) सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को टेबल पर रखे।·····(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक-एक करके बोलिए। अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अहमद जी, मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा। अब मैंने श्री इन्द्रजीत गुप्त को बोलने के लिए कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, आज सुबह मैंने आपको इस मामले के बारे में लिखा है। बात यह है कि हाल ही में एक आपत्ति पर बात की गयी जो कि वास्तव में आपत्ति नहीं है लेकिन सभा पटल पर इस रिपोर्ट को रखने के बारे में गृह मंत्री की कुछ मजबूरियां हैं उन्होंने कहा था "मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है।" रिपोर्ट पूरी तरह तैयार है—अंग्रेजी, हिन्दी में छपी हुई है। लेकिन न्यायालय में इस मामले में अवमानना याचिका के अनिर्णय की वजह से मैं थोड़ा सतर्क होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं न्यायालय के निर्णयाधीन होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि यदि वह आज या कल इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखते हैं तो ही इस पर अगले सत्र में चर्चा की जा सकती है। लेकिन यह बहुत ही अजीब बात है कि सदस्यों को रिपोर्ट की प्रतियां नहीं दी गयी हैं। यह सदन के लिए उपलब्ध नहीं की गयी हैं। इन्हें सार्वजनिक रूप से जाहिर किया जाना चाहिए। वह इन्हें सभा पटल पर रखने से क्यों इन्कार कर रहे हैं? ऐसा किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मन्जेरी) : महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय मन्त्री द्वारा एक आश्वासन दिया गया था कि इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा। हम अब इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सारा देश बड़ी ही जिज्ञासा से इस बात का इन्तजार कर रहा है कि रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है। प्रत्येक व्यक्ति समाचार पत्र में छपी रिपोर्टों पर गौर करेगा। यहां सरकार द्वारा देश के संसद सदस्यों को और राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों को जो पहले ही दौरा कर चुके हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं एक आश्वासन दिया था। यह जानने का इस सदन के सदस्यों का अधिकार है कि जो रिपोर्ट इस सदन के माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत की है उसकी विषय वस्तु क्या है।

अत: महोदय सरकार का सभा पटल पर विलम्ब से रिपोर्ट रखने में कोई भी औचित्य नहीं है। मैं तो कहूंगा कि यदि यह कोई चाल है तो यह चाल संसद सदस्यों को स्वीकार्य नहीं है। अत: सरकार को सभा पटल पर रिपोर्ट रखनी चाहिए और यदि संभव हुआ तो मैं चाहूंगा कि चर्चा कल हो क्योंकि इससे किसी भी तरह अदालती कार्यवाही में बाधा नहीं पड़ेगी क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र अवमानना याचिका है। हम इस बात के विस्तार में नहीं जा रहे हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष क्या है। हम तो केवल इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों

द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। अत: महोदय आपको सरकार को निर्देश देने चाहिएं कि वह या तो आज या कल सभा पटल पर रिपोर्ट रखे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम यह कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से इस रिपोर्ट का, जो कि वास्तव में संसदीय शिष्ट मंडल या संसद सदस्यों के शिष्ट मंडल की रिपोर्ट है, जिसके बारे में श्री जसवन्त सिंह जानते हैं, महत्त्व कम करने का प्रयास चल रहा है। एक सहमति जन्य निर्णय के आधार पर चाहे किसी भी आधार पर यह लिया गया है तथा जिसे किसी भी राजनैतिक दल का अपना फैसला नहीं कह सकते हैं, एक रिपोर्ट पेश की गयी। अत: हम यह कह रहे हैं। अब चूंकि हम कल ही समाप्त कर रहे हैं अत: हमारे पास चर्चा के लिए कोई समय नहीं है । मेरी जानकारी के मुताबिक अवमानना याचिका पर अनिर्णय से न तो इस मामले में सदन में चर्चा करने का अधिकार छिन सकता है न हीं इसमें कोई रुकावट आ सकती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं किया जा सकता है। परन्तु उस रिपोर्ट का क्या होगा जो कि माननीय गृह मंत्री के अनुसार सभी प्रकार से तैयार है और संसद सदस्यों को प्रस्तुत की जानी है ?

महोदय, नेताओं की बैठक में यह भी सुझाव दिया गया था कि इसे ग्रन्थालय में रख दिया जायेगा। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा किया गया है। यदि ऐसा किया गया है तो हमें इसकी प्रतियां क्यों नहीं दी जा रही हैं। सचिवालय को इन प्रतियों को सभा के सभी सदस्यों को परिचालित करना चाहिए ।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि कम से कम आज यह रिपोर्ट हमें परिचालित कर दी जानी चाहिए और नि:संदेह हम इसे सभा पटल पर रखने संबंधी अपनी मांग करने के अधिकार से पीछे नहीं हटेंगे। कम से कम आज ये सब सदस्यों को उपलब्ध करा दी जानी चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, बार-बार इस सदन के अन्दर यह रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा जा रहा है। उससे ऐसा लगता है कि एक बहुत भारी रहस्य इसके पीछे छिपा हुआ है। एक बार आप वह रिपोर्ट पेश करवा दीजिये ताकि देश की जनता को मालूम पड़ जाये कि जो एक सच्चाई है, उसको ट्विस्ट करके कुछ लोग अपनी पार्टी के हित के लिये क्या कुछ करना चाहते हैं? जैसा कि हमारी पार्टी के लीडर ने पहले भी कहा है कि आप इस रिपोर्ट को रखिये और अंडर रूल हमने आपकी सेवा में लिख कर भी दिया हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हमने आपको लिख कर अपील भी की है ..... (व्यवधान) .. मुझे बहुत खुशी होगी, अगर इनकी रिपोर्ट सामने आ जाए और लोगों को ... (व्यवधान) ... जिस दिन ये आए थे, कहा गया कि तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट दे दें और रिपोर्ट नहीं दी है। उनके पास फैक्ट्स नहीं हैं। जिस समय ये अयोध्या गए थे, कुछ फैक्ट्स गवर्नमेंट ने उनको दिए नहीं। बिना फैक्ट्स

के रिपार्ट कैसे तैयार हुई है, यह लोगों के सामने आनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, इनकी रिपोर्ट भी और मैंने आप के सैक्रेटेरिएट के अन्दर अन्डर-दि-रूल्स लिख कर दिया हुआ है, उसको भी यहां रख कर बहस करना चाहें, तो बहस करा लीजिए। · · · (व्यवधान) · · ·

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देता हूं खुराना जी को, उनको कोई ऐतराज नहीं है, उस रिपोर्ट को यहां रख कर और उस पर बहस करवाने पर। यहां तक तो पूरा हाउस युनैनिमस हो गया है, तो आप मजबूती से कदम उठा लीजिए। · · · (व्यवधान) · · · अन्य जो निवेदन किया है, वह आप अपने विवेक से फैसला करें। जहां तक उस रिपोर्ट का, बोम्मई रिपोर्ट का सवाल है कि इस सदन में रखी जाए और उस पर बहस हो, इस में कोई दो राय नहीं हैं। आठ तारीख की बात थी, वह शायद कन्टैम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हम लोगों ने अपनी बात रखी। हम लोगों की मांग रही है कि लाइब्रेरी में नहीं, यहां पर आ जाए। यह बात सही है कि जैसा इन्द्रजीत जी ने और सोमनाथ जी ने कहा और इस पर राम विलास जी ने भी कहा, यह बात यहीं सदन में उठी थी। यहां पर एक मत निकला था और निमन्त्रण सरकार की ओर से आया था। जब सरकार ने निमन्त्रित कर के · · · (व्यवधान) · · · अधिकांश मत · · · (व्यवधान) · · आपका मत भिन्न था · · · · · (व्यवधान) · · · मैं कह रहा हूं, आपका मत नहीं था, लेकिन सरकार ने हम लोगों को न्यौता दिया और न्यौता देने के बाद उसके नतीजे तो सामने रखने को तैयार नहीं हो रही। अब सब सहमत हो गए हैं तो उसको सदन में रखवाइए और उस पर बहस करवाइए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : मैं पहले ही राष्ट्रीय एकता परिषद के कुछ सदस्यों और संसद सदस्यों के दलों के अयोध्या दौरे के संदर्भ में वहां की स्थिति के बारे में नियम 193 के अंतर्गत नोटिस दे चुका हूं।

संसद और जनता को अयोध्या, विशेष रूप में राम जन्म भूमि मंदिर के बारे में चल रही स्थिति की सही वास्तविक जानकारी दी जानी चाहिए। मैं पहले ही चर्चा के लिए नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस दे चुका हूं।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अब चूंकि दो अग्रणी अधिवक्ताओं में इस बात पर संघर्ष चल रहा है कि क्या एक मसले, जो कि न्यायालय के निर्णयाधीन है पर सभा में चर्चा की जा सकती है, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिना किसी गंभीरता के कह दिया कि यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसे सही करना चाहता हूं। मैं अधिवक्ता नहीं हूं। मैंने कभी भी कानून की पढ़ाई नहीं की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह बेकार का कानून बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह केवल कानून बना रहे हैं; वह कानून की व्याख्या नहीं कर रहे हैं।

श्री गुमान मल लोढा : सभा पटल पर रिपोर्ट रखने के संबंध में राजनैतिक दलों, भारतीय जनता पार्टी, हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है। श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठायी गयी बात बहुत ही प्रासंगिक बात है। गृह मंत्री ने भी कहा था कि अब चूंकि यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है, उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है अतः हम उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं और न ही निर्णय ले सकते हैं चाहे इसका उल्लंघन हो या नहीं।

इस बात पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, कमेटी गई थी, वह संसदीय प्रतिनिधि मंडल था या कुछ संसद सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल था? हमारे बड़े-बड़े नेता, हमारे सीनियर लीडर इस बात को बार-बार बोल रहे हैं कि वह संसदीय प्रतिनिधि मंडल था। मेरी जानकारी में भी है और आपने भी कोई संसदीय प्रतिनिधि मंडल की घोषणा नहीं की थी। संसदीय प्रतिनिधि मंडल वह तब होता, जब, अध्यक्ष जी, आप उसको भेजते। वह संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल था। वैसा ही एक संसद सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भारतीय जनता पार्टी ने भी भेजा था। दोनों प्रतिनिधि मंडलों की रिपोर्ट आपके पास आई है। अगर पहले प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट सदन में रखी जा रही है, तो दूसरे प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट भी रखी जानी चाहिए। नहीं तो दोनों ही नहीं रखी जानी चाहिएं। दोनों पर चर्चा होनी चाहिए।······**(व्यवधान)**······

अध्यक्ष महोदय : मुझे बोलने दीजिए। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, अयोध्या का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इतने लोग बोले हैं। क्या बोलना है, सब को।

श्री राम नगीना मिश्र : हम तो वहीं के रहने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय : सारे यू०पी० के लोगों को बोलने दें।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं वहीं का रहने वाला हूं। मैं अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा।··· **(व्यवधान)** अभी हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहा और खुराना जी ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है इसको आप सदन में रख करके डिबेट कराएं और दूसरा जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसकी रिपोर्ट भी सदन में रखिए। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बड़े गर्व के साथ हमारे विरोधी दल के नेता कहते हैं वहां जो प्रतिनिधि मंडल गया था उस दल में दो भूतपूर्व प्रधान मंत्री और वे राष्ट्रीय परिषद के मेम्बर हैं अगर वे सीरियस होते तो श्री वी०पी० सिंह जी और चन्द्र शेखर सिंह जी भी साथ होते किन्तु वे सीरियस नहीं थे इसलिए वे नहीं गए। मान्यवर, इसके अतिरिक्त हमारे चार मुख्य मंत्री जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर ये सारी चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, तीन रिपोर्टें पेश होनी चाहिएं, जो चार मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल गया था, वे भी और आप जो कह रहे हैं, ये तीनों रिपोर्ट सदन में रख कर बहस कराई जाए ताकि "दूध का दूध और पानी का पानी" हो जाए। ऐसा लगता है कि शायद उनकी रिपोर्ट में बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इस पर हमको बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में इसी बिन्दु पर कंटैंप्ट आफ कोर्ट की केस चले और इसलिए यहां पर उसकी चर्चा कहां तक मंजूर होगी यह पूछा गया था। उसके बाद यह भी बताया गया था कि वह रिपोर्ट लाइब्रेरी में रखी जाएगी और मेम्बर्स को दी जाएगी लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मेम्बर्स को यह रिपोर्ट नहीं मिली है, लाइब्रेरी में शायद रखी नहीं है मैं मालूम कराऊंगा। कंटैंप्ट का जो केस है वह 8 तारीख को आने वाला था उसका क्या हुआ वह भी मालूम कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा।

[अनुवाद]

मैं इस मामले की आपके साथ चर्चा करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप रिपोर्ट तो सरकुलेट करवा दीजिए।

11.05 म०पू०

कुछ बैंकों द्वारा लोक निधि के दुरुपयोग के बारे में

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बैंक घोटाला जिसने गंभीर स्थिति हासिल कर ली है, आपके ध्यान में लाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसे पहले भी सभा में उठाया गया था और मैं इसमें आपका हस्तक्षेप इसलिए चाहता हूं तथा आपकी अनुमति से इस वजह से पुन: उठाना चाहता हूं क्योंकि इसके तीन गंभीर पहलू हैं।

पहली बात तो नि:संदेह लोक निधि का दुरुपयोग है। महोदय, जो निधियां बैंकों के पास इस समय उपलब्ध हैं वे ऐसी निधियां नहीं है जिन्हें बैंकों ने किसी छुपे या गोपनीय स्रोत से पैदा किया हो। ये निधियां, जो कि बैंकों के पास हैं, भारत के नागरिकों या भारत की संस्थाओं की निधियां हैं। हमारी जानकारी में ज्यादातर ऐसे बैंक इस समय राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और वे सीधे केन्द्र सरकार के शासनाधीन या सीधे उनके प्रशासनाधीन हैं। ये निधियां 2000 करोड़ रुपये और 2500 करोड़ रुपये के बीच हैं। यह कोई छोटी या थोड़ी धनराशि नहीं है जिसके बारे में यह सभा पिछले एक सप्ताह या उससे पहले से उत्तेजित है। अत: पहला पहलू लोक निधियों के दुरुपयोग के बारे में है।

इससे जुड़ा एक और पहलू भी है जो कि बैंकों से संबद्ध अधिकारियों के दुर्व्यवहार के बारे में है। हमने बार-बार यह मामला उठाया है और किसी भी समय सरकार आगे आकर यह नहीं कहा कि वह इन बैंकों से संबद्ध इन सनकी अधिकारियों के बारे में क्या कर रही है और इन अधिकारियों को आटे दाल का भाव का पता नहीं है।

हमारा एक राष्ट्रीय आवास बैंक है जहां लगभग 500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। स्टेट बैंक में 650 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला हुआ है। हमें पता नहीं है कि अन्य कौन से बैंक इसमें शामिल हैं और अचानक हमें समाचार पत्रों से पता चला है कि इन बैंकों के बहुत वरिष्ठ अधिकारी—मैं उनका नाम नहीं लूंगा या तो छुट्टी चले गये हैं या उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। यह संतोषजनक बात नहीं है। क्योंकि जब घोटाले की राशि 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो और जब प्रत्येक बैंक ने फिल्मी आधार पर बैंक रसीदों द्वारा इस हद तक लोक निधियों से खिलवाड़ किया हो तो इन अधिकारियों को छुट्टी पर भेजना या त्यागपत्र देने पर जोर देना या त्यागपत्र दिलवाना काफी नहीं है।

एक तीसरा पहलू भी है जो कि बहुत गंभीर पहलू है और सभा द्वारा विचारणीय है। मैं पूरे सम्मान के साथ यह कहता हूं कि सरकार और वित्त मंत्रालय के दायित्व के बारे में सभा को जानने का पूरा अधिकार है। आखिरकार ये सभी बैंक सीधे तौर पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के नियंत्रण और शासन के अधीन हैं। कितने रुपये का घोटाला हुआ है यह बात आज तक वित्त मंत्रालय नहीं बता सकी है। आज तक वह यह नहीं बता पायी है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का दायित्व क्या है। सरकारी तौर पर यह अब तक सभा को नहीं बता पायी है कि यह क्या कार्रवाई करने जा रही है। इसने केवल यही कहा है "हम सी०बी०आई० द्वारा जांच शुरू करेंगे। हम पूरे मामले की छानबीन करेंगे और दोषी अधिकारी को सजा देंगे।" मेरा कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। जब इतना बड़ा घपला हो गया है तो उसमें केन्द्रीय वित्त मंत्रालय सीधे तौर पर जुड़ा है। देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था ही खोखली दिख रही है। हम सभी का यह मानना है कि बैंकर्स ने दस-बीस लाख रुपये नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपये विवादास्पद स्टाक-एक्सचेंज के संचालक को अत्यंत कमजोर आधार पर दे दिया। और वास्तव में जो घटना घटी है उस बारे में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय प्राधिकृत तौर को प्रमाणिक तथ्य सामने नहीं रखा है—इस समस्या की गंभीरता क्या है और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय या सरकार इस संबंध में क्या कर रही है।

अंत में चौथा मुद्दा वह पूरे देश में पूंजी बाजार के संपूर्ण कार्यकरण के संबंध में है। मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह मुद्दा कई बार उठाया है। पूंजी बाजार में करीब 30 प्रतिशत लघु निवेशक है। लघु निवेश प्रभावित होंगे क्योंकि कुछ बड़े निवेशकों का देश की बैंकों की व्यवस्था मे साझेदारी है। यदि कुछ बड़े निवेशकों ने पूंजी बाजार में घपला किया है तो निश्चित रूप से छोटे निवेशक प्रभावित होंगे। अत: पूंजी बाजार ठीक बनाए रखने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का यह दायित्व है वह यह सुनिश्चित करे कि स्टाक एक्सचेंज के छोटे निवेशकों पर आघात नहीं पहुंचे। हमारी यह मांग है कि इस घोटाले के सभी पहलुओं पर सरकार द्वारा कोई अधिकृत वक्तव्य दिया जाना चाहिये कि सरकार इस संबंध में क्या करना चाहती है। इस मामले का तथ्य क्या है और उन्होंने अब तक क्या जांच की है। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं होगा कि सी०बी०आई० या भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी जांच करने को कहा गया है। यह तो वही बात हो गई कि चोर को ही कहें वह यह बताए कि उसने

क्या किया है। अत: 24 या 48 घंटे के अंदर उस समस्या को गंभीरता का मोटा अंदाजा मिल गया होगा जिसका हम सामना कर रहे हैं। यह और भी गंभीर बात होगी कि इस मामले के तथ्य को जानने के लिये तीन माह तक यूं ही छोड़ दिया जाए। यह सभा कल स्थगित हो जाएगी। इस सभा को एक कर्तव्य का निर्वाह करना है। उस कर्तव्य का निर्वाह तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक सरकार इस संबंध में जो घटित हो रही उन सारे तथ्यों को सामने नहीं रखती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : कृपया हमें बताएं कि यह हर्षद मेहता है कौन..... (**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : मेरे अच्छे और वरिष्ठ मित्र ने पूछा है कि हर्षद मेहता कौन है, और क्या मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मेरे विचार में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने हर्षद मेहता के बारे में बहुत कुछ कहा है। अब यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। स्टाक एक्सचेंज का एक संचालक जिसने विगत कई महीनों के दौरान स्टाक एक्सचेंज में हेराफेरी की है। मेरे लिये सबसे चिंताजनक पहलू यह है हर्षद मेहता ने केवल स्टाक एक्सचेंज में ही हेराफेरी नहीं की बल्कि उसने देश की बैंक व्यवस्था में भी गड़बड़ी पैदा की है। यह आपराधिक आरोप है..... (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप नहीं चाहते कि वह पकड़ा जाए..... (**व्यवधान**)

श्री जसवंत सिंह : मैं किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जैसे मुद्दे को सभा में उठाने के संबंध में अत्यधिक संयम बरतता हूं। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये कहना मेरे लिये बहुत आसान है। श्री हर्षद मेहता ने पूंजी बाजार में जो गड़बड़ी की है उसकी गंभीरता यह है कि उन्होंने राष्ट्र की पूरी बैंकिंग व्यवस्था से ही खिलवाड़ किया है। उन पर मात्र आरोप लगाना ही काफी नहीं है। उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था से कैसे खिलवाड़ की? फरवरी माह में श्री मेहता पर आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया। अत: सरकार आय कर विभाग द्वारा फरवरी में उक्त छापे के बाद यह नहीं कह सकती कि वह उन सभी घटित घटनाओं से अनभिज्ञ थी। अचानक आपको हर्षद मेहता के गतिविधियों को गंभीरता का पता चलता है। फरवरी माह से ही उसकी गतिविधियों की जानकारी आपके पास थी। फरवरी से ही आपको यह जानकारी थी कि वह केवल पूंजी बाजार में ही गड़बड़ी नहीं कर रहा है बल्कि बैंकिंग व्यवस्था से भी खिलवाड़ कर रहा है। मुझे विश्वास है कि सरकार तथ्यों के साथ सामने आएगी। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सारी फाइलें वित्त विभाग के पास हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष जी, बैंक के सिलसिले का विषय अभी श्री जसवंत सिंह जी ने रखा, इसमें हम सभी लोग चिन्तित हैं और यह कमाई आम जनता की रही है, बैंकों का जिसके साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे मध्यम वर्ग के तमाम लोग शेयर्स में अपना पैसा लगाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में आज उनका पैसा डूब गया है। बैंकिंग सिस्टम हम लोग एक तरह से देख रहे हैं। उस पर से विश्वास उठ गया है कि इसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। आम

जनता का अपना इन्वेस्टमेंट और मध्यम वर्ग का जो है, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। सरकार जिम्मेवार है कि इसकी देख-रेख कर रही है या नहीं। यह बहुत बड़ा प्रश्न-चिह्न खड़ा हो गया है। यह बात सही है कि 28 तारीख को इन्कम टैक्स रेड हुआ। उसमें कागजात और फाइलें हासिल हुई। उन कागजातों में बड़े-बड़े नाम हैं उसके अन्दर, जिनसे हर्षद मेहता का कनैक्शन है। तीन महीने बीत गये। सरकार क्या करती रही। उसके आधार पर किसी को प्रश्न पूछने का काम किया या नहीं। 28 तारीख को उसके घर से कागजात हासिल हुए। संबंधित कागजात से जो संबंधित थे, उनसे एक भी सवाल किया गया या नहीं। यह नहीं है कि कोई सरकार में जिम्मेदारी के स्थान पर रहे और यह कहे कि यह मैंने काम नहीं किया है। सवाल यह नहीं है कि काम नहीं किया। काम हुआ, उस पर आपने क्या कार्यवाही की। हमने आपको रखा हुआ है कि आप भ्रष्टाचार को रोको। आपने भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया या नहीं। आपने अपनी जिम्मेदारी पी या नहीं और किस मायने में की, इस पूरे प्रकरण में। खाली यह कहना कि सी०बी०आई० देखेगी तो सवाल यह है कि साल भर से आप क्या देख रहे हैं। इसका उत्तर कौन देगा। केवल हर्षद मेहता नहीं देंगे। वे अपने कामों को देखेंगे, कुछ करेंगे तो आप भुगतेंगे। आप क्या देख-रेख करते रहे। यह बड़ा भारी प्रश्न है। हम कोई आरोप नहीं लगाते। इससे मेजर स्कैण्डल पैदा होता है। कम से कम हमको यह तकलीफ नहीं उठानी पड़ रही है कि हम ग्यारह महीनों में मेजर स्कैण्डल का जवाब दें। इस सदन में कुछ होता रहा हो, कम से कम यह परिस्थिति न हो। कहां से यह वातावरण बनता है। यह जरूरी है कि आज वित्त मंत्री इस पर पूरा बयान दें। उसकी पूरी डिटेल्स सदन के सामने रखें और यह भी बताएं कि कैसे इस तरह की यह घटना हो गई और कहां खामी रही है और जो प्रोसीक्यूशन की बात है तो यह भी बताएं कि क्यों हर्षद मेहता आज भी हर्ष में हैं और हम दुखी हैं। उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है। ऐसे आदमी को जेल की सीखचों के पीछे जरूर रहना चाहिए जो देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करता है। वैसे सरकार में ताकत नहीं है कि उसको सजा दे सके। 28 तारीख के कागजातों में जिन लोगों के नाम आए हैं, उनके नामों का खुलासा करने का काम करना चाहिए। उसमें कोई स्विस बैंक की सिक्रेसी नहीं है। जो अधिकारीगण बैंकों से संबंधित रहे हैं जिनकी जिम्मदारी है कि बैंकिंग व्यवस्था सही ढंग से चले। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाहन किया या नहीं। उनको कोई तत्काल मुकदमें में या प्रूफ करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप जिम्मेदारी तय करके, सीधे एक्शन ले सकते हैं। उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। वित्त मंत्री जी इसका उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे चिंताजनक बात यह है कि देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से देश में आज तक घटित सबसे बड़ी घोटाला कांड में लिप्त पाई गई। मैं समझता हूं कि सभा की यह आम राय होगी कि यह सबसे बड़ी घोटाला है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और कई अन्य महत्वपूर्ण बैंक इसमें शामिल हैं। सरकार को कब पता चला? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारियों को त्याग पत्र देने अथवा छुट्टी पर चले जाने को कहा गया है। क्या ऐसा इस कारण कि यह मामला सभा में उठाया गया है और सरकार सजग हो गई है? राष्ट्रीय आवास बैंक जो ग्रामीण क्षेत्र आवास के उद्देश्य से जनता का पैसा निवेशित करने वाली थी वह लगता है कि बैंक रसीदों के कार्डों का महल बनाने में व्यस्त है। राष्ट्रीय आवास बैंक का यह कार्यकरण है और ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति पूरे शेयर बाजार और आयकर विभाग का नियंत्रण करता रहा है। इस वर्ष

फरवरी में यह बात सामने आई जब उस व्यक्ति के यहां आयकर विभाग का छापा पड़ा। इस वर्ष 28 फरवरी को कुछ दस्तावेज पकड़े गए लेकिन आयकर विभाग ने एक समझौता कर लिया। मैं यही समझ पाया हूं। वित्त मंत्री यहां पर हैं और इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। आयकर विभाग एक ऐसे व्यक्ति से समझौता करके खुश है जिस पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। दस्तावेजों से पता चला ? कई महीनों के लिए वह ऐसी गतिविधियों में कैसे लिप्त रहा ?

महोदय, यह कहा गया है कि आयकर के निपटान के लिये उसने 20 करोड़ रुपये अदा किए इतनी राशि कहां से आयी ? इस व्यक्ति के आय का स्रोत क्या था। यह भी कहा गया है कि इस व्यक्ति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के नाम से आज तक की सबसे बड़ी रकम 622 करोड़ रुपये का चैक द्वारा धन लिया गया। क्या उसके खाते में उक्त रकम जमा की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने किस तरह उसके खाते में उक्त रकम जमा की ? ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश और सभा को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। केवल इतना कहना कि हम इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगे या सी० बी०आई० इसकी जांच करेगी, यह पर्याप्त नहीं है। देश की हजारों साधारण जनता आसानी से धन कमाने के लोभवश पूंजी बाजार में आए अचानक वित्तीय उछाल में शामिल हो गए और हजारों आम जनता—जैसा कि ठीक ही कहा गया है और हमें भी जानकारी मिली है कि—उन्होंने भविष्य निधि खाते से कर्ज लिया है और शेयर बाजार में निवेश कर दिया। उन्होंने साधारण बचत खातों और जमा पैसों को निकाल कर इसमें लगा दिया। आज उन्होंने सब कुछ खो दिया और भारत सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। हमारा यह कहना है कि वास्तविक स्थिति क्या है यह इस सभा को तुरन्त बताया जाए। सरकार को कब पता चला ? श्री मेहता के संबंध में क्या-क्या जांच की गई ? वह अचानक कैसे भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन बैठा जो पूरे शेयर बाजार को अपने नियंत्रण में ले लिया और जबकि सरकार नई आर्थिक नीतियों के आजकल इस पर पूरा ध्यान दे रही है ? क्या इसी तरह नई आर्थिक नीतियां भारत में लागू होंगी ? एक व्यक्ति ने पूरे अर्थ-व्यवस्था और शेयर बाजार को अपने नियंत्रण में ले रखा है। पूरी बैंकिंग व्यवस्था उसकी उंगलियों के इशारे पर चल रही है। वे इस व्यक्ति को अनुग्रहीत करने के लिए तत्पर है और उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।

महोदय, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि वे बंद कंपनियां भी जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, यदि यह बाजार में आता है और यह कहता है कि श्री हर्षद मेहता इस कम्पनी में रुचि ले रहे हैं तो तत्काल उस बंद पड़े कंपनियों की शेयरों में तेजी आ जाती है। यह अत्यन्त असाधारण स्थिति है। हमें यह बताया गया कि राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष वित्त विशेषज्ञ हैं। भारत सरकार ऐसे विशेषज्ञों को बढ़ावा दे रही है। जब कोई आम व्यक्ति, बेरोजगार इंजीनियर बैंकों से छोटे व्यापार में निवेश के लिए पचास हजार रुपया मांगता है तो उसे नहीं मिलता है। तब उससे हर तरह की 'सिक्यूरिटी' और गारंटी मांगी जाती है। उसे दो तीन वर्षों तक खाक छानने होते हैं। ऐसे कई मामले हमारे सामने आए हैं। हमने कई मामलों का जिक्र किया है। उन पर साधारण तौर पर भी विचार नहीं किया जाता है। राष्ट्रीयकृत संस्थाओं में इतने उच्च पदस्थ लोग इस तरह कार्य कर रहे हैं।

हमारा यह कहना है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था पर जानबूझ कर कीचड़ उछाला जा रहा है। यह षड्यंत्र चल रहा है।

कुछ लोगों को कानून से ऊपर माना जा रहा है। वे ऐसे नागरिक हैं जिन पर समता का अधिकार लागू नहीं होता। उन्हें देश में विशिष्ट जन माना जा रहा है। पूरी अर्थ-व्यवस्था ही आज जीर्णावस्था में परिवर्तित हो रही है।

हम कठोर कारंवाई किए जाने की मांग करते हैं। उनके विरुद्ध सरकार ने मुकदमा क्यों नहीं चलाया है। हर्षद मेहता सहित इन लोगों के विरुद्ध क्या कानूनी कारंवाई की गई है? इसकी जानकारी सरकार और संसद के सदस्यों को क्यों नहीं मिल पाई। ये लोग और यह व्यक्ति किस तरह के बैंक खाते रखे हुए हैं? खातों की गोपनीयता के नाम पर हर तरह की चोरी छुपे आदान-प्रदान चल रहे हैं। यह अत्यन्त गंभीर बात है।

इसमें दो हजार करोड़ रुपए की राशि संलिप्त है। हम यहां पर केवल दर्शक बनकर नहीं बैठे रह सकते हैं। सरकार को पूरी तरह से आगे आना चाहिए और इन लोगों को गिरफ्तार करने सहित उचित कार्यवाही करनी चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कानून के अन्तर्गत किसी को भी संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। वे अपनी रक्षा कर सकते हैं। परन्तु सरकार को इसमें कारंवाई करने के इरादे और निष्ठा का प्रदर्शन करना चाहिए तथा यहां पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। समुचित कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

इन लोगों की गिरफ्तारी से ऐसा प्रतीत होता है कि जो उच्च अधिकारी स्पष्ट रूप से इन व्यक्तियों से जुड़े हुए है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। अत: हम यह मांग करते हैं कि इन मामलों में टांग खींचने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि सरकार ने इन लोगों से संपर्क भी किया है। वास्तव में हद हो गई है। हमें एकजुट होना चाहिए। मुझे विश्वास है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय वित्त मन्त्री राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेंगे। उन्हें यह प्रदर्शन करना चाहिए कि नेतृत्व दिया गया है। इस संबंध में किन्हीं गुप्त व्यवस्थाओं के जारी रहने का आभास नहीं मिलना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): बैंकों के उच्च अधिकारी इस जालसाज दलाल की कम्पनियों के निदेशक मण्डल में इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। मैं इस बारे में माजदा-लीजिंग का उल्लेख कर सकता हूं। इस कम्पनी के निदेशक मण्डल में पंजाब नेशनल बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक, निदेशक के पदों पर विराजमान हैं।

दूसरी बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिबन्ध लगा दिया है और ऐसे मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि ऐसे लेन-देन नहीं होने चाहिएं। इन विशिष्ट अनुदेशों के बावजूद, इन उच्च अधिकारियों की इन जालसाज लोगों से सांठ-गांठ है। यह सांठ-गांठ केवल इसी विशेष दलाल के साथ ही नहीं है, बल्कि अन्य दलालों और अन्य बैंकों के साथ भी है। उनकी बैंकिंग प्रणाली में व्याप्त कमियों का लाभ उठाने के लिए भी सांठ-गांठ है और वह रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय को पिछले कुछ महीनों से इन सब बातों की जानकारी थी। इस जटिलता के लिए मैं इस सरकार को दोषी ठहराता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह प्रश्न शुक्रवार को उठाया गया था और वित्त मन्त्री सभा में आए थे । कोई भी व्यक्ति इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि वह भी इस बारे में काफी चिन्तित है । उन्होंने सभा में ही इस मुद्दे को उठाने वाले दो बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों से बात की । ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा है कि कुछ कार्यवाही की जा रही है । कुछ सुराग मिले हैं और उन्हें इस बात की चिन्ता है कि यह जनता का पैसा है और वह मुख्य रूप से इस पैसे की वसूली को लेकर चिन्तित हैं । यह उनकी चिन्ता का विषय है और मैं समझता हूं कि उनकी चिन्ता का यही स्पष्ट कारण है ।

हम जिस बात के इच्छुक हैं, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं । यह एक बड़ा राष्ट्रीय प्रकरण है । हरेक आदमी जानता है कि स्वतंत्र भारत में यह पहली बार हुआ है और हमारे देश का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान जोकि एक प्रतिष्ठित संस्थान है, इसमें शामिल है । अत: आम लोगों को भी आशंका है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी इसमें शामिल हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कल लखनऊ में था । मुझसे वहां कहा गया था—वित्त मन्त्री श्री मनमोहन सिंह जी जरा सुनिए । मैं कल लखनऊ में था । लखनऊ में एक बात हुई है । मैं उसका सभा में उल्लेख नहीं करना चाहता हूं । परन्तु एक अति वरिष्ठ अधिकारी जिनके नाम का सरेआम उल्लेख किया जा रहा है, उनकी हर्षद मेहता से सांठ-गांठ है और वही मुख्य व्यक्ति है जिस ने अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किया है । मैं उनका नाम उल्लेख नहीं करना चाहता हूं । मैं बाद में उसका नाम आपको बताने के लिए तैयार हूं । यह लोग उसके नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं ।

पहली बात मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस मुद्दे पर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को बुलाएंगे । क्या आप उन्हें रिपोर्ट देने को कहेंगे ? जो सुराख मिले है, कृपया उन्हें विश्वास में ले लें कि आपने कुछ कार्यवाही की है और यदि आप इसे सरेआम नहीं कहना चाहते हैं तो हमें बताएं कि क्या कारण हैं कि आप इसका प्रकट रूप से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं कि सभा ऐसा करने में रुचि रखती है । यह पहली बात है ।

मैं चाहता हूं कि आप इस पर तत्काल एक वक्तव्य दें ।

दूसरी बात है कि भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत एक नौजवान ने मुझे सूचना दी है कि अब तक कुछ धन वसूल कर लिया गया है और इस धन के संबंध में फिर से गड़बड़ी की गई है । जिन बैंकों का उल्लेख किया गया है उनमें से एक तो पंजाब नेशनल बैंक है और दूसरा मैं समझता हूं सिंध बैंक या इसी तरह के किसी बैंक का जिक्र किया गया है । हर्षद मेहता ने इन दो बैंकों में पहुंच की है और उसे इन बैंकों से धन मिला है तथा यह धन भारतीय स्टेट बैंक को वापस अदा कर दिया गया है । फिर से दो अन्य बैंकों में सांठ-गांठ से धोखेबाजी की गई है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपको मालूम है कि धन कहां से प्राप्त किया गया है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें कहने दो। यह दूसरी जानकारी है जो मुझे कल ही भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत एक मौजवान से प्राप्त हुई है। उन्होंने मुझे यह जानकारी दी है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आपके पास क्या जानकारी है। यह बातें सरेआम की जा रही हैं कि इस देश के वित्त मन्त्री इस सभा को तो कम से कम विश्वास में नहीं ले रहे हैं। मैं यह दो बातें वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं। उन्हें इस बारे में तत्काल वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): मैंने इस विषय पर एक नोटिस दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं। इस पूरी बात पर सभी ओर से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह व्यक्तिगत मामला नहीं है, चाहे वह कितने ही बड़े आदमी क्यों न हों, जैसाकि संकेत दिया गया है कि इसकी कोई प्रणाली है। यह आयकर अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है। इसका हमारी बैंकिंग व्यवस्था और वित्तीय संस्थानों से संबंधित अधिनियमों से संबद्ध है और यह इस अर्थ में प्रासंगिक है कि वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न उच्च अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है। यह सब प्रासंगिक है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि हमें तत्काल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के इस्तीफे की भी मांग करनी चाहिए। जोकि काफी लम्बे अर्से तक वित्त सचिव के पद पर रहे, उन्होंने निश्चित रूप से अत्यधिक परिश्रम से कार्य किया। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं। परन्तु यह उस अर्थ में व्यक्तिगत मामला नहीं है। इस पूरी प्रणाली में सीधे-सीधे उच्च स्तर तक के लोगों के शामिल होने का आभास होता है और यह बात सत्य है कि जब तक इस प्रणाली की पूरी छानबीन नहीं कराई जाती है, तब तक इस तरह की कार्यवाही के भविष्य में फिर से घटित होने से भी नहीं बचाजा सकता है। अतः हम मांग करते हैं कि वित्त मन्त्री सदन को आश्वासन दें कि सभा को क्या करना चाहिए। परन्तु इसके अलावा यह बात और आवश्यक है कि जब हम सोलंकी प्रकरण में संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग कर सकते हैं तो यह तो वित्तीय दृष्टि से उससे भी बड़ा प्रकरण है और स्पष्ट रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हैं।

अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों सहित इन सभी पहलुओं की जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाए, केवल केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो से ही इसकी जांच न करवाई जाए। मौजूदा अधिनियम के अनुसार जैसे ही आप अपनी खोज और बरामदगी का कार्य आरम्भ करते हैं, वैसे ही संबंधित व्यक्ति सामने आकर कहता है कि "मैं एक घोषणा कर रहा हूं" उसके बाद खोज और जब्ती का कार्य समाप्त हो जाता है। हम एक संशोधन पुरःस्थापित करते हैं। माननीय वित्त मन्त्री ने अपनी बुद्धिमता से बिना कोई कारण बताए नकार दिया है। ऐसी बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मामले का तत्काल ही निपटान हो गया और सभी फाइलें उनके मालिक के पास वापस चली गई हैं और विभाग ने इन्हें अपने कब्जे में नहीं लिया है। अतः संसदीय समिति को इस मामले की छानबीन करनी चाहिए और इसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या किया जाए। साथ ही दण्डात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और छानबीन जारी रखी जाए। यदि सरकार इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका का पता लगाने में ढुलमुल रहे तो भी छानबीन जारी रहनी चाहिए। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या उन्हें भी फिलहाल इस घटना चक्र से अलग रखा जाना चाहिए या नहीं। मैं वित्त मन्त्री के समक्ष यह आग्रह करना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ····(**व्यवधान**)········

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैंने इसी विषय पर नोटिस दिया है। इस संबंध में ऐसी चकित करने वाली बातों का पता चला है कि एक ही शेयर दलाल ने भारतीय स्टेट बैंक से 600 करोड़ रुपए ले लिए। इस पर इस सभा में चर्चा करने की अनुमति दी गई थी और हमने कुछ आशंकाएं व्यक्त की थीं कि ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं, जहां इसी तरह सट्टेबाजी के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से सैकड़ों करोड़ रुपए निकाले गये हों और अब यह एक दम स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक और यूको बैंक भी इसमें शामिल हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय आवास बैंक इसमें शामिल है। यह बैंक नितान्त रूप से इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की गृह निर्माण गतिविधियों में सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यह अमूल्य निधि सट्टेबाजी के लिए शेयर दलालों के पास चली गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के स्पष्ट निर्देशों के एकदम विपरीत है। अत: मैं सरकार से इस संबंध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। केवल यही बात नहीं है। वास्तव में लोगों को आश्चर्य है कि वह शेयर दलाल और वह लोग, श्री फेरवानी और श्री मार्गबन्धु, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए उसे दिलाने में सहायता की है वह अभी भी बचे हुए हैं और बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने इस देश के लोगों को, इस देश की अर्थ व्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। मैं सरकार से इस मामले से संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। इसलिए, मैं अपने साथी की मांग का समर्थन करता हूं कि इस मामले की जांच करने के लिए तत्काल ही एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। यह केवल उन व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं है बल्कि जैसाकि मेरे मित्र श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने कहा कि यह उसमें निहित प्रणाली तथा प्रक्रिया से भी सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दोहराइए नहीं। अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : जब हम इस माननीय सभा के माध्यम से कोई जानकारी मांगते हैं तो हमें कहा जाता है कि अमुक नियम के अन्तर्गत इसे प्रकट नहीं किया जा सकता है। तो किस मुंह से यह सब घृणित बातें हुई? यह सही समय है जबकि सरकार को इसे स्पष्ट कर देना चाहिए और जनता के हित में इस पर से गोपनीयता सम्बन्धी खंड हटा देना चाहिए। मैं अपनी मांग को दोहराता हूं कि इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के०पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम): महोदय, यह हमारे देश के हित में है कि हमें कुछ सुधारात्मक कदम उठाने हैं। इस सभा में यह आमतौर पर होता आया है कि जब भी कुछ होता है तो विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता उस घटना की काव्यात्मक व्याख्या करते हैं। उन्होंने यह कहने की कोशिश कभी नहीं कि ऐसी चीजों को किस तरह से कम किया जाए। मैंने माननीय प्रधान मन्त्री जी को तथा विभिन्न मंत्रियों को दिसम्बर, 1991 में पत्र लिखे हैं। मैंने एक प्रारूप भेजा है और उनसे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों का जीवन-वृत्त लेने के लिए कहा है। उनके दिन-प्रतिदिन के लेने-देन और मामले क्या हैं और उनके अनेक करोड़पतियों तथा राजनीतिज्ञों और मंत्रियों इत्यादि के साथ क्या संबंध हैं। किसी भी मन्त्री ने यह सूचना एकत्रित नहीं की है। प्रधान मन्त्री जी ने मुझे लिखा है कि आने वाले समय में वे सारी सूचना प्राप्त कर रहे हैं और उन्होंने सचिवों को निर्देश दे दिए हैं।

हर्षद मेहता का मामला एक ऐसा मामला है। बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए से ऊपर जनता का पैसा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा लूटा जा रहा है। इसने हमारी कानून तथा व्यवस्था की स्थिति, नक्सलवाद का मामला तथा आतंकवाद का मामला प्रभावित हुआ है। जब ऐसी घटना होती है तो आप अधिकारियों को पकड़ने तथा उन्हें कैद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हर्षद मेहता को एक तरफ छोड़िए। लेकिन आपकी प्रशासनिक प्रणाली का क्या हुआ ? जब श्री वी०पी० सिंह ने साधारण "फेरा" अपराध में बजाज और किर्लोस्कर को 48 घंटे के लिए जेल में बन्द करवा दिया था तो यह सरकार उन अधिकारियों को कैद करने से क्यों डर रही है ?

कल, श्री त्यागी का उनके अपने घर में कत्ल हो गया। हम आतंकवादियों को दोष कैसे देते हैं, हम नक्सलवादियों को दोष कैसे देते हैं, जबकि इस देश में ऐसी बातें हो रही हैं ?

इसलिए, कम से कम सभी दलों द्वारा श्री मनमोहन सिंह के हाथों को मजबूत किया जाए और वे ऐसे अपराधों से निपटने के लिए उन्हें अपना योगदान दें। धन्यवाद।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): हम, सभा में इस ओर बैठे लोग भी पिछले कुछ दिनों से घट रही घटनाओं के बारे में समान रूप से सम्बन्धित हैं। मैं आपके द्वारा इस सभा का ध्यान बैंकिंग कार्यों के एक अन्य पहलू की ओर भी दिलाना चाहूंगा।

केरल में हजारों लघु औद्योगिक एकक हैं। उनमें से अधिकतर बन्द पड़े हैं। जिसका एकमात्र कारण यह है कि उन्हें छोटी कार्यचालन पूंजी समय पर नहीं दी जाती है। उनके पास अन्य सभी आधारभूत साधन हैं। उनके पास उद्योग हैं, उनके पास तकनीकी ज्ञान हैं; कच्चा माल है और अन्य सुविधाएं भी हैं। केवल एक बात यह है कि उनके पास 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की कार्यचालन पूंजी नहीं है।

हमारा एक संगठन है और मैं उस संगठन का अध्यक्ष हूं। केरल के 14 जिले में 6,000 से ऊपर यूनिटें हैं। सभी बन्द पड़ी हैं। वे मेरे पास आए। धनी तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक व्यक्ति मेरे पास कभी नहीं आए क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा कैसे लिया जाता है और बैंक जानते है कि पैसा कैसे दिया जाता है। केवल बन्द यूनिटों के लोग मेरे पास आते हैं। यह एक बहुत गम्भीर मुद्दा है। यह तस्वीर का एक पहलू है।

अब एक मामला ऐसा है जिसमें जनता का करोड़ों रुपया किसी एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया जाता है। इस घटना ने चौंका दिया है। यहां तक कि अब बैंकिंग प्रणाली में विश्वास ही डगमगा गया है। नरसिम्हा समिति की रिपोर्ट को मंजूर नहीं किया गया है। अब बैंकिंग क्षेत्र में यह विचारधारा है कि अधिकारी तथा बैंक कुछ भी कर सकते हैं, जो वे चाहें।

इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से तथा सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की गम्भीरता से जांच करें और उन सभी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करें, जोकि गैर जिम्मेदाराना तरीके से इतनी बड़ी राशि मंजूर करने तथा उस सरकार के नाम पर बट्टा लगाने के लिए जिम्मेवार हैं, जिसने अर्थ व्यवस्था में सुधार लाने के लिए तथा इस देश के आर्थिक जीवन में नई क्रान्ति लाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाएं हैं। धन्यवाद।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर पूरी सभा चिन्ता व्यक्त कर रही है। मुझे भी अन्य माननीय सदस्यों की तरह यही महसूस हुआ है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छोटे-छोटे ऋण लेने के लिए आवेदक एक जगह से दूसरी जगह आते रहते हैं, लेकिन उनका प्रयास बेकार जाता है।

यहां एक ऐसा मामला है जिसमें हजारों करोड़ रुपए एक व्यक्ति विशेष को उपलब्ध करवा दिए हैं जिसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंकिंग प्रणाली को शक्तिहीन बना दिया है।

मैं इस माननीय सभा का समय नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन यहां ऐसी स्थिति है जिसे वास्तव में असाधारण कहा जा सकता है। महोदय, एक असाधारण स्थिति को असाधारण उपायों की आवश्यकता है। तीन अधिकारियों का छुट्टी पर चले जाना अथवा उन पर कोई कार्यवाही इस देश के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पायेगी, उन वेतनभोगी निर्धन व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी जिन्होंने अपने जीवन की सारी बचतों का निवेश शेयर बाजार में कर दिया है। वे सरकार के संकेत पर कार्य कर रहे थे। महोदय शायद सरकार ही ऐसे निवेशों को प्रोत्साहित कर रही थी और अब अचानक ही उन्हें लगता है कि उनकी जीवन भर की बचतों को लूट लिया गया है। मैं वास्तव में सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर तत्काल कार्यवाही करें और न केवल इस सभा के सदस्यों के विचारों की कद्र करें बल्कि सभी देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री सैफुद्दीन चौधरी के बाद आप बोल सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी है। भारतीय रिजर्व बैंक इस देश की बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन बनाए रखने का पूरा प्रभारी है। ऐसा नहीं है कि आपने भारतीय स्टेट बैंक से किसी को छुट्टी पर जाने को कह दिया अथवा किसी को आपने फिलहाल कार्य करने के लिए मना कर दिया। प्रश्न यह है कि हमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के विरुद्ध कार्यवाही करनी है। वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके नाम आए हैं और जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत उपलब्ध हैं, आपराधिक मामले दायर किए जाने चाहिएं। सरकार में ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे अन्य लोग जो इसमें शामिल हैं, की भी जांच की जा सकती है। इसलिए दो चीजें जरूरी हैं। उन व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दायर किए जाने चाहिएं जिनके नाम अब तक सामने आए हैं। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें शामिल अन्य बड़े लोगों को सामने लाने के लिए जांच की जानी चाहिए यह दो बातें हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से स्पष्ट जवाब चाहता हूं कि क्या अब वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर): अध्यक्ष महोदय, पहले मुझे बोलने का समय दीजिये ···· (व्यवधान) ····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज कोई भी श्री जार्ज फर्नान्डीज को बोलने नहीं दे रहा है।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं । यह वित्त मन्त्री जी की नीयत का प्रश्न नहीं है बल्कि वित्त मन्त्री जी के नेतृत्व का प्रश्न है । इस सरकार के द्वारा गलत नेतृत्व दिया गया । इस लिए मैं मांग करता हूं कि इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और वित्त मन्त्री को इसका जवाब देना चाहिए····(**व्यवधान**)···

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, यह सीधी सरकार की जिम्मेवारी है और इस सरकार के अन्तर्गत ही ये सब हुआ है····(**व्यवधान**)····

श्री हरि किशोर सिंह : बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इसलिए नहीं किया गया था कि हर्षद मेहता जैसे लोग इस देश में पैदा हों और सारी की सारी बैंकिंग व्यवस्था उनके हाथों में खेलने लगे । आज यह सरकार इसका स्पष्ट रूप से जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ है और किसके कारण से हुआ है ? हमें कोई एतराज नहीं है कि सी०बी०आई० से इसकी इनक्वायरी हो लेकिन वह बेचारे अफसर इनक्वायरी क्या करेंगे ? वे अच्छे ईमानदार लोग हैं लेकिन जब वे सच्चाई तक पहुंचते है तो उनका तबादला हो जाता है, किसी का प्रमोशन के द्वारा हो जाता है और किसी को ऐसे ही हटा दिया जाता है जैसे बोफोर्स कांड में हुआ है । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी से हो, नहीं तो मैं कहूंगा कि इस देश में ईमानदारी जजों की कमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जज से इसकी इनक्वायरी करवायी जाये । जिस तरह से पहले एक मुद्रा कांड हुआ था और डेढ़ करोड़ का घपला हुआ था जिस पर वित्त मन्त्री को इस्तीफा देना पड़ा था·· (**व्यवधान**)···आज नेशनल हाउसिंग बैंक की जो बैंक रिसिट्स है वह इनकैश नहीं हो रही हैं । इससे आप कैसे लोगों को आश्वस्त कर सकेंगे कि देश की बैंकिंग व्यवस्था ठीक है, वित्तीय व्यवस्था ठीक है । जो नई आर्थिक नीति और वित्तीय नीति श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में इस देश में चल रही है, उसके परिणाम अगर ऐसे मिलते रहे तो हर्षद मेहता जैसे लोग ही उत्पन्न होते रहेंगे ।

श्री राव राय (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष जी, जार्ज फर्नान्डीज के बोलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । आडवाणी जी और अटल जी आ गये हैं । सी०बी०आई० से इसकी इनक्वायरी कराने के बारे में कांग्रेस की ओर से समर्थन मिल रहा है । मैं अब वह सवाल उठाना चाहता हूं जिससे आप भी पूरी तरह से सहमत होंगे । इस देश में जो लोग गणतंत्र में विश्वास रखते हैं, बहुत सालों से यह मांग करते आये हैं कि····(**व्यवधान**)····आपके निर्देशानुसार इस सदन की एक कमेटी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी है,

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं और सारे माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अभी तक, भले ही यह राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनेलाइज्ड बैंक है और वह सार्वजनिक क्षेत्र में है और पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी सारे सार्वजनिक क्षेत्र को स्क्रूटनाइज करती है, मैं नहीं समझता हूं, जिस तरीके से यह बैंक स्कैण्डल है, यह जो सबसे बृहत्तर बैंक स्कैण्डल है लेकिन इससे पहले विजया बैंक का भी हुआ था । इस तरह से बैंकों का सारा कामकाज ठीक ढंग से नहीं होता है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारे सांसदों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बुनियादी प्रश्न है कि सारे नेशनेलाइज्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के तहत, जो हाउस की कमेटी है, एक

परमानेण्ट स्तर पर पब्लिक अण्डरटेकिंग के तहत उसको क्यों नहीं भेजा जाता है ताकि बैंकिंग इण्डस्ट्री, खासकर जो नेशनेलाइज्ड बैंकिंग इण्डस्ट्री है, उसको पूरे क्रिटीकल ढंग से यह देख सकती है इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि स्थाई रूप से पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स के तहत स्क्रूटनाइज करने के लिए, बैंकिंग इण्डस्ट्री को, कम से कम नेशनेलाइज्ड बैंकिंग इण्डस्ट्री को दिया जाए। यही मेरी मांग है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि वित्त मन्त्री यहां पर आये हैं और शायद इसी ख्याल से वह यहां पर आये हैं कि इस पर सवाल यहां पर छेड़ा जाये। मुझे इस बात की भी खुशी है कि संसदीय कार्य मन्त्री ने आज यह शिकायत नहीं की है, शायद मैं पांचवीं बार इस विषय पर इस सदन में पिछले 15 दिनों में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप हमको उसी तरह से रोकने और टोकने का काम करेंगे, जैसे बोफोर्स के मामले को लेकर पिछले कई दिनों मे हमको रोकने और टोकने के काम को कर रहे हैं।

यह भी मैं इशारा दूं कि आज, क्योंकि, अध्यक्ष जी, हमने पहले ही दिन, जब यहां पर वित्त मन्त्री उस दिन बैठे थे और इस सवाल को यहां पर छेड़ा था तब केवल उस बड़े सांड की ही चर्चा नहीं थी, हमने आपकी नौकरशाही की चर्चा की थी और जब आपने इस बात को सिर हिलाकर कबूल किया कि उन बदमाशों को, बाजार को सट्टे का मैदान बनाकर जिन्होंने लोगों को लूटने का काम किया और वह अफसर और बैंकों के बड़े अफसर, जो इसके अन्दर फसे रहे, इन दोनों की एक बात को आप मंगा लीजिए कि पिछले 6 महीनों में विशेषकर आपके सरकारी अधिकारियों ने और बैंक के अधिकारियों ने कितने शेयर्स में अपने पैसे डाले, शेयर बाजार में कितना पैसा कमाने का काम किया तो जब आपने इस बात का सिर हिलाया तो मेरी बातों को समाप्त करते हुए, वित्त मन्त्री जी याद करेंगे और अध्यक्ष जी, शायद आप भी याद करेंगे, मैंने आखिरी बात यह कही कि जब आपके मंत्रिपरिषद के, कैबिनेट नहीं, काउंसिल आफ मिनिस्टर के जो सारे सदस्य हैं, उनसे भी आप इस जांच को मंगा लीजिए, तब हंगामा हुआ और यह बात अनेक लोगों को पसन्द नहीं आई।

यहां पर अभी विश्वनाथ प्रताप जी ने एक बात को छेड़ा कि वह इन्कम टैक्स की जो रेड हुई थी और उस बात को लेकर आगे जाकर इन्द्रजीत जी ने एक बात को छेड़ा कि यह कौन है, जिस व्यक्ति का नाम बार-बार लिया जाता है, वह कौन है ?

जहां तक मुझे याद है, 28 तारीख को आपकी रेड हो गई, 29 तारीख को आपका बजट आ गया और आपके बजट के ऊपर सरकार की तरफ से कमेण्ट करने के लिए आपको सबसे बड़ा जो आदमी मिला था और सबसे अधिक वक्त जिसको आपने दिया था, वह यही बड़ा सांड है।·· (**व्यवधान**) जी हां, फर्स्ट डे टेलीवीजन पर।

तो रिश्ते मामूली नहीं हैं, रिश्ते बहुत ही गहरे हैं और वह रिश्ते केवल रेडियो और टेलीवीजन तक और अखबारों तक सीमित नहीं हैं, मैं वित्त मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इन्कम टैक्स की आपकी रेड हो गई, उस वक्त जो अनेक दस्तावेज आपके हाथ में आ गये तो उसमें क्या यह सही नहीं है कि कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियोज की भी फाइलें पकड़ी गई हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मन्त्री हैं, आपके मंत्रिमण्डल के आपके सहयोगी हैं····(**व्यवधान**)·····नाम तो अभी नहीं

बताऊंगा। आहिस्ता-आहिस्ता बताऊंगा इसमें तो हलाली चलेगी ···· **(व्यवधान)** ···· नहीं, झटका नहीं करेंगे।

हम इसलिए आज इस बात को यहां पर छोड़ रहे हैं, चूंकि हम चाहेंगे ··· **(व्यवधान)** ···

[अनुवाद]

श्री अम्बारासू इरा (मद्रास मध्य): महोदय, यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह क्या है, महोदय? ···· **(व्यवधान)** ····

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मंत्री होने के नाते मैं नाम जानना चाहूंगा। आप नाम क्यों नहीं बताते हैं? आप नाम बताइए, अन्यथा इसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। **(व्यवधान)** यह बहुत गलत बात है। **(व्यवधान)**

क्या आप एक मिनट के लिए मान जायेंगे? आप चरित्र हनन की कला को जानते हैं; आप लोगों पर आक्षेप लगाने की कला को जानते हैं; आप ऐसा करते आ रहे हैं। ·· **(व्यवधान)** ·· मुझे इसे समाप्त करने दें। मैं मन्त्रीपरिषद की ओर से आपसे अनुरोध करूंगा कि या तो आप नाम दें या वापिस लें। यदि आपको किन्हीं नामों का पता चलता है तो हम प्रधान मन्त्री के पास जायेंगे और उन्हें कहेंगे कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए; उन्हें टिके रहने का कोई अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आर्कां फर्नान्डीज : हमने किसी का नाम नहीं लिया। हमने केवल जानकारी पूछी है। मेरी समझ में नहीं आता है, ये क्यों खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : यदि मेरा नाम उसमें है तो मैं त्याग पत्र दूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आर्कां फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, बहुत काम है सदन के सामने। **(व्यवधान)** यह बात कहकर हमको बैठा देते हैं। **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

श्री संतोष मोहन देव : यदि जो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं उनके इसमें नाम हैं तो उन्हें भी त्याग पत्र देना चाहिए हम सभी को त्याग पत्र देना चाहिए। परन्तु इस तरह नाम न दें। **[व्यवधान]**

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आप किस तरह के लोग हैं? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने वित्त मंत्री जी से सीधा सवाल पूछा है। वित्त मंत्री जी से जवाब आ जाए, क्या यह सही नहीं है कि आपने जो इस व्यक्ति के ऊपर रेड डाली है, जो फाइलें आपने पकड़ी हैं, जो जानकारी आपके हाथ में है, दो ऐसी पोर्टफोलियोज की फाइलें आपके हाथ में आई हैं या नहीं हैं ? हम यहीं तक अपने को सीमित रख रहे हैं। लेकिन बात वहीं पर खत्म नहीं हो जाती है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें आक्षेप लगाने से बचना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : मैंने केवल एक प्रश्न पूछा है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आरोप नहीं, आक्षेप ।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इस सदन में कौन सी चीज है, जो सरकार ने कबूल की है। हर चीज को टोक-टोक कर बाहर निकालने का काम हुआ है। किसी चीज को कबूल करने का काम इस लोगों ने नहीं किया है। इसलिए हम अभी उस पर नहीं जायेंगे । मगर जो मामला है, अगर इस मामले को आप सही मायनों में हल करना चाहते हैं, तो जो तरीका आपने अपनाया है ,उसमे नहीं होना है। जैसा कि अखबारों में छपकर आ रहा है कि कोई बड़ी जांच आ जाए, स्टेट बैंक आफ इंडिया की और बड़े लोगो की जांच आ जाए। इसमें दो बात है—एक, अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास हम लोगों पर खत्म हो जाएगा। हम लोगों का मानना है कि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों को और बड़े उद्योगों को, अन्य लोगों को हम लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने उस दिन भी सदन में यह बात पढ़ कर सुनाई थी कि कैसे दुनिया में यह बात पहले की जा रही है विदेशी ' लोगों हिन्दुस्तान में शेयर मार्केट में मेहरबानी करें नहीं जाना, क्योंकि बहुत ही ओवर हिटेड मामला है । इसको गिरना है, इसको बस्ट होना है, इसलिए तुम लोग नहीं जाना। यह पहले से चला है । इसलिए विदेशियों के ऊपर आपका यहां के चोरों को चोर करके कहने से क्या असर पड़ेगा। उसकी चिन्ता हमको नहीं करनी चाहिए। दो—मैं वित्त मंत्री जी को याद कराऊं, एक नहीं दो बार हो सकता है तीन बार वित्त मंत्री जी आपने मुझे पिछले बजट के वक्त टोका था, जब मैंने कहा था कि बैंक किस तरह से चल रहे हैं। बैंकों में किस प्रकार से लोग सबसे बड़े हायर पोस्ट पर बैठे हैं। यह बात यहां पर मैंने छेड़ी थी। आपने कहा कि इन संस्थाओं को इस तरह से टोकने का काम आप मत करिए। मैंने आपकी बात मानी थी, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत ही सड़ा है, मामला बहुत ही बिगड़ा है । जैसे अभी फरवानी का इस्तीफा आया, मैं इस पर आने से पहले एक ऐसे व्यक्ति का नाम लूं, जिसने स्वयं इस्तीफा दे दिया उस कंपनी से—श्री एन०डी० प्रभू। इनका केनरा बैंक को बनाने में और उसको बढ़ाने में बहुत बढ़िया योगदान रहा है। आपकी सरकार ने एन०डी० प्रभू या जो भी सरकार यहां पर रही हो, हम सरकार की बात कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो परमार्नेंट गवर्नमेंट है और उसका हिस्सा है

फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि तुम को माज्दा कंपनी के बोर्ड पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसने नहीं माना। उसने आपके आदेश को डिफाई किया और वह आकर के उस बोर्ड के ऊपर बैठ गया। सात लाख रुपए माहवारी वेतन में बैठ गया। मर्सीडीज गाड़ी उसने बड़े सांड से पाया, रोज दफ्तर आने-जाने के लिए। जब मामला गले पर आ गया, तो परसों-चौथे इस्तीफा देकर घर बैठ गया।

अब ये रिश्तों को आप देखें, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं कि उस आदमी के बारे में मुझे कोई शिकायत है, वह गया, अच्छा किया। मैंने कहा कि एक अच्छा बैंकर था, हमने उसकी तारीफ की, लेकिन जो काम उसको नहीं करना चाहिए था, उसको किया नंबर एक और नंबर दो जो असली बात अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं, वह यह है कि, जिनकों आप गुनहगार मानते हैं, जिनकी जांच आप करना चाहते हैं, इन लोगों के आपसी इतने रिश्ते हैं कि आप जांच से अंदर के किसी सत्य को देश के सामने नहीं रख सकेंगे, यह बात आपको माननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, फेरवानी का मामला भी वही है। अब इस आदमी को नेशनल हाउसिंग बैंक का चेयरमैन बनाना ही महा पाप था। अध्यक्ष जी, हम लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, यह वह व्यक्ति है जो यू०टी०आई० का मैनेजिंग डायरेक्टर था और यू०टी०आई०में रहते हुए बैंक आफ बड़ौदा की जो सारी फाइनांस कंपनी थी, उस कंपनी को, लार्सन एण्ड टुब्रो को रिलायंस के हाथ में देने की गफलत उस वक्त की थी, वह इसी व्यक्ति ने की थी और यह आदमी जो मेनुपलेटर है, उसको आप नैशनल हाउसिंग बैंक का चेयरमैन बनाकर बिठा देते हो, उनसे क्या अपेक्षा थी। आज मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नेशनल हाउसिंग बैंक का कितना पैसा खत्म हो गया है ? कैसे आप लोगे, कहां से लोगे, और इसमें जो विदेशी बैंकों का हाथ है, हमने विदेशी बैंकों को आने के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं, अपनी सिक्यूरिटी को लेकर वे खेल रहे हैं, आपके आर०बी०आई० की पूछताछ से वे इन्कार कर रहे हैं, उनका सीधा रिश्ता इन बड़े सांडों के साथ है और हिन्दुस्तान के स्टाक एक्सचेंज, को स्टाक मार्केट को मैनुप्लेट करने का काम, जिसे आप नहीं चाहते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के बारे में दुनिया में अविश्वास पैदा हो, लेकिन वह अविश्वास पैदा करने का प्रयत्न क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं। शेयर मार्केट में आग लगाने का काम जो किया गया है, क्या इसकी जिम्मेदारी आपके मंत्रालय के लोगों पर नहीं है। अगर मैं मंत्रालय के लोगों की बात कह रहा हूं तो सरकार को ही यहां पर दोषी ठहराता हूं। फरवरी महीने में आपके पास, आपकी सिक्यूरिटी बोर्ड के, "सेबी" के चेयरमैन की तरफ से फरवरी के प्रथम सप्ताह में भारत सरकार को कहा गया था कि स्टाक मार्केट का जो सिलसिला चला है, इस पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाएं, लेकिन नहीं उठाए गए और यह सांड बिजनेस आफ पोलीटिकल आब्जर्वर को दी हुई मुलाकात का एक वाक्य पढ़कर सुना रहा हूं, ऐसी बात नहीं कि आपको मालूम नहीं था।

[अनुवाद]

प्रश्न यह था, "क्या बाजार में तेजी आयी है क्योंकि एक अच्छे बजट की आशा की जा रही है ? और उत्तर यह दिया गया है, "एक बात सबको बहुत स्पष्ट है कि सभी अपनी भूमिका निभाने वाले......."

श्री पवन कुमार बंसल : वह कहां से उद्धृत कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं बिजनस एण्ड पालिटिकल आब्जर्वर से उद्धृत कर रहा हूं :

"सभी प्रमुख भूमिका निभाने वालों को एक बात बहुत स्पष्ट है कि आज का बाजार मूलभूत बातों के आधार पर नहीं चल रहा है बल्कि तकनीकी आधार पर चल रहा है, यह एक प्रकार का पागलपन है जो बढ़ता जा रहा है और यह स्टाक कीमतों का निर्धारण नहीं करता है बल्कि इसकी मांग, इसकी कीमत निर्धारित करती है ।"

[हिन्दी]

और आपने बिठा दिया, आपकी सरकार चुप रही और इसलिए चुप रही कि जिन लोगों पर जिम्मदारी थी इसको रोकने की, वे भी इस मार्केट में लग गए, खेल में लग गए। (**व्यवधान**)

इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह जो जिम्मदारी डालने वाली बात है···।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या विभिन्न अखबारों के कोटेशंस संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं । सारे अखबारों को उठाकर इन्होंने एक-एक करके कोटशन देना शुरू कर दिया है, क्या यह सदन की परिपाटी है, क्या सदन के अंदर ऐसा किया जा सकता है, इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहती हूं । क्या अखबार की पंक्तियों को कोटेशंस के रूप में यहां पर रखा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है, अब आप बैठ जाइए ।·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना दुरुस्त है ।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : मैं आधे मिनट में उनसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने बहुत गंभीरता से मंत्रियों के खिलाफ आरोपों का जिक्र किया है·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर जोर क्यों दे रहे हैं ?

श्री ए० चार्ल्स : मैं उनका समर्थन कर रहा हूं । इस संबंध मे एक प्रक्रिया निर्धारित है·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ए० चार्ल्स : यदि माननीय सदस्य ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है तो उन्हें प्रक्रिया के अनुसार नाम लेने दीजिए । हम यहां उन्हें समर्थन देंगे·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से खड़े न हों और न ही अनावश्यक बातें कहें ।

जो कुछ माननीय महिला सदस्य ने कहा है वह कानूनी तौर पर ठीक है । और आपको ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं है ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष जी, कोटेशंस नहीं दी जाएं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं खत्म करूंगा और मुझे वित्त मंत्री जी से कुछ ठोस मांगें करनी हैं। ...... (व्यवधान) पहला, यह कि जो जांच आप करने की बात कर रहे हो। ...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करिए ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कहा कि ये जो आप अन्दर की जांच कर रहे हो उसको आप छोड़ दीजिए इसकी जांच आप पुलिस थाने के हाथों में देने का काम करिए । दूसरा, ये जितने लोगों से आप इस्तीफा मांग रहे हो, ये केवल इनसे इस्तीफा लेकर बात नहीं बनेगी । अगर यह इस्तीफा मांगने लायक थे (व्यवधान) तो आप पुलिस जांच को भी कराने का काम करिए, चूंकि जब इस्तीफा आ जाता है तो मैं यह मानता हूं कि सरकार इतना कबूल कर रही है कि इस आदमी ने गलत काम किया है तो फिर उसकी पुलिस जांच को भी आप शुरू करवा दीजिए। तीसरा, इसमें कितने बड़े लोग और कितनी संख्या में लोग फंस जाते हैं इसकी परवाह मत करिए अगर आपके एक दर्जन बैंकों के चेयरमैन, जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर्स को आज इस्तीफा दिला कर पुलिस थाने में पहुंचाने की जरूरत पड़ती है तो हिम्मत करिए । (व्यवधान) जो चोटी के बैंक हैं जैसे बैंक आफ कराद है ।

वित्त मंत्री जानते हैं कि बम्बई के स्टाक मार्केट का एक मध्यम श्रेणी के सांड ने उस बैंक को अपने कब्जे में लिया है। महाराष्ट्र के किसानों की वह बैंक थी, एक जमाने में, आज बम्बई के स्टाक एक्सचेंज के भूपेन्द्र लाल की वह बैंक बन गई है। क्या आपको मालूम नहीं है और कहां-कहां, किन-किन लोगों का उस सिक्योरिटीस का खेल इस एक बैंक से चला है, पिछले महीने भर में, आपको मालूम नहीं है। क्या इतनी छोटी सी बैंक, बैंक आफ कराद एक सौ करोड़ रुपए का आपका सिक्योरिटीस पार्ट अपने हाथ में लेकर ...... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, अन्य सदस्य भी और मुद्दे उठाना चाहते हैं। कृपया संक्षेप में कहें। आपने ज्यादा समय ले लिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं खत्म कर रहा हूं । तो इसलिए इसमें कौन लोग पकड़े जाएंगे इसकी परवाह मत करिए। चौथा, आज जो इस्तीफा देकर बैठे हुए लोग हैं उन पर तत्काल मुकदमा दायर करने का भी काम करिए और इन लोगों को आज सभ्य लोग करके, देश में घूमने के लिए, देश में बैठने मत दीजिए। 25 रुपए का अगर कोई जेब काटे तो पुलिस उसको हथकड़ी लगा कर घुमाने का काम करती है और सौ करोड़ रुपए, पांच-सौ-हजार करोड़ रुपए कोई लूटे तो, वे आजकल आए हैं बम्बई से सभी लोग दिल्ली में या जितने लोगों के नाम यहां पर लोगों के लिए और फाइव-स्टार में एक-एक सीट लेकर, ये सभी लोग यहां पर सरकार के ऊपर अपना जो रिश्ता है उन रिश्तों

का इस्तेमाल करने के लिए, तो इन लोगों को जैसे कोई साधारण क्रिमिनल के बारे में देखा जाता है उस तरह से इन लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए आप भी कदम उठाइए और जो इनवेस्टर्स हैं उनका ख्याल करिए और शेयर मार्केट को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूश्स के जरिए उठा करके इन लोगों को बेवकूफ बनाने की जो साजिश हो रही है उस साजिश को मत चलने दीजिए। इतना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं देर से आया हूं, इसलिए देर तक नहीं बोलूंगा। लेकिन मामला ऐसा है कि न केवल सारे सदन के लिए, बल्कि देश के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। वित्त मंत्री अगर उत्तर देने वाले हैं तो मैं चाहूंगा, मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उस पहलू का उल्लेख किया है कि सारे गोलमाल में विदेशी बैंकों की क्या भूमिका है, इसको स्पष्ट करें। मैं व्यक्तियों के नाम नहीं लेता, लेकिन बैंकों के नाम मैं अवश्य लूंगा। छोटे-छोटे बैंकों की मैं चर्चा नहीं करूंगा, तीन बड़े बैंक हैं—सिटी बैंक, ग्रिन्डले बैंक और चार्टर्ड बैंक, इन्होंने पिछले कुछ समय में अनाप-शनाप मुनाफा कमाया है। साधारण तौर पर 10 करोड़, 15 करोड़ बैंक में मुनाफा होना चाहिए। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, अगर गलत है तो मैं अपने आंकड़े सुधारने के लिए तैयार रहूंगा, पिछले वर्ष इन बैंकों ने 300 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। यह मुनाफा कैसे कमाया? क्या नियम के अनुसार, सामान्य तरीके से बैंकिंग पद्धति में कोई बैंक इतनी पूंजी कमा सकता है? क्या इतना धन बना सकता है? क्या इतना धन बनाना इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये विदेशी बैंक भी सट्टे के धन्धे में लग गए हैं? सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्या यह नियमानुसार है? क्या हम उन्हें इस बात की अनुमति देते हैं? वित्त मंत्री बताएं कि इन बैंकों ने बाहर रेमीटेंसिस भेजने के लिए कितनी अनुमति मांगी है, कितने रोकड़ की अनुमति मांगी है। विदेशी बैंक यहां से सट्टा बाजार में पैसा लगाएं, स्टोरियों की मदद करें, रुपया कमाएं, वह रुपया फिर विदेशी मुद्रा के नाते विदेशों में जमा हो जाए, इसकी तो इजाजत नहीं दी जा सकती। इस सारे प्रकरण में विदेशी बैंकों की भूमिका क्या है यह स्पष्ट होना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय, लिबरेलाइजेशन का यह अर्थ नहीं है, मैं आज फिर उस मुद्दे को उठाना चाहता हूं, कि स्टोरियों को खुली छूट दे दी जाए। लिबरेलाइजेशन का यह अर्थ भी नहीं हो सकता कि बैंकिंग उद्योग में गोल-माल चलने दिया जाए और यह अर्थ तो हो ही नहीं सकता कि यदि वित्त मंत्रालय या रिजर्व बैंक के बड़े-बड़े अधिकारियों के आचरण के बारे में संदेह पैदा हो जाए तो सरकार कठोर कार्यवाही न करे। उनके आचरण में पारदर्शिता होनी चाहिए। आज आप सरल बनाने जा रहे हैं सारी व्यवस्था, इसका अर्थ यह भी नहीं है। उस दिन भी इस बात का उल्लेख हुआ था, अमेरिका में बैंकिंग में गोलमाल करने वाले एक व्यक्ति पर 1500 करोड़ रुपये का जुर्माना हुआ है, उसको जेल भेजा गया है, वह अलग है। बोसकी का नाम आप जानते हैं, मिलकन, जिनकी पराक्रम की गाथा पहले पृष्ठ पर छपी हुई है, वह पराक्रम है बैंकिंग उद्योग को धोखा देना। मगर अमेरिका मे उनके साथ रियायत नहीं बरती जा रही है।

वित्त मंत्री महोदय, आपकी सारी नीतियों पर और आपकी कीर्ति पर भी, कहीं आंच न आ जाए, आप भले आदमी हैं, नेक आदमी हैं, मगर आप ऐसे जंजाल में फंस गए हैं "हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे", ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

पहली बार रिजर्व बैंक ने डिफाल्ट किया है। हाउसिंग बैंक का डिफाल्ट करना और 30 करोड़ जमा करने में विफल होना, यह साधारण घटना नहीं है। आप जांच कर रहे हैं। मैं जांच-कर्ताओं पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मगर जांच सन्तोषजनक होगी, इसके बारे में सन्देह है और फिर कितना समय लगेगा, मैं नहीं जानता। आज शेयर मार्किट की हालत क्या है ? बाजार में एक सनसनी है। 3 हजार करोड़, 4 हजार करोड़ तक गोलमाल आएगा, इस तरह के आंकड़े समाचार-पत्रों में फेंके जा रहे हैं। छोटे-छोटे व्यक्ति जो शेयर खरीदते हैं, उसकी हालत क्या होगी, हम इसका अन्दाजा लगा सकते हैं।

ढाई करोड़ शेयर खरीदने वालों की संख्या देश में होगी। उन्हें मरने से बचाना होगा। जो सरकार ने नीति बनाई है, उसे सफल करके दिखाना होगा। जांच में कड़ाई होनी चाहिए। जांच तत्काल होनी चाहिए। अगर, जरूरी हो तो क्रिमिनल केस फाईल करना चाहिए। सी०बी० आई० को सौंप दीजिए। अगर जांच करने वाला आपके पास नहीं है तो हम आपको जांच करने के लिए ईमानदार आदमी देने को तैयार हैं।..... (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : संभलकर कीजियेगा, फिर मंत्री न रह पायेंगे, अनुभव से बता रहा हूं।..... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर, मंत्री नहीं रहेंगे तो इधर आ जाएंगे हमारा लाभ होगा। यह मामला बिगड़ता जा रहा है। वित्त मंत्री ने कुछ कार्यवाही की है। हमारी धारणा यह है कि वह पर्याप्त नहीं है। किस सीमा तक गोल माल किया जा रहा है मैं नहीं जानता हूं, मुझे सट्टे बाजार का कोई अनुभव नहीं है। क्या वित्त मंत्री, इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं कि एक दिन के लिए सट्टा बाजार बंद कर दिया जाए। आज कोई ट्रान्जेक्शन नहीं होना चाहिए था, मैं नहीं जानता हूं इसलिए मैं बार-बार संदेह प्रकट कर रहा हूं कि पता नहीं बाजार में क्या हुआ होगा। जिन पर आप अंगली उठा रहे हैं, जिन्हें आप कटघर में खड़ा करना चाहते हैं, वे भी बाजार में तहलका मचाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में रुपया फेंक सकते हैं और उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। छोटा इन्वेस्टमेंट करने वाला मारा जायेगा। उसको बचाने की जरूरत है। इन सुझावों पर विचार कीजिए। सदन की सारी भावना इस संबंध में आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसे मैंने बहुत रुचि और आदरपूर्वक सुना है। शुरू में ही मैं कहूंगा कि मैं इस सभा की चिन्ता में शामिल हूं कि बैंकिंग व्यवस्था में बहुत सुधारों की आवश्यकता है। वस्तुतः मेरे वित्त मंत्री बनने के एक दम बाद ही बैंक व्यवस्था के कार्यकरण पर गौर करने के लिए मैं इसी वजह से समिति गठित करने पर मजबूर हुआ। मुझे इस बात की भी जानकारी थी कि इस व्यवस्था और प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की जरूरत है। अतः मैंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से विशेष रूप से जालसाजी के लिए गुंजाइश तथा निषेधात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर गौर करने के लिए तत्काल एक समिति का गठन करने के लिए कहा। जब स्टाक बाजार की कीमतें बढ़ने शुरू हुई उसी समय 30 अप्रैल को मैंने इस महान सभा को कहा था कि वित्त मंत्रालय असावधान या निष्क्रिय नहीं है। आयकर जांच का जिक्र किया गया। ये जांच चल रही है। मैं इन जांचों से यह नहीं कहना चाहूंगा या इस

परिणाम पर पहुंचना चाहूंगा और मुझे खेद है कि जिस तरह से श्री जार्ज फर्नान्डीज ने इस मामले को उठाया है वह इस सभा की परंपरा के अनुरूप नहीं है। जो तथ्य मैं जानता हूं, जिन्हें मेरे ध्यान में लाया गया है वे उन आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं जिस तरह के आरोप वे सभा में लगा रहे हैं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं और मैं इस सभा के सभी सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि चाहे वह आयकर की जांच हो या बैंक अधिकारियों के कदाचार के बारे जांच हो, हम इसे दृढ़ता से, ईमानदारी से और बिना किसी पक्षपात के आगे बढ़ायेंगे। आपको मैं इस संबंध में आवश्वासन देता हूं। मैं इस मामले की किसी भी बात पर पर्दा डालने का कार्य नहीं कर रहा हूं।

बैंक का कार्य भरोसे पर चलता है और यदि विश्वास ही हिल जाए तो मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है अत: मैं इस देश के साधारण नागरिकों को भी इस संबंध में संतुष्ट करने के लिए हर प्रयास करूंगा कि यदि हमारी बैंकिंग व्यवस्था में कोई कमी है तो हमारी सरकार ने इसे दूर करने के लिए निष्ठा व ईमानदारी से प्रयास किये हैं और मैं समझता हूं कि ये खामियां ही वर्तमान कटनाओं के लिए जिम्मेवार हैं।

रिजर्व बैंक के माध्यम से तब प्राप्त हुए प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर मैंने 30 अप्रैल को इस सभा को बताया था कि यह एक प्रणाली की असफलता है तथा इसमें शायद बैंक अधिकारियों और बैंकिंग प्रणाली से बाहर के कुछ व्यक्तियों में सांठ-गांठ रही हो। मैंने रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की लिए कहा था। वह समिति अब अपना कार्य कर रही है। अब हमने सी०बी०आई० आयकर विभाग के सेवा-निवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस जांच कार्य में शामिल करने का निर्णय लिया है तथा मैं आदरपूर्वक इस सदन से यह बिनती करना चाहूंगा कि यह समय रिजर्व बैंक पर छींटाकशी करने का नहीं है। रिजर्व बैंक हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्रा-प्राधिकरण है तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर में मेरा पूरा विश्वास है। हमारे देश के इतिहास की एक बहुत कठिन घड़ी में वे अपना कार्य करने में मेरी सहायता करते रहे हैं तथा रिजर्व बैंक क गवर्नर के ऊपर आधारहीन आरोप लगाकर हम कोई राष्ट्र हित का कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे आधारहीन आरोपों और आक्षेप पर मुझे खेद है। ···· (व्यवधान) इसलिए, रिजर्व बैंक द्वारा जांच जारी है। मैं सभा को इसका विश्वास दिलाऊंगा कि यह एक निष्पक्ष जांच है तथा जब जांच रिपोर्ट सदन के समक्ष आयेगी, तब आप आ सकते हैं, परन्तु हमसे ऐसा व्यवहार मत कीजिए ·······

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु अब आप उन्हें प्रमाण-पत्र क्यों दे रहे हैं? अब आप अधिकारियों को दोषमुक्त क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)। तब आप जांच समाप्त होने की प्रतीक्षा कीजिए। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : दूसरी बात यह है कि हमने प्रारम्भिक जांच कार्रवाई की। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह रिपोर्ट दी है कि स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, यूनाईटेड कर्माशियल बैंक के मामले में स्पष्ट तौर पर कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता के प्रमाण हैं। इसलिए, राष्ट्रीय आवास बैंक के चेयरमैन को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया है। यूनाईटेड कर्माशियल बैंक के चेयरमैन को भी ····· (व्यवधान)।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरा यह निवेदन है कि इस "लूटो और जाओ" की नीति को बन्द किया जाना चाहिए जिसमें कि लोग लूट मचाते हैं और बाद में त्यागपत्र देकर चले जाते हैं। (**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : दूसरी बात यह है कि यूनाईटेड कमर्शियल बैंक के चेयरमैन को छुट्टी पर चले जाने के लिए कह दिया गया है। इसी प्रकार, भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबन्ध निदेशक, जो कि निवेश कार्यक्रमों के प्रभारी हैं, उन्हें भी छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया गया है। कुछ अन्य अधिकारी जो कि इन मामलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे उन्हें भी ... इसके अतिरिक्त मैंने इन तीनों बैंकों के संबंधित मामलों को सी०बी०आई० के पास जांच के लिए भेज दिया गया है। इस-लिए, सी०बी०आई० इन तीनों बैंकों से सम्बन्धित मामलों की जांच करेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज तथा दूसरे कई सदस्यों ने यह कहा है कि इन मामलों की जांच सी० बी०आई० द्वारा करवाई जानी चाहिए। मैंने ऐसा ही किया है। सभा को इस बात के प्रति आश्वस्त रहना चाहिए कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने इस सदन को कई बार आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित जांच निष्पक्ष होगी। जहां तक सांठ-गांठ के मुद्दे का संबंध है जिसके संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि सांठ-गांठ के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं तथा अगर सांठ-गांठ के आरोप को सिद्ध करना है अथवा आधारहीन प्रमाणित करना है तो उसके लिए कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी। सांठ-गांठ का तात्पर्य यह है कि कुछ सूत्र ढूंढने होंगे। जो ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हैं, अगर वे जांच के दौरान अपने पद पर आसीन रहते हैं तो वे प्रमाणों और सूत्रों में हेरफेर करके जांच कार्य में विघ्न डाल सकते हैं, यह सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसलिए अगर आप वास्तव में अर्थपूर्ण ढंग से जांच करवाना चाहते हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों को जिनके विरुद्ध सांठ-गांठ में संलिप्त होने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, उन्हें उस अवधि के दौरान गिरफ्तार किया जाना चाहिए जब कि जांच कार्य चल रहा है। उन्हें ऐसी पदवी पर आसीन नहीं रहना चाहिए जहां कि वे सबूतों में हेरफेर कर सकें। अन्यथा, यह कैसी जांच होगी ?

श्री मनमोहन सिंह : मैंने माननीय सदन को बताया है कि कुछ लोग छुट्टी पर चले गये हैं और कुछ लोगों को निलम्बित कर दिया गया है। अब मामला सी०बी०आई० के सुपुर्द है। सी० बी०आई० को इस मामले की जांच पूरी करने दीजिए। तत्पश्चात् जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जायेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सी०बी०आई० ने दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है ?

श्री मनमोहन सिंह : मेरे विचार में इस सदन में कही गई बातों के आधार पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है। मुझे विश्वास दिलाया गया है कि सभी दस्तावेज सुरक्षित हैं। (**व्यवधान**)

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा कही गई बात का स्वागत करता हूं। मैंने पहले भी जो निवेदन किया था, वह उनके द्वारा व्यक्त चिन्ता को अभिव्यक्त करने के लिए था। उदाहरणार्थ यहां पर एक ऐसी स्थिति सामने आई है जिसमें राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबन्ध निदेशक

560 करोड़ रुपये के घोटाले में निश्चित रूप से संलिप्त पाए गए हैं । भारतीय स्टेट बैंक में 630 करोड़ रुपए के लगभग का निश्चित रूप से घोटाला हुआ है तथा हमारे माननीय वित्त मंत्री का इस संबंध में मात्र इतना ही कहना है कि संबंधित अधिकारियों को छुट्टी पर चले जाने के लिए कह दिया गया है। मेरी वित्त मंत्री महोदय से यह अपील है कि मात्र छुट्टी पर चले जाने का आदेश देना एक पर्याप्त तथा विश्वसनीय कार्यवाही नहीं है ।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने यह नहीं कहा है कि यह पर्याप्त कार्यवाही है। जांच चल रही है तथा सी०बी०आई० अपने तरीके से जांच करेगी ? मैंने ऐसा नहीं कहा कि इतना ही पर्याप्त है। (**व्यवधान**)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : आप ऐसे लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग क्यों नहीं करते ?

श्री रूपचन्दपाल (हुगली) : सरकार अपने आप को दोषमुक्त कैसे कर सकती है ? (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या इस मुद्दे पर चर्चा समाप्त हो गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में समाप्त हो गई है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें यह बताना चाहिए कि कितनी राशि वसूल की गई है ।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने सदन को 30 अप्रैल को पहले भी बताया था कि भारतीय स्टेट बैंक को सारी राशि वापस मिल गई है जो उसने अदा की थी । जहां तक कि धन के स्रोत का संबंध है कि यह राशि कहां से प्राप्त हुई, उसकी जांच चल रही है । जहां तक राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रश्न है, मेरे विचार में वहां पर समस्यायें हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक शायद इस घोटाले में संलिप्त है तथा इसीलिए इसके चेयरमैन को छुट्टी पर जाने के लिए कह दिया है, परन्तु इससे आप यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि यह धन बट्टे खाते में चला गया। कुछ अनियमिततायें हुई हैं, स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन भी हुआ है तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ है। आज हमें इन सब घटनाओं से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यह धन वापस नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी इस सभा में यह कहा था कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बैंकिंग प्रणाली का पहला उद्देश्य धन की वसूली होता है। मेरे विचार में यह कार्य प्रगति पर है। इसलिए, मैं यह नहीं कह सकता कि इतनी राशि का घाटा हुआ। मुझे आशा है कि अधिकतर राशि वसूल कर ली जायेगी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रवि राय जी एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करेंगे ।

श्री अन्बारासु इरा : (मद्रास मध्य) : महोदय, मैं एक मिनट का समय लेना चाहता हूं । मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय : अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। यह बड़ी अनुचित बात है । अगर मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा तो अन्य लोगों को भी समय देना पड़ेगा ।

श्री अन्नारासु इरा : महोदय, एक घण्टे से मैं बोलने की अनुमति मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इतना चिल्लाना नहीं चाहिये। आपको समझना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रबि राय (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत मानवीय सवाल पर आपने हमको बोलने की इजाजत दी है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही मर्मांतक और दुखदायी घटना उड़ीसा के एक नामी शहर में घट गई आज से दो-तीन दिन पहले। अखबारों से पता चलता है कि जहरीली शराब पीकर 250 गरीब लोगों की मृत्यु हो गई। अध्यक्ष जी, कटक में जो इस प्रकार की मर्मांतक घटना घटी, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमें आज इस बारे में पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस तरह की मर्मांतक घटना के बारे में सोचना चाहिए। पता चला है कि जो मिथाइल अल्कोहल है, इसके चलते 250 लोगों का देहांत हो गया और इसमें जो सबसे दर्दनाक घटना है, वह यह है कि सारे लोग गरीब हैं, अकलियत के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और रोजी-रोटी कमाते हैं मेहनत करके। मैं आज बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो घटना घट गई, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें प्रोहिबिशन के बारे में संविधान में जो प्रावधान है—

[अनुवाद]

"47 राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, इसके बावजूद भी मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं कि 1988 में स्फूरियस लिक्विर पीकर 788 लोगों की मौत हुई है, 1989 में 827 लोगों की, 1990 में 873 लोगों की और 1991 में 1164 लोगों की मृत्यु हुई है।

हमने पहले भी सदन में बहस की है कि पिछले साल 200 लोग दिल्ली में मर गए और बम्बई में जनवरी में 100 लोग मर गए। मैं इस लिए यह सवाल उठाना चाहता हूं कि एक तरफ तो संविधान का प्रावधान है कि मेडिसिनल पर्पज को छोड़कर और किसी बारे में नहीं होना चाहिए और प्राहिबिशन लागू होना चाहिए। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि सारी राज्य सरकारें कहती हैं कि केन्द्र सरकार उन्हें अनुदान नहीं देती है, ग्रांट्स नहीं देती है, साधन उपलब्ध नहीं करती है इसलिए वे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए प्रोहिबिशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके उत्तर में मैंने आपको 1988 के बाद से आंकड़े गिनाए कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई है इस जहरीली शराब के कारण। मैंने सारे देशवासियों के विवेक को जगाने के लिए आपकी अनुमति से इस सवाल को उठाया कि क्या इस तरह की संविधान के खिलाफ जो पालिसी चल रही है, हम अन्तर्मुखी होकर दोबारा सोचेंगे मैंने यह इस

लिए कहा क्योंकि बम्बई में इसके कारण 100 लोगों की मृत्यु हो गई और उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है । मैं कहना चाहता हूं कि कटक में जो ट्रैजेडी हुई है उसको पार्टीबाजी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए । इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनेक मौतें 88 के बाद हो गई हैं और मैं उड़ीसा के 3 करोड़ लोगों की तरफ से बताना चाहता हूं । सारे लोग वहां इस बारे में आन्दोलित हैं कि किस तरह से इतने गरीब लोगों की वहां मौत हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आखिरी तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वहां राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, वित्त की कमी है, धन का अभाव है, केन्द्र सरकार उसको धन उपलब्ध नहीं कराती है, इसीलिए राज्य सरकार इस तरह प्रोहिबिशन के खिलाफ काम करती जा रही है। मेरा आप से निवेदन है कि जब 1988 से ऐसी मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, गरीब लोग उसमें मर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि सिर्फ एक्साइज मिनिस्टर के बस की बात नहीं, प्रधान मन्त्री जी आगे चलकर, सभी मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलायें और इस तरह की जो मौतें हुई हैं, उसके सम्बन्ध में विचार करें कि किस तरह से राज्य सरकारों को रुपया उपलब्ध कराया जा सकता है, उनके रिसोर्सेज क्रंच का समाधान कैसे हो सकता है । इस बारे में सोचने की आज आवश्यकता है । मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी मौतें हर राज्य में बढ़ती जायेंगी, यह सिर्फ उड़ीसा का ही सवाल नहीं है ।

इसलिए मैं यहां उपस्थित सभी सांसदों से निवेदन करूंगा कि इस मामले में पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर, सोचने की आज आवश्यकता है । हम सब को मानवीय दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से यहां सभी सांसदों से निवेदन करना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही बोलेंगे । कृपया, उड़ीसा के सदस्यों को बोलने का अवसर दें ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मुख्य मन्त्री को भी उस क्षेत्र का दौरा करना चाहिए ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर चर्चा करने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं । वास्तव में जब इस त्रासदी ने पिछले गुरुवार से अर्थात शुक्रवार के तुरन्त बाद उड़ीसा में विनाश लीला आरम्भ की, तो मैंने भी नोटिस दिया था, परन्तु खेद है कि उस दिन मुझे यह मुद्दा उठाने का अवसर नहीं मिला ।

कटक में शवदाह गृहों में लगातार शव पहुंच रहे हैं तथा अस्पतालों में इस त्रासदी के शिकार आहत लोग भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): इसका तात्पर्य यह है कि लोग अभी भी पी रहे हैं ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कल सांय भी उन्हें दाखिल करवाया गया । यह बहुत ही चिन्ता और दुख का विषय है कि सैंकड़ों की बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं और पीड़ित हैं । परन्तु जो लोग

मरे हैं तथा जो लोग इसके कारण पीड़ित हैं, वे सभी सरकार की आबकारी में नहीं आये हैं। आन्तरिक क्षेत्रों में भी कुछ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे लोगों की अन्तिम संख्या कितनी होगी, कहा नहीं जा सकता। मृतकों के कुल आंकड़े, पीड़ितों के कुल आंकड़े भी हम नहीं जानते हैं। पीड़ितों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। वे लोग जो इलाज के बाद जीवित हैं, उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है, ऐसे मामले भी सामने आये हैं कि अस्पताल से छुट्टी होने के बाद घर जाने पर उनकी मृत्यु हो गई है उड़ीसा में बहुत ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती होने के लिए आ रहे हैं तथा इसी तरह से शवदाह गृह में आने वालों की संख्या असीमित है।

अध्यक्ष महोदय : दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह सब कैसे हुआ ? यह सब एक रात में नहीं हुआ। यह हुआ (व्यवधान) श्री रवि राय वरिष्ठ माननीय नेता ने सदन से इस मामले पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करने की अपील की है।

अध्यक्ष महोदय : समय सीमित है। मुद्दे पर बोलिए। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : वर्तमान शासनकाल में उड़ीसा में यह स्थिति दूसरी बार उत्पन्न हुई है। पिछले वर्ष, इसी प्रकार की घटना भाद्रक में हुई थी। इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था अब पुलिस महानिदेशक को इस बात की सूचना है ऐसी देशी शराब में मिथाइल एल्कोहल मिलाकर जहर बन जाता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई उन्होंने सरकार को सूचना दी थी, आबकारी विभाग को भी सूचना दी थी। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया था उसका परिणाम अब यह हुआ है।

मैंने कहा था कि पहले भी हमारे देश में, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन इस वर्तमान घटना ने पिछली घटनाओं को पीछे छोड़ दिया है। इस घटना से संबंधित व्यक्ति जिनका नाम सुरेन्द्रनाथ उर्फ बल्लू है, भाग गया है। वह भूमिगत हो गया है और यह सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में हुआ है। मैं यह बात दावे से कहूंगा कि एक बड़े नेता उसको संरक्षण दे रहे हैं उन्होंने राज्य प्रशासन व कानून का थोड़ा सा भी पालन नहीं किया है। लोग खुलकर बातें कर रहे हैं तथा सरकार के प्रभावशाली नेता सुरेन्द्रनाथ तथा उनके सहयोगियों से तनख्वाह पाते हैं। वे नियमित तनख्वाह पा रहे हैं। वह सही सलामत है। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में नशाबन्दी की बात कही थी। उन्होंने आरम्भ में कुछ हद तक शराब पर रोक लगाने की कोशिश की थी लेकिन बाद में शराब के विक्रेताओं के प्रभाव में, राजनैतिक दबाव में, क्योंकि पैसा दिया गया था, जिसका कि मैंने पहले उल्लेख किया है, सभी प्रतिबन्ध उठा लिये गये थे। वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है लेकिन देशी शराब काफी मात्रा में उपलब्ध है तथा कभी-कभी जहरीली शराब भी मिल जाती है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : जब नगरपालिका और पंचायत के चुनाव चल रहे थे तो जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी ने काफी धन एकत्र कर लिया था। इसलिए उनके संरक्षण में व लोग बिना

रोक टोक के घुम रहे हैं और इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं । उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है । उड़ीसा के मुख्य मन्त्री, उड़ीसा सरकार का रवैये की भर्त्सना की जानी चाहिए । जब ऐसी मौतें हो रही हैं उनके पास अस्पताल जाने का समय नहीं है जहां गरीब लोग, रिक्शा चलाने वाले, अनुसूचित जनजाति के लोग भर्ती हैं । उनमें से अधिकतर लोक अनुसूचित जनजाति के हैं । मेरे विचार में श्री रामविलास पासवान की इसमें काफी रुचि है । मुख्य मन्त्री पुलिस महानिदेशक के साथ प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की भूमि पूजन में व्यस्त हैं । यद्यपि इसके लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं है वे सभी वहां पर व्यस्त हैं । इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले की कम से कम उच्च न्यायालय के पीठासीन जज द्वारा न्यायिक जांच की जानी चाहिए । राज्य सरकार को इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिए (व्यवधान) सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नही है । अत: सदन सहित सभी द्वारा उनके रवैये की भर्त्सना की जानी चाहिए ।

मैं माननीय श्री रविराय द्वारा नशाबन्दी पर व्यक्त किये गये सुझाव व टिप्पणियों से भी सहमत हूं । यह उचित समय है कि देशी शराब व नशाबन्दी की समस्या पर हमें ध्यान देना चाहिए । एक तरफ तो हम गरीबी उन्मूलन पर पैसा खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं हो रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए । बहुत हो गया है । आप हर बार उसी बात को दोहरा रहे हैं । अन्य सदस्यों को भी बोलने दीजिए ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : पूर्ण नशाबन्दी होनी चाहिए । इसकी शुरूआत पिछड़े राज्य जैसे उड़ीसा से शुरू होनी चाहिए ।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दुःख तथा वेदना के साथ मैं इस भयंकर त्रासदी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही तथा श्री रविराय द्वारा उठाये गये मुद्दों को मैं नहीं दोहराऊंगा । आपने हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रविराय को पहली बार बोलने का मौका दिया है । लेकिन उन्होंने यह कहकर सारा मामला हलका कर दिया कि केन्द्रीय सरकार इन राज्यों को धन नहीं दे रही है ।
**

यह बहुत विवादास्पद मामला है । रवि राय जैसे व्यक्ति इस दशक की भीषणतम तबाही को छोटा करके कैसे बता सकते हैं जो चेरनोबल त्रासदी से भी गम्भीर है । 275 से अधिक लोग ब्रेन डेथ, कार्डियो वेसुकोलर ओस्ट सिस्टम, पुलमोनअरी ओडीमा आदि के कारण मरे हैं । यह दुर्घटना केवल मिथाइल अल्कोहल के कारण नहीं हुई वस्तुत: मिथाइल अल्कोहल लाइसेंस के तहत बनायी जाती है और लाइसेंस राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं । इसलिए वे लोग इसमें मिथाइल एल्कोहल के साथ स्प्रिट, पेन्ट मिला देते हैं क्योंकि मिथाइल एल्कोहल काफी महंगा है । मिथाइल एल्कोहल में इथाइल एल्कोहल नहीं मिलाया जाता । लेकिन वे यूरिया, पेन्ट, स्प्रिट तथा अन्य चीजें मिथाइल एल्कोहल में मिलाते है । इसमें केवल श्री बालू या अन्य कोई व्यक्ति, जिसका यहां उल्लेख किया गया है, शामिल था । केवल एक विक्रेता इसमें शामिल नहीं है । लेकिन उनकी पार्टी के बहुत से विक्रेता जो समूचे कटक जिले के प्रत्येक स्थान पर फैले हुए है । इस म शामिल हैं । माननीय सदस्य तथा सी०पी०आई० के हमारे माननीय नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

ने बताया है कि अभी भी बहुत अधिक संख्या में लोग एस०सी०बी० मैडिकल कालेज हास्पिटल में आ रहे हैं। हमारे पास सूचना है कि अन्य 25 लोग पहले ही मर चुके हैं। अतः मेरा आप से यह नम्र निवेदन है कि राज्य सरकार ने कटक में तथा राज्यों के विभिन्न भागों के उन विक्रेताओं के गोदामों पर छापे क्यों नहीं मारे, दूसरा, राज्य सरकार मृतकों के रिश्तेदारों को बचाने के लिए आगे क्यों नही आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय : ये राज्य सरकार की जिम्मेदारियां हैं। मैंने आपको इस मामले को उठाने की अनुमति दी है क्योंकि बहुत से व्यक्ति मर गये हैं। यहां अब इस मुद्दे को उठाने का कोई अर्थ नहीं है।

डा० कृपासिंधु भोई : महोदय, फिर इसका क्या उपाय है ?

अध्यक्ष महोदय : उपाय राज्य विधान मण्डल के पास है संसद के पास नहीं।

डा० कृपासिंधु भोई : तब सदन का संबंध कैसे होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य विधान मण्डल का कार्यक्षेत्र है जोकि एक संवैधानिक निकाय है।

डा० कृपासिंधु भोई : इस राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा है और उनकी स्थिति ठीक नहीं है ... (व्यवधान).

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले पर विचार की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाणिग्रही, यह क्या है ?

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, लोग मर रहे हैं क्योंकि इलाज ठीक नहीं हो रहा है। ऐसी सूचना मिली है कि इलाज ठीक नहीं हो रहा है और इलाज का खर्चा भी पीड़ितों की पहुंच से परे है। इस लिए लोग मरते जा रहे हैं (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

डा० कृपासिंधु भोई : माननीय श्री रवि राय ने हवाला दिया है और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद को उद्धृत किया है। मैं भी संविधान के अनुच्छेद को उद्धृत करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश कीजिए कि सत्र के अन्तिम दो दिन रह गये हैं। कई अन्य सदस्य अपने मुद्दे रखना चाहते हैं। मैंने आपको इसको संक्षेप में रखने की अनुमति दी है। अन्य कई माननीय सदस्यों को अभी बोलना है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० कृपासिंधु भोई : महोदय, राज्य सरकार, इस बात को अच्छी तरह जानते हुए उड़ीसा के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को शराब उपलब्ध कराने के कार्य में शामिल है। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। अतः मैं राज्य सरकार को तुरन्त बर्खास्त करने का अनुरोध करता हूं।

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। लेकिन आपको संक्षेप में कहना होगा।

श्री गुमानमल लोढा (पाली): कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढा, वे सभी उड़ीसा से हैं। अतः उन्हें बोलने दीजिए।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर): यह गम्भीर चिन्ता का विषय है। पूरा सदन चिंतित है। श्री रवि राय ने जो कुछ कहा है मैं उनका समर्थन करता हूं।

महोदय, समूची सभा को चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। स्थिति अति गम्भीर है और पहले ही 250 से अधिक लोग मर चुके हैं। बहुत से अन्य लोग अभी भी मृत्यु शैय्या पर हैं और जो भी व्यक्ति हस्पताल से बाहर आए हैं व भी मर रहे हैं तथा वे अन्धेपन से पीड़ित हैं। उपचार में कुछ समस्या है। ये सभी बातें सच्ची हैं। लेकिन पूरे मामले पर दल गत भावना से ऊपर उठकर चर्चा होनी चाहिए। प्रधान मन्त्री को मुख्य मन्त्री से बातचीत करनी चाहिए कि पूर्ण नशाबन्दी कैसे लागू की जा सकती है और केन्द्र सरकार किस प्रकार से राज्य सरकार को नशाबन्दी लागू करने में सहायता कर सकती है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि मदिरा बनाने वाली लाबियां हैं। मैं इससे भी इन्कार नहीं करता कि वे प्रभावशाली भी हैं। लेकिन ऐसा आज ही से नहीं है। ऐसा लम्बे अरसे से चला आ रहा है और विशेषतौर पर कांग्रेस राज के पिछले दस वर्षों से ऐसा चल रहा है। ये लाबियां आपके शासन काल में संगठित, परिपोषित और विकसित की गई हैं तथा जब इन शराब बनाने वाली लाबियों ने सत्तारूढ़ दल के व्यक्तियों के साथ, पुलिस के साथ मेलजोल किया तब हुई घटनाओं के बारे में आप जानते ही हैं और इस प्रक्रिया में, वे नियंत्रण में आ गए ... (व्यवधान) ...। अब लगभग वैसा ही पुनः दोहराया जा रहा है।

श्री ई० अहमद (मंजेरी): इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ...

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, यह जरूरी नहीं है कि आप पथ प्रदर्शक बनें। अन्य सदस्य भी हैं जो अन्य मुद्दों को उठाना चाहते हैं। आप अनावश्यक ही हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

श्री शिवाजी पटनायक : महोदय, केन्द्र सरकार को नशाबन्दी लागू करनी चाहिए और इसे मुख्य मन्त्री से बातचीत करनी चाहिए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ऐसा केवल उड़ीसा में ही घटित नहीं हुआ है; ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले मुम्बई में एवं अन्य स्थानों पर भी घटित हुई है। सभा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि नशाबन्दी कैसे लागू की जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपने बिल्कुल सही किया है ।

श्री शरत चन्द्र पटनायक (बोलंगीर): महोदय, मुझे उड़ीसा मामले के बारे में कुछ कहते हुए खेद होता है । 250 से अधिक लोग मर गये थे । डाक्टरों के मुताबिक, पीड़ितों के शरीर में मिथाईल एल्कोहल को निष्प्रभावी करने के लिए विहस्की डाली जा रही है । अनेक पीड़ित व्यक्ति उनके संबंधियों द्वारा इसे खरीद सकने से पूर्व ही मर गये हैं । आज राज्य-सरकार स्पष्ट नहीं है और इसने मृतकों की संख्या का सही विवरण नहीं दिया है । लोग बता रहे हैं कि विक्रेताओं के पीछे कुछ राजनैतिक व्यक्ति हैं ।

1.00 म०प०

तीसरी बात यह है कि शराब का प्रयोगशाला में परीक्षण नहीं किया गया है । यही कारण है कि महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए । राज्य सरकार श्री बीजू पटनायक, मुख्य मन्त्री समेत इस मामले के लिए पूर्णतया: जिम्मेवार हैं । अत:, उन्हें और राज्य सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए । धन्यवाद ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : रवि रे जी के इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दल की ओर से पहले इस प्रश्न पर हमारी बात सुन लीजिए ।

श्री शरद यादव (माधेपुरा): अध्यक्ष जी, यहां बुनकर इतनी बड़ी संख्या में आये हुए हैं, इन का मुद्दा भी हम उठाना चाहते हैं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा ।

श्री बूटा सिंह (जालौर): महोदय, जैसाकि श्री रवि राय जी ने उल्लेख किया है उड़ीसा में लोगों की मृत्यु पर व्यापक चिन्ता है । राज्य सरकार द्वारा अदा की गई भूमिका की हरेक ने बिल्कुल सही ही निंदा की है । मैं समझता हूं कि यह इस सभा के लिए भी चिन्ता की बात है । यह मानवजनित आपदा है और हमें यह देखना ही चाहिए कि पीड़ितों को सहायता दी जाती है । मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि मुख्य मन्त्री और राज्य सरकार उचित स्तर तक सहायता के लिए आगे नहीं आयी है । अत:, महोदय, हम सभी को आपके माध्यम से भारत सरकार को निवेदन करना ही चाहिए । यदि राज्य सरकार स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है, तो फिर उन्हें त्यागपत्र देने और चले जाने के लिए कह दें ताकि इस ओर ध्यान दिया जा सके ।

यहां पर मैं आपके ध्यान में एक और मुद्दा लाना चाहता हूं जिसे मैंने प्रथम अप्रैल को भी आपके ध्यान में लाया है । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों और सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है । भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश और निर्देश अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करते हैं ।

सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख सीधी भर्ती से चुने गये और पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की वरिष्ठता के प्रश्न पर फैसला लम्बित होने के अध्याधीन कार्मिक विभाग ने विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत 18 अनु० जाति/अनु०जनजाति के अधिकारियों सहित 460 से भी अधिक अनुभाग अधिकारियों को आदेश दिनांक 4-12-91 द्वारा अवर सचिव के पदों पर पदोन्नत कर दिया है।

आरक्षण नीति को लागू करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 86 से भी अधिक पात्र अधिकारियों को भी दिनांक 6-12-91 एवं 18-12-91 के आदेशों द्वारा पदोन्नत कर दिया था। लेकिन, अचानक, कार्मिक विभाग ने दिनांक 30-1-92 के आदेश द्वारा इन 86 अनु० जाति/अनु० जनजाति के अवर सचिवों की पदावन्ति कर दी है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कोई निदेश नहीं दिए हैं। यद्यपि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इन 86 अनु०जाति/अनु० जनजाति के अधिकारियों की पदोन्नत्ति को बहाल करने की प्रार्थना करते हुए एक अन्तरिम आवेदन दाखिल किया है, लेकिन उस आवेदन पर शीघ्र सुनवाई के अनुरोध करने की बजाय, कार्मिक विभाग ने एक दूसरा आदेश दिनांक 28-2-92 को इस आशय का जारी किया है कि अनु०जाति/अनु०जनजाति अधिकारियों को पदावन्ति से संरक्षण उपलब्ध नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप, केवल अनु०जाति/अनु०जनजाति के अधिकारियों की ही पदावन्ति की गई है और इन पदों को सामान्य श्रेणी के अधिकारियों द्वारा भर लिया गया है। अब स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में सामान्य श्रेणी के अधिकारी, पदावन्ति किये गये अनु०जाति/अनु० जनजाति के अधिकारियों से कनिष्ठ, उपसचिवों के रूप में कार्यरत हैं।

कार्मिक विभाग की उपर्युक्त कार्रवाई सांवैधानिक उपबन्धों और सरकार की आरक्षण नीति के विरुद्ध है। अत:, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को अनुरोध करता हूं कि सांवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सभी पदावन्नत किये गये अनु० जाति/अनु० जनजाति के अवर सचिवों की पदोन्नति बाहल किये जाने की तुरन्त आवश्यकता है।

महोदय, आपने अध्यक्ष पीठ से अति विनम्रतापूर्वक टिप्पणी की है कि आप इस मामले की छानबीन करेंगे। मैंने पूरे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हैं। मन्त्री जी ने कहा है कि उन्होंने इन अधिकारियों की पदावन्ति नहीं की है। मैंने मूल पदावन्ति आदेश दे दिए हैं। लेकिन, अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को अपने सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहें और यह सुनिश्चित करें कि सभी 86 अधिकारियों, जिन्हें घर बैठने को मजबूर किया गया है, की पदोन्नति के आदेश जारी हो जायें। वे वहां फिलहाल कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके केरियर पर रोक लगा दी गई है। अत:, महोदय, आप कृपया इन सभी अधिकारियों, जिन्हें सरकार के नियमानुसार पदोन्नत किया गया है, के बचाव के लिए आगे आयें। यह मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : उड़ीसा के प्रश्न पर हम यह चाहते थे कि हमारे दल की ओर से इस प्रश्न के ऊपर विचार रखे जायें। हम सोचते थे कि बूटा सिंह जी उस पर विचार रख रहे हैं पर बीच

में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न का भी हम समर्थन करते है····(व्यवधान) परन्तु, अध्यक्ष जी, हमारे पास जो सूचना है, उड़ीसा में इतना बड़ा एक···(व्यवधान)·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया न, आपको एलाऊ कर रहा हूं। आप बार-बार बिला वजह उठ रहे हैं। ऐसा बोले बगैर आप सुनेंगे ही नहीं क्या ?

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष जी, हमारा यह निश्चित मत है कि उड़ीसा में जहरीली शराब के कारण से सैंकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु के पश्चात् वहां के मुख्य मन्त्री के द्वारा वहां जाकर संवेदनशीलता के नाते, मानवता के नाते उसके बारे में कोई पता न लगाना, एक्शन नहीं लेना····· आगे रोक नहीं करनी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में प्रोहिबिशन के लिए हमें निर्देश दिया गया है, हम चाहते हैं कि सारे राष्ट्र में प्रोहिबिशन अपनाया जाए। परन्तु जब तक यह नहीं होता है, तब तक हर एक सरकार का, राज्य सरकार का और केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि गरीब लोग, निर्धन लोग, कमजोर लोग, शोषित और पीड़ित तथा दलित लोगों को इस प्रकार से इन कांडों के अन्दर मृत्यु के घाट न उतारा जाए और वहां की सरकार यदि मूकदर्शक बनकर बैठी रहती है और वहां के मुख्य मन्त्री, वहां का प्रशासन यदि ढील बरतता है, तो अध्यक्ष जी, यह बहुत ही जघन्य कुकृत्य है। मैं चाहूंगा कि सदन इस की भर्त्सना करे। वहां पर मानवीय तौर पर उनको राहत देने के लिए कोशिश करे और यह प्रयास करे कि वहां पर दोबारा यह कुकृत्य न हो, यह कांड दोबारा दोहराया न जाए। इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जायें।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): समस्या इस मुद्दे पर है। मन्त्री महोदया, श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने उस दिन इन तथ्यों को उलझाया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उत्तर मिल गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक मुझे विदित है, मैं समझता हूं कि कर्मचारियों द्वारा की जा रही शिकायत पूर्णतया वैध है। अत:, तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए। तथ्य क्या हैं ? सरकार से एक वक्तव्य मांगा जाए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास विशेषाधिकार हनन के मामले पर एक पूर्व सूचना है। मैंने पूर्व सूचना की एक प्रति मन्त्री महोदय को भेज दी थी। मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया है और पुन: मुझे श्री पासवान जी और श्री बूटा सिंह जी से भी जानकारी प्राप्त हुई है। अत:, मैं समझता हूं कि जो सूचना प्राप्त हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में, हम सभी को इकट्ठे बैठक करनी चाहिए और हम उन्हें उनका अभिमत स्पष्ट करने का अवसर देंगे तथा हम निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे।

आप जानते हैं कि मेरे सामने दो मुद्दे लाये गये हैं। मेरे विचार से, हम सभी को इस त्रासदी के लिए खेद है। वे सभी, जो कोई सहायता अथवा सहयोग प्रदान कर सकते हैं, आगे आयें और जिस भी तरीके से सहायता प्रदान करनी सम्भव हो सहायता प्रदान करें। इस बारे में हम इतना ही कह सकते हैं।

जहां तक श्री बूटा सिंह द्वारा उठाये गये मुद्दे और शायद आप भी उसको समर्थन देना चाहते हैं, का संबंध है ,कुछ चिन्ता की बात है····

श्री बासुदेब आचार्य (बांकुरा) : हां, महोदय ।

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : मैंने श्रीमती मार्गरेट अल्वा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचं सूचना दी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उसी मुद्दे पर हूं । यह जरूरी नहीं है कि आप भाषण दें ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैंने भी लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने भी लिखा है । श्री बूटा सिंह, श्री पासवान और अन्य सदस्यों ने भी लिया है । दस्तावेज मेरे पास हैं । मैंने दस्तावेज मंत्री को भी भेजे हैं । मंत्री के पास भी अधिकार है । हम सभी के लिए यह आवश्यक है कि हम इकट्ठे बैठक करें और एक निर्णय पर पहुंचे । मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा और हम इस पर चर्चा करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं । मैं कह रहा हूं, जनवरी से जो अंडर सैक्रेटरी थे उनको अवनति सैक्शन आफिसर बना दिया । आप समझ सकते हैं, किसी हायर आफिसर को डिमोट करके और जूनियर को प्रमोट कर उस पोस्ट पर रख दिया है । वे अफसर आफिस नहीं जा पा रहे हैं । यह सरकार की पोलिटिकल विल का सवाल है । आप जब किसी को न्याय नहीं दे सकते हैं, तो उनके प्रति अन्याय करने का भी अधिकार नहीं है । जो आफिसर आलरेडी काम कर रहा है, जिनके संबंध में पार्लियामेंट में जवाब दिया गया है कि 104 आफिसर्स, रैग्युलर रूप से अंडर सैक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं, उनको रिवर्ट करके सैक्शन आफिसर बना दिया गया है । वे आज आफिस नहीं जा पा रहे हैं । मैंने इस संबंध में प्रिवलैज नोटिस भी दिया है । हमको खुशी है कि आपने इमिडिएटली एक्शन लिया और मिनिस्टर की तरफ से जवाब आया । कापी मेरे पास है, मैंने कहा था कि मिनिस्टर ने सदन को मिसलीड किया है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे ।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो अंडर सैक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे, जिनको पिछले पांच महीने में रिवर्ट कर दिया गया है, सरकार उनको अंडर सैक्रेटरी के पद पर क्यों नहीं काम करने देती है ? उसके बाद आप उसको देखें । यह तो जान-बूझ कर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट आफ पर्सनल की चाल है और मेरा मिनिस्टर के ऊपर चार्ज है साधारणतया मिनिस्टर सिम्पैथैटिक एटीचूड रखते है । यहां तो मिनिस्टर मिनिस्ट्री से ज्यादा ऐरोगेंट है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूंगा। अगर ऐसा किया जा सकता है, तो हम उन्हें ऐसा करने के लिए कहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधीन · · ·

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के मामले के बारे में उच्चतम न्यायालय का कोई लेना-देना नहीं है। इसी कारण मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : यह उनके दायरे के बाहर है।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जितना बोलना चाहें, उसके ऊपर बोलने के बाद फिर बोलना चाहें, तो मेरे पास यहां पर दूसरे सदस्य भी बोलने के लिये हैं।

श्री रामविलास पासवान : सदन की भावना है, पालिटिकल पार्टी के लीडर, संसद सदस्य चाहे शडयूल्ड कास्ट हो, वे जानता है। · · · · · (व्यवधान) · · · · ·

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : मैं उच्चतम न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करने के लिए और उसे सभा पटल पर संसद की जानकारी के लिए रखने के लिए तैयार हूं। उच्चतम न्यायालय के आदेश में ऐसा कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अत: यही मेरी कठिनाई है। मैं वरिष्ठ सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। और जिन नए सदस्यों ने मुझे पूर्व-सूचना दी हुई है, वे यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। मैंने आपको अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने हेतु एक बार अनुमति दी है और मैंने अभी-अभी आपको यह बताया है कि यदि यह किया जा सकता है, तो ऐसा होना ही चाहिए और यदि कोई कठिनाई है, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इतना ही पर्याप्त होना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है।

आप जानते ही हैं कि आपको मुझसे जो भी सहायता चाहिये, वह मैंने दी है। उसके पश्चात् भी, यदि आप इस चर्चा को जारी रख रहे हैं, तो फिर मुश्किल होगा। दो ही दिन शेष हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अब पार्लियामेंट बन्द हो रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव है मैं बहुत समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहूंगा, यहां केसरी जी बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है यह बात सत्य है कि इतने अवसर, इतने समय के बाद भी जो शेड्यूल्ड कास्ट के पहुंच पाए हैं वे आधे ही पहुंच पाए हैं। (**व्यवधान**) और जो पहुंच भी गए हैं उनको भी उन जगहों में भेजने और वापस भेज कर अन्य लोगों को भरने के लिए बात आपके सामने आई क्योंकि आप स्वयं इसको देखेंगे। इसलिए हम इसको बहुत ही इलेबोरेट नहीं करेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसके साथ ही एक चीज जुड़ी हुई है और यह शैड्यूल्ड कास्ट एम्प्लाइस की डिमांड बहुत दिन से चली आ रही है और जब इस तरह के अन्याय हो जाते हैं तो उनके पास कोई माध्यम नहीं है। शैड्यूल्ड कास्ट को संविधान के अन्दर स्वीकार किया गया है, उनको हम चुनाव में भी मान्य करके, कांस्टीट्यूऐंसी से जो प्रतिनिधि आते हैं तो उनको आधार मान करके हम उनको गवर्नमेंट में सलेक्ट भी करते हैं लेकिन अगर शेड्यूल्ड कास्ट एम्प्लाइस अपना यूनियम बनाना चाहें, इस तरह के कलेक्टिव एसोसिएशन तो उसको जो संविधान ने स्वीकार किया है, जिसके आधार पर यह सदन बनता है उसने स्वीकार किया है, जिस पर हम सलेक्शन करते हैं उसने स्वीकार किया है उस पर स्वीकृति नहीं होती है, अगर इसकी स्वीकृति जो संविधान ने स्वीकृति दी है उनको स्वीकृति दी जाए तो इस तरह की घटनाएं न हों। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बार-बार खड़े मत होईये। मैंने कहा है कि मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मेरे धैर्य की सीमा होनी चाहिये। सभी लोगों में से आप मुझे सबसे ज्यादा उत्तेजित करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष डा० डी०एस० त्यागी की कल सुबह दो आतंकवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। दिल जलाने वाली आतंकवादियों की इस कायरतापूर्ण कार्यवाही की ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले महीने ही पांच दिनों में दिल्ली में बम विस्फोट हुए। 29 तारीख को नए बाजार में जो कांड हुआ उसमें 47 बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बारे में होम मिनिस्टर साहब ने यहां कहा था कि मैं ध्यान दूंगा लेकिन आज तक उसके बारे में ध्यान नहीं दिया गया।

अध्यक्ष जी, कल कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष डा० त्यागी को जिस तरह से आतंकवादियों ने गोली मार कर हत्या की और कल ही उनकी बेटी की शादी थी, जिस घर में आज प्रातः बेटी की डोली निकलने वाली थी आज उस घर से बाप की शव यात्रा निकल रही है। कल की घटना से पुनः सिद्ध हो गया है कि आतंकवादी एक के बाद एक दिल्ली में वार कर रहे हैं परन्तु दिल्ली प्रशासन और पुलिस सिवाए रेड अलर्ट के, केवल घोषणाओं के और कुछ नहीं कर पा रही है और पूर्णतया फेल हुई है। आज दिल्ली का आम आदमी स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। दिल्ली वासी यह जानते हैं और कितने कांडों के बाद यह सरकार कोई ठोस कार्यवाही करेगी क्योंकि हमेशा यह कहा जाता है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, पंजाब से भी जो समाचार आ रहे हैं कि किस तरह से वहां बेगुनाहों का नरसंहार हो रहा है। मेरी आपसे आपके माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि पंजाब की समस्या हो,

दिल्ली की समस्या हो और जो आतंकवाद की समस्या है, चाहे वह उत्तर प्रदेश की हो, जम्मू-कश्मीर की हो, इन सब के बारे में सभी दलों की एक मीटिंग बुलाएं ताकि किसी तरह से कारगर कदम उठाए जाएं। प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग बुलाएं क्योंकि यह मामला काफी बढ़ रहा है और केवल पुलिस वालों के ऊपर छोड़ देना ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम समझ करके, यह इतना सिम्पल मामला नहीं है और इसको मान करके अन्य प्रदेशों का भी मामला है तो मैं दिल्ली के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो कांड हुए और जो कल हुए उसके बारे में भी होम मिनिस्टर साहब इस सदन को बताएं कि उन्होंने क्या किया है, इन कांडों के बारे में क्या कार्यवाही की है और इनको रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि वे एक स्टेटमेंट दें और प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग बुलाएं यह मेरा कहना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, खुराना जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कल नई दिल्ली क्षेत्र में एक नहीं बल्कि 2 घटनाएं, इस प्रकार की जघन्य हत्याएं हुई हैं। एक घटना प्रातःकाल साढ़े 8 बजे भारती नगर में और दूसरी दोपहर को साढ़े तीन-चार बजे जंगपुरा में हुई है। प्रधानमंत्री जी इस विषय में यहां के सांसदों से चर्चा करें, जिसमें स्थानीय अधिकारी भी शामिल हों। पिछले महीने से लगातार भारत में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि भय और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त होता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ओर पहलू की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, संचार मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, इस संबंध में टेलीफोन के माध्यम से एक व्यवस्था की गई है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई घटना हो जाती है, कहीं पर कोई ऐसी चीज पाई जाती है, जिसके बारे में शंका होती है तो 100 पर फोन करके तुरन्त इत्तिला की जा सकती है, ताकि तुरन्त उसकी व्यवस्था हो सके। संकट की स्थिति के लिए हमने यह प्रबन्ध किया है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह है कि जंगपुरा में जो कल घटना हुई, मैं दोनों परिवारों में गया था, उस नागर परिवार को लड़की ने मुझे बताया कि मैं साढ़े तीन बजे से लेकर पौने चार बजे तक 100 पर लगातार फोन करती रही, घंटी बजती रही, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मैं सबके अनुभव के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, हम डायरेक्टरी इन्कवारी के लिए फोन करते हैं। 198, 199 पर फोन करते हैं, 173 पर फोन करते हैं, सबके बारे में हम सबका अनुभव है, लेकिन इस अनुभव को हम भुगत लेंगे, मैं निवेदन करूंगा संचार मंत्रालय से कि कम से कम 100 के बारे में यह अनुभव किसी नागरिक का न हो, इसका कोई प्रबंध कर सकें तो जरूर करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस बात को दोहराऊंगा कि दिल्ली में कोई विधान सभा नहीं है। यहां पर जो कुछ घट रहा है उस पर चर्चा करने के लिए कोई फोरम नहीं है इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह संसद की जवाबदारी है, केन्द्रीय सरकार की जवाबदारी है कि स्वयं प्रधान मंत्री या गृह मंत्री यहां के सांसदों को, प्रतिनिधियों को बुलाकर और यहां के अधिकारियों को बुलाकर बात करें ताकि समुचित व्यवस्था की जा सके। ..... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में होम मिनिस्टर बयान दें।

[अनुवाद]

यह बहुत गंभीर बात है। इस पर विचार किया जाना चाहिये। ..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, अंसारी जी की बात सुन लीजिए।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : इस विषय पर शासन कुछ कहना चाहता है या नहीं ?

श्री मदन लाल खुराना : जब नया बाजार कांड हुआ था, तब भी कहा था कि स्टेटमेंट देंगे, जिस घटना में 47 लोग मारे गए थे, लेकिन आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रत्युत्तर देना चाहते हैं अथवा नहीं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है.....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, एक सुझाव दिया गया है कि इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के सांसदों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। यह संभव होना चाहिए।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : मैं सुन रहा हूं। हम निश्चित रूप से इस मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठायेंगे क्योंकि यह एक अति गम्भीर मामला है और कल जो घटित हुआ है, वह भी भयानक है। यह मौत—जैसा कि विपक्ष के नेता ने कहा है—अथवा एक हत्या नहीं है, बल्कि दो प्रयास किये गये हैं। उन्होंने सभा के ध्यान में संचार सुविधा और कठिनाईयों का मामला भी उठाया है। मैं भी इसे संबंधित माननीय मंत्री के ध्यान में लाऊंगा और हम देखेंगे कि शीघ्र उचित कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली तो भारत सरकार के अधीन है, यहां पर रोज लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, आप देख रहे हैं। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : मैं आपका अति आभारी हूं कि आपने बुनकरों के बारे में मुद्दा उठाने का अवसर दिया। मैं सत्तारूढ़ दल और सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि बुनकरों की स्थिति बहुत दयनीय है और यह चौंका देने वाली स्थिति है। इस देश में बुनकरों की ऐसी स्थिति हो रही है। तकरीबन चार करोड़ बुनकर इस देश में रह रहे हैं और वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं और यहां तक कि सरकार द्वारा जारी नीति और इसकी वस्त्र-नीति के कारण विलुप्त होते जा रहे हैं। जो कि बुनकरों के हितों के विरुद्ध जा रही है, सरकार की नीति बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बुनकर समुदाय देश में ऐसा रोल बना रहे थे, जोकि इतना पारदर्शक था कि कपड़े का पूरे का पूरा रोल एक अंगूठी से निकल जाया करता था और व्यक्ति अपने आपको पारदर्शक और मग्न महसूस करता है। महोदय, यह बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार ने एक

ऐसी वस्त्र-नीति अपनाई है, जिसने इस देश के बुनकर समुदाय की स्थिति को बड़ी बुरी तरह प्रभावित किया है।

महोदय, इस समुदाय को सड़क पर आने के लिए मजबूर किया गया है। पूरे देश से बुनकरों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में आ गये हैं और वोट क्लब पर अपनी लम्बे अरसे से लम्बित मांगों के लिए दबाव डालने हेतु धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिन्हें बुनकर समुदाय के सम्बद्ध संगठन कहा जा सकता है और यह अखिल भारतीय गारमेंट्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। मैं इस सम्मेलन के विवरण, इतिहास, पूर्वपीठिका और निष्पादन पर नहीं जाना चाहता। इसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इसने इस राष्ट्र की प्रगति और खुशहाली में जो योगदान दिया है, उसे कुछेक शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। लेकिन, अब, इसकी हालत यह है, जो कि देश में प्रचलित है। इसने सत्तारूढ़-दल एवं सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया है। महोदय, यह अत्यन्त हैरानी की बात है। देश के चारों ओर बड़ी संख्या में भूखमरी से मौतें हो रही हैं। यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में, जिस से हमारे प्रधान मंत्री निर्वाचित होकर आये हैं, इसके कारण कम-से-कम एक सौ जानें गई हैं। यह केवल आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा देश के लगभग सभी राज्यों में हो रहा है।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार ने ऐसी वस्त्र नीति, आर्थिक नीति एवं औद्योगिक नीति अपनाई है, जिसने बड़ी संख्या में बुनकरों को बेरोजगार कर दिया है ... (व्यवधान) ..

अध्यक्ष महोदय : आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुमताज अंसारी : महोदय, भूखमरी से जो बुनकर अपना जीवन गंवा रहे हैं, उन्हें अनुग्रह-भुगतान नहीं मिल रहा है, एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है।

इसी प्रकार से, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के नाम पर, सरकार इस देश से कपास और सूत का निर्यात कर रही है, जबकि देश में कपास और सूत की कमी है और यहां के बुनकरों को सूत एवं कपास की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो रही है। इस देश से कपास और सूत निर्यात करने का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार से, यह सरकार रेशमी-धागे के आयात की अनुमति नहीं दे रही है, जिसकी बनारस और देश के अन्य भागों में अत्यधिक आवश्यकता है। बुनकर समुदाय इस प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहा है, जो कि निर्यात योग्य है और जिनसे हजारों और करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में अर्जित किये जा सकते हैं।

मैं सरकार को एक विशेष कार्य योजना का सुझाव देता हूं इस पर विचार करने के लिये ही नहीं बल्कि इसे लागू और क्रियान्वित किया ही जाना चाहिये।

1. बुनकरों के प्रत्येक पीड़ित परिवार को एक लाख रुपए की अनुग्रह-राशि का भुगतान किया जाये।

2. सभी बेरोजगार और आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त बुनकरों को दस हजार रुपए तक की राशि का ब्याज रहित उपभोग्य-ऋण प्रति परिवार स्वीकृत किया जाये।

3. मिलों और पावर-सेक्टर की बजाये प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों से कपड़े के क्रय की मांग राज्य और केन्द्र सरकार को सुरक्षित करना चाहिए।

4. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को बुनकरों की मांग की आपूर्ति और उनके सदस्यों के लिए न्यूनतम-मजदूरी आश्वस्त करनी चाहिए तथा इसके अतिरिक्त उत्पादक सहकारी समिति को देय 10 प्रतिशत लाभ नियत करना चाहिए।

5. वर्तमान सरकार द्वारा बन्द किये गये जनता कपड़े का उत्पादन यहीं और इसी वक्त बहाल किया जाना चाहिए।

6. वर्तमान रहन-सहन लागत को ध्यान में रखते हुए हथकरघा बुनकरों की न्यूनतम मजदूरी को तुरन्त संशोधित कर निर्धारित किया ही जाना चाहिए।

7. कपास और कपास धागे के निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

8. राज-सहायता योजना बहाल की जाये और इसे अवश्य बढ़ाया जाना ही चाहिए।

9. यह निदेश लागू करने के लिए कि मिलें अपने बाजार-विक्रय योग्य धागे का 50 प्रतिशत धागा हैंक-यार्न के रूप में उत्पादित करें, इस पर एक विधान बनाना चाहिए। हथकरघा (आरक्षण के लिए वस्तुओं का उत्पादन) अधिनियम, 1985 की पृष्ठभूमि में हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्त्र की वस्तुओं को शामिल किया जाये और उन्हें नौंवी अनुसूची में शामिल किया ही जाना चाहिए। इसे कानून बनाने के दायरे से बाहर रखा ही जाना चाहिए।

दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एक योजना शुरू की गई थी*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए अन्य सदस्यों को बोलना है।

श्री मुमताज अंसारी : बुनकरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुविधा देने से इन्कार कर दिया है। यह बात मुझे बताई गई है। इसी तरह, अनेक कोपरेटिव संगठन हैं..*

अध्यक्ष महोदय : अब जो कुछ वह कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री अनन्त वेंकट रेड्डी (अनन्तपुर) : महोदय गूटी एक बहुत ही पिछड़ा तथा उपेक्षित क्षेत्र है जो आन्ध्र प्रदेश अर्थात् रायल सीमा क्षेत्र में स्थित है। गूटी में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा रेलवे कर्मचारियों के बच्चों जिनकी संख्या 3,000 के लगभग है, कोई शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ये सभी कर्मचारी गूटी में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए 1988 से आन्दोलन करते आ रहे हैं। लेकिन वहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जबकि केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली की सभी आवश्यक शर्तें तथा पूर्व मांगें मान ली गई थी और उसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है।

वास्तव में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वर्ष 1990-91, 1991-92 और इस वर्ष भी गूटी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। गूटी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सिफारिश की थी । गूटी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों में सरकार के समक्ष प्रस्तावों में नम्बर एक पर है । गूटी मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है ।

मेरे 7 अप्रैल, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 6369 के उत्तर में, मानव संसाधन विकास मन्त्री ने कहा था कि जब तक इस योजना का विस्तार आठवीं योजना अवधि के लिए स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक गूटी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार नहीं किया जा सकता ।

अब आठवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यह क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है, मानव संसाधन विकास मन्त्री से गूटी में शीघ्र ही केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए उस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा । मैं इस संदर्भ में आपके ध्यान में यह बात ध्यान में लाना चाहूंगा कि यहां स्थिति काफी उत्तेजित है, क्योंकि आन्दोलन चरमसीमा पर पहुंच गया है । अब यह समय है कि माननीय मन्त्री इस ओर तत्काल ध्यान देंगे और गूटी में बिना देरी के केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए आदेश देंगे ····(व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्य कुछ सदस्यों को अनुमति दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है ।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, एक-दो सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं ।

सरकार तत्काल ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाकर के विवर्स की कंडीशन के बारे में बातचीत करे । इसको नेशनल एमरजेंसी मानकर उनके हालात से निपटा जाए । दूसरा यह कि जितने भी विवर्स संगठन हैं, उनको तत्काल बुलाकर उनसे इंटर-एक्शन करे । जो इस हालात में पहुंचे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है । तीसरा यह कि जो एन०टी०सी० मिल्स हैं, वे मिल-गेट प्राईस पर बेचती हैं । वह सीधे इनको देने का काम करे । उसमें कोई संकोच सरकार को नहीं होना चाहिए । चौथा यह कि ऐसी परिस्थिति में जो इस समय फोर्सेबल रियलाइजेशन उनके लोन के लिए है, उस पर पाबन्दी लगाई जाए । जब इनकी हालत सुधरे तब उनको दिया जाए । इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से ये अच्छे सुझाव हैं । श्री रंगराजन कुमारमंगलम् सम्बंधित मन्त्री से इस पर विचार करने के लिए कह सकते हैं ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : जी हां, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं कुछ अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं । लेकिन विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री यहां बैठे हुए हैं, उन्हें इन्डोनेशिया जाना है, इन्डोनेशिया जाने से पहले उन्होंने एक वक्तव्य देना है । वह काफी समय से इन्तजार कर रहे हैं ।

1.30 म०प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के विघटन के फलस्वरूप स्वतन्त्र हुए राज्यों को 11-5-92 से मान्यता दिया जाना

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : महोदय, माननीय सदस्यों ने यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय राज्य की हाल की घटनाओं पर ध्यान दिया होगा जिसके बोसनिया, हर्जगोविना, क्रोशिया, मेसीडोनिया, मोण्टेनेग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया—छह गणराज्य थे। पिछले वर्ष इस देश में एक के बाद दूसरी कई प्रमुख राजनैतिक घटनाएं हुई जिनके फलस्वरूप अलग-अलग पांच अन्तर्राष्ट्रीय इकाईयां अस्तित्व में आ गई। पिछले माह की 27 तारीख को घोषित नये यूगोस्लाविया संघीय गणराज्य में सर्बिया और मोण्टेनेग्रो हैं। चार अन्य राज्यों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया है और स्लोवानिया, क्रोशिया तथा बोसनिया-हर्जगोविना को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत से राष्ट्रों ने, जिनमें यूरोप के प्रायः सभी राज्य शामिल हैं, मान्यता प्रदान कर दी है।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि हम अब स्लोवानिया, क्रोशिया और बोसनिया-हर्जगोविना गणराज्यों को मान्यता देंगे और उनके साथ राजनैयिक संबंध स्थापित करेंगे। यूगोस्लाविया संघीय गणराज्य के संबंध में किसी नई पहल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बेलग्रेड स्थित हमारे मिशन को उस देश के लिए प्रत्यायन जारी रहेगा। स्लोवानिया, क्रोशिया और बोसनिया-हर्जगोविना के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना और यह निर्धारित करने के लिए हम उनकी सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखेंगे कि यूरोप में हमारा कौन सा राजदूतावास उन राज्यों के लिए सह-प्रत्यायित किया जाएगा।

मेसीडोनिया को बहुत कम देशों ने नए स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है और उसके नाम को लेकर जो विवाद है वह अभी सुलझा नहीं है। सरकार का यह विचार है कि मेसीडोनिया गणराज्य को उसके क्षेत्र के पर्याप्त राज्यों द्वारा मान्यता देते ही हम भी उसे मान्यता दे देंगे।

सरकार तत्कालीन यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य की घटनाओं पर बहुत नजदीक से निगाह रखती रही है। नए यूगोस्लाविया संघीय गणराज्य की स्थापना से, जिसने स्वयं प्रच्छन्न रूप से अन्य चार राज्यों को मान्यता दे दी है, यह आवश्यक हो गया है कि अब हम तत्कालीन यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य से उद्भूत इन नई ईकाइयों को मान्यता देने में और विलम्ब न करें।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरे साथ मिलकर नए स्वतन्त्र गणराज्यों को शुभकामनाएं देंगे और राष्ट्र समुदाय में उनका स्वागत करेंगे। हम यह आशा भी करते हैं कि इन नए कुछ देशों में परस्पर एक दूसरे के संबंधों के संदर्भ में जो कठिनाइयाँ इस समय पेश हैं, वे और यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के विघटन से उत्पन्न मसले भी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझ जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): अध्यक्ष जी, आज देश को आजाद हुए 44 वर्ष गुजर गये हैं। लाखों लोगों की कुर्बानी और बर्बादी के बाद देश आजाद हुआ। लाखों ने जेल की यातनायें सहीं और अनेकों ने हंसते-हंसते सूली को चूम लिया। उन स्वतंत्रता सेनानियों में से अधिकांश इस पृथ्वी पर अब नहीं हैं। जो बचे हैं और जिन्हें स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन दी जाती है वे इस महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। साथ ही अभी तक हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन का मामला अन्तिम निर्णय के लिए मामला केन्द्र गृह मंत्रालय में लम्बित है। सच्चे-वयोवृद्ध आधिकांश स्वतंत्रता सेनानी इस संसार में कुछ दिनों के ही मेहमान हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत ही दयनी है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन मिलती है उस पेंशन की रकम को 750 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 1,000 रुपए प्रति माह किया जाए और केन्द्रीय गृह विभाग में जो स्वतंत्रता सेनानियों के मामले वर्षों से लम्बित हैं उनका निष्पादन शीघ्र किया जाये।

[अनुवाद]

डा० के०वी०आर० चौधरी (राजामुन्दरी) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले को गोकावरम, राजनग्राम, कोरकोन्डा सीथानग्राम, तालापुडी, को०वूर मंडलम सूर दराज क्षेत्र हैं जो मेरे राजामुन्दरी निर्वाचन क्षेत्र में सूखे के कारण वहां पीने के पानी की कमी है। जानवर पानी तथा चारे की कमी के कारण मर रहे हैं। ऐसा हर वर्ष होता है जब गर्मियों का मौसम आता है। जब तक केन्द्र तथा राज्य सरकारें जल उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य नहीं करती तो उससे लाखों लोग प्रभावित होंगे और स्थिति गम्भीर हो जायेगी।

लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना बहुत जरूरी है। मेरे क्षेत्र में सूखा और बाढ़ से पीड़ित है तथा बिजली की कमी है। तेलुगू गंगा और कृष्णा नदी की अन्य परियोजनाओं से संबंधित अन्तर्राज्यीय झगड़ों से निपटने के लिए तथा गोदावरी व कृष्णा नदी को जोड़ने से आन्ध्र प्रदेश की 20 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता की आवश्यकता है।

मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूं। गोदावरी कृष्णा बेसिन में गैस पाई गई थी यद्यपि लोग उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। उन्हें अन्य किसी कारण या बहाने से गैस नहीं दी गई है।

इस लिए मैं सरकार से इसे देखने का तथा अधिक से अधिक उद्योगों को आगे आने का अवसर देने और उस क्षेत्र के विकास के लिए उद्योग स्थापित करने का अनुरोध करता हूं ··· (व्यवधान) ···

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (पोन्नानी): महोदय, क्या आज हमारा भोजनावकाश नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, रेलवे में जो डेढ़ करोड़ रुपए की चोरी हुई है जिसको स्वयं रेल मन्त्री जी ने मान लिया है मैंने उस सम्बन्ध में ब्रीच आफ प्रिवीलेज का प्रस्ताव दिया । उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा, आज ही मिला है ।

[अनुवाद]

मेरे विचार अब हमें लंच कर लेना चाहिए कुछ पत्रों को सभा पटल पर रखा जाना है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मैंने अपना एक नोटिस दिया है, उसको नहीं उठा रहा हूं । बिहार को लेकर जो मोशन दिया है उसको नहीं उठा रहा हूं । उसको वहीं छोड़ता हूं, लेकिन आपने परसों सदन उठने के पहले बार-बार एक बात पूरे सदन को कही थी, मुझ को विशेष तौर पर कहा था । जिस बोफोर्स के मामले को यानि सोलेंकी प्रकरण को उठा रहा हूं इस पर मुझे आपको नोटिस देना चाहिए । अलग तरीके से नोटिस देकर उठाने के अलग तरीके हैं । मेरा कहना है कि मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आपके सामने रखा था । प्रधान मन्त्री पर प्रिवीलेज मोशन दिया था । उस पर आपने कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं । अब जो प्रधान मन्त्री का हमारे पास आया हुआ पत्र है । उस पत्र को लेकर जो अन्तर्विरोध खड़ा हुआ है और सरकार का इस सारे मामले पर अभी तक जो रुख आया है····

अध्यक्ष महोदय : आप किस रूल के नीचे आ सकते हैं, मुझे बताइये····

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं उस प्रिव्लेज मोशन को रिवाईज करना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ऐसा रिवाईज नहीं कर सकते हैं जिसको मैंने डिसअलाउ किया है····

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो फिर मैं आपको नया नोटिस देने का काम करूंगा···

अध्यक्ष महोदय : नया नोटिस तो दिया था····

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं दो बातों को रखना चाहता हूं·····

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए बातें आपके जैसे ही जायेंगी ऐसा थोड़ा ही है······

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं······

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए कभी रोका नहीं गया, आप सब से ज्यादा इस विषय के ऊपर बोल चुके हैं, मगर आप जिस प्रकार से चाहें, वैसा ही बोलें, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है···

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं । अध्यक्ष जी, एक तो मेरे सामने यह मार्ग है कि मैं फिर एक नया नोटिस दूं······

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप छोड़ दीजिए····

आर्ज फर्नाण्डीज : और दूसरा यह है कि जहां तक सरकार ले······

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे यह नहीं कहलवा सकते कि मैं यह करूंगा वो करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : यह नहीं कह रहा हूं । मैं आपके सामने प्रिविलेज मोशन को फिर से दे दूं या सरकार से आप कहें····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने की सलाह नहीं दूंगा आप मुझे इस कार्य के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : लेकिन फिर आप सरकार से कहिये····इतना मैं कह सकता हूं···

[व्यवधान]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आपके और मेरे बीच का समझौता है ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : लेकिन आप सरकार से कहिये कि इस मामले पर जो सफाई देना जरूरी है, सरकार वह सफाई देने का काम करे····

अध्यक्ष महोदय : आप भी उतने ही जानकार हैं, सरकार भी उतना ही जानती है····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आप दोनों के बीच का मामला है, आप दोनों ही इसे सुलझाएं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष महोदय, यह मामला शुक्रवार को उठाया गया था । सरकार ने कुछ कहा था और हमारा उत्तर था कि हम सरकार द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं । मैं केवल यह बताना चाहूंगा कि यद्यपि इस सदन में नहीं जैसाकि हम चाहते थे ऐसा होना चाहिए लेकिन सरकार ने विपक्ष को जब हम उनके साथ थे यह संकेत दिया कि उनके कुछ प्रश्न, कतिपय शंकाएं थी जैसाकि वह टिप्पणी किसने की थी, किससे कहने पर की गई थी आदि । श्री बेनट को किसने बताया कि यह प्रधान मन्त्री के कहने पर किया गया है और सरकार इसकी जांच कर रही है । अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है इसलिए हमें कहा गया था अगले सत्र तक इन्तजार कीजिए । इसलिए मैंने श्री फर्नाण्डीज से भी अनुरोध किया था कि सरकार इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रही है । और जहां तक देश का संबंध है अभी तक इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, और सरकार को इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए । हम विपक्ष के

रूप में होने के नाते देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि इसके पीछे कौन से लॉबी कार्य कर रही है तथा कौन रुकावट डाल रहा है इस लिए आप के माध्यम से सरकार को अगले सत्र में आने के लिए कहता हूं। आज हमें दूसरी बार इस नियम के तहत इस मुद्दे पर चर्चा करने से वंचित किया जा रहा है। अत: अगली बार कोई रुकावट नहीं होगी और अगले सत्र तक सरकार बोफोर्स मुद्दे पर और विशेष तौर से सोलंकी कांड पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के ध्यान में 26 अप्रैल को जामा मस्जिद के पास बम विस्फोट में घायल हुए बच्चों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूं। गृह मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि उन्हें मुआवजा तथा व्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति ने उस स्थान का दौरा नहीं किया है। उनकी स्थिति काफी खराब है। एक बच्चे ने अपनी दोनो टांगें खो दी हैं और उसके एक हाथ पर प्लास्तर चढ़ा है और उसकी पीठ पर फोफले हो गये हैं। वह बैठ नहीं सकता है। उस बच्चे को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है और उसके पिता का छोटा सा व्यवसाय है, उन्होंने उसे बन्द कर दिया और वह अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, अस्पताल में यह व्यवस्था है कि वहां रोगी के पास केवल एक व्यक्ति ठहर सकता है। अत: समस्या यह है कि बच्चे की देखभाल कैसे कर सकते हैं।

एक अन्य बच्चा जो गुरु नानक आई हास्पिटल में दाखिल है। उसकी आंख का आपरेशन होना है क्योंकि उसकी आंख में शार्पनर घुस गई है यद्यपि मूत्र संबंधी इन्फेक्शन के कारण अब आपरेशन संभव नहीं है। यह पता नहीं है कि उसकी आंख बच सकती है या नहीं।

तीन अन्य बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें फिर पट्टी करवाने के लिए आना पड़ता है और लाइन में खड़ा होना पड़ता है सरकार द्वारा किये गये वायदे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम निस्सहाय तथा बच्चों का वर्ष मना रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा बहुत अमानवीय व्यवहार दिखाया जा रहा है। अत:, इनकी तरफ आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम्): महोदय, हम इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, मुम्बई की उपनगरीय रेल सेवा में एक बहुत बड़ी खुशी का कार्यक्रम परसों हो गया। मुम्बई और नवी मुम्बई को जोड़ने के लिए मानखुर्द और बेलापुर के 18 किलोमीटर के कार्यक्रम में से 7 किलोमीटर का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों हो गया जिसके कारण हम लोगों को बहुत आनन्द हुआ और जिससे एक लाख यात्रियों को रोजाना लाभ होगा।

लेकिन अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ उस दिन रेल मंत्रालय ने पार्लियामेंट का घोर अपमान किया। उन्होंने हमारे आनन्द के दूध में नमक मिलाने का काम किया। उन्होंने वहां नए मार्ग पर

जो रेल किराया घोषित किया है, उसमें एक सरचार्ज लगाया है और वह सरचार्ज पार्लियामेंट के सामने न लाते हुए लगाया है । उसमें यह है कि सिंगल जर्नी टिकट कोई लेता है तो उस को डेढ़ रुपया ज्यादा देना पड़ेगा और मासिक पास लेता है तो उसको 50 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा और फर्स्ट क्लास वाला होगा तो 150 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा । अब यह पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट के सामने कोई प्रस्ताव न लाते हुए यह करना पार्लियामेंट की अवमानना है और कानूनी ढंग से भी यह गलत है हम यह भी कहते हैं कि अभी बजट में ज्यादा किराए का बोझ डाला गया है और उसके बाद ज्यादा सरचार्ज लगाना एक अन्याय है ।

ऐसा होता आया है कि देश में हमेशा बस का किराया रेल के किराए से ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर ऐसा है कि बोरीबंदर से वाशी 30 किलोमीटर है और उसका रेल किराया 8.50 रुपया है जबकि बस का किराया 6 रुपए है । मतलब, यह बस से भी महंगा है और इस लिए इसमें परिवर्तन करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, मराठी महाराष्ट्र की भाषा है और हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा है मगर वहां कार्यक्रम का जो बैनर लगाया गया था, उसमें मराठी या हिन्दी का उपयोग ही नहीं था जैसे यह कार्य-क्रम भारत में नहीं इंग्लैंड में हो रहा हो । इस प्रकार से यह दोनों भाषाओं का अपमान है ।

अन्त में एक बात यह कि नवी मुम्बई सारा नया डेवलपमेंट है । उस नगर का नाम महाराष्ट्र सरकार ने हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी में सब जगह "नवी मुम्बई" लिखा है, लेकिन वहां केन्द्र सरकार ने जो बोर्ड लगाया है, वह "न्यू बाम्बे" का लगाया है । यह भी आपत्तिजनक है । सरकार इस बारे में वक्तव्य दे और इस बारे में ब्रीच आफ प्रिविलेज जो पार्लियामेंट का हुआ है, उसकी भी सूचना हम आपको देते हैं ।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (थाणे): महोदय, संवैधानिक रूप से इस मामले को संसद के समक्ष लाया जाना चाहिए था, लेकिन इसे नहीं लाया गया है । अतः हम दोनों मैं तथा श्री राम नाईक रेल मन्त्री के विरुद्ध इस मामले के बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहेंगे ।

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान में विजया बैंक को सन् 1988 में आर०एस०पी० वेजिटेबल प्रोडक्ट्स कम्पनी ने 80 प्रतिशत पानी और 20 प्रतिशत तेल भरकर एक टैंक गिरवी रख दिया और गिरवी रखते समय उस विभाग के एक अधिकारी ने जांच की । जांच करने के बाद भी उस तेल टैंकर पर जिसमें 80 प्रतिशत पानी था, 3 करोड़ रुपया उस बैंक ने उधार दे दिया । चार साल तक वह पानी का टैंक विजया बैंक के पास गिरवी पड़ा रहा । गत शुक्रवार को अचानक फूड इंस्पेक्टर ने चार साल से अधिक देर हो जाने के कारण चैकिंग की और उसके बाद पता चला कि इसमें केवल मात्र 20 प्रतिशत तेल है, 80 प्रतिशत पानी है । मेरा निवेदन यह है कि इतना बड़ा स्कैण्डल होने के बावजूद भी उस बैंक ने फिर से यह जो करके कि मेरी कम्पनी घाटे में चल रही है, बी०आई०एफ०आर० में अलग से लोन के लिए एप्लाई कर दिया और विजया बैंक को फिर से उसने कहा कि मैं लगातार घाटे में चल रहा हूं दो करोड़ रुपया फिर लोन दीजिए और अपनी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया ।

इस लिए शून्य काल के दौरान इस मामले को उठाते हुए मेरा निवेदन करना है कि विजया बैंक के जिस तत्कालीन अधिकारी ने उसको तेल घोषित किया था, उसे दण्डित किया जाए। जो वनस्पति मिल है, उसके खिलाफ तुरन्त पुलिस कार्यवाही की जाये और जो रकम, तीन करोड़ रुपए की डूब गई है, बट्टे खाते हो गई है, उसकी तुरन्त निष्पक्ष जांच कराई जाये। अच्छा यह हो कि जब बैंक घोटालों पर आज यहां सुबह से चर्चा विस्तार से हुई है, यह तो अपेक्षाकृत एक छोटा घोटाला है, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले, दूसरे घोटाले होते रहे हैं, मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार तुरन्त ध्यान देकर कार्यवाही करे · · ·

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, आप जो आज उठा रहे हैं, उसे कल उठाइयेगा, बस, आज नहीं, कल वहां से फिर शुरू करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे। श्री अशोक गहलोत।

1.46 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—
संघ सरकार (1991 का संख्या 5)—वाणिज्यिक

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): श्री अशोक गहलोत की ओर से मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार—(1991 का संख्या 5)—(वाणिज्यिक)—भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 200/92]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—
संघ सरकार (1991 का संख्या-7)—वाणिज्यिक

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): श्री बलराम सिंह यादव की ओर से मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (1991 का संख्या 7)—वाणिज्यिक—हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2003/92]

वसंत एंक्लेव में अनधिकृत निर्माण के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के 20 नवम्बर, 1991 को दिए गये उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) वसंत एंक्लेव में अनधिकृत निर्माण के बारे में श्री केशरी लाल, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के 20 नवम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2004/92]

(2) डी०डी०ए० फ्लैटों के आवंटन के बारे में श्री चन्दूलाल चन्द्राकर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9298 के 6 मई, 1992 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2005/92]

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 के अधीन अधिसूचनाएं

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०ओ०एच० फारूक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) अधिनियम, 1971 की धारा 37 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (खोई हुई सम्पत्ति) संशोधन विनियम, 1992, जो 21 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1(7)/74-वीएम में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2006/92]

(2) (एक) प्रमुख हवाई अड्डों में अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में श्री मानी भट्टाचार्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4152 के 23 मार्च, 1992 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2007/92]

1.47 म०प०

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

दूसरा तथा तीसरा प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 6 विधि मन्त्री ।

1.48 म०प०

संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब 377 के अधीन मामले । श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ।

1.49 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा में विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उड़ीसा राज्य में बिजली की बहुत कमी है, इस लिए इस कमी को पूरा करने के लिए तथा इस पिछड़े हुए राज्य के विकास तथा खुशहाली के लिए वहां कुछ और अधिक विद्युत संयंत्र तुरन्त स्थापित किये जाने की आवश्यकता है । इस संबंध में इब ताप विद्युत संयंत्र तथा तालचेर-सुपर थर्मल पावर प्लांट के निर्माण का पहला चरण जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए तथा दूसरा चरण का निर्माण कार्य शीघ्र अति शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त झारसुगुड़ा के नजदीक हीरमा पर सुपर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण करने सम्बन्धी एन० टी०पी०सी० के प्रस्ताव और महानदी पर हीराकुंड विद्युत उत्पादन प्रणाली के तीसरे चरण को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए ।

(दो) तमिलनाडु के दक्षिण आरकोट जिले में मन्नालुरपेटी में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनम (टिंडिवनम): मैं सरकार का ध्यान मन्नालुरपेटाई तमिलनाडु में टी०वी० रिले केन्द्र, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तिरुको विल्लूर--तिरुकोवनुमलाई क्षेत्र के लोगों द्वारा

*दिनांक 11-5-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (दो) खण्ड दो में प्रकाशित ।

बार-बार की आने वाली मांगों की ओर दिलाना चाहता हूं। टी०वी० रिले केन्द्र न होने के कारण मन्नालुरपेटाई के 250 से अधिक गांवों के लगभग 3 लाख लोग दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम देखने से वंचित रहते हैं।

दक्षिण आर्काट जिले में हरित क्रान्ति पूरे जोरों से चल रही है, इस लिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र के लोग दूरदर्शन पर विभिन्न कार्यक्रम देख सकें और कृषि की नवीनतम प्रवृतियों तथा सरकारी नीतियों से परिचित हो सकें।

इस क्षेत्र के विभिन्न स्थान पूरे वर्ष पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने रहते हैं। टी०वी० रिले केन्द्र से उनका मनोरंजन हो सकता है तथा उन्हें जानकारी प्रदान की जा सकती है।

तिरुकोविल्लूर ताल्लुक का मन्नालुरपेटाई स्थान पहाड़ी पर स्थित है, इस लिए टी०वी० रिले केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान है। मन्नालुरपेटाई में टेलीविजन रिले स्टेशन स्थापित हो जाने से अन्य दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात रासीपुरम तथा वंडावासी की आवश्यकताएं भी पूरी हो जायेंगी।

इसलिए मैं सरकार से जल्दी से जल्दी मन्नालुरपेटाई में टी०वी० रिले स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) मध्य प्रदेश के बडोल ग्राम में दुग्ध संयंत्र स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। यह आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। अत: धनाभाव के कारण पशुपालन भी ठीक से नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बडोल ग्राम में दुग्ध संघ का चिलिंग पलांट है। आस पास तथा गोटेगांव इलाके में बहुत दुधारू जानवर हैं। अत: जानवरों के उचित संवर्धन से बहुत दूध हो सकता है और आनन्द जैसी डेरी का निर्माण होकर पाउडर मिल्क का उद्योग लगाया जा सकता है जिससे किसानों को लाभ होगा ही साथ ही बच्चों को दूध के रूप में पौष्टिक आहार भी मिल सकेगा। अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि बडोल ग्राम में स्थित चिलिंग प्लांट को आनन्द डेरी जैसे प्रोजैक्ट में परिवर्तित करने के लिए तकनीकी ढंग से प्रोजैक्ट तैयार कराकर उचित धनराशि की व्यवस्था करें ताकि इस आदिवासी बहुल इलाके के किसानों और बच्चों को लाभ मिल सके।

(चार) पंजाब में सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों में भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की आवश्यकता

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट): अध्यक्ष महोदय, पंजाब राज्य में नवयुवकों में निरन्तर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है फलस्वरूप नित नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है और मैं भी आग्रह करता हूं कि पंजाब में बेरोजगारी कम करने के लिए अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजनाएं क्रियान्वित करने के साथ-साथ सेना व

असैनिक कलों में, प्रतिबन्धात्मक निर्देशों को जो भर्ती के संबंध में जारी किए गए हैं उन्हें वापिस लिया जाएं । इन निर्देशों से पहले पंजाब का नवयुवक इन विभागों में 30 प्रतिशत के लगभग था जो आज मात्र 1 प्रतिशत ही रह गया है । अत: मेरा केन्द्र सरकार मे आग्रह है कि इन निर्देशों को वापिस लें और पंजाब के योग्य नौजवानों को देश की सेवा का मौका अधिक से अधिक दें ।

(पांच) पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में बसे बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में भारत व पाकिस्तान के बटवारे क समय सन् 1950 में बंगाली लोग भारत आए थे और पीलीभीत में बस गए जिसमें से कुछ लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई है और कुछ को नहीं । करीब 60-70 हजार लोग हैं जिन्हें अभी नागरिकता नहीं मिली जिससे इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । अत: मेरा आपसे निवेदन है कि नागरिकता संबंधी पूरी कार्यवाही इन बंगाली बन्धुओं की कालोनियों में ही संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को भेज कर मौके पर ही पूरी करान के आदेश दिए जाएं । इन लोगों की कुछ कालोनियां शारदा नदी के तेज बहाव के कारण कट गई हैं, इन लोगों को रहने तथा कमाने-खाने के लिए जमीन को भी आवंटित किया जाए ।

(छ:) उत्तर प्रदेश में दोहरी घाट से सहजनवां और खलीलाबाद से बलरामपुर तक बड़ी रेल लाईन बिछाये जाने की आवश्यकता

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद): अध्यक्ष महोदय, दोहरी घाट से सहजनवां के लिए 1977 में 67.52 कि०मी० की दूरी की 13.26 करोड़ रुपए की लागत से नई रेलवे बड़ी लाइन बिछाने के लिए सर्वे हुआ था । 1979 में खलीलाबाद से बलरामपुर के लिए 145.23 कि०मी० दूरी की 16.17 करोड़ रुपए की लागत से नई बड़ी लाइन बिछाने का सर्वे हुआ था । किन्तु दुर्भाग्यवश दोनों नई बड़ी लाइन को बिछाने के लिए मात्र सर्वे ही हुआ । लगभग 15 वर्ष हो गये किन्तु अभी तक यह दोनों लाइनें बिछाई नहीं गई । खलीलाबाद हैण्डलूम का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का केन्द्र है । इन दोनों लाइनों के क्षेत्र में गन्ना मिलें, कागज मिल, कताई मिल सहित औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र है ।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि यथा शीघ्र इन दोनों लाइनों पर अपेक्षित धन का प्रबन्ध कर दोनों लाइनों के बछाने का कार्य करें ।

(सात) उड़ीसा में क्योंझरगढ़ में खनन और भू-विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा (क्योंझर): उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा खनिज भंडार वाला राज्य है । यहां मुख्यतया लौह धातु मैंग्नीज, बाक्साइट, कोयला, डोलोमाइट तथा चूने की खानें है । इस के अतिरिक्त सीसा तथा अभ्रक की भी खाने उड़ीसा में है । बोलनगीर, कालाहांडी तथा फुलबनी जिलों में बहुत बहुमूल्य पत्थर पाये गये हैं । एक समय था जब महानदी जो उड़ीसा के हीराकुंड क्षेत्र में है, के तटों पर हीरे मिलते थे । इसीलिए यह क्षेत्र हीराकुंड नाम से जाना जाता था । यहां अनेक लोग स्वर्णरेखा नदी के तटों से सोने के कण एकत्रित करके अपनी जीविका चलाते आए हैं । क्योंझर

जिले के तेलकोई क्षेत्र में सोने के भण्डार हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कर्मचारियों के अभाव में तथा पढ़े लिखे तथा प्रशिक्षित अभियंता न मिलने के कारण उड़ीसा के खनिज संसाधन का समुचित दोहन नहीं हो पा रहा है। बिहार के धनबाद क्षेत्र में केवल एक खनन कालेज है। उड़ीसा के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा कालेज नहीं है।

राज्य की खानों तथा खनिज संसाधनों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उड़ीसा में मेधावी छात्रों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें। अतः क्योंझरगढ़ स्थित मौजूदा खनिज स्कूल का स्तर बढ़ाकर उसे खनन का डिग्री कालेज बनाया जाये तथा उसे केन्द्रीय सेक्टर में रखा जाये क्योंकि राज्य सरकार इस पर होने वाले खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं है। मेरी यह भी मांग है कि क्योंझरगढ़ में खनन तथा भू-विज्ञान से संबंधित एक आधुनिक प्रशिक्षण तथा शोध केन्द्र की स्थापना की जाये जिसमें आधुनिकतम प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध हों।

(आठ) दिल्ली, त्रिवेन्द्रम और मंगलौर के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाये जाने की आवश्यकता

श्री एम० रमन्ना राय (कासरगोड) इस समय दिल्ली से रेल द्वारा केरल पहुंचने में लगभग 3 दिन लग जाते हैं। केरल की जनता को शिकायत है कि राज्य में रेलों के विकास की उपेक्षा की जा रही है। यद्यपि कोंकण रेलवे का कार्य प्रगति पर है, तथापि केरल राज्य में कोंकण रेलवे को जो भाग पड़ता है उस पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

दिल्ली तथा त्रिवेन्द्रम और मंगलौर के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाये जाने की नितांत आवश्यकता है इससे कर्नाटक राज्य के एक भाग को भी लाभ पहुंचेगा।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि दक्षिण, विशेषकर केरल के लोगों के फायदे के लिए दिल्ली तथा त्रिवेन्द्रम और मंगलौर के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाये।

(नौ) उत्तर प्रदेश में टिहरी गढ़वाल में भूकम्प से प्रभावित व्यक्तियों को राहत दिए जाने की आवश्यकता

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय, टिहरी गढ़वाल विशेषकर, भिलंगना घाटी तथा उसके इर्दगिर्द के 60 गांवों में आए गम्भीर भूकम्प के शिकार लोगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को मैं उठाना चाहता हूं।

इस भूकम्प के शिकार लोगों को कई सप्ताह तक कुछ नहीं मिल सका था। बहुत से घायल लोगों को तो प्राथमिक चिकित्सा सहायता भी नहीं मिल पायी। भूकम्प के परिणामस्वरूप पानी की व्यवस्था टूट जाने के कारण फसलों का ही काफी नुकसान नहीं हुआ है बल्कि इस क्षेत्र के लोग पीने के पानी की भी काफी कमी महसूस कर रहे हैं।

घटवाड़ी भिलंगना (टिहरी) तथा चमोली के बीच मोटर चलाने योग्य सड़क जिसका उद्-घाटन 1952 में किया गया था, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी तुरन्त मरम्मत की जानी

चाहिए तथा लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सब क्षेत्रों को संचार सुविधाओं द्वारा जोड़ा जाना चाहिए।

क्षतिग्रस्त मकानों की तुरन्त मरम्मत करने की आवश्यकता है। यह आरोप लगाया गया है कि भूकम्प पीड़ितों को दी गई सहायता पर्याप्त नहीं है। मेरा अनुरोध है कि भूकम्प से पीड़ित लोगों की सूची तैयार करके उसे प्रकाशित किया जाए।

प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु सहायता देने के उद्देश्य से परिवार को एक इकाई माना जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि उन क्षेत्रों में चलते-फिरते औषधालयों की व्यवस्था की जाए ताकि प्रभावित व्यक्तियों को दवाइयां उपलब्ध करवाई जा सकें।

2.00 म०प०

पहाड़ों की चट्टानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और भय है कि आने वाले बरसात के मौसम में वे फिसल कर नीचे आ जायेंगी। इस लिए मेरा अनुरोध है कि आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए तथा इस के लिए एक योजना तैयार की जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 3.00 बजे म०प० तक के लिए स्थगित होती है।

2.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3.00 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.04 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.04 म०प० पर पुनः समवेत् हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब कार्यसूची की मद संख्या 8 पर विचार करेगा। श्री सीताराम केसरी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक

[हिन्दी]

कल्याण मन्त्री (श्री सीता राम केसरी): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1991 के आम चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण वचनबद्धता यह थी कि अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया जायेगा ताकि इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।

जुलाई, 1991 को राष्ट्रपति महोदय ने भी संसद में दिए गए अपने अभिभाषण में इस वचन-बद्धता को दोहराया था। हाल ही में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते हुए प्रधान मन्त्री महोदय द्वारा भी यह आश्वासन दिया गया था कि इस प्रयोजन के लिए एक विधेयक चालू बजट अधिवेशन के दौरान ही पेश कर दिया जाएगा।

तद्नुसार 4 मई, 1992 को इस आशय का एक विधेयक मैंने पेश किया है। अब मैं इस सदन से इस विधेयक पर विचार करने की प्रार्थना करता हूं।

आरम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों में यह विश्वास पैदा करने के लिए है कि संविधान में उनके लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपाय पूरी तरह कार्यान्वित किये जाते हैं।

सांविधिक दर्जे से युक्त अल्पसंख्यक आयोग को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा मंत्रालयों/विभागों एवं केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठनों में व्यवहार में और अधिक महत्व व अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अपने कार्यों के सम्पादन के लिए इस विधेयक में किसी व्यक्ति को सम्मन करने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति के संबंध में आयोग को एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस आयोग का मुख्य कार्य संविधान में तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिनियमों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के कार्यकरण को अनुश्रवण करना होगा। यह आयोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से उन्हें वंचित रखने से संबंधित किसी निश्चित शिकायत की भी जांच करेगा।

इसके अतिरिक्त यह अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी आयोजित करेगा ताकि कमियों को दूर करने के लिए समुचित उपचारात्मक उपायों के बारे में विचार किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक के प्रावधानों पर विचार करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक को उस पर राय जानने के प्रयोजनार्थ 18 अगस्त, 1992 तक परिचालित किया जाए।" (1)

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री आडवाणी जी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं। मैं इस विधेयक की विषय वस्तु के कारण इसका विरोध नहीं कर रहा बल्कि इसके कुछ और आधार भी हैं। इस मुद्दे से सरकार द्वारा गलत तरीके से निपटने का यह एक और उदाहरण है जो कि स्पष्टत: अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है परन्तु जिसका मेरे विचारानुसार देश की एकता से सम्बद्ध है। यह विधेयक गलत अवधारणा पर आधारित तथा अधोगतिक है। इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि इससे और समस्याएं पैदा होंगी। वास्तव में इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इससे कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। इससे अलगाववादी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा तथा विघटनकारी शक्तियों को और बल मिलेगा। यही मेरा विचार है तथा इसलिए मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

मेरा यह विचार है कि मुझे इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने अथवा उस पर जनमत जानने के लिए परिचालित किए जाने के लिए आग्रह करना चाहिए, परन्तु इससे सिद्धान्त रूप में इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करना होगा तथा इसीलिए मैंने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा तथा इसीलिए मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहा था कि वे मेरे इस तर्क को सुनें कि मैं क्यों इस विधेयक को गलत आवधारणा पर आधारित तथा विपरीत प्रभावोत्पादक मानता हूं। क्योंकि मैं यह नहीं कहना चाहता कि सरकार जानबूझ कर इस देश की एकता को कमजोर करना चाहती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। परन्तु कई वर्षों से तथा वास्तव में जब मैं श्री बी० शिवा राव की आंगों में विभाजित पुस्तक, "फ्रेमिंग आफ दि इंडियन कन्स्टीट्यूशन" जिसके पांच खण्ड हैं, पढ़ रहा था, तो मैंने, "माइनोरिटीज" अध्याय के पहले ही वाक्य में इस बात को नोट किया, जिसमें कहा गया है कि :

> "अल्पसंख्यकों की समस्या ने भारतीय राजनीति को एक लम्बे समय से चौफलाक बना रखा है। सबसे ऊपर यही एक मात्र कारण था जिसने आजादी और स्वतंत्रता के रास्ते पर देश की प्रगति को लम्बे समय तक रोके रखा।

अब श्री सीताराम केसरी तथा सत्ता पक्ष के अन्य प्रबुद्ध लोगों को यह जानकारी होगी कि श्री शिवा राव जोकि स्वयं संविधान सभा के सदस्य थे, ने संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा यह अद्‌भुत शोध निबन्ध लिखा।

अल्पसंख्यकों की समस्या केवल आज ही हमारे समक्ष उत्पन्न नहीं हुई है। इस समस्या का हम कई दशकों से सामना करते आ रहे है। विशेष रूप से, मेरे विचार में 1857 के पश्चात् जब ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया, उसी के कारण यह समस्या हमारे सामने आई तथा जैसा कि श्री शिवा राव ने कहा है कि इसी एक मात्र कारण से देश की आजादी और स्वतंत्रता प्राप्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न की। यही उनका कथन है जोकि एक सत्य है।

तत्पश्चात् उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि किस प्रकार 1908 में ब्रिटिश सरकार ने इस देश में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया ? उस समय श्री मिन्टो वाइसराय थे तथा श्री मिन्टो ने ही यह (नीति) सिद्धान्त तैयार की थी क्योंकि उस समय हिन्दू और मुसलमान ही दो प्रमुख समुदाय इस देश में थे। उन्होंने यह नीति तैयार की और कहा;

"भारतीय मुसलमान एक धार्मिक इकाई के अतिरिक्त भी बहुत कुछ हैं वास्तव में वे एक ऐसा अलग समुदाय हैं जो कि शादी, खान-पान, रीति रिवाज तथा कई मामलों में हिन्दुओं से भिन्न नस्ल से सम्बन्ध रखते हैं।"

यह सिद्धान्त ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धान्त को स्वतन्त्रता संग्राम के नेताओं ने कभी स्वीकार नहीं किया तथा उन्होंने सदैव यह महसूस किया कि यह गलत है, तथा मुसलमानों को एक अलग धर्म के साथ साथ एक अलग नसल मानना एक विपरीत विचार है। जिन्नाह ने दो देशों के सिद्धान्त का प्रस्ताव रखा तथा इसी लिए वे इकट्ठे नहीं रह सकते, तथा इस देश में उनका सहअस्तित्व संभव नहीं, तथा इस लिए दो देश बनने चाहिएं। धीरे-धीरे ब्रिटिश सरकार ने, जोकि एक साम्राज्यवादी सरकार थी, इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। मेरे विचार में मेरे इस विधेयक का विरोध करने के कारणों को समझने के लिए इस ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि को समझना अत्यावश्यक है, जिसे कुछ लोग अहानिकारक समझ सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में श्री बी० शिव राव को उद्धृत करना चाहूंगा। उनका कहना है :

"धीरे-धीरे साम्प्रदायिक दावों तथा सामुदायिक हितों को मान्यता भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति का आधार बन गई। लोक प्रिय सरकार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के गठन की ओर उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ ब्रिटिश सरकार इस उत्तरदायित्व के निर्वाह को सुनिश्चित करती थी कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक लोगों के हाथों उत्पीड़ित तथा शोषित होने से बचाया जा सके·····"

ब्रिटिश सरकार ने जानबूझ कर यह दृष्टिकोण अपनाया। मैं फिर श्री शिवा राव को उद्धृत करना चाहूंगा :

"समय के साथ-साथ सिक्ख, आंग्ल-भारतीय, भारतीय ईसाई, उत्पीड़ित वर्ग इन सभी समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों से सुरक्षा देने के मामले में अल्पसंख्यक माना गया। वास्तव में अल्पसंख्यक शब्द का और विस्तार करके वाणिज्यिक तथा समुद्री व्यापार में लगे समृद्ध यूरोपियन लोगों को विधान मण्डल में अलग प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्हें भी अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया।"

महोदय, अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सिद्धान्त की यही पृष्ठभूमि हमें 1947 में विरासत में मिली।

जब मैं संविधान सभा के वाद-विवाद को पढ़ रहा था तो मुझे इस बात से बड़ी संतुष्टि हुई कि हमारे संविधान निर्माता ब्रिटिश सरकार के इस दृष्टिकोण के प्रति पूरी तरह जागरूक थे तथा उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे इसके दबाव में न आयें। जब तक विभाजन का आधिकारिक तौर पर निर्णय नहीं ले लिया गया था, तो बीते हुए समय की कुछ परम्पराओं को मौन स्वीकृति दे कर भी विभाजन को किसी न किसी तरह टालने की कोशिश की गई। उन परम्पराओं के स्वीकार करने के परिणामस्वरूप सेवाओं में, संसद में तथा विधान सभाओं में सामुदायिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान होता।

जब मैंने संविधान का मसौदा पढ़ा तो वास्तव में मुझे एक क्रोध की भावना की अनुभूति हुई कि अगर वह संविधान लागू हो जाता तो स्थिति कितनी खराब होती। परन्तु विभाजन के बाद जब

सब कुछ स्पष्ट हो गया तथा मुस्लिम लीग और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को विभाजन पर जोर न देने के सभी उपाय विफल हो गये, तो हमें सामुदायिक इत्यादि आधार पर उन्हें गारंटी और प्रतिनिधित्व देना पड़ा। वह एक तरह से समझौता था। जब बटवारा वास्तव में हो गया तभी सलाहकार समितियां, अल्पसंख्यक समिति, संविधान सभा—सभी इस नतीजे पर पहुंच गए कि अबसे वे ऐसे किसी भी विचार के साथ समझौता नहीं करेंगे और उन्होंने हमेशा के लिए यह निर्णय ले लिया कि किसी के लिये भी धर्म समुदाय या अल्पसंख्यक होने के आधार पर अर्थात् उनकी संख्या कम होने के कारण कोई आरक्षण नहीं होगा। लेकिन सदियों से दबाए गए वर्ग जैसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये आरक्षण अथवा विशेष प्रतिनिधित्व दिये जाने के आधार पर विचार किया जा सकता है। केवल उसी मामले में हमने आरक्षण की व्यवस्था रखी है।

श्री सरदार पटेल, पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि उन्होंने वास्तविक प्रारूप में परिवर्तन लाने का निर्णय किया है और अबसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा और कोई आरक्षण किसी के लिए भी नहीं होगा। हम धर्म अथवा समुदाय के आधार पर किसी बात को मान्यता नहीं देंगे। संविधान सभा में इस पर खुशी प्रकट की गई थी। पारसी जैसे अत्यंत छोटे समुदाय के द्वारा भी उत्साह दिखाया गया। उन्होंने कहा "नहीं"। हम इससे बेहद प्रसन्न हैं। हम इस तरह का आरक्षण नहीं चाहते। आंग्ल-भारतीय के मामले में एक छूट दी गई थी जिसमें कहा गया कि यहां के लिए दो नामांकित सदस्य होंगे और जिन राज्यों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनकी विधान सभाओं में उक्त समुदाय के कुछ सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने यह उदार दृष्टिकोण अपनाया जिसके लिए वह सक्षम थी। वे इसके बारे में खुश नहीं थे। वास्तव में जब सरदार पटेल इस पर सहमत हुए तो उन्होंने पुन: पारसी नेताओं को बुला कर पूछा कि वह अन आंग्ल भारतीयों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं और क्या वे भी इसका लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि आपका समुदाय भी अल्पसंख्यक है? इस समुदाय की यह भलमनसाहत थी कि उन्होंने "नहीं" कहा इसके बाद, हम संविधान सभा के विचार के अनुरूप चल रहे हैं और जो निर्णय आपने लिये हैं कि अल्प संख्यकों के नाम पर आगे कोई आरक्षण नहीं होगा इसे हम स्वीकार करते हैं।

उस दिन सरदार पटेल ने बहुत ही ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था—यह पढ़ने योग्य लम्बा भाषण था—उन्होंने कहा :

> "अंत में सभी के लिये यह भुला देना उनके हित में होगा कि कोई बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक है और यह मानना होगा कि एक ही समुदाय है।"

44 या 45 वर्षों बाद भी हम क्या कर रहे हैं। नेहरू जी ने इसे "हमारी नीयति का ऐतिहासिक मोड़" कहा था। उन्होंने कहा :

> "इस तरह की सुरक्षा, का कोई उद्देश्य होता जहां भी तानाशाही या विदेशी सत्ता है, इससे राजा के लिये यह सरल होता है कि एक समुदाय को दूसरे के विरुद्ध भिड़ाया जाए।"

उन्होंने आगे कहा :

> "लेकिन जब आप एक स्वस्थ लोकतंत्र के विरुद्ध हैं और अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो आप उन्हें अलग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा

दे देंगे पर वह किस मूल्य पर देंगे ? वह उन्हें पृथक करने के मूल्य पर देंगे और उन्हें आप उस मुख्य धारा से अलग करेंगे जिस ओर बहुसंख्यक बढ़ रहे हैं। यह आप उनके प्रति सहानुभूति को छीन और बहुसंख्यकों में उनके प्रति सहभागी होने की भावना से वंचित करके करते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि वे आज क्या कर रहे हैं—मैं नहीं जानता कि वे आज क्या कर रहे हैं—मैं नहीं जानता कि किस हद तक वे अल्पसंख्यकों की भावना को शांत कर पाए हैं जिनके प्रति वे जुड़े हैं। लेकिन, मैं नहीं जानता कि बहुसंख्यकों ने जिन्हें इस बात पर गर्व था कि इस देश ने 1947 में धर्मतंत्र को नकार दिया था, 1949 में, यद्यपि देश धर्म के आधार पर बंट गया था—फिर भी पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया गया। यदि इस देश ने भी पाकिस्तान की तरह ही 1949 में धर्मतंत्र को चुना होता तो दुनियां हम पर आरोप नहीं लगाती। लेकिन यह देश 45 वर्षों बाद भी—कम से कम नेतृत्व के बारे में—ऐसा लगता है कि वह इस अपराध बोध से ग्रस्त हैं कि हमने अल्पसंख्यकों के प्रति न्याय नहीं किया है। अतः कुछ ऐसा किया जाना चाहिये कि अन्याय और शिकायत की भावना जो उनके मन में घर कर गई है उसे दूर किया जा सके। यह विधेयक विशेष अपने दृष्टिकोण में सबसे अधिक कल्याणकारी है और मैं यह मानता हूं कि यह उक्त अन्याय को दूर करने के विचार से लाया गया है। सच तो यह है की इस देश में समाज का हर वर्ग—स्थिति चाहे जो भी हो, कठिनाईयां चाहे जो भी हों, आर्थिक स्थिति जैसी भी हो तथ्य यह है कि हम लोकतांत्रिक हैं, हमने किसी तानाशाही शासन का सहारा नहीं लिया और यह लोकतंत्र उन्मुक्त समाज का निर्माण करता है जिसमें हर वर्ग को तमिलनाडु के सहित जिससे हमारे माननीय मित्र जुड़े हैं, उन्हें असंतुष्ट महसूस करने का अधिकार है और यह कहते हैं कि यह क्या है ? हमें फिर असंतुष्ट किया जा रहा है, हम से बुरा बर्ताव किया जा रहा है ? समाज का हर वर्ग अपने मन में यह धारणा बनाए बैठा है कि उस पर अन्याय हो रहा है। लेकिन ये विधेयक समाज के उन वर्गों के लिये नहीं है। यद्यपि इस विधेयक में ईसाईयों, पारसियों, सिक्खों आदि के नाम हैं लेकिन वास्तव में यह एक ही वर्ग के लिये हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि ऐसा उनके हितों को देखते हुए नहीं किया गया है। यह वोट बैंक तैयार करने की गन्दी राजनीति का परिणाम है यह दुर्भाग्यपूर्ण परन्तु सत्य है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरे ऊपर एक विशेष विचारधारा वाले राजनीतिक नेता होने का आरोप लगाया जा सकता है और विपक्ष में कौन ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जब यह विधेयक सामने आया और मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक जानेमाने न्यायविद् और विधिवेता—जब हमें किसी प्रकार की विधि संबंधी समस्या उत्पन्न होती तो हम उनकी पुस्तकों को उद्धृत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विद्वान मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते होंगे—श्री डी०डी० बसु का यही विचार है। मैं उनके टिप्पणों और पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था—उनमें एक है—भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त परिचय—जो अभी मेरे पास है। मैंने पाया कि 1980 के चुनाव के बाद की स्थिति का जिक्र किया है और इस परिचयात्मक अध्याय के अंत में उन्होंने कहा है :

"1980 के आम चुनाव के बाद धार्मिक अल्प संख्यकों की उग्र मांग के संबंध मे निकृष्ट प्रवृत्तियों का उल्लेख किए बिना वर्तमान अध्याय अधूरा रह जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उस क्रम में अल्पसंख्यकों ने अपने मतों का उपयोग प्रलोभन के रूप में किया है। और विभिन्न दलों के बहुसंख्यक समुदाय के राजनीतिक नेताओं ने अपने चुनाव घोषणापत्र तथा गठजोड़ों में बिना विचारे उन प्रलोभनों में फंस गए।"

अब श्री सीताराम केसरी यह कहते हैं कि वे यह विधेयक मात्र इसलिये लाए हैं क्योंकि चुनाव घोषणापत्र में किए गए एक वादे को पूरा करना है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है। इसलिये श्री बसु—जो कि राजनीतिक नहीं है—वह कहते हैं :

"इस पृष्ठ भूमि में एक निष्पक्ष शिक्षा शास्त्री का यह कर्तव्य है कि एक राष्ट्रवादी भारतीय को यह बताये कि ऐसी मांगों को स्वीकार करने का मतलब भारत को विभाजित करना होगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक दूसरा पाकिस्तान बनाना या ईसाई बहुल क्षेत्र के लिये ईसाई राज्य या जहां तक सिखों का संबंध है खालिस्तान बनाना होगा।"

इस तरह की चेतावनी श्री बसु ने दी है। यह चिन्ता विपक्षी राजनैतिक नेता भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यक्त नहीं की गई है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैं चाहता हूं कि अधिक विचार किया जाना चाहिये।

आखिर क्यों 1991 में आपके चुनाव घोषणा पत्र में यह शामिल किया गया? यह पहले क्यों नहीं कहा गया? मैं स्वयं को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य होने के लिये दोषी मानता हूं, प्रशासनिक स्तर के बावजूद बिना किसी वैधानिक सहयोग के मैं स्वयं को दोषी ठहराता हूं। मैं उस सरकार में शामिल था। जब उस सरकार ने यह कार्य किया था, हमने यह कहा था कि जनता पार्टी के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक आयोग के बारे में वादे नहीं किये गए हैं। 1977 में जारी किए गए जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नागरिक अधिकार आयोग की बात कही थी न कि अल्पसंख्यक आयोग की। सरकार के अंदर हम जो कहना चाहते थे उससे एक विकृति पैदा हुई। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन सरकार का एक अंग होने के नाते हम उसके लिये भी स्वयं को दोषी मानते हैं। हम स्वयं को उस दोष से पाक साफ नहीं मानते। आज आप एक कदम और आगे बढ़ गए। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : केवल सरकार भी नहीं बल्कि पार्टी भी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, मैं उसका सहभागी था। इसीलिए मैं यह कह रहा था। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद युनुस सलीम (कटिहार) : आप थोड़े समझदार हो गए हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां। ठीक उसी तरह जैसे संविधान सभा उन 60 वर्षों बाद अधिक समझदार हो गई।

सभी पिछले दृष्टांतों से ही सबक लेते हैं। यहां, मुझे आश्चर्य होता है कि यह सभी लोग जो 1977 के दिनों में थे, हमें कहा करते थे :

[हिन्दी]

आपने कैसे मान लिया, आपको तो नहीं मानना चाहिये था। इतनी बड़ी गलती कर रहे हो और आज वे इसीलिये एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

वे आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि यहां भा०ज०पा० के पास इतनी शक्ति नहीं होती तो आप इस वैधानिक दर्जे से ही संतुष्ट हो जाते। वैरियत तो यह है कि आप इसे संवैधानिक दर्जा देने में सक्षम नहीं हैं जो कि इस वर्ग की मांग है। आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि जनता ने अपनी समझ से हमें पुन: इतनी शक्ति देकर भेजा है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं यह चाहता था कि आप अपने शुरुआती भाषण में यह बताते कि तथाकथित अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हुए हैं उसे बताते क्योंकि इस अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक शक्ति का अभाव है।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : क्या आपने यह वादा नहीं किया था जब अल्पसंख्यक आयोग गठित की गई थी? 1978 में जब अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था तो यह कहा गया था कि जल्द ही इस आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने आपको बताया कि जहां तक जनता पार्टी के मैनीफेस्टो का सवाल है, मैनीफेस्टो में यह एबरेशन था।

[अनुवाद]

यह विकृति घोषणा पत्र में थी और वह·····।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : इसीलिए मैं कह रहा हूं·····

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने यही कहा है कि मेरी गलती थी।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : आप मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्य थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह सही है, मैं वहां था लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए थे (**व्यवधान**) मैं यहां केवल इस विधेयक का विरोध करने नहीं आया हूं बल्कि औपचारिक रूप से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में जिन्हें अल्पसंख्यक कहा गया है केवल वे ही अल्पसंख्यक नहीं हैं। इस विधेयक में 'अल्पसंख्यक' की यह परिभाषा दी गई है कि "इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'अल्पसंख्यक' का अर्थ है वह समुदाय जिसे केन्द्र सरकार ने अधिसूचित किया है।" अल्पसंख्यक की यही परिभाषा दी गई है जिसका अर्थ है कि जैसा रामकृष्ण मिशन में न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया हुआ है 'हम हिन्दू नहीं हैं', उसी प्रकार कोई आर्य समाजी भी यह कह सकता है कि 'हम अल्पसंख्यक हैं'....

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें 'अल्पसंख्यक' माना गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, उन्हें अल्पसंख्यक माना गया है जबकि उच्चतम न्यायालय ने अब तक अपना निर्णय नहीं दिया है। लेकिन सरकार स्वयं इस बारे में निर्णय कर सकती है। उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय कुछ भी निर्णय दें वे स्वयं ही यह मान लेते हैं कि वे किसी भी वर्ग को 'अल्पसंख्यक' घोषित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक की ऐसी संकल्पना हमें कहां ले जाएगी इसीलिए अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष का यह कहना तर्कसंगत है कि अल्पसंख्यक आयोग को

राष्ट्रीय एकता सहमानव अधिकार आयोग में परिवर्तित क्यों किया जाए। उन्होंने कहा था कि अब तक ····· (व्यवधान) वह न्यायाधीश बेग थे। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और बाद में अपल्संख्यक आयोग के अध्यक्ष बने थे (व्यवधान)। उनसे यह पूछा गया था कि 'उनके अनुसार अल्पसंख्यक कौन हैं ?' उन्होंने स्वीकार किया था कि 'अल्पसंख्यकों' के बारे में कोई परिभाषा नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग की वर्तमान नीति के अनुसार वे पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को मान्यता देते हैं जो इस प्रकार हैं—मुसलमान, सिख ईसाई, बौद्ध तथा पारसी। उस समय अल्पसंख्यक आयोग ने इन पांच समुदायों को अल्पसंख्यक माना था और इनके हितों की रक्षा करने तथा उनके प्रति हुए भेदभाव की जांच अल्पसंख्यक आयोग को करनी थी। उन्होंने यह भी कहा :

"जैनियों और बहाईयों की ओर से वह दावे प्रस्तुत किए गए थे और यह मुद्दा अभी भी अल्पसंख्यक आयोग के विचाराधीन है।"

मैं नहीं जानता कि वर्तमान स्थिति क्या है और क्या अल्पसंख्यक आयोग ने बाद में इस पर कोई निर्णय लिया था। लेकिन जिस प्रकार का अधिकार आपने लिया है अथवा लेने जा रहे हैं उससे आप और शक्तिशाली हो जाएंगे और कुछ लोगों को 'अल्पसंख्यक' घोषित कर दिया जाएगा। आजकल कुछ लोगो को 'अनुसूचित जनजाति' अथवा 'अनुसूचित जाति' घोषित करने के लिए दावे किए जाते हैं क्यों कि इससे कुछ लाभ मिलेंगे। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को सरकार द्वारा अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाएगा। उसके लिए किसी न्यायालय की आवश्यकता नहीं होगी। क्या आप इसके परिणाम जानते हैं? क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के सांविधिक प्रावधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द की अधिक विस्तृत परिभाषा दी जानी चाहिए? मैं नमनीयता की कुछ बात मानता हूं लेकिन आप जिस प्रकार की विवाचन शक्ति स्वयं में विहित कर रहे हैं वह सही नहीं है।

न्यायाधीश बेग ने यह टिप्पणी की थी कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा था लेकिन इसका आशय यही है, उन्होंने कहा :

"कुछ व्यक्तियों द्वारा यह आग्रह किया गया कि 'हिन्दू' शब्द एक अखंडित धार्मिक समुदाय को इंगित नहीं करता है, इसे एक धार्मिक 'बहुसंख्यक' कहा जा सकता है। मूल रूप से यह शब्द उन व्यक्तियों के लिए है जो 'सिंध' नदी के क्षेत्र में रहते हैं। राजनैतिक उद्देश्यों के लिए हिन्दू शब्द को उन समुदायों के एक उस समूह के साथ जोड़ दिया गया जिनका धर्म भारतीय मूल का है लेकिन प्रत्येक एक अलग वर्ग के रूप में कार्य कर रहा है, उनके अपने रीति-रिवाज व प्रथाएं हैं और उनके धार्मिक विश्वास तथा पूजा पाठ के तरीके भी अलग-अलग हैं।"

तत्पश्चात् उन्होंने यह टिप्पणी की :

"अत: कुछ व्यक्तियों ने यह टिप्पणी की कि भारत अल्पसंख्यकों की भूमि है और वर्ग संबद्धताओं को देखते हुए हिन्दू 'बहुसंख्यक समुदाय', जैसा कोई नहीं है।"

श्री पी०डी०बसु और अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष, न्यायाधीश बेग ने यह टिप्पणी की थी, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं, उन्होंने कहा :

"हिन्दुओं को एकल अखंडित समुदाय मानना ठीक प्रतीत नहीं होता है। इस भावना तथा विश्वास को कि यह एकल 'बहुसंख्यक' समुदाय है और अल्पसंख्यकों को इससे डरना चाहिये

तथा उनसे स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, 'हमारे विदेशी शासकों ने बढ़ावा दिया। उन्होंने 'फूट डालो, राज करो' की नीति अपनाई। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत छोड़ने के बाद भी वोट लेने, सत्ता में आने तथा राजनैतिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों के लिए यह विभाजक नीतियां चल रही हैं। इस विषैले वातावरण को समाप्त करना होगा। यह कैसे किया जा सकता है ? हमारे समक्ष यही मुख्य समस्या है।"

यह अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा आपके तथा उन व्यक्तियों जिन्होंने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया के विरुद्ध लगाए गए आरोप हैं कि आप ब्रिटिश सरकार की नीतियों का पालन कर रहे हैं। वास्तव में ब्रिटिश शासकों ने 'अल्पसंख्यक' की यह संकल्पना बनाई थी और आप आजादी के 45 वर्ष बाद भी इसका पालन कर रहे हैं। जबकि संविधान सभा ने इस मुद्दे को छोड़ दिया था। अब आप फिर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस दल यही कर रहा है। यदि पिछली सरकार द्वारा ऐसा किया जाता तब अलग बात होती लेकिन मैं उस पर फिर भी ऐसी ही प्रतिक्रिया करता। लेकिन मैं यह बात समझ नहीं पाता कि यह सरकार और यह दल ऐसा कर रहे हैं, आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह लिखा था और आप यह सोचते हैं कि वोट बैंक को इस प्रतियोगी राजनीति में आप अपने विरोधियों से पिछड़ जाएंगे इस डर से आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया और यह अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की टिप्पणियों के विपरीत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार पर पुनःविचार करें क्योंकि मैंने तथा श्री बेग ने जो कहा है वह अल्पसंख्यक आयोग समाप्त करने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इसे "राष्ट्रीय एकता सह-मानव अधिकार आयोग" में परिवर्तित कर दिया जाए। यदि मुसलमानों, पारसियों, ईसाईयों के साथ भेद-भाव किया जाता है तब मानव अधिकार आयोग उसकी जांच करेगा।. लेकिन भारत के इतिहास में सबसे अधिक अन्याय कश्मीर के हिंदुओं के साथ हुआ है और अल्पसंख्यक आयोग कुछ नहीं कर सका क्योंकि वे हिन्दू हैं और इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा नहीं मिलेगा। आपको इस धारणा को समाप्त करना है न कि अल्पसंख्यक आयोग को समाप्त करना होगा, न्यायाधीश बेग के राष्ट्रीय एकता-सह-मानव अधिकार आयोग की बात की है जिसे हमने मानव अधिकार आयोग कहा है। श्री बेग के 1987 अथवा 1988 में लिखे लंबे टिप्पण विशेष में इसका उल्लेख पाकर मुझे हैरानी हुई। जब उन्होंने यह कहा था तब किसी से शायद अल्पसंख्यक आयोग के किसी व्यक्ति ने उनसे यह कहा होगा कि "आप जो कह रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी की मांग है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं" ? उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है कि यह बात केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि इस उपाय का सत्ताधारी कांग्रेस के अतिरिक्त कोई अन्य राजनीतिक दल समर्थन कर रहा है। इस मुद्दे का समर्थन करना इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना है और यह आयोग उन विचारों को संवर्धित करता है जो सभी दलों को स्वीकार्य है क्योंकि वे संविधान के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं।

इसी कारण मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस विधेयक पर पुनर्विचार करें। इस सरकार ने भी मानव अधिकार आयोग की बात कही है। लेकिन मानव अधिकार आयोग को एमनेस्टी इंटर-नेशनल आदि द्वारा हमारे विरुद्ध लगाए गए आरोपों का परिणाम माना जाता है। हम सोचते हैं कि पुलिस स्टेशनों में जो हत्यायें की जाती हैं अथवा अत्याचार किए जाते हैं उनके लिए एक मानव अधिकार आयोग होना चाहिए ताकि हम कह सकें कि इन मामलों की जांच करने के लिए हमारे यहां भी मानव अधिकार आयोग है। यदि यह कार्य करने के लिए समुचित प्राधिकरण होगा तो अच्छा होगा। इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे—एक मानव अधिकार का उद्देश्य और दूसरा देश के किसी भी नागरिक, चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय का हो या बहुसंख्यक समुदाय का, के विरुद्ध किए गए भेदभाव

की जांच करने का उद्देश्य । यदि सत्ताधारी दल न्यायाधीश बेग की सिफारिशों तथा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए आश्वासन को स्वीकार कर लेता है तब यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा ।

यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब मैं आपको केवल चेतावनी दे सकता हूं । आपकी पिछली कांग्रेस की सरकार ने 1985 में शाहबानों के मामले में कट्टरपंथियों के आगे झुककर बहुत बड़ी गलती की थी मेरा कहना है कि यदि आप अपने विचारों की संवीक्षा नहीं करते और अपनी स्थिति को नही बदलते हैं तब आप यह विधेयक पारित कर वैसी ही ऐतिहासिक गलती करेंगे । इस विधेयक से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा । इससे विभाजकता बढ़ेगा । इस मामले विशेष में जब डी० डी० बसु ने अल्पसंख्यकों की अनेक मांगों का उल्लेख किया जिन्हें विभिन्न राजनैतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा पत्रों में भी शामिल किया उस समय उन्होंने तीन मांगों का विशेष उल्लेख किया था । सबसे पहले वे विधायिकाओं तथा सेवाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं । दूसरे, वे अल्पसंख्यकों को सांविधिक तथा संविधानिक दर्जा दिलाना चाहते हैं । तीसरे, वे चाहते हैं कि एक समान सिविल संहिता मे संबंधित अनुच्छेद 44 को समाप्त कर दिया जाए । उनका कहना है कि यदि हम इन तीन मांगों को स्वीकार कर लेते हैं तब हम भारत के संविधान के मूल रूप को समाप्त कर देंगे । श्री बसु के यही विचार हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप इस मांग विशेष को स्वीकार करते हैं तब वह दिन दूर नहीं जब आप अन्य दो मांगों को भी स्वीकार कर लेंगे । आपकी सरकार ने पहले ही सांप्रदायिक आधार पर दंगा नियंत्रण पुलिस बल गठित करने का निर्णय लिया है । दंगा नियंत्रण बल का होना आवश्यक है । यदि मौजूदा पुलिस बल में कुछ खामियां है तो इसमें सुधार किया जाना चाहिए । यदि उसमें भी लोग साम्प्रदायिकता से ग्रस्त हैं तो उन व्यक्तियों अथवा ऐसे समूहों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए । लेकिन किसी दंगा नियंत्रण बल का गठन सामुदायिक या धार्मिक आधार पर करना तो और भी बुरा है । लेकिन आप तो इस संबंध में वचनबद्ध हैं और जैसे आप इस अल्पसंख्यक विधेयक को संवैधानिक दर्जा देने के प्रति वचनबद्ध हैं, तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूंगा कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं । जितनी जल्दी आप इस रास्ते को छोड़ेंगे उतना ही यह देश के लिए अच्छा होगा और देश की एकता के लिए अच्छा होगा तथाकथित अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा होगा ।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं मैंने माननीय आडवाणी जी की इस जोरदार दलील को पूरी तन्मयता से सुना है कि इस विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि कम से कम वह अपनी इस गलती को तो स्वीकार करते हैं कि वह 1978 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के इस सरकारी संकल्प के पारित कराने में भागीदार थे उनके द्वारा यह अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था जिसके पास कोई शक्तियां नहीं है ।

यह तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा और विशेषरूप से श्री आडवाणी जी का खोखला रवैया है । तब उन्हें वो आशंका नहीं थी । उन्हें 1977 के चुनाव में शाही ईमाम बुखारी जैसे साम्प्रदायिकता के प्रबल समर्थकों का समर्थन स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी । उन्हें शाही ईमाम बुखारी के फतवे के कारण मुसलमान वोट हासिल करने में कोई हिचक नहीं थी । संभवत: श्री आडवाणी उस समय शाही ईमाम बुखारी के संबंध में जानकारी नहीं रखते थे । अब वह समझदार हो गये थे । शायद उन्होंने संविधान संबंधी वाद-विवाद को नहीं पढ़ा था, संविधान

के बारे में शिवा राम का भाषण नहीं पढ़ा था या उन्होंने संविधान संबंधी वाद-विवाद के दौरान सरदार पटेल और पंडित जवाहर लाल नेहरु द्वारा दिये गये भाषणों को नहीं पढ़ा था।

इस देश के अल्पसंख्यक स्वयं को अलग-थलग क्यों महसूस करते हैं ? इस बात को समझना चाहिए। यह बात तभी समझी जा सकती है जब आप स्वयं अल्पसंख्यक हों या आपका इस देश में अल्पसंख्यकों के प्रति हमदर्दी भरी हो या उनसे किसी तरह का लगाव हो। हमें आत्म विश्लेषण करना चाहिए। क्या हमने इस देश के अल्पसंख्यकों से न्यायपूर्ण बरताव किया है ? अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं ? उनमें से कितने भारतीय पुलिस सेवा में हैं ? उनमें से कितने सरकारी सेवा में हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : उन्हें किसने रोका है ?

श्री दिग्विजय सिंह : इस देश में जो रवैया श्री आडवाणी का है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का है ····· (**व्यवधान**) मैंने व्यवधान पैदा नहीं किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया उनकी बात समझिए।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने उनकी बात में व्यवधान नहीं डाला था। यदि आज इस देश के अल्पसंख्यक स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं तो इसके लिये हम दोषी हैं। यदि हमने अल्पसंख्यकों से ठीक बरताव किया होता तो यह मांग नहीं उठती।

श्री आडवाणी द्वारा हिन्दू की जो परिभाषा यहां सभा में दी गयी है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा जिस तरह से इसे परिभाषित किया गया है वे परस्पर काफी भिन्न है।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि 'हिंदुओं' सिन्धु नदी के इस पार रहने वाले लोग 'हिन्दू' कहलाये। लेकिन हिन्दू की जो परिभाषा और अर्थ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने दी है और जिस आधार पर उन्होंने यह कहा है वह आडवाणी जी द्वारा इस सभा में कही बात से काफी भिन्न है। (**व्यवधान**)

यह ···**···का नारा क्या है ····· (**व्यवधान**) हमने यह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सुना है और जब राम रथ ले जाया जा रहा था तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी सारे देश का दौरा कर रहे थे, तो ये नारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा लगाये गये थे। यही वस्तुस्थिति है। मैं इसे नहीं मान रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है। उन्हें सुनने दें।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री राम कापसे : श्री दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जिक्र करते हुए एक नारा उद्धृत किया जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कभी नहीं लगाया। वह बिना किसी जानकारी के उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा अध्यक्ष पीठ से आग्रह है कि वह इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त में से निकाल दें। (**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं केवल उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। मैं तो केवल श्री लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं, विश्व हिन्दू परिषद के स्वयं सेवक द्वारा लगाये गये उत्तेजक नारों का जिक्र कर रहा हूं। इससे सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़के (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह अप्रसांगिक है तो मैं इस पर गौर करूंगा।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आपने 1984 के इलैक्शन में नारा दिया था—

**

यह नारा आपने**····**····के बारे में दिया था।··(**व्यवधान**)**

श्रीमति सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : एक नारा यह भी दिया था।**

3.51 म०प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

[**अनुवाद**]

श्री दिग्विजय सिंह : यह तो भारतीय जनता पार्टी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं का दोगला मानदंड है। वे मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्रों में चुनाव के दौरान श्री सिकन्दर बख्त को वहां घुमाने में कभी नहीं हिचके। यदि उन्हें वास्तव में मुस्लिम वोट बैंक या हिंदू वोट बैंक या जिस किसी भी वोट बैंक की चिन्ता नहीं है, तो फिर वे चुनावों के दौरान श्री सिकन्दर बख्त को मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में क्यों भेजते हैं? यही वास्तव में उनका दृष्टिकोण रहा है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : आप पहले शाखा में जायें वहां डेफिनेशन सीखें, तब बतायें। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप पहले सुनिये। एक-एक करके आप सब लोग शुरू करेंगे, तो ठीक नहीं है।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : वह डैफिनेशन बता दो, विश्व हिन्दू परिषद ने हिन्दुओं की क्या डैफिनिशन दी है और आर०एस०एस० ने क्या दी है ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक बात होगी तो मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा····लेकिन इस तरह नहीं । (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : क्या विश्व हिन्दू परिषद मुसलमानों को अपने संगठन के सदस्य के रूप में स्वीकार करेगी ? वे ऐसा नहीं करेंगे । अतः जब वे ऐसा नहीं····(व्यवधान)

यही मैं कह रहा हूं । जो परिभाषा श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सभा में दी है वह भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्त्ताओं के हिन्दू शब्द से लगाये अर्थ से काफी भिन्न है । इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोहरे मानदंड अपनाने का एक वास्तविक उदाहरण है ।

आज मध्य प्रदेश में मुसलमानों को सताया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है । ईसाइयों को सताया और परेशान किया जा रहा है । वहां उन्हें नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मध्य प्रदेश कहां से याद आ गया । और कुछ याद नहीं आता है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे पास एक विशिष्ट उदाहरण है जहां वरिष्ठ अधिकारियों को बेतुके आधार पर दण्डित किया गया है । (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शान्ति रखें । आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं ।
(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कोई आब्जेक्शनेबल बात होगी, तो मैं एक्सपंज करूंगा ।
(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित सभी राज्यों में, राजस्थान में, 200 मुसलमानों का 'टाडा' के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया था ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, इस तरह से आरोप लगाना कि मध्य प्रदेश सरकार के अन्दर केवल मुसलमानों को प्रोसीक्यूट किया जा रहा है···(व्यवधान) ····

श्री दिग्विजय सिंह : मैं पूरी जवाबदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अगर मैं यह कहूं, केरल के अन्दर कत्ले-आम हिन्दुओं का हुआ, तो क्या इस तरह से ये यहां बात करेंगे। ....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इस बात पर आप से पूर्ण रूप से सहमत हूं। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर राज्य को भी शामिल किया जाना चाहिए था। मैं हमेशा यही कहता आया हूं कि जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे का सम्मान किया जाना चाहिए। परन्तु साथ ही इस विधेयक और पूजा स्थलों को संरक्षण देने वाले विधेयक को रखे जाने के समय भी मैंने यह मांग की थी कि जम्मू और कश्मीर को इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए था। वहां पर हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। इस राज्य को इस विधेयक से बाहर रखकर हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के विधेयक को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति प्राप्त करें और उस राज्य को इस विधेयक के अन्तर्गत लाएं।

माननीय आडवाणी जी कह रहे थे कि 1947 में धर्मतंत्र को नामंजूर किया गया था। परन्तु वास्तव में वह क्या प्रचार कर रहे हैं? वह इस देश में एक धर्मतंत्र राज्य की स्थापना का प्रचार कर रहे हैं। वह और उनका दल इसी बात के पक्ष में है। महोदय, यही मैं कह रहा हूं। श्री आडवाणी लोक सभा में कुछ और कहते हैं और इस देश की संसद के बाहर कुछ और कहते हैं। इसी को मैं भारतीय जनता पार्टी और श्री आडवाणी के दोहरे मानदण्ड कहता हूं। वह सदन में कुछ कहते हैं और सदन के बाहर ठीक उसके विपरीत बात करते हैं। उनके भड़काने वाले भाषणों से देश में साम्प्रदायिक तनाव भड़कता है। भारतीय जनता पार्टी के इसी व्यवहार और उनकी कट्टर साम्प्रदायिकतावाद के कारण ही अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इस सरकार ने यही किया है। ....(व्यवधान)....

कृपया मेरे यहां आने से आप चिन्तित मत होइए क्योंकि मैं जी-जान से चुनावी लड़ाई लड़ी और इस चुनाव को जीता। मैं कभी भी आपकी मेहरबानियों से इस सदन में नहीं आया। मुझे यह बात एकदम स्पष्ट करने दें ....(व्यवधान).... आज तक भारतीय जनता पार्टी जीती और मैंने आपके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता को मात दी।

यह सरकार बधाई की पात्र है। इसने हमारे चुनाव के वायदे को ही पूरा नहीं किया है बल्कि उसने शक्तिहीन अल्पसंख्यक आयोग को पर्याप्त शक्तियां दी हैं जोकि वास्तव में इस देश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर सका। ....(व्यवधान)....

सभापति महोदय : जब आप बोलें उस समय आप जो चाहें कर लेना। इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप केवल तभी बोल सकते हैं जब वह समाप्त कर दें। परन्तु वह समाप्त नहीं कर रहे हैं। फिर आप बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : पहले आप यह बताए कि हिन्दू किस को कहते हैं, यह परिभाषा बताएं। (व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, यह विषय संवेदनशील है और मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह सोच-विचार कर बोलें ताकि समाज में तनाव पैदा न हो। इस प्रकार से यह जो आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यह एक खतरनाक स्थिति इससे पैदा कर रहे हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है। ....(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, हम साम्प्रदायिक सौहार्द के समर्थक हैं आपकी तरह साम्प्रदायिक विभाजन के नहीं। धर्म निर्पेक्ष सरकार के रूप में और अल्पसंख्यकों की संरक्षक के रूप में इस सरकार का परिचय इस विधेयक को लाने से सामने आ गया है। एक बात पर मुझे थोड़ी सी शिकायत है। अल्पसंख्यक आयोग ने जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए अधिकार देने का अनुरोध किया था।

4.00 म०प०

परन्तु दुर्भाग्य से अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को जांच आयोग अधिनियम की शक्तियां दी गई वह शक्तियां इस विशिष्ट विधेयक के लिए नहीं रखी गई इस पर दीवानी मुकदमों संबंधी उपबन्ध ही लागू किए गए हैं। महोदय, आप मुझ से सहमत होंगे कि अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष लाई गई शिकायतों के सरसरी तौर पर निपटान किए जाने की आवश्यकता है अतः इन शिकायतों की जांच करने के लिए प्रावधान बनाए जाने चाहिएं। अल्पसंख्यक आयोग पर दीवानी मुकदमों संबंधी उपबन्धों के स्थान पर जांच आयोग से संबंधित उपबन्ध लागू होने चाहिएं। इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।

दूसरी बात अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में है जिसे तीन वर्ष तक सीमित किया गया है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। हमने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन से पांच वर्ष रखा है। अतः अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी तीन से पांच वर्ष तक होना चाहिए। जहां तक अल्पसंख्यकों से व्यवहार का संबंध है अल्पसंख्यक आयोग को ऐसे सभी उन अपराधी लोगों पर मुकदमा चलाने व जांच करने के लिए विशिष्ट शक्तियां नहीं दी गई हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों को सताया और अल्पसंख्यकों के बारे में दोहरे मानदण्ड अपनाए हैं।

दूसरे देशों में भी अल्पसंख्यक आयोग हैं। ग्रेट ब्रिटेन में भी जातीय समानता पर एक आयोग बना हुआ है। इन आयोगों को भी मुकदमा चलाने और जांच करने की शक्तियां प्राप्त हैं। ये शक्तियां अल्पसंख्यक आयोग को भी दी जानी चाहिएं, जो कि अति आवश्यक है। सम्मनों को नहीं माना जाता जैसाकि अधिकांश मामलों में किया जाता है। मुझे ऐसे अनेक मामलों की जानकारी है। दिल्ली में अल्पसंख्यक आयोग में शिकायतें दर्ज की गई थीं। क्योंकि हम यह मध्य प्रदेश राज्य में नहीं कर सके चूंकि वहां पर अल्पसंख्यक आयोग भंग कर दिया गया है। बहुत सी शिकायतों के

मामले में समनों की अवमानना की गई है उनका उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए ऐसे उन सभी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए विशिष्ट उपबन्ध होने चाहिए जो अल्पसंख्यक आयोग के पत्रों का उत्तर नहीं देते हैं। अतः अल्पसंख्यक आयोग को और अधिक कारगर और सार्थक बनाने के लिए ऐसी विशिष्ट शक्तियां दी जानी चाहिएं।

अल्पसंख्यक आयोग के संकल्प में दी गई शर्तें 1978 के संकल्प में अधिसूचित की गई शर्तों से बहुत व्यापक हैं। कार्यक्रम, नीतियां और कानून निष्क्रिय होने से वह इस देश के अल्पसंख्यकों को क्या लाभ मिल पायेगा ? अतः अल्पसंख्यक आयोग को ऐसी सभी नीतियों और कानूनों की पुनरीक्षा करने की शक्तियां दी जानी चाहिएं ताकि वह सरकार को सलाह दे सके और उपचारात्मक कदमों के सुझाव दे सकें।

जैसाकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य में जिसका कि मैं रहने वाला हूं और मैंने अनेक साम्प्रदायिक दंगे देखे हैं। साम्प्रदायिक दंगों में शामिल लोगों को स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू पास दिए थे। साम्प्रदायिक आगजनी और लूटपाट में शामिल व्यक्ति पुलिस थानों में बैठे हुए थे और पुलिस को अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दे रहे थे।

मैं एक और उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री के गृह नगर में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी अधिसूचना में लगभग 3600 फीट भूमि को अधिसूचित किया था जिस पर मसजिद बनाई गई थी। यह सरकारी अधिसूचना थी। यह वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति थी। परन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिस दिए बगैर मसजिद के आस पास के ढांचे को गिरा दिया है और इसे ....।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, यह क्या है ? वे इसका उत्तर अपने भाषण में दे सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : सभापति महोदय को इस बात का निर्णय करने दें। आप इसका फैसला कैसे कर सकते हैं ? महोदय, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। माइनोरिटीज के संदर्भ में चर्चा हो रही है तो उसी का ही उल्लेख करें। मध्य प्रदेश की सरकार ने न तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया है और न कोई डेमोलिशन करवाया है, ये गलत तथ्यों की बयानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया है ... (व्यवधान) ....

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : वह इसका उल्लेख अपने भाषण में कर सकते हैं।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह कह रहा था कि वक्फ बोर्ड की 3600 वर्ग फीट भूमि में से सरकार ने बिना नोटिस दिए ढांचे को गिरा दिया है और इसे केवल 600 वर्ग फीट तक सीमित कर दिया

है। इस संबंध में न्यायालय का विशिष्ट आदेश है जिसे मध्य प्रदेश सरकार स्वीकार नहीं कर रही है।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है।

सभापति महोदय : जब आपको बोलने का अवसर मिले उस समय आप इसका जिक्र कर सकते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किए गए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसकी राज्यवार समीक्षा की जाए क्योंकि यह इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए एक कार्यक्रम है और भारत सरकार का कार्यक्रम है। अतः मन्त्री महोदय को हरेक राज्य में इस 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए और उन राज्यों को दण्ड दिया जाना चाहिए जो इस संबंध में की गई सिफारिशों और सरकार के निर्णयों का पालन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यह प्रस्ताव किया गया था कि प्रत्येक चयन समिति में अल्पसंख्यक संप्रदायों का एक सदस्य होना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश मुझे ऐसी बहुत सी चयन समितियों की जानकारी है जिनमें अल्पसंख्यक सम्प्रदाय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग के अस्तित्व को उत्पन्न खतरे के कारण तथा विशेष रूप से राज्य में तथा उनकी सरकार में भा०ज०पा० के उपद्रवी तथा अशोभनीय व्यवहार के कारण आपको अल्पसंख्यक वर्ग संबंधी आयोग को सभी सम्भव अधिकार सौंप देने चाहिएं।

(व्यवधान) मैं श्री ई० अहमद द्वारा किए गए संशोधन का समर्थन करता हूं। विधेयक में पृष्ठ 3 की पंक्ति 26 निम्न प्रकार है :

> "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।"

इसके पश्चात् सार्वजनिक उपक्रमों और अर्ध सरकारी संस्थानों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक बैंक तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को भी अल्पसंख्यक आयोग विधेयक में शामिल करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी तथा श्री सीताराम केसरी जी को बधाई देना चाहूंगा, जो हमेशा इस देश के अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों के हितों को बढ़ावा देते रहे हैं। मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं भा० ज० पा० से अपने मित्रों को अनुरोध करूंगा कि वे अपनी साम्प्रदायिक विचारधारा को छक लें, ताकि वे निरपेक्ष हो सकें जैसाकि वे अपने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी सभा से अनुरोध करता हूं कि वे एकमत होकर इस विधेयक का समर्थन करें।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा): सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ ही मैं यह भी मांग करूंगा कि इस विधेयक में जो बहुत सारी खामियां हैं, उनको आप मजबूती से दूर करने का काम करें। पोलिटिकल विल का सवाल है।

सभापति जी, अल्पसंख्यक आयोग को लाने की आवश्यकता और पूरी पावर के साथ लाने की आवश्यकता आज क्यों पड़ी है । अभी आडवाणी जी ने सही कहा कि 1977-78 में जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी । मैं नहीं मानता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करके कोई भूल की गई थी, बल्कि एक ऐतिहासिक काम किया गया था । और उस समय आडवाणी जो मिनिस्टर थे । क्रेडिट उन्हें भी जाता है और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह क्रेडिट फिर से लें, यह अच्छा काम है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, मुझे इस बात का गर्व है कि 1977-78 की सरकार ने अच्छा काम किया था, चाहे महंगाई रोकने का सवाल हो या कोई और हो उस पीरियड में अच्छा काम हुआ । इतना ही नहीं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय मिनिस्टर थे । लेकिन राम-जन्म भूमि का मामला नहीं आया । मैं कहना चाहता हूं कि माइनरटीज का मामला यह संवैधानिक दायित्व है । इसके लिए जब मैं श्री केसरी जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और माइनरटीज के लिए संविधान में स्पेशल प्रावधान की व्यवस्था की गई है और उनके अधिकार की रक्षा की बात की गई है । संविधान की धारा 25 से 30 तक अल्पसंख्यकों के इंट्रेस्ट की रक्षा की बात की गई हैं हम तो बहुत कुछ नहीं कर पाये क्योंकि हमारी स्थिति ही कुछ ऐसी थी । आपका स्पोर्ट कम रहा या जो हमारे साथ बैठे, उनका अलग मत था । इसलिए जब हम स्पीटं करने के लिए तैयार हैं तो आप कंजूसी क्यों करते हैं ? माइनरटीज कमीशन को शेड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के अधिकार के समान पूरी तरह लैस करने का काम आप करें ।

सभापति महोदय, मैं यह बात नहीं मानता हूं माईनरटीज का सवाल माईनरटीज पर छोड़ा जाए । यदि देश का कोई अंग कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है । आज उसके सामने आत्म-रक्षा, जन-धन, सम्पत्ति पर हर प्रकार से उसके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं । जब तक देश का सिर हाथ या पैर मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश खड़ा नहीं हो सकता । न केवल बी०जे०पी० बल्कि कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि एक गलत काम किया कि सन 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद सिक्खों के प्रति जिस तरीके से कारनामे हुए, उसका आप परिणाम है कि पंजाब जल रहा है । कोई पानी की या राजधानी की पंजाब की समस्या नहीं है पंजाब ने कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने देश को आगे बढ़ाया है । वे पानी और राजधानी की समस्या को भी स्वयं हल कर सकते हैं लेकिन इन्दिरा जी की हत्या के बाद जिस तरीके से सिक्खों के मन में घाव पहुंचे, उसका नतीजा यह है कि वहां पर उग्रवाद भयानक रूप से फैला । यदि माइनोरटीज की बात करते हैं तो उसमें न केवल सिख बल्कि मुसलमान, पारसी, बुद्धिस्ट भी आते हैं । यह बात सही है कि माइनोरटीज में भी 90 प्रतिशत माइनोरटीज अकेले मुस्लिम हैं । आज पंजाब धू-धू कर जल रहा है, कश्मीर धू-धू कर जल रहा है ।

सभापति महोदय, पहली बार मेजोरिटी क्लास के लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं । कि यदि हिन्दू राष्ट्र की मांग करेंगे तो खालिस्तान की मांग को कैसे रोक पायेंगे ? धर्म के नाम पर उत्तर पूर्व में ईसाई राष्ट्र की मांग करेंगे । इसलिए आप से आग्रह करूंगा कि यह मेजोरिटी का दायित्व है कि माइनोरटीज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिख धर्म की पैदाइश कोई बहुत पहले नहीं हुई है । इसमें आपको कोई सिख ब्राह्मण नहीं मिलेगा । जितने सिख बने हैं वह सारे के सारे सिखमा तो शेड्यूल कास्ट से बने हैं या बहुत से जाट से बन गए हैं और जाट का उस जमाने में सोशल स्टेटस उसी तरीके से था जो आज शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है ।

बहुत से लोग बाबर-बाबर कहते हैं। हम भी इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। बाबर जिस समय हिन्दुस्तान आया था तो कौन राज करता था ? हिन्दुस्तान पर इब्राहिम लोदी का राज चल रहा था। उस समय मुसलमान का राज था। जितने मुसलमान हैं वे सभी बाबर के साथ नहीं आए थे। आज शेड्यूल कास्ट से कनवर्टिड मुसलमान हैं, गूज्जर से कनवर्टिड मुसलमान हैं, ब्राह्मण से कनवर्टिड मुसलमान हैं। आज भी एक तरफ मौलाना और दूसरी तरफ पंडित का टाइटल जुड़ा हुआ है। जो धर्म परिवर्तन हुआ यह आज भी हो रहा है। कुछ साल पहले मीनाक्षीपुरम में धर्म-परिवर्तन हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरठ में 300 परिवार सिख बने हैं। यह क्यों होता है सबको विदेशी पैसा तो नहीं आता है। आज हम हिन्दू की बात कहते हैं। हिन्दू की बात कहना बहुत अच्छा है, लेकिन हिन्दू का क्या मतलब है ? जिस तरीके से हिन्दूवाद खड़ा है, एक के माथे पर दूसरे का पांव खड़ा है, जब तक एक के माथे पर दूसरे का पांव खड़ा रहेगा तब तक इस देश से जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा। इसलिए रिजर्वेशन मण्डल कमीशन का कोई मुसलमान विरोध नहीं करता है, कोई सिख विरोध नहो करता है, कोई ईसाई विरोध नहीं करता है। रिजर्वेशन का, मण्डल कमीशन का विरोध अपने को हिन्दू कहने वाला ही करता है। इसलिए हमको गहराई से इस मर्ज में जाना पड़ेगा और इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि पानी को साफ करने का काम करो। गंदे नाली की सफाई करने का काम करो। यदि उसकी सफाई आपने नहीं की और सिर्फ मच्छर ही मारते रहे, तो डीडीटी छिड़कने से मच्छर तो मार सकते हो लेकिन मच्छर पैदा नहीं हो, इसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। इस लिए जो मेजोरिटी क्लास अपने को हिन्दू कहती है, हालांकि आज तक हिन्दू की डैफिनिशन पता नहीं चल पाई है, हिन्दू का मतलब वैश्य होता है, हिन्दू का मतलब क्षत्रिय होता है, हिन्दू का मतलब ब्राह्मण होता है और हिन्दू का मतलब शूद्र होता है, आज तक हिन्दू एक वेग शब्द रहा है। इसीलिए अपने भाई से प्यार करना सीखो, अपने भाई को गले से लगाना सीखो और यह मानकर चलो कि सब एक हैं।

आज अमेरिका में आंख खोलने लायक घटनाएं हुई है। एक तो वहां अमेरिकन कोई नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका में जो अल्पसंख्यक हैं वह कौन हैं ? वह हैं वहां के काले आदमी। जिनकी जनसंख्या 7 प्रतिशत है लेकिन एक काले को बन्द करके मोटर ड्राइवर को पीटा गया। पुलिस ने उसको पीटा जान से मारा नहीं। बुरी तरह से पीटा और उसकी आग लॉस एंजेल्स से लेकर न्यूयार्क तक धू-धू कर जल रही है। हमारे यहां 22 लोगों को मार दिया जाता है, चुण्डूर में कोई देखने वाला नहीं है। सबको छोड़ दिया गया कि मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। कहीं मेरठ में, कहीं पीलीभीत में, सामूहिक हत्या हो जाती हैं कह दिया जाता है एक लाइन में कि एक्सट्रीमिस्ट हैं। बिहार की बात है। वहां रोज गरीब मारे जाते थे कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। लेकिन गरीब ने जब मार दिया 40 को तो आज सब लोग आंसू बहा रहे हैं। मैं कोई इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। चूंकि आज हर पार्टी की सरकार विभिन्न राज्यों में काम कर रही है इस लिए मैं कहता हूं कि जो माइनोरिटीज का सवाल है इसे गिनती के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पहले पंजाब में हिसाब लगाते थे कि 51 प्रतिशत हिन्दू हैं, 49 प्रतिशत सिख हैं। कभी कहते थे कि 51 प्रतिशत सिख हैं और 49 प्रतिशत हिन्दू हैं। इसी गिनती में आज पंजाब जल रहा है। हमने जब जब वहां माइनोरिटीज के लोगों के हित में, उनके अधिकार में बात कही तो आपने उसको घटाने का काम किया। आज फारूख अब्दुल्ला आपके साथ में है, लेकिन जिस समय वहां फारूख अब्दुल्ला मजबूत थे, उस समय आपने उन्हें मजबूर करके, जी०एन० शाह की सरकार को बनाने का काम किया। आज यदि साउथ को छोड़ दिया जाये, पंजाब को छोड़ दिया जाए, नौर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए, तो

पूरे देश में केवल एक मुस्लिम माइनोरिटी है जो कोई ऐसा स्टेट नहीं है, जहां वे साइजेबल संख्या में नहीं हैं। आज हिन्दू मुसलमान का नारा लगाकर या माइनोरिटी मेजौरिटी के सवाल को उठाकर यदि बात हम करेंगे तो थोड़े दिन के लिए हमें वोट का लाभ जरूर मिलेगा लेकिन जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, देश की अखण्डता की बात करते हैं, आप कहीं न कहीं एक तरफ अगर देश की अखण्डता का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ उसी अखण्डता पर कुठाराघात करने का काम करते हैं, हमारा देश एक बगीचे के समान है। भारत एक बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल हैं और सब फूलों को खिलने का बराबर मौका है। यही बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बतलाता है कि इस बगीचे में हर फूल को खिलने का अधिकार है। माली वही अच्छा होता है जो हर फूल को पानी देने का काम करे। दुर्भाग्य से पिछले 47 सालों में, जो हमारे देश का माली रहा, उसने कुछ चुने हुए फूलों को ही पानी दिया और बाकी फूलों को मुरझाने के लिए गर्मी के महीने में छोड़ दिया, धूप में। आज नतीजा है कि 4-5 परसेंट फूल ही खिल रहे हैं और बाकी 95 परसेंट फूल मुरझा रहे हैं।

हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हर फूल को बराबर पानी देने का काम हम करें जिससे कि हमारे बगीचे में हर फूल को खिलने, हर फूल को महकने का मौका मिले। ये मुसलमान जिन्हें हम माइनोरिटी कहते हैं, एक समय था, जब वे इस देश में राज कर रहे थे, लेकिन आज उनका क्या हाल है, सरकारी नौकरियों में, भारत सरकार की जो सेवा है, केन्द्रीय सेवाओं में केवल दो फीसदी हैं जबकि 16 फीसदी उनकी जनसंख्या है। सिर्फ दो फीसदी उनकी सरकारी नौकरियों में संख्या है जान और माल की, कोई सुरक्षा नहीं है।

आज जहां जहां मैं जाता हूं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश—एक अकेला बिहार है जहां दो साल में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माइनोरिटी के ऊपर कहीं जुल्म या अत्याचार हुआ हो या कम्युनल रायट हुई हो—बी०जे०पी० और कांग्रेस के राज्यों में माइनोरिटीज के खिलाफ जुल्म और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं।

इसलिए नेशनल कमीशन फार माइनोरिटीज बिल को हम माइनोरिटी या मैजोरिटी के आधार पर तोलने का काम न करें। याद रखिए, इस देश में न्याय की धारा को कोई रोक नहीं सकता है। जाफर शरीफ साहब और केसरी साहब आप याद रखें गरीबों को अधिकार मिलेगा, अकलियतों को अधिकार मिलेगा। जैसा मैंने कहा है कि अमेरिका का जो मामला है, वह हमारी आंख खोलने के लिए है। आप प्रस्ताव पास करते हैं कि अमेरिका में जहां एक आदमी को पीटा गया बड़ा बुरा हुआ और यहां रोज माइनोरिटी के लोग मारे जायेंगे, शैड्यूल्ड कास्ट के लोग मारे जाते हैं बड़ा बढ़िया काम हो रहा है, यह दोहरी नीति चलने वाली नहीं है।

अंग्रेजों के सामने दो रास्ते थे—एक रास्ता था गांधी का अहिंसा का रास्ता और दूसरा रास्ता था भगत सिंह का हिंसा का रास्ता—उन्हें एक रास्ते को चुनना था कि किस रास्ते से देश को आजादी दें—या तो गांधी के रास्ते से दें या भगत सिंह के रास्ते से दें। आज भी इस देश को अकलियतों के सामने, अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड लोगों के सामने दो रास्ते हैं—एक बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का रास्ता। यदि आप संविधान के रास्ते को बन्द कर दोगे तो मैं आपको इस फ्लोर पर चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसे एक प्रैशर कुकर जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसके सेफ्टी वाल्व को थोड़ा खोल दिया जाता है। यदि अनजान आदमी सेफ्टी वाल्व को नहीं

खोलता है तो प्रैशर कुकर फट जाता है। होशियार आदमी सेफ्टी वाल्व को खोल देता है जिससे कि गर्म हवा उसमें से निकल आये। आज शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के मन में जो बेचैनी है, 52 परसेंट पिछड़ी जाति और माइनौरिटीज के मन में जो बैचेनी है, वह पानी के समान खौल रहा है। आप प्रैशर कुकर के वाल्व को थोड़ा ढीला करने के लिए इस विधेयक को यहां लाये हो। इससे बहुत बड़ी क्रांति होने वाली नहीं है, इससे अल्प संख्यकों को नौकरी नहीं मिल जायेगी, आप बजट में माइनोरिटीज के लिए कुछ करने नहीं जा रहे हो। सिर्फ कहते हैं कि कहीं घटना घटे तो जरा सी इन्क्वारी कर दें। वह इन्क्वारी भी आप करने को तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि हमसे पूछ लें, वह भी आपने प्रावधान नहीं रखा है। हमारे साथी श्री सूरज मंडल बोल रहे थे कि ए० के० 47 का रास्ता है। अहिंसा का एक रास्ता है और अहिंसा के रास्ते से बहुसंख्यक समाज को न्याय नहीं मिला तो हम जाने-अनजाने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को यहां बैठकर फेल करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खत्म होगी तो जो आपने बिहार का उदाहरण दिया, दूसरा राज्य भी बिहार किसी दिन बन आएगा तो उसके लिए आश्चर्य मत कीजिए।

मंडल कमीशन माईनौरीटीज कमीशन शैड्यूल कास्ट, शैड्यूल ट्राईब्स कमीशन यह संविधान की धारा के अनुरूप है और इसको आप कड़ाई से लागू करने का काम कीजिए।

मैं वैल्फेयर मिनिस्टर था। जब मैं पहले दिन गया तो सैक्रेटरी से पूछा कि 15 पाइंट प्रोग्राम क्या होता है। केसरी जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को मालूम नहीं था कि 15 पाइंट क्या होता है। जब मैंने कहा कि 15 पाइंट प्रोग्राम के अन्तर्गत हम ये-ये काम करेंगे तो अधिकारी कहने लगे कि कम्युनल रायट्स हो जाएंगे। हमने कहा, मैं कोई नई चीज तो नहीं कर रहा हूं, यह तो 1983 में जो 15 पाइंट प्रोग्राम है उसके मुताबिक मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। 15 पाइंट प्रोग्राम में क्या है, शैड्यूल कास्ट, शैड्यूल ट्राईब्स का क्या प्रोग्राम है, कोई भी अफसर इसको पढ़ने का काम नहीं करता है। जितना कानून बना हुआ है सिर्फ उसका कड़ाई से पालन हो जाए तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए मंत्री महोदय से तीन-चार बातें कहना चाहता हूं। पुरानी माईनोरिटी कमीशन की जगह नई माईनोरिटी कमीशन लाना चाहते हैं, यदि आप इसे कांसटीट्यूशनल स्टेटस देना चाहते हैं, आप यदि कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत पावर देना चाहते हैं, यदि आप स्टेटूटरी पावर देना चाहते हैं तो एक तरफ आप अल्पसंख्यक आयोग के विधेयक को रखें और दूसरी तरफ शैड्यूल कास्ट, शैड्यूल ट्राईब्स का हमने जो विधेयक पार्लियामेंट में पास किया था, उसको रखें। दोनों मेरे पास हैं। आप दोनों का कम्पैरीजन कर लें। इसमें जो नहीं जोड़ा है उसको जोड़ दें। मैं समझता हूं कि हमको एक शब्द भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमने जो अमेंडमेंट दिया है, उस पर विचार करें। आपने बिल में कहा है कि :

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

[अनुवाद]

"यह आयोग एक अध्यक्ष और छह: सदस्यों से, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्यता और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात, व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, मिलकर बनेगा; परन्तु अध्यक्ष को मिलाकर पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे"।

[हिन्दी]

सात व्यक्तियों का कमीशन बनेगा। छः मैम्बर रहेंगे, एक चेयरमैन रहेगा, चेयरमैन में भे आप कहते हैं कि दो व्यक्ति दूसरे रखेंगे, नान-माईनौरिटी का रखेंगे, प्रोवाईडेड दैट 5 इन्क्ल्यूडिंग चेयर पर्सन। माईनौरिटी का चेयरमैन आपने मुस्लिम को बना दिया, एक सिख रहेगा, एक ईसाई रहेगा, एक बुद्धिस्ट रहेगा, एक पारसी या क्रिश्चियन रहेगा। मतलब मुस्लिम खाली प्रिसाइड करेगा। इसलिए मैंने कहा कि

[अनुवाद]

"बशर्ते कि पांच सदस्य" को "बशर्ते चेयरमैन सहित छः सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे" में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

एक व्यक्ति रखें जो माईनौरिटी के हित की बात करने वाला हो, एक बाहर से रखें। लेकिन छः माईनौरिटी कमीशन में से रखने का काम कीजिए। हमारी तो राय थी कि एक और बढ़ाना चाहिए था लेकिन आप नहीं कर सकते हैं तो छः को रखने का काम कीजिए। खण्ड 4(3) (एफ) में इन्होंने लिखा है :

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिससे उस व्यक्ति का पद पर रहना लोकहित में अहितकर हो गया है।"

[हिन्दी]

आपने लिखा है कि यदि कोई पब्लिक ईनटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा तो उसे हटाया जाएगा। आप माईनौरिटी कमीशन का चेयरमैन बना रहे हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना रहे हैं। 85 प्रतिशत गैर-माईनौरिटी और 15 प्रतिशत माईनौरिटी है। जब भी वोट का सवाल आयेगा, 85 परसेंट कहेगा कि उसने गलत काम किया है। यहां पब्लिक इंटरेस्ट के बदले में माईनौरिटी इंटरस्ट रखिये। माईनौरिटी के इंटरस्ट के खिलाफ काम करेगा तब उसको निकाला जायेगा। पब्लिक इंटरस्ट बहुत विभेद शब्द है। हमारा पब्लिक इंटरेस्ट अलग है और दूसरे का पब्लिक इंटरस्ट अलग है। इसलिये पब्लिक इंटरस्ट के मामले को खत्म कीजिये।

[अनुवाद]

(क) "संघ और राज्यों के अधीन अल्प संख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना",

[हिन्दी]

ईवैल्यूऐट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, आप मूल्यांकन कैसे करेंगे। जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मूल्यांकन कैसे करेंगे? एडवाइज नहीं देंगे तो मूल्यांकन कैसे करेंगे? हमने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन में कहा था कि वह पार्टिसिपेट भी करेगा, एडवाइज भी देगा और मूल्यांकन करने का भी काम करेगा। आपने उसको हटा दिया है। हम आपसे

आग्रह करेंगे कि उसमें आप एडवाइज और पार्टिसिपेशन के दो शब्द जोड़िये। फिर आपने कहा है मॉनिटर-मॉनिटर कुछ नहीं होता है। आपको कह दिया जाये कि पार्लियामेंट की मॉनिटरिंग की जाये। हाऊस में बैठने नहीं दिया जायेगा तो मॉनिटर कैसे करेंगे। इसलिये मॉनिटर की जगह इनवैस्टिगेशन का शब्द दीजिए।

[अनुवाद]

"संविधान में सुरक्षा के प्रावधान के कार्यकरण की जांच तथा मॉनिटरिंग करना।"

[हिन्दी]

यह मॉनिटरिंग नहीं इनवैस्टिगेशन करने का काम करेगा। फिर आपने लिखा है "विशिष्ट शिकायतों पर गौर करें।" इससे क्या मतलब है? हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है और आपकी भी अच्छी अंग्रेजी नहीं है लेकिन उनकी बहुत अच्छी है यह मैं मानता हूं। "लूक इनटू" के बदले में आप 'इन्क्वायर' रखिये। यह जो शब्दों में मिनिस्ट्री की मार चलती है इसके हम भी भुक्तभोगी हैं। इसलिए मै कहता हूं कि अपनी भाषा में लिखो जो कम से कम हम सभी के दिमाग में आ सके। "इनक्वायर" और "लूक इनटू" में कितना अन्तर है, ?"मॉनिटर" और "इनवैस्टिगेशन" में कितना अन्तर है, "इवैल्यूयेट" और "पार्टिसिपेट" में कितना अन्तर है? दोनों शब्दों की कोई तुलना नहीं है। इसलिये शब्दों के नुक्तों के फेर में जो खुदा को जुदा कर दिया है, उसको जुदा करने का आप काम मत कीजिये।

आगे 9(2) में दिया हुआ है कि :

[अनुवाद]

"केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सभी सिफारिशों को रखवाएगी।"

[हिन्दी]

सब सैक्शन (1) क्लॉज (सी) को ही सिर्फ पार्लियामेंट में रखा जाएगा। आप क्लॉज (सी) को खत्म कीजिये। एक नम्बर क्लॉज में जितनी बार "ए" से लेकर "एफ" तक कही गई है, यह सारी की सारी पार्लियामेंट के पटल पर रखी जाये। आपने लिख दिया है कि सब सैक्शन (1) क्लॉज (सी) को ही सिर्फ संसद में रखा जायेगा। इससे इसके कोई मायने नहीं होंगे और वह भीतर ही भीतर खत्म हो जायेगा। आप "सी" शब्द को डिलीट कीजिये।

इसी तरह आपने लिखा है।

[अनुवाद]

(4) "आयोग को उपधारा (1) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (च) में वर्णित कृत्यों में सिविल न्यायालय को सभी शक्तियां होंगी"।

[हिन्दी]

'ए', 'बी' और 'डी' लिखने की क्या जरूरत है? आम लिखिए।

[अनुवाद]

"आयोग को उपधारा (1) में वर्णित कृत्यों में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।"

[हिन्दी]

"ए", "बी" और "डी" का क्या मतलब हुआ? मंत्री जी आप तो सीधे-सादे आदमी हैं। कोई आपको उल्टा-पुल्टा समझा देते हैं और आप उनके चक्कर में आ जाते हैं। जब हम मंडल कमीशन लागू कर रहे थे तो हम को 3–3 सैक्रेटरी बदलने पड़ गये थे। हमें इस बात की खुशी है कि हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट श्री पी०एस० कृष्णन से लागू करवाया, वह ब्राह्मण थे। हमें इस बात का गर्व है कि वह वन ऑफ दी बैस्ट सैक्रेटरी माने जाते हैं। इसी प्रकार शंकरन ब्राह्मण हैं और वह भी वन आफ दी बैस्ट सैक्रेटरी माने जाते हैं। हम किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। जो आदमी गरीब का काम करेगा वह गरीबों का देवता बनेगा।

यह शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का कमीशन है जो एज अमेंडिड बाय पार्लियामेंट है

संसद द्वारा यथा संशोधित।

इसमें एक लाइन लिखी हुई है:

[अनुवाद]

"अनुसूचित जाति व जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उस पर सलाह लेना तथा संघ तथा प्रदेशों में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।"

[हिन्दी]

आप उस जगह शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स हटाकर माइनोरिटीज रख दीजिए कि माईनोरिटीज का जितना भी प्लानिंग बनेगा, जितना भी सोशियो इकोनोमिक डैवलपमेंट का प्रोग्राम बनेगा, उन सारे प्रोग्राम्स में कमीशन की राय ली जायेगी, उसको पार्टीसिपेट किया जायेगा। चाहे उसकी राय को आप मानें या नहीं मानें लेकिन उससे राय ली जायेगी।

यह चार पांच मेजर चीजें हैं। जिस पर जरूर जोर देंगे और आप नहीं मानेंगे तो वोट करायेंगे। केसरी जी की नीयत पर हम कोई डाउट नहीं करते हैं, केसरी जी ऐसे मंत्री हैं कि जो उनके दिमाग में घुस जाता है, दिमाग में नहीं आये तो अलग बात है लेकिन जब दिमाग में आ जाता है तो फिर वह कर देते हैं। यदि इसमें हमारे सहयोग की और आवश्यकता पड़ी तो हम देने को तैयार हैं आप इतनी चीज आप मान लीजिए और माईनोरिटीज कमीशन को पूरा अधिकार दे दीजिए। आडवाणी जी नहीं हैं, अटल जी उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आपने 1978 में माइनोरिटीज कमीशन को इसी सदन में सपोर्ट किया था। उस समय सरकार का वायदा था कि हम इसको स्टेचुटरी पावर देन का काम करेंगे। 1990 में हमारी सरकार थी, हमारे साथ में बी०जे०पी० के लोग थे, लाचारी थी, हम उसको नहीं कर पाये लेकिन आज आपको मौका मिला है, हम आपको पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं। पूरी पावर के साथ इस माइनोरिटीज कमीशन को पारित करवाने

का काम कीजिए और इतिहास का एक नया अध्याय शुरू कीजिए । मैं नहीं समझता हूं कि माइनोरिटीज के लिए इससे कोई स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा लेकिन माइनोरिटीज के मन में एक विश्वास का वातावरण पैदा होगा और जब वह विश्वास पैदा होगा तो वह देश को मजबूत करने का काम करेगा, देश को शक्तिशाली बनाने का काम करेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमने जो संशोधन दिये हैं, उनको आप मानने का काम करेंगे ।

बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति जी, कि आपने इतना समय दिया ।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : सभापति महोदय, आरम्भ में ही मैं अपना शोक प्रकट करना चाहता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी यहां हमारे बीच में मौजूद नही हैं इसलिए कि जिन मीठे-मीठे शब्दों के साथ उन्होंने अपने ख्यालात यहां व्यक्त किये, उसी ढंग से मीठे-मीठे शब्दों में मैं उनको जवाब देना चाहता था मगर मैं उम्मीद यह रख रहा हूं कि क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता होने की वजह से उनके कमरे में एक लाउड स्पीकर लगा है इसलिए मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही होगी और यदि वे मेरी आवाज सुन रहे हों तो वह थोड़ी जेहमत करें और यहां तशरीफ ले आयें, क्योंकि, मुझे लगता है कि उनको जवाब देना बहुत ही जरूरी है और उन्हीं मीठे-मीठे शब्दों में, उसी ढंग से जिस ढंग से उन्होंने आज यहां अपनी बात बताई है ।

मगर मुझे यह कहने की भी जरूरत है कि जब वह बोलने लगे तो उस वक्त मैं सदन में नहीं था तो मैं नहीं जानता हूं कि · · · · ·

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : जब माननीय सदस्य ने सुना ही नहीं तो उनका जवाब क्या देंगे ?

श्री मणि शंकर अय्यर : सभापति महोदय, मैंने कहा कि जब आडवाणी जी ने अपना भाषण शुरू किया था तब जैसे वह मेरा भाषण शुरू करने पर यहां मौजूद नहीं हैं, वैसे ही मैं उनकी बात शुरू करने पर मौजूद नहीं था मगर जरा सब्र करें, मैं भी हिन्दू हूं और मैं भी गर्व से कहता हूं कि मैं हिन्दू हूं । मगर जब वे बोल रहे थे तब मैं यहां आया और कम से कम कोई आधा घण्टा, पौना घण्टा उनकी बातों को मैंने सुना तो मैं केवल उन विषयों का जवाब दे सकता हूं, जिनके बारे में मेरी जानकारी है । यदि कुछ छूट गया हो तो मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे जो मित्र वहां पगड़ी पहने हुए हैं और जो इतने नाराज हो रहे हैं, वह मुझे बता दें, स्पष्टीकरण दे दें । उसका भी मैं जवाब देने को तैयार हूं । जब मैं यहां सदन में पहुंचा, तो आडवाणी जी बता रहे थे कि जब संविधान पर चर्चा हो रही थी इस सदन में, इस सदन में नहीं मगर कान्स्टीचुयेंट एसेंबली में, तब सरदार पटेल ने एक मत हमारे सामने रखा कि हमें अकलियत और अकसरीयत के बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, आज आधुनिक हिन्दुस्तान में और आधुनिक भारत में रफ्ता-रफ्ता हम इसको भूल जायें कि कोई धार्मिक लिहाज से अकलियत से जुड़ा हो या अकसरीयत से जुड़ा हो । साथ ही साथ उन्होंने हमें यहां यह बताया कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जबकि उसी डिबेट में भाग ले रहे थे, तब उन्होंने भी यही मत हमारे सामने रखा, अकसरीयत और अकलियत

की बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहेगी और हम भारत वर्ष को एक ऐसा रूप दे पायेंगे, जहां पर हर नागरिक अपने बारे में सबसे प्रथम भारतीय समझे और किसी और नागरिक को देखते वक्त केवल उसकी भारतीय हैसियत को अपने मन में रखे। यह सब मैं मानने को तैयार हूं और मेरी उम्मीद भी यही है कि आने वाले दिनों में हम भी थोड़ा बहुत इसको भूल जायें या एक ऐसा रूप रख पायें कि हम कौन से मजहब से जुड़े हुए हैं या कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं। मगर यह कहते कहते मुझको लगता है कि यह बहुत ही जरूरी है, जब कि आडवाणी जी कहते हैं कि अकलियत का कोई भी जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। यह जो गलतफहमी है, इसको हम थोड़ा सही करवायें। सबसे पहले धारा–30 में माइनोरिटीज का शब्द उपयोग किया गया है। यही नहीं कि संविधान के बनाने वालों ने सोचा ही नहीं था कि कोई अकलियत है इस देश में। उन्होंने खास जिक्र किया कि मजहब के लिहाज से और भाषा के लिहाज से अकलियत जैसी एक चीज है। इसलिए धारा–30 में उन्होंने इसका खास तौर पर जिक्र किया था, मगर साथ ही साथ जहां उन्होंने अकलियत और अकसरीयत का जिक्र नहीं किया था, धर्म का उन्होंने जरूर जिक्र किया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न मजहब हैं। आप प्रिएम्बल में देखिए, वहां कहा जाता है कि धर्म के लिहाज पर उस को आजादी होगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि सफेद बालों के लिए होगा और काले बालों के लिए नहीं होगा। दोनों के लिए है। फिर वे क्यों यहां धर्म का नाम लाए? क्योंकि उनके मन में शंका थी कि हो सकता है कोई सरकार या हमारे समाज का कोई एक वर्ग, किसी और के खिलाफ कुछ कार्यवाही करने का प्रयास करे, धर्म के आधार पर। इसलिए जब उन्होंने आजादी की बात कही, लिबरटी की बात कही, तो प्रिएम्बल में जब उन्होंने रिलीजन का जिक्र किया, धर्म का जिक्र किया, वैसे ही यदि हम संविधान को देखें, तो उसमें धर्म का जिक्र है। धारा–15 में, धारा–16 में, धारा–25 में, धारा–26 में, धारा–27 में, धारा–28 में, धारा–29 में और जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि धारा–30 में भी है। अब आप देखेंगे कि 15 से लेकर धारा–30 में, हमारे संविधान में जहां फण्डामेंटल राइट्स की बात होती ई, तो इसके मायने यही निकले कि जो संविधान को लिख रहे थे, उनके मन में थोड़ा सा शक था कि हो सकता है कि धर्म के आधार पर हमारे जो हक हैं, हमारे अकलियत के जो हित हैं, उन पर किसी-न-किसी तरह की चोट पहुंच सकती है। यह शक उनके मन में क्यों था? उन्होंने कहा कि भारत राज्य, मतलब स्टेट आफ इंडिया, उसका सबसे प्रथम कर्तव्य यह है कि धर्म के आधार पर, किसी किस्म का डिटरमिनेशय न हो और किसी किस्म की तकलीफ किसी को न पहुंचे, हमारे भारतीय नागरिकों को धर्म के आधार पर। अफसोस की बात यह है कि जो कल्पना उस जमाने में थी हमारे मन में, हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं यह हकीकत है, आडवाणी जी भी मानते हैं, मैं भी मानता हू। उनका कहना है कि यह हमारे देश दल का दोष है, लेकिन हमारा कहना है कि नहीं। यह एक बहुत गहरी सामाजिक समस्या है हमको इसको समझना चाहिए और यदि हम समझें और सहानुभति के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उन भारतीय नागरिकों की तरफ देखें, जिनके मन में कुछ आशंका है, हम पर कुछ चोट पहुंचाई जाएगी कि हमारे खिलाफ कुछ कार्यवाही की जाएगी। हम उनको पूरा आश्वासन दें कि भैया, जितना मैं भारत का नागरिक हूं उतना ही तुम हो, जितना तुम हो उतना ही मैं। अब जब कि हम इस काम को करने लगते हैं, यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से सब हमें बताया जाता है कि क्योंकि हम सहानुभूति के साथ अकलियतों की तरफ देखते हैं कि ये एक सूडो सैक्युलरिज्म है, हमारी केवल एक ही दिलचस्पी है वह यह कि उनके वोट हम शामिल करें और यदि उनके हाथ में वोट न होता तब हमारे दिल में उनके प्रति कोई सहानुभूति न होती।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह सच नहीं है, यह सत्य नहीं है क्योंकि जब कि हम स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे, हमारी पार्टी कर रही थी तब हमारे सामने एक बहुत अहम प्रश्न उठा, कुछ लोग थे जो कि मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो, उन लोगों को 1937 में जब कि सैपरेट इलेक्टोरेट्स थे, कुल मिलाकर 4.3 प्रतिशत वोट ही मिले। मुसलमानों के वोट थे। मगर आगे जा कर जबकि हमारे सारे नेता जेल में भरे हुए थे, जब कि हम कह रहे थे कि भारत छोड़ो और हम सब जेल में बैठे थे तब पहले 1940 के पश्चात् मुस्लिम लीग आगे बढ़ती गई और हम एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में पहुंचे, सन् 45 के पश्चात् जब कि हमें इस मांग का सामना करना पड़ा। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि उस युद्ध को हम हार डाले, हो सकता है यदि 1947 में हम तैयार होते और एक, दो, तीन साल गुलाम रहने को, तो हो सकता है कि एक अखण्ड भारत आता, लेकिन हकीकत यह है कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना और हमारे सामने यह विकल्प था कि हम कहें कि चलिए धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, तो इसलिए धर्म के आधार पर हम हिन्दुस्तान को भी कायम करेंगे। मगर हमने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा और यहां एक कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने जिस आधार पर पाकिस्तान बना है वह एक ऐतिहासिक हकीकत है जिसको हम स्वीकार करते हैं मगर उनको एक उदाहरण समझ कर जो रास्ता पाकिस्तान ने हमें दिखाया है उस रास्ते पर हम निकलने को तैयार नहीं हैं और इसलिए अपने को हमने एक सेक्युलर स्टेट पर लाया और क्योंकि हमने अपने को एक सेक्युलर स्टेट बताया, हमारे जो महान नेता थे, महात्मा गांधी वे शहीद हो गए, जब कि वे शहीद हुए जिन्होंने उनको गोली मारी उनका नाम था नाथू राम गोडसे और वे एक अखबार में काम कर रहे थे जिस अखबार का नाम था—हिन्दू राष्ट्र और महात्मा गांधी के मरने के पहले, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी, 1948 को, लेकिन 19 जनवरी, 1948 को एक प्रयास किया गया उनको मारने का, मदन लाल पाहवा ने किया और उसी हिन्दू राष्ट्र अखबार में यह कहा गया था कि इनकी हत्या करने का प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई है। हिन्दू राष्ट्र शब्द उस नाथू राम गोडसे से जुड़ा हुआ है और तब से लेकर सन् 48 से लेकर आज तक भारतवर्ष की सबसे अहम समस्या, भारतवर्ष के भविष्य के बारे में सबसे अमूल्य प्रश्न जो है वह यह है कि हम एक हिन्दू राष्ट्र बनेंगे या कि हम एक सेक्युलर स्टेट बनें। अब इस सवाल का जवाब देने का अब तक हमने डेफिनेटिवली इसका जवाब नहीं दिया है क्योंकि कभी-कभी लगता है कि जो लोग हिन्दू राष्ट्र के पक्ष में हैं उनको कुछ सहमति मिलती है, कभी-कभी उनको वोट मिलते हैं, दो सीट मिलती है, यहां लोकसभा में और कभी-कभी 119 मिल जाती हैं। और यह केवल भारतीय जनता पार्टी की समस्या नहीं है, यह हमारी अंदरूनी समस्या भी है मेरे दल में भी है। मुझे पता है कि सन् 1950 से लेकर सन् 1951 तक कांग्रेस दल के भीतर ही पंडित जवाहर लाल नेहरु और श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच में किस हद तक एक लड़ाई सी चली कि किस हैसियत से हम इस भारत वर्ष को देखें और पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने कहा कि क्योंकि दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जहां जिस धर्म का बहुमत है वहां उसका नाम लेकर चलते हैं। इंग्लैंड अपने को प्रोटेस्टेंट देश कहलवाता है, फ्रांस अपने को कैथोलिक देश कहलवाता है और पाकिस्तान तो पहले से ही अपने को इस्लामिक देश कहलवाता है, तो हम क्यों न अपने को हिन्दू देश बतलाएं। यह हमारी भी अंदरूनी समस्या रही है कांग्रेस दल में भी और आपके और हमारे बीच में भी रही है और रहेगी, जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता तब तक अकलियतों को सोचना पड़ेगा कि वे उनके साथ जाना चाहते हैं जो कि इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं जो कि इस देश को सेकुलर देश बनाना चाहते हैं। यह जो फिक्र है यह मेरे मन में नहीं है क्योंकि मैं तो गर्व से कहता हूं कि

मैं हिन्दू हूं। मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरे मजहब के साथी इस देश के 85 प्रतिशत लोग हैं। जब मैं मुसलमान भाईयों को देखता हूं, खास तौर से मुसलमान भाईयों का जिक्र कर रहा हूं, जब उनसे बात करता हूं और मेरे मुसलमान दोस्त हैं जो कि मेरे साथ भारत की प्रथम सेवा में थे, श्री शाहबुद्दीन साहब, मेरे सबसे पहले बास थे। जब मैं शाहबुद्दीन जी की बात को सुनता हूं जो कि हमारे देश भारत में पैदा हुए थे, जिनके पास यह विकल्प था कि हिन्दुस्तान छोड़ कर पाकिस्तान चले जाएं, मगर वे नहीं गए। यहां पर एक इम्तहान में वे पहली दूसरी पदवी पाकर भारत की विदेश सेवा में आए और मेरे साथ उन्होंने काम किया। जब वे 40–45 साल के थे, तब इस्तीफा देकर यहां पार्लियामेंट में आए और अब 13 साल से पार्लियामेंट के महान सदस्य हैं, लेकिन इसके पश्चात् उनके मन में एक शक है कि मेरे भाई जो उस तरफ बैठते हैं, क्या वाकयी मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं। मुझ को लगता है कि उनके मन में जो प्रश्न है, उसका जवाब देना मेरी मजबूरी है। यदि मैं उनसे यह कह सकता हूं कि शाहबुद्दीन भाई यह हिन्दू चीज जो है, यह कोई धर्म नहीं है, इसे आप अपना लीजिए और आप हिन्दू मुसलमान हो जाइए। यदि इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया तो मैं खुश हूं, लेकिन यदि इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया तब क्या मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका खण्डन करूं और कहूं कि शाहबुद्दीन हिन्दुस्तानी नहीं हैं—नहीं, मुझ को पता करवाना चाहिए कि इनके मन में है क्या। जब भी मैं शाहबुद्दीन साहब की तरफ देखता हूं, कहता हूं कि आप एक इंडियन मुसलमान हैं, वे हां कहते हैं, जब मैं कहता हूं कि क्या आप मुस्लिम इंडियन हैं, तब भी वे हां कहते हैं, यह एक छोटी सी बात है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। जब भी मैं कहता हूं कि आप भारतीय मुसलमान हैं, वे बड़े गर्व से कहते हैं, हां। पाकिस्तान के आक्रमण के समय शाहबुद्दीन जी ने हिन्दुओं को पिस्तौल लेकर मारना शुरू नहीं किया था या वे पहले से लाल किले पर इस्लामी झंडा लहराता हुआ देखने के लिए नहीं पहुंच गए थे, मगर वे कहते हैं कि मैं इंडियन मुसलमान हूं, मैं भारतीय मुसलमान हूं, मगर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं एक हिन्दू मुसलमान हूं। और कौन कहता है, कौन उनसे यह सवाल कर रहा है। (व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिए, मैंने बड़े शान से आपके लीडर की बात सुनी है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्योंकि यह भारत के अस्तित्व का सवाल है, इसलिए जरा सुनत रहिए।

आडवाणी जी ने हमसे कहा कि अक्लियत-अक्सरियत, इन शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं है, मगर वे ही जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, तब उन्होंने बार-बार इंटरव्यूज में यह बताया था कि वे क्रिश्चयन जो भारतवर्ष के नागरिक हैं, क्रिश्चयन मजहब से जुड़े हुए हैं, उनको अपने को एक हिन्दू क्रिश्चयन समझना चाहिए।

मुसलमान हों तो अपने को हिन्दू-मुसलमान समझना चाहिए, सिख हों तो अपने को हिन्दू-सिख समझना चाहिए। वे इस समय यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे किसी न किसी दिन इसका जवाब देंगे। जब वे हिन्दू को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम हिन्दू हो। अचानक जब हिन्दू का सवाल होता है तब यह सवाल एक धर्म और राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है। जब अकलियतों का सवाल है तब वे कहते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं कि आपने इस देश की नागरिकता स्वीकार कर ली है। वे कहते हैं कि सांस्कृतिक लिहाज से आपको अपने को हिन्दू-मुसलमान समझना चाहिए। मैं कहता हूं कि जब हमारे संविधान में इंडिया और भारत का जिक्र है और हिन्दू का जिक्र नहीं है, मैं उन पर क्यों दोष लगाऊं। क्यों आरोप लगाऊं श्री इब्राहिम सुलेमान सेट पर कि वे केवल इंडियन मुस्लिम

समझते हैं या अपने को भारतीय मुसलमान समझते हैं और अपने को हिन्दू मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब वे चाहते हैं तब वे कहते हैं कि हिन्दू शब्द कोई मान्य नहीं है। जब वे चाहते हैं तो तब खास मायने देते हैं कि हिन्दू शब्द जब शुरू हुआ जब बादशाह सिकन्दर सिंधु नदी पर पहुंचा तो उसने फारसी तर्जुमा करने वाले से पूछा कि नदी का नाम क्या है। क्यों पूछा क्योंकि वे "स" नहीं कह पाते थे। तो उसने हिन्दू नदी कहा। फिर इन्होंने कहा कि सिंधु नदी के इस ओर जो रह रहे हैं वे हिन्दू हैं और वही हिन्दुस्तान है। मैं मानने को तैयार हूं। इस मायने में भी हम शब्द को देख सकते हैं। संविधान में हमने हिन्दुस्तान का जिक्र नहीं किया। हमने कहा कि हमारे देश का अंग्रेजी नाम इंडिया है और हिन्दी में उसका नाम भारतीय है, यह नहीं कहा कि हिन्दुस्तान है। हमने कहा कि यह भारत है, इंडिया है। इस शब्द को स्वीकार करने के लिए भारतवर्ष के हर मुसलमान नागरिक तैयार हैं। जब कि वे संविधान में जो लिखा है, उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। जो हमारे मित्र हैं, हमारे नेता हैं, जिनको मैं इतना सम्मान देता हूं तो आडवाणी जी क्यों मजबूर करते हैं कि घर-घर जाकर कहो कि हम हिन्दू हैं। यदि हम मारीशस गए और मारीशस में बहुत से हिन्दू लोग हैं तो हम उनसे क्या कहें कि अपने को मारीशियन हिन्दू कहने की जरूरत नहीं है। आप नेपाल जायेंगे तो क्या आप यह कहेंगे कि नेपाली शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, आप हिन्दू हो। कोई नेपाली इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होगा क्या। हम जानते हैं कि यह शब्द हिन्दू जो है, जैसा भी शुरू हुआ जाते-जाते इसका मतलब एक धर्म के साथ मिलजुल चुका है। वही लोग कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिन्दू हैं, इस सदन में आकर कहते हैं कि हिन्दू का मतलब हमें पता नहीं है। हिन्दू शब्द उस धर्म का नाम है, उस धर्म के मानने वालों का नाम है जिनको दूसरे लिहाज से हम सनातनी धर्म कहते हैं और हम एक दूसरे को पहचानते हैं। मैं जानता हूं कि मेरा नाम मणि शंकर अय्यर है, मैं नास्तिक हो सकता हूं या हिन्दू हो सकता हूं लेकिन मुसलमान या क्रिश्चयन नहीं हो सकता हूं। मुझे मालूम है कि श्री गुमान मल लोढा वहां पर बैठते हैं और मुझे मालूम है कि इनका संबंध मुसलमान, क्रिश्चियन या सनातनी धर्म से है। यदि मैंने उनसे कहा कि तुम हिन्दू हो और वे यह नहीं कहेंगे कि मैं हिन्दू नहीं हूं। वे जानते हैं यह शब्द हिन्दू धर्म से जुड़ा हुआ है और सैक्यूलरीज्म का मतलब यह है कि हिन्दू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, नास्तिक हो या एगनास्टिक हो। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो वही मेरे लिए काफी है। मगर वे यह कहेंगे मानो हिन्दू राष्ट्र है पहले मानो भारत की संस्कृति है, केवल हिन्दू संस्कृति है, पहले यह मानो कि सिंधु नदी के इस पार जो रहते हैं वे हिन्दू हैं, जब इस तरह की बात की जाती है तब हमारे अकलियतों के मन में एक बात आती है।

5.00 म०प०

यदि मैंने नमाज पढ़ी तो मैं हिन्दुस्तान में हूं या नहीं, यदि मैंने बाइबल पढ़ी तो मैं भारत का नागरिक हूं या नहीं। यदि मैं नहीं हूं तो मेरी यह जमीन है, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। साथ-साथ मैं यह मानता हूं कि आडवाणी जी बहुत ध्यान से बोलते हैं, बड़े-मीठे शब्दों में बोलते हैं और केवल अपने भाषण में उन्होंने हिन्दू मुस्लिम, हिन्दू क्रिश्चियन का जिक्र किया है। लेकिन जिनके साथ वह रहते हैं, उनके साथ भी सोचना पड़ेगा, अंग्रेजी में कहते हैं :

[अनुवाद]

"व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है।"

[हिन्दी]

जब कि उनके सबसे बड़े दोस्त, उनके लंगोटिया वही हैं जो उठकर कहते हैं हम मन्दिर वहीं बनायेंगे, क्यों कहें मंदिर वहीं बनायेंगे, वहीं क्यों, इससे एकदम लड़ाई शुरू हो जाती है और इन्हीं के साथ* बाबर की औलाद का जिक्र करती हैं। उमा भारती जी यहां नहीं हैं, व यहां होनी चाहिएं थीं, उनके साथ बात करने में हमें बड़ी दिलचस्पी होती है। जबकि मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आर०एस०एस० के नारे निकलते हैं, बी०जे०पी० ने कभी उसका खण्डन किया है? मैं मानता हूं कि उन्होंने अपनाया नहीं। कोई विश्वास के साथ नहीं अपनाया या कोई राजनैतिक चातुर्य है। मैंने उनसे पूछा कि सन् 1986 तक क्या भगवान राम यहां पैदा नहीं हुए थे, क्या उससे पहले राम जन्म भूमि नहीं थी, क्या उसी रामजन्मभूमि पर बाबर के मीर बकी ने आकर बुर्ज नहीं बनाया। बी०जे०पी० ने 1986 तक बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया। अब कहते हैं, उस समय जब हमने प्लेसेज आफ वर्शिप बिल प्रस्तुत किया था और उस पर चर्चा हो रही थी, उस दिन उन्होंने कहा कि जिस दिन से हमनें शाहबानो केस में ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं अभी बोलना बन्द नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : लेकिन, वह व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कह रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : महोदय, क्या सभा राम जन्मभूमि मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है? इस मुद्दे को इस चर्चा के बीच में क्यों लाया गया है?

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न शामिल नहीं है। श्री अय्यर, आगे बोलिए।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं कह रहा था कि आडवाणी जी ने दो बार हमें इस सदन में बताया है कि शाहबानो केस के सिलसिले में .. (व्यवधान) .. वह इतने खफा हो गये कि हम एक बेचारी मुसलमान औरत को सही किस्म की सुरक्षा नहीं दे रहे थे इसलिए उन्होंने इस मामले को उठाया (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अय्यर, कृपया एक सैकेंड के लिए बैठ जाइए। आपने अपने वक्तव्य में कुमारी उमा भारती के नाम का हवाला दिया है। आप उनके नाम का हवाला दे सकते हैं। लेकिन दूसरे नाम को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, इसमें क्या है ? इसमें कोई गलत बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं आपका निर्णय मानता हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस सभा के सदस्य के नाम का हवाला दे सकते हैं, चाहे वह उपस्थित हो या अनुपस्थित हो ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री बंसल, क्या आप मुझे बोलने नहीं देंगे ? इस बात को दृष्टि में न रखते हुए कि इस सभा का सदस्य यहां उपस्थित है अथवा अनुपस्थित, आप उस सदस्य के नाम का हवाला दे सकते हैं और वह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जा सकता है । लेकिन उस व्यक्ति का नाम कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा सकता, जो कि इस सभा का सदस्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, उन्होंने किसी पर कोई कलंक नहीं लगाया है । उन्होंने दो नामों का उल्लेख किया है जो कि तीव्र साम्प्रदायिकता के प्रतीक हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस बात को ध्यान में रखे बिना कि क्या उन्होंने कोई कलंक लगाया है अथवा नहीं, उस व्यक्ति का नाम कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा सकता, जो कि इस सभा का सदस्य नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि सन् 1986 में जबकि शाहबानो के केस के सिलसिले में वोमन पर्सोनल लॉ यहां पास किया गया था, उसके बाद हमारे बी०जे०पी० के भाई इतने खफा हो गये कि उन्होंने इस विषय को उठाया · · · · ·

एक माननीय सदस्य : एक मुस्लिम महिला की बेइज्जती कराई है, आपने महिला विरोधी काम किया है । शाहबानो के मामले में बात कहना आपके मुंह से शोभा नहीं देता है · · · · · · · ·
(व्यवधान)

सभापति महोदय : मि० जोशी, जब आपका चांस आएगा तो आप बोलियेगा, खड़कर बोलियेगा । अगर कोई आब्जेक्शनेबल बात होगी तो उसको देखा जाएगा · · · · ·

श्री मणि शंकर अय्यर : सर, माफ कीजिए, काफी इंटरप्शन हो गया, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी बात खत्म करूं ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, श्री इन्द्रजीत को कुछ कहने की जरूरत नहीं है · · · जबकि श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बताया कि

शाहबानो के सिलसिले में यह जो कार्रवाई हुई है, उससे खफा होकर उन्होंने इस विषय को उठाया तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि शाहबानो को बचाने के लिए उनकी मस्जिद को तोड़ना ठीक है ? आखिर शाहबानो की दो दिन पहले और पिछले हफ्ते मृत्यु हुई थी । मृत्यु के समय शाहबानो मुसलमान थीं । वह अल्ला-ताला की प्रार्थना करती थीं, वह मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थीं, उनका कहना था कि एक बाबरी मस्जिद है जो वाकई मस्जिद है । अब मेरी समझ में नहीं आता कि मुसलमान औरत को सुरक्षा देने के लिए आप मुसलमान औरत की मजहबी जगह को जाकर तोड़ें । इन सब चीजों को कहने की जरूरत यह है कि····(व्यवधान)····

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मि० अय्यर, आपकी हाईट ऊंची थी लेकिन जो आप बोल रहे हैं, उससे बौने हो गए हैं ।·······(व्यवधान)····

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि बी०जे०पी० की नजर में कम हो गया हूं तो फख्र के साथ कहता हूं कि कम हो गया हूं और आपकी तारीफ की कोई जरूरत नहीं हैं । अब यह साफ हो गया है कि जबकि अखीलियतों का जिक्र करें, एकदम केसरी लहर उभर कर आती है । कौन है वह दल जिसने साधू-सन्तों और साध्वियों को भी साथ-साथ इस सदन में लाये हैं । समझ में नहीं आता है इनको देखकर कि यह सदन है या आश्रम है ? सब धर्म के नाम पर चल रहा है । मैं एक साल से देख रहा हूं कि जब भी श्री शाहाबुद्दीन, श्री सुलेमान सेट या श्री अहमद यहां उठते हैं तो एक दम यहां केसरी लहर उभर आती है····चुप करो····चुप करो···· इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो पंडित जी और पटेल जी की कल्पना थी, कि हम धर्म को भूलकर अपनी राजनीति को चलायें, अपने राज्य को चलायें, अपनी सरकार को चलायें, अपनी हुकूमत को चलायें तो वह कल्पना ही कल्पना रह गयी है । हमारे इसी सदन में कम से कम 119 सदस्य ऐसे हैं जो धर्म के सिवाय और कोई आधार नहीं मानते हैं जब तक हमने इस दल को खत्म नहीं किया, हमें अखलियतों से सावधान रहना पड़ेगा और जब तक यहां बैठे रहे और इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तब तक बड़ी जरूरत है कि इनसे सावधान रहने की जरूरत है । हम एक जिम्मेदार पार्टी, जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार हुकूमत के नाते कहें कि भाईयों, आप भय से न मरो । हम हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए और हम कौन हैं, हम भारत के हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, हम भारत के सिक्ख हैं, हम भारत के नास्तिक हैं और हर भारतीय नागरिक सरकार को चलायेगा और वे जो गली-गली जाकर इन गलतफहमियों को फैला रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं क्रिकेट में जीत गया तो सब मुसलमान पटाखा उठा रहे हैं····जहां इस किस्म की गन्दी बात हो रही है·······(व्यवधान) सभापति जी, मैं धर्म के बारे में बात कर रहा था, पता नहीं वहां के लोगों को लग रहा है कि कोई जज्बाती बात हो रही है । मैं केवल इस हकीकत पर इस सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हमारे देश में विभिन्न धर्म हैं और 85% हमारी आबादी एक धर्म को मानती है और बाकी जो अकलियत है 15% की, यह विभिन्न धर्मों को मानती है जिसमें से सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों की है और इस अकलियत के भी हक हैं और हित हैं । हक और हित दोनों हमारे संविधान में दिए गए हैं और जैसाकि महिलाओं को यह हक और हित हमारे संविधान में होने के बावजूद प्राप्त नहीं हो रहे हैं और इसलिए हमने एक नेशनल कमीशन फॉर विमैन को कायम किया है और जैसे कि हमारी अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए हक और हित इस संविधान में दिए गए हैं मगर मुकम्मल तौर पर स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, उसी लिहाज से मैं उनसे कह रहा हूं जिन्होंने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर विमैन होना चाहिए और जिन्होंने कहा कि एक नेशनल कमीशन फॉर

शेड्यूल कास्ट्स एंड ट्राइब्स होना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह जो विधेयक है जिसके अनुसार एक बहुत बड़ा काम, सबसे बड़ा काम बी०जे०पी ने अपनी जिन्दगी में किया कि माइनोरिटीज कमीशन को स्थापित किया, उसको आज हम एक लीगल रूप दें और स्टेटुटरी रोल दें। क्योंकि यदि हमने यह किया तो हो सकता है कि जो एक नेक चीज बी०जे०पी० वालों ने की है, उसको मुकम्मल तौर पर हम कायम कर सकते हैं।

सभापति जी, अंत में मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिन्दू हूं, मगर बहुत अफसोस से यह कहता हूं कि ये लोग भी हिन्दू हैं।

सभापति महोदय : श्रीमती सुशीला गोपालन।····(**व्यवधान**)····

सभापति महोदय : मैं जोशी जी और सब मित्रों से आग्रह करूंगा कि महिला मेम्बर हैं, इसलिए इनको ध्यान से सुनिए।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, आखिरकार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए सांविधिक शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने की हिम्मत की है।

यह सही दिशा में उठाया गया उचित कदम है। यदि इसे सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए—मैं इन शब्दों पर जोर दे रहा हूं, यदि सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए, क्योंकि हमें दो अन्य आयोगों का अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि इसे सही तरीके से कार्यान्वित किया जाता है—तो इससे अल्पसंख्यकों के साथ किये जा रहे भेदभाव को कुछ हद तक दूर करने में मदद मिलेगी।

यदि वर्षों पहले यह किया गया होता तो अल्पसंख्यकों को देश की मुख्य धारा में लाया जा सकता था। हम असफल रहे और अब वे राष्ट्रीय मुख्य धारा से अपने आपको अलग महसूस कर रहे हैं। महात्मा गांधी के आत्म बलिदान से भी हम कुछ नहीं सीखे। अभी हमारे मित्र महात्मा गांधी के बलिदान के बारे में बता रहे थे। लेकिन क्या हुआ? वास्तव में, उसके बाद, सत्ताधारी कांग्रेस दल ने उससे कुछ नहीं सीखा। उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने में कितने वर्ष लगे? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उन्हें 31 वर्ष लग गए। उनकी मदद करने में सरकार को कितना समय लगा? 31 वर्ष लग गए वह भी बिना सांविधिक शक्ति दिए, लेकिन जो भी हो आयोग का गठन हो गया था। इसमें विलम्ब करके आप उन्हें मुख्य धारा में शामिल होने के अवसर से वंचित कर रहे थे। इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपात और विषमता का व्यवहार हो रहा था। मुझे अभी भी याद है कि जब 1957 में केरल में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई तो हमने इस ओर ध्यान देकर इस पक्षपात को दूर करने के लिए कदम उठाये। तब से, 10 वर्षों से कांग्रेस मंत्रिमंडल सत्ता में था और वे यहां तक कि मुस्लिम मकबरे की मुरम्मत की अनुमति भी नहीं दे सके जबकि वह टूटा हुआ था और वह बहुत बुरी हालत में था। आपने उनको उसका पुनः निर्माण करने का अधिकार भी नहीं दे रखा है। केवल श्री ई० एम० एस० के सत्ता में आने के पश्चात् ही उसकी अनुमति दी गई थी।

मालाबार विशेष पुलिस में मुस्लिमों की भर्ती नहीं की गई थी और उसमें भी कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल ने ही सुधार किया था।

जब हमारा मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ हुआ, तो वास्तव में उर्दू और अरबी को दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कांग्रेस दल इतने वर्षों से क्या कर रहा था? हम जानते हैं कि केवल समान अवसर देकर ही उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इसलिए, हमने यह सब कार्य किए। आपने कभी इन कार्यों को करने की परवाह नहीं की।

सिविल सेवा में भी उनकी संख्या कम थी। इसलिए हमने सिविल सेवा में भी मुस्लिमों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए। ऐसे कई कार्य किए गए। हमने सोचा कि इससे केवल पक्षपात की भावना को समाप्त करने में मदद मिलेगी। लेकिन आपने लोकतन्त्रात्मक वर्ग की उचित मांगों को मानने की बजाय इन सभी समुदायों के धर्मान्ध लोगों के दबाव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यहां तक कि वह बड़ा समुदाय हो अथवा छोटा समुदाय, आपने हमेशा उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी वजह से शाहबानो मामले के बारे में इतना अधिक कहा गया। आपने क्या किया है? हमारे संगठनों ने 47000 मुसलमान महिलाओं के हस्ताक्षर एकत्र किये। उन्होंने कैसे हस्ताक्षर किये? इसमें इतना अधिक जोखिम था। यहां तक कि उनकी जान भी खतरे में थी। लेकिन मुसलमान महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किये। हम इसे लाये और सरकार को दिया। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक हजार मुसलमान महिलाओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और फिर सरकार को एक ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया है कि वह तालाक संबंधी मुसलमान महिलाओं के अधिकार से संबद्ध इस कानून को पारित नहीं करें और इस कानून को कार्यान्वित भी नहीं करें।

लेकिन आप इस समुदाय के कट्टर पंथियों के दबाव के आगे झुक गये। इससे इस वर्ग को मुख्य धारा में लाने में सहायता नहीं मिलेगी। जो कुछ भी थोड़े आम अधिकार उनको मिले हुए थे वे आपने ले लिए और फिर आपने क्या किया? वास्तव में बहुसंख्यक समुदाय को और कट्टर पंथियों को खुश करने के लिए विवादास्पद स्थल पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी गयी। क्या आपने ऐसा नहीं किया? उसका क्या परिणाम रहा? ऐसा करके आप राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद वाले विवादास्पद स्थल की समस्या को नहीं सुलझा पाये हैं। पहले आप एक समुदाय के दबाव के आगे झुके और फिर दूसरे समुदाय के आगे झुके। इससे देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। आपको सिद्धांतों पर डटे रहना चाहिए। केवल तभी आप समस्याओं को हल कर पायेंगे।

मुझे अभी तक एक बात याद है। जब सिखों ने इस सभा में सिख व्यक्तिगत कानून संबंधी समस्या उठायी थी तो यह घोषणा की गयी थी कि सरकार सिख व्यक्तिगत कानून के प्रश्न पर विचार करेगी। जिससे हमारा देश सदियों पीछे चला जायेगा। लेकिन महिला संगठनों और अन्य वर्गों के दबाव की वजह से, जोकि वास्तव में देश की प्रगति चाहते हैं, इसे स्वीकार नहीं किया गया। देश में विशेष रूप से पंजाब जैसे राज्यों में अब क्या हो रहा है? हमारे यहां पंजाब से कई अनुभवी नेताओं ने देश के लिए स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया। वे बहुत बड़े देश भक्त थे। परन्तु आज पंजाब में क्या हो रहा है? यह तो इन कट्टर पंथियों के आगे झुकने का परिणाम है और लोगों के लोकतान्त्रिक अधिकारों को न मानने का परिणाम है। इसी तरह से काश्मीर में भी हमने देखा है कि स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान हिन्दू ही काश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिए

नहीं लड़े थे। वे राजाओं, जमींदारों के साथ थे। इन कट्टर पंथियों ने कहा था कि एक स्वतन्त्र काश्मीर होना चाहिए। लेकिन उस राज्य के मुसलमान शेष भारत के साथ रहे। उन्हें अपने जीवन की सुरक्षा धर्मनिरपेक्ष भारत में ही ठीक लगी। अब हमारे देश में वह भावना नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमने कई चीजें की होती, हमने इस देश में अल्पसंख्यकों को जीत लिया होता? हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए काश्मीर समस्या इतनी गंभीर हो गई है। वे मुख्य धारा से दूर हो गये हैं।

एकता यात्रा में सरकार काश्मीर में नेताओं को झंडा फहराये जाने वाले समारोह में भाग लेने के लिए हवाई जहाज से ले गयी। क्या इससे मुसलमानों का हमसे एका महसूस करने के संबंध में कोई सहायता मिली। क्या इस परायेपन की भावना को हम दूर कर पाये? बजाय इसके यह विमुखता वाली भावना वास्तव में बढ़ी ही है। अब काश्मीर में हमारे साथ कितने लोग हैं? जो हमारे साथ हैं वे यह कहने में डरते हैं कि वे हमारे साथ हैं क्योंकि वे डरते हैं, और वे जानते हैं कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कोई सिद्धान्त नहीं हैं। अभी भी वे इन समस्याओं के संबंध में टाल-मटोल कर रहे हैं। वे अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए सहायता चाहते हैं। वे अपने आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सहायता चाहते हैं। उनका साथ कोई गुप्त समझौता है। साम्प्रदायिकता के विरुद्ध कहने और संकल्प पारित करने का कोई फायदा नहीं है। अभी भी उनका केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन है। हम साम्प्रदायिकता विरोधी हैं ऐसे संकल्प पारित करने तथा साम्प्रदायिकता को नया रूप देने का क्या फायदा है। (व्यवधान) हम मुस्लिम लीग के साथ मिले थे। उस समय हमारे देश में साम्प्रदायिकता की समस्या इतनी विकट नहीं थी। देश के लोगों के विरुद्ध इतना अधिक करने के संबंध में कांग्रेस ही मुख्य दुश्मन थी। जनता के साथ भी हमने आपात काल के समय काम किया। (व्यवधान)

सभापति महोदय : जब तक वह नहीं मानती है तब तक आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। श्री अहमद, वह नहीं मान रही हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अहमद, माननीय महिला सदस्य नहीं मान रही है, अतः कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : त्रिवेन्द्रम निगम के चुनावों में मुस्लिम लीग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबन्धन किया और अब वे निगम रूपी साम्राज्य चला रहे हैं। यह समझौता चल रहा है। (व्यवधान)

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रोफेसर पी०जे० कुरियन) : महोदय, कितनी बार उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर केरल में सरकार नहीं बनायी है? (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : अब साम्प्रदायिकता एक वास्तविक खतरा है। यह उस समय नहीं थी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : महिला सदस्य कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। उन्हें अन्य लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती सुशीला गोपालन : साम्प्रदायिकता बहुत ही खतरनाक है । **(व्यवधान)** इसलिए, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबन्धन किया । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैं टोका-टाकी की अनुमति नहीं दूंगा । कोई भी रनिंग कमेंटरी नहीं की जानी चाहिए, कोई भी मुख्य वक्ता के भाषण में व्यवधान नहीं डालेगा ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वे इस विधेयक के बारे में गंभीर हैं ? वे माननीय सदस्य को क्यों तंग कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्रीमती सुशीला गोपालन : साम्प्रदायिकता देश के लिए बहुत खतरनाक है । आपको बहुसंख्यक समुदाय में और अल्प-संख्यक समुदाय दोनों में कट्टर पंथियों से लड़ना है । कृपया एक ऐसा सैद्धांतिक दृष्टिकोण रखें ताकि हम देश की एकता के लिए कुछ कर सकें । अल्प संख्यकों के लिए संवैधानिक शक्तियों वाले इस आयोग का गठन सही दिशा में सही कदम है । इससे उन्हें मुख्यधारा में आने में सहायता मिलेगी । मैं इस विधेयक के अधिकांश उपबन्धों से सहमत हूं । इस विधेयक में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इसमें आयोजना प्रक्रिया में उनकी भागेदारी सुनिश्चित नहीं की गयी है । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । कई कानून पारित किये गये लेकिन उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया । कई कार्यक्रम चलाये गये लेकिन पूरे नहीं किये गये । मैं जानना चाहती हूं कि इस प्रस्तावित आयोग द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाये जायेंगे ? यदि यह प्रस्तावित आयोग आयोजना प्रकिया में योजना आयोग के साथ मिलकर काम करता है तो इससे कार्यक्रम चलाने में सहायता मिलेगी और यह अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी होगा । महिला आयोग में उन्होंने आयोजना प्रक्रिया में एक भूमिका निभाई । यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें देश की आयोजना प्रक्रिया से संबद्ध किया जाये । विधेयक के दूसरे पहलू पर मेरे साथी ज्यादा विस्तार में बात करेंगे ।

इस प्रस्तावित आयोग में आपको उन प्रमुख व्यक्तियों और धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए जो राष्ट्र की वास्तव में सेवा करें । आयोग को ठीक ढंग से कार्य करने के लिए भी पूरे अवसर दिये जाने चाहिएं । मैं जानना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक शक्तियां देने के बाद क्या हुआ । क्या इसने सही दिशा में कार्य करना शुरू किया ? इसमें विलम्ब किया जा रहा है । यहा तक कि महिला आयोग भी कमरे की तलाश में है । एक संकल्प पारित करना या केवल एक आयोग गठित करना ही काफी नहीं है । उन्हें सही ढंग से कार्य करने देने के लिए उन्हें सभी शक्तियां और धन देना पड़ेगा और तभी वे ठीक ढंग से कार्य कर सकेंगे । यदि आप चाहते हैं कि प्रस्तावित आयोग ठीक ढंग से कार्य करे तो कृपया इन पहलुओं पर विचार करें ।

संशोधनों के संबंध में भी हमारे सदस्य बोलेंगे । मैं केवल यही कह सकती हूं कि यह सही कदम है और इसे जारी रखना चाहिए । उन्हें कारगर रूप से कार्याकरण के लिए प्रर्याप्त सुविधाएं और धन दिया जाना चाहिए । तभी यह प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं । मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : सभापति महोदय, सभा के समक्ष जो विधेयक है अर्थात् अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक 1992, में उसका समर्थन करता हूं।

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि सरकार इस आयोग को जोकि देश में पिछले 12 वर्षों से बरकरार है संवैधानिक शक्तियां देने के लिए आगे आयी है। अब तक आयोग के पास कोई भी शक्ति नहीं थी। इसकी सिफारिशों का कोई भी महत्व नहीं था। और यदि आयोग कोई विस्तृत जानकारी मांगता था या कोई आंकड़े मांगता था तो विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक सेवायें इस तरह के अनुरोध को कूड़े की टोकरी में फेंक देती थी। यह स्थिति थी। अब इस आयोग को संवैधानिक शक्ति दी जा रही है, जैसा कि सरकार का कहना है संवैधानिक दर्जा प्राप्त अल्पसंख्यक आयोग से अल्पसंख्यकों में इस आयोग के कार्यकरण और प्रभावी कार्यकरण के बारे में विश्वास पैदा होगा।

लेकिन मैं एक बात कहूंगा। इस आयोग को दी गई संवैधानिक शक्तियों का स्वागत करते हुए मैं कहूंगा कि वे काफी नहीं हैं। अभी-अभी मेरे आदरणीय मित्र श्री पासवान बोले हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दी गयी शक्तियों के बारे में जिक्र किया है। आपने केवल अनुसूचित जाति आयोग की इस अल्पसंख्यक आयोग से तुलना की है। क्या आप नहीं देखते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग को अल्पसंख्यक आयोग की तुलना में अधिक शक्तियां दी हैं ? मैं चाहता हूं कि इसे अनुसूचित जाति आयोग के बराबर लाना चाहिए ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

महोदय, अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जहां तक मुसलमानों की बात है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो कुछ भी कहें, उनके नेता श्री आडवाणी जो कुछ भी कहें, यह बात स्पष्ट है कि भारत में मुसलमानों के बारे में कुछ गलतफहमी है। मुसलमान इस देश के समान नागरिक हैं, भारतीय राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, इस धरती के लाल हैं। यह वह बात है जिससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी देश भक्ति और निष्ठा पर इस तरह के लोगों भारतीय जनता पार्टी की तरह के लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया है जोकि चुनावों में लाभ के लिए इस देश में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। यह वह तथ्य है जिससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है।

महोदय, हम इस देश में इस समय से नहीं रह रहे हैं बल्कि कई सदियों से रह रहे हैं और इस बात का कोई भी खण्डन नहीं कर सकता है कि मुसलमानों ने हमेशा इस देश को प्यार किया है। इसकी प्रगति और उन्नति में सहयोग दिया है और मुसलमानों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। जब स्वतन्त्रता संग्राम चल रहा था तो मुसलमानों ने सोचा था कि स्वतन्त्रता मिलने के बाद उन्हें इस देश में सम्मानीय स्थान मिलेगा, उन्हें इस देश में समान अवसर मिलेंगे। लेकिन क्या ऐसा हमें आज देखने को मिलता है ? अपने दिलों को टटोलें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों सहित सब अपने दिलों को टटोलें और मुझे बतायें कि भारत में आज मुसलमानों का दर्जा क्या है। वे पहले भी पीड़ित थे और आज भी पीड़ित हैं। क्या आज इस देश में मुसलमानों के लिए कोई सुरक्षा है ? कतिपय साम्प्रदायिक ताकतों के षड्यन्त्र की वजह से उनको कोई सुरक्षा नहीं है। वे इस देश में साम्प्रदायिक दंगे फैलाते हैं। आपने मुसलमानों को आर्थिक रूप से नीचे गिरा दिया है और इससे उनका नैतिक पतन होता है। अतः इस देश में मुसलमानों के जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। क्या उन्हें समान अवसर मिले हैं ? नहीं। क्या उन्हें सामाजिक न्याय मिला

है ? नहीं । उन्हें दबाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और अपमानित किया जाता है । वे अपमानित होते हैं । उनकी वफादारी पर शंका की जाती है । उन्हें अपमानित किया जाता है और मस्जिद को मन्दिर में परिवर्तित किया जा रहा है । यह तो ऐसा अपमान है जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता । आज इस देश में फासिस्ट साम्प्रदायिक शक्तियां मौजूद हैं । आप कहते हैं कि अगर यह विधेयक पारित हुआ तो इससे अलगाव उत्पन्न होगा । यह कैसा तर्क है । आडवाणी जी ने यहां कहा कि अगर यह विधेयक पारित हुआ तो अलगाव उत्पन्न करेगा, पृथकता होगी जैसे कि आज पृथकता और अलगाव विद्यमान हैं ही नहीं । यह स्थिति क्यों है ? यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि की गतिविधियों के कारण विद्यमान है । और कोई भी इन तथ्यों से इन्कार नहीं कर सकता । इन लोगों ने ही पृथकता की स्थिति उत्पन्न की है । इन लोगों ने ही अलगाव उत्पन्न किया है । इसके कारण साम्प्रदायिक सदभावना को नुक्सान हो रहा है । अब, उन्होंने कहा कि भारत धर्मतांत्रिक राज्य नहीं है, पाकिस्तान धर्मतांत्रिक राज्य बन गया है, हम एक धर्म-निरपेक्ष राज्य हैं । लेकिन क्या आप यह प्रचार नहीं कर रहे कि भारत एक हिन्दू राज्य है ? क्या आप भारत राष्ट्र को हिन्दू राष्ट्र में नहीं बदल रहे हैं ? 'हिन्दू राष्ट्र' का प्रचार कौन कर रहा है ? 'हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान' का नारा कौन लगा रहा है ? जब आडवाणी जी ने 'रथयात्रा' शुरू की तो उन्होंने क्या किया ? इसमें त्रिशूल, तलवार और अपशब्द युक्त भाषा का प्रयोग किया गया । क्या आप इस प्रकार इस देश में साम्प्रदायिक सदभावना बनाने जा रहे हैं ? अगर इस देश में साम्प्रदायिकता व्याप्त है तो मैं आरोप लगाता हूं कि इसके लिए केवल एक ही पार्टी—भारतीय जनता पार्टी—उत्तरदायी है । मेरा आरोप है कि उनकी गतिविधियों के कारण ही आज आपके सम्मुख अलगाव और पृथकता की स्थिति आई है । अन्यथा, सभी मुसलमान शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं; सभी धार्मिक सदभावना चाहते हैं । सभी मुसलमान देश की अखण्डता की सुरक्षा में आगे रहते हैं क्योंकि वे हमारी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं ।

महोदय, एक श्री मोहम्मद इसमाइल थे । वह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे । उन्होंने चीनी आक्रमण के समय पंडित जी को लिखा था कि उनका केवल एक ही पुत्र है और वह इस देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने पुत्र के बलीदान हेतु तैयार है । उन्होंने कहा : मेरे बेटे को भारत की सुरक्षा, अखंडता और रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने जाने दें । यह हमारा इतिहास है । हमने अपने खून का बलिदान किया है । टीपू सुल्तान को याद कीजिए वह ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए आगे आए, मौलाना मोहम्मद अली को याद कीजिए जो लन्दन से इस देश की स्वतन्त्रता हेतु लड़ रहे थे । अब आप मुसलमानों में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं ।

अब हम कहते हैं कि इस देश में हमारे लिए कोई न्याय नहीं है । हमें दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और इस देश में कोई धर्म-निरपेक्षता और सामाजिक न्याय नहीं है । अभी-अभी यह कहा गया कि इस देश में मुसलमानों की संख्या लगभग 12 से 15 प्रतिशत है । लेकिन क्या सेवाओं में हमारा प्रतिनिधित्व दो से तीन प्रतिशत भी है ? अब जब दंगे हो रहे हैं तो आप चाहते हैं कि दंगारोधी बल बनाया जाए । जब मुसलमान दंगारोधी बल में प्रतिनिधित्व के लिए कहते हैं तो इसे पुलिस बल को साम्प्रदायिक बनाना कहा जाता है । यह क्या तर्क है ? भारत का एक मिश्रित चरित्र है । इसलिए पुलिस बल का भी मिश्रित चरित्र होना चाहिए । दंगा रोधी बल में केवल एक समुदाय अर्थात् बहुसंख्यक समुदाय ही नहीं होना चाहिए । वे अल्पसंख्यकवाद की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि यह बहुसंख्यकवाद है । जब हम कहते हैं कि प्रत्येक को प्रतिनिधित्व मिले तो यह बात सम्प्रदायवादी बन जाती है । जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं

तो यह सम्प्रदायवाद हो जाता है और यदि वे देश को विभाजित करने का प्रयास करते है तो इसे राष्ट्रवाद कहते है। और जब वे 'हिन्दू राष्ट्र' की बात करते है तो यह राष्ट्रवाद कहा जाता है। यह क्या औचित्य है ? मैं यह जानना चाहता हूं। मै कहूंगा कि आज अधिक अलगाव व्याप्त है, आज अधिक पृथकता व्याप्त है और 10 या 15 वर्ष पूर्व की तुलना मे इस देश मे आज अधिक सम्प्रदायवाद व्याप्त है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बल मिला है।

महोदय, दुर्भाग्य से आज फासिस्ट शक्तियों को बल मिल रहा है। जब साम्प्रदायिक शक्तियों को बल मिलता है तो और अधिक अलगाव और पृथकता की स्थिति पैदा होती है। अभी-अभी श्री मणि शंकर अय्यर ने स्पष्ट रूप से कहा कि फासिस्ट शक्तियों के बढ़ने की आशंका है। हमें यही आशंका है। हमारे मित्र यहां पर मौजूद है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस देश में सम्प्रदायवाद और फासिज्म को समाप्त करने के लिए धर्म निरपेक्ष शक्तियों की भूमिका से हम संतुष्ट नही है। अब ये कहते हैं कि मुसलमान साम्प्रदायिकतावादी है। लेकिन अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकीय साम्प्रदायिकता तो हो ही नही सकती। मुसलमानों ने देश के हित के खिलाफ कभी कोई कार्य नही किया है। हमने हिंसा का सहारा नही लिया है, अतः हम साम्प्रदायिक घृणा नही फैला रहे, जैसा कि ये लोग कर रहे है। भारतीय जनता पार्टी ही घृणा का प्रचार कर रही है और हिंसा कर रही है। हमने ऐसा कभी नही किया। हम शान्ति से रहना चाहते है। यह कैसे संभव है ? अल्पसंख्यकों को अन्य सभी के साथ शान्तिपूर्वक रहना चाहिए। उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था हो और धर्म-निरपेक्षता ही माननीय मुसलमान नागरिकों के लिए श्रेष्ठतम गारन्टी है। श्री आडवाणी ने कहा कि अल्पसंख्यक और बहु-संख्यक का मामला हो गया हो। क्यों नही हो ? धर्म-निरपेक्ष संविधान मे यह तथ्य माना गया है कि इस देश मे धार्मिक अल्पसंख्यक है। इसलिए उन्हे मौलिक अधिकार दिए जाते है। इसलिए मुसलमान, ईसाई या सिख या किसी भी अन्य सम्प्रदाय को धार्मिक स्वतन्त्रता अर्थात् किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसे अपनाने की स्वतन्त्रता है। संविधान यही कहता है। इसमें ऐसा इसलिए कहा गया है कि संविधान के निर्माता अच्छी तरह जानते थे कि भारत एक अनेक धर्मों वाला, बहु भाषी, बहु जातीय और बहु सभ्यता वाला देश है। इसलिए यह मान्य और सर्वविदित तथ्य है कि संविधान में विशेषकर अनुच्छेद 13 और 15 के तहत अल्पसंख्यकों और विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को गारंटी दी गई है। देश में धार्मिक अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक है। आप इस तथ्य को मानने से कैसे इन्कार कर सकते है ? आप एक बुलडोजर लाकर यह कहते हुए देश में सभी अल्पसंख्यकों को अलग नही फेंक सकते कि यह सिर्फ हिन्दुओं का हिन्दुस्तान है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, वह दिन बहुत दुखद दिन होगा और देश की अखंडता टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी। भारत जैसे देश के लिए ऐसा नारा लगाना, ऐसा धर्मतांत्रिक राज्य बनाना संभव नही है। एक देश के रूप मे भारत अनेक धर्मों वाला बहु-सांस्कृतिक और बहु-भाषी देश है। इसलिए यहां के लोग विभिन्न धर्मों से संबंधित है और विभिन्न भाषाएं बोलते है। ये शान्तिपूर्वक रहना चाहते है और अपनी-अपनी पहचान को सुरक्षित रखना चाहते है। क्या कोई भी मुसलमान यह सहन कर सकता है कि उसके धर्म का बहिष्कार हो ? आप शाहबानो मामले का उल्लेख करते है। यह क्या है ? हम अपने निजी कानून शरियत अधिनियम की सुरक्षा चाहते है। संविधान ने हमें पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता दी है। यह मौलिक अधिकारों के तहत है। [illegible]

[illegible]

[illegible] अब श्री आडवाणी ने अनुच्छेद 44 का उल्लेख किया है। यह केवल एक निदेशक सिद्धान्त है। निदेशक सिद्धान्त मौलिक सिद्धान्त नहीं है। निदेशक सिद्धान्त [illegible] है, [illegible]

एक समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगी।" यह मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार निदेशक सिद्धान्तों से ऊपर हैं। हम मौलिक सिद्धान्तों के लिए लड़ते हैं। यह धर्म-निरपेक्ष संविधान का वास्तविक आधार है। दुर्भाग्य से हमारे भाजपा मित्रों ने इसे गलत समझा है। सभी मुसलमान यहां पर शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं दिया गया है। देश में धर्म-निरपेक्षता का पालन नहीं हो रहा है। देश में कोई सामाजिक न्याय नहीं है। उन्हें समान अवसर नहीं मिलते। इसलिए वे आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। संविधान में आरक्षण है। मंडल आयोग है। हमने इसका समर्थन किया। केरल में अल्पसंख्यकों के आरक्षण हेतु नाट्टर आयोग है। केरल में सभी मुसलमानों को शैक्षिक पिछड़े और सामाजिक पिछड़े के आधार पर आरक्षण दिया गया है। देश में मुसलमानों की यह स्थिति है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाइए और उनकी स्थिति देखिए। आप पाएंगे कि वे कितने दयनीय हैं। एक मुसलमान सरकारी सेवा में अपना हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकता। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उन्हें देश की मुख्य धारा से निकाल दिया गया है। इसलिए आरक्षण दिया जाना है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए पहले ही आरक्षण है। अब सरकार ऊंची जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण करने पर भी विचार कर रही है। तब मुसलमानों को आरक्षण से क्यों इन्कार किया जाए। हम इसलिए कहते हैं कि हम देश में गुलाम नहीं हैं। हम देश में बराबर के हिस्सेदार हैं और हमें समाज में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें दबाना चाहता है या हमारे बारे में गलतफहमी पैदा करना चाहता है जैसा कि हमारे मित्र करते हैं या झूठी धर्म-निरपेक्षता चाहते हैं तो अल्पसंख्यकों को खुश करने की आलोचना में वे सफल नहीं होंगे। प्रसन्न करने का प्रश्न कहां है? कत्ल किसका होता है—मुसलमान का। किसकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है—मुसलमान की। किसके मकान जलते हैं—मुसलमान के। यह कहना ठीक नहीं है कि यह सरकार की खुश करने की नीति है। जहां तक सेवाओं का संबंध है, मुसलमान केवल दो प्रतिशत हैं। मैं नहीं समझ सकता कि इसमें खुश करना कहां है। मुझे अपने मित्रों के इस तर्क पर अफसोस है, क्योंकि या तो वे गुमराह करना चाहते हैं या उन्हें समझ नहीं है। वे पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं और देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं और एक खाई उत्पन्न करना चाहते हैं।

आज वे बहुत खुश हैं कि सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को यह शक्ति देने के लिए पहल की है। हमें आशा करनी चाहिए कि कुछ न्याय तो किया जाएगा। अब अगर आप रोजगार चाहते हैं तो आप केवल सरकारी सेवा ही पा सकते हैं। यह आयोग मुसलमानों के लिए आरक्षण हेतु कार्य करे।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों, राष्ट्रीय बैंकों, रेलवे और एअरलाइन्स, सब जगह मुसलमानों की पर्याप्त संख्या हो। हमें कोई भी इस अधिकार से इन्कार नहीं कर सकता। हम इस देश के नागरिक हैं। कौन 'नहीं' कह सकता है? इस देश में हमारा अधिकार है। कोई भी हमारे अधिकार से इन्कार नहीं कर सकता और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे राष्ट्र विरोधी हैं। वे धर्म-निरपेक्ष जनसंख्या को दबाना चाहते हैं और एक प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच शत्रुता हो और फिर शान्ति की अपेक्षा करते हैं? इसे समझिए। वे बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे उठाते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि सन् 1528 ई० से ही वहां पर मस्जिद थी। लेकिन अब वे कहते हैं, "राम चन्द्र जी का जन्म वहां पर हुआ था।" राम जन्म भूमि के नाम से अन्य मन्दिर भी हैं। ये सब बातें हैं।

इससे वास्तव में पीड़ा होती है। मुझे खेद है कि इससे हमारे यहां के भाईयों की भावनायें आहत होंगी परन्तु इसका मुझे दुख है। मैं केवल सत्य कह रहा हूं। सत्य के इलावा कुछ नहीं तथा यही आज का सत्य है।

इसलिए, मुसलमानों सहित सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करने के लिए आगे आईए। न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। हम सब को यह महसूस करना चाहिए कि हम सब बराबर के नागरिक हैं। हमें यह अहसास होना चाहिए कि न्याय मिल रहा है।

क्या आप अच्छी सरकार पा सकते हैं? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था:

"आपको अल्पसंख्यकों के लिए एक अच्छी सरकार मिलेगी। अगर हम प्रसन्न हैं, आपकी सरकार अच्छी होगी। अगर आप असंतुष्ट हैं तो सरकार खराब है"।

यही आधार है। कृपया इस बात को समझिए। कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि हमें न्याय मिले। हम इस देश के लिए हैं। हम इस देश की अखण्डता के पक्षधर हैं। हम देश को सहयोग देने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हम इस देश में शांति और प्रगति चाहते हैं। इसके साथ-साथ हमें भी इस राष्ट्र सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए तथा हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के सभी अवसर मिलने चाहिएं। इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता।

कृपया इस वास्तविकता को समझिए कि श्री अडवाणी द्वारा कही गई बातें आज आधारहीन हो गई हैं। अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया। अल्पसंख्यकों को धर्मनिर्पेक्ष संविधान द्वारा अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसीलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इन सभी तथ्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

इसलिए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरे विचार में प्रत्येक को इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए जो कि श्री सीता राम केसरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिन्हें धर्मनिर्पेक्ष दृष्टिकोण का आदर्श व्यक्ति माना जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मुसलमानों को न्याय मिले। मेरे विचार में सरकार में ऐसे बहुत थोड़े व्यक्ति हैं जिनका श्री केसरी जी के समान धर्मनिर्पेक्ष दृष्टिकोण है। अगर सारे मंत्रिमण्डल का दृष्टिकोण ऐसा ही जाये तो सारी समस्याएं हल हो जायेंगी। भारत एक खुशहाल देश बन सकता है। इसलिए एक शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं:

[हिन्दी]

चमन चमन ही नहीं, जिसके गोशे गोशे में,
कहीं बहार न आए, कहीं बहार आए।
बहार हर जगह आनी चाहिए, फूल हर जगह खिलने चाहिए।
यह मयकदे की, साकीगरी की है तौहीन,
कोई हो जाम-बकफ, कोई शर्मसार आए।

तो हमें शर्मसार मत आने दीजिए, आपके हाथ में भी जाम हो, हमारे हाथ में भी जाम हो तो ठीक रहेगा।

[अनुवाद]

श्री बी० अकबर पाशा (वेल्लार) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । यह विधेयक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए लाया गया है । सरकार ने इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण पहल की है । अन्ततः सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देने का निर्णय लिया है । यह एक स्वागत योग्य कदम है । यह लम्बे समय से लम्बित था । साम्प्रदायिक समस्याओं और भारत के लोगों के कुछ वर्गों की तंगदिली के कारण भारत में काफी खून खराबा हुआ है । अन्ततः सरकार ने अल्प- संख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देने का निर्णय लिया है ।

महोदय, श्री सीताराम केसरी द्वारा किए गए प्रयत्नों की मैं प्रशंसा करता हूं जिन्होंने अल्प-संख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने के लिए इस विधेयक को लाने के प्रयोजनार्थ अथक प्रयत्न किए ।

अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री बर्नी ने आयोग की 13वीं रिपोर्ट माननीय कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी जी को प्रस्तुत की है । यह मुस्लिम लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए किया गया है । परन्तु वास्तव में हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं । कृपया, देखिए कि अल्पसंख्यकों से कैसा व्यवहार हो रहा है । इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें एक दर्जा और सुरक्षा मिले । इसके अतिरिक्त श्री बर्नी ने कहा है कि आयोग 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की है, परन्तु इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई है । 15 सूत्री कार्यक्रम जिसे कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में आरम्भ किया था, उसका सरकार ने उचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया । इस विधेयक को पेश करके तथा कुछ शक्तियां प्रदान करके, इस देश में न्याय उपलब्ध करवाना संभव होगा ।

महोदय, अभी-अभी श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ ने कहा कि हम भारतीय निष्ठावान हैं । हमें अन्य लोगों के साथ शांति और सौहार्द से रहने का अधिकार है । हमें शिक्षा प्राप्त करने, अपनी पहचान बनाये रखने, अपनी प्रतिष्ठा, संस्कृति तथा पहचान की सुरक्षा जैसे मामलों में हमें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए ।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, मेरे विचार में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को शिक्षा के प्रसार के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं । मुझे स्मरण आता है कि कुछ माह पूर्व मुझे मेरठ में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए बुलाया गया था । उस सेमिनार में माननीय मंत्री महोदय श्री सलमान खुर्शीद भी शामिल थे । वे फैज-ए-आम कालेज, मेरठ का शताब्दी समारोह मना रहे थे । परन्तु अभी भी यह एक इन्टर कालेज है । सौ वर्ष पश्चात् भी यह एक प्रथम-ग्रेड कालेज नहीं बन पाया है । इसलिए उस समय बहुत से लोग, कई शिक्षाविद्, कई संस्थानों के उप कुलपति वहां सेमिनार में भाग लेने आये हुए थे । उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत से कालेज हैं । कई दशकों, सौ साल बीत जाने के बाद भी वे अभी इन्टर कालेज ही हैं । इस स्थिति को बदला जाना चाहिए । इन अल्पसंख्यकों को उचित शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए । सरकारी तंत्र का हिस्सा बनने के लिए शिक्षा एक मूल तत्व है । अगर वे शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो वे इस देश में आगे कैसे बढ़ पायेंगे ? साम्प्रदायिक स्थिति की पृष्ठ भूमि में अल्प संख्यकों के समक्ष आने वाली समस्याओं सम्बन्धी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वर्ष 1991 के दौरान इस समस्या ने निरन्तर गंभीर रूप धारण किए रखा । साम्प्रदायिक दंगे बढ़ते रहे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोचिंग योजना की आयोग द्वारा समीक्षा की गई ।

मुझे अम्बुर में एक कालेज का प्रबन्धन कार्य देखने का मौका मिला था। हमने कुछ चीजों के लिए यू०जी०सी० से सहायता के लिए आवेदन किया। जब मैं स्वयं यू०जी०सी० के अध्यक्ष से मिलने गया तो मुझे बताया गया कि सारी फाईल गुम हो गई है। इससे वास्तव में दो साल का विलम्ब हो गया। ऐसी बातों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

मैंने यह भी देखा है कि कालेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों ने अपने संगठन बना रखे हैं जैसे कि एसोसिएशन आफ यूनिवर्सिटी टीचर्स (ए०यू०टी०) तथा वे विद्यार्थियों से न्याय नहीं करते उनकी रुचि केवल समय निकालने में रहती है। विद्यार्थियों को पढ़ाने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। उनको मिलने वाली सभी छुट्टियों का वे उपयोग करते है। इतना ही नहीं वे अपने आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश का पूरा उपयोग करते हैं, तथा और छुट्टियां लेने के लिए वे विद्यार्थियों को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाते हैं तथा मुफ्त के वेतन का आनन्द लेते हैं। जब हमारे देश की यह स्थिति है, तो कोई सुधार कैसे हो सकता है।

1983 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो 15 सूत्री कार्यक्रम आरम्भ किया था, उन्हें कार्य रूप देने की आवश्यता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा अल्पसंख्यकों को केन्द्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं को प्राप्त करने में तथा उन्हें बैंक ऋण प्राप्त करने में देश के प्रत्येक नागरिक की तरह सहायता की जानी चाहिए।

5.57 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए बनाये जाने वाली कार्य योजना में लघु उद्योग कार्यक्रम, हस्तशिल्प, हथकर्घा, खादी तथा ग्राम उद्योग को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थापित करने पर बल कर दिया जाना चाहिए। आगरा तथा हैदराबाद में ऋण विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं अन्य राज्यों में भी इन्हें स्थापित किया जायेगा।

जैसा कि श्री पासवान ने कहा है। अल्पसंख्यक आयोग को अभियोजन चलाने के लिए और शक्तियां दी जानी चाहिएं। अन्यथा इस विधेयक की कोई शक्तियां नहीं होंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। तथा इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री गुमान मल लोढा बोलेंगे।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, 6.00 बज रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे चर्चा के लिए समय बढ़ायेंगे अथवा नहीं ?

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, कार्य मन्त्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि सभा आठ बजे तक चलेगी। हमें तब तक बैठने की आवश्यता नहीं लेकिन सभी भाषण आज समाप्त हो जाने चाहिएं। **(व्यवधान)**

6.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : सदन 8.00 बजे म०प० तक बैठेगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मेरा सुझाव है भले ही आप आठ बजे तक क्या नौ बजे तक बैठिये, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन काफी सदस्य बोलने वाले हैं आज उन सबको बोलने दिया जाये और कल मंत्री जी फर्स्ट ऑवर में जवाब दे दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी सलाह केसरी जी ने भी स्वीकार कर ली है ।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : परिवर्तन के लिए यह एक बहुत अच्छा सुझाव है ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जब हम अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के बारे में विचार कर रहे हैं तब हमें विश्व में गत कुछ माह में कई अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तन राष्ट्रीय संदर्भ में देखने होंगे । इस समय हमारे अधिकतम कांग्रेस के माननीय सांसदों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सांसदों ने व जनता दल के माननीय सांसदों ने राष्ट्रीय एकता व जाति को छोड़कर मानवता के नाम पर सहिष्णुता व सदभावना की बात कही है। सदन में विपक्ष के नेता माननीय आडवाणी जी ने भी यही कहा था कि हम चाहते हैं कि मानवाधिकार सुरक्षित करने के लिए आयोग बनाया जाये। उस मानवाधिकार आयोग में अल्पसंख्यकों का प्रश्न, अन्य प्रकार के अत्याचार, अन्याय किसी पर भी किये जायें, वे सब समावेश हो जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। यह रिपोर्ट बेग साहब की है इसमें यह उद्धृत है कि विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी ह्यूमन राइटस कमीशन हैं । यह अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बेग साहब ने जो स्वयं माइनोरटी को बिलांग करते हैं, उन्होंने बहुत सोच विचार कर और बहुत चिन्तन करने के बाद लिखा है :

[अनुवाद]

> "यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि कनाडा में राज्य तथा केन्द्र स्तर पर नियुक्त मानव अधिकार आयोग के माध्यम से शिकायतें दूर करने की व्यवस्था है ।"

इसी प्रकार आगे कहा गया है :

> "आस्ट्रेलिया में भी भेदभाव के आधार पर उत्पन्न शिकायतों से निपटने के लिए मानव अधिकार आयोग स्थापित किया गया है । इन दोनों देशों में से किसी भी देश में मानव अधिकार आयोग न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हनन नहीं किया है बल्कि यह कहा जा सकता है कि इसने ऐसा काफी अधिक कार्य न्यायालयों ने अपने ऊपर ले लिया है जो बेहतर ढंग से किया जा सकता है ।"

[हिन्दी]

श्रीमन् यह बेग साहब के विचार बड़े सराहनीय हैं और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस बात के अनुकूल मानवाधिकार आयोग का वहाँ पर निर्माण किया है। हमारे गृह मंत्री ने भी कुछ समय पहले इस बारे में संकेत किया था और कहा था कि हमें मानवाधिकार आयोग बनाना चाहिए और इसमें माइनोरिटी के प्रश्न के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। यदि हम इस विवाद में न जायें कि माइनोरिटी और मेजोरिटी इसका विश्लेषण, इसका दर्शन इसका अन्तर, इसका एक ऐतिहासिक या भारत में किस प्रकार की भूमिका है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बेग साहब ने इसी संदर्भ में इसके अन्दर यह भी लिखा है :

[अनुवाद]

"भारत में किसी एक जाति अथवा धार्मिक वर्ग का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभुत्व नहीं है, न ही छोटे वर्ग किसी अन्य से कम है। सांस्कृतिक विविधता को सम्मानीय तथा सुरक्षित माना जाता है। हम अपने क्षेत्रीय संस्कृतियों की पारंपरिक विशेषताओं को संरक्षित करते हैं कोई भी वर्ग कोई विशेष रूप लिए हुए नहीं है। कोई भी वर्ग यह अनुभव नहीं करता है कि उनकी संस्कृति तथा अन्य पहचान की सुरक्षा तभी होगी जब वह वर्ग अपनी संस्कृति अथवा पहचान को छोड़कर स्वयं को किसी बड़े वर्ग में संबद्ध करें"।

[हिन्दी]

मुझे आश्चर्य है कि बेग साहब जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, माइनरटीज कमीशन के चेयरमेन रहे हैं, उनके शोध के पश्चात्, सारे भारत के भ्रमण के पश्चात् उन्होंने जो यह मत दिया है कि ह्यूमन राईट्स कमीशन की ओर से यह काम किया जाना चाहिए और यह नेशनल इंटिग्रेशन के लिए आवश्यक है, विभिन्न प्रकार के कमीशन न बनाये जाये, आज उन को आदर नहीं दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी बताया गया है कि इस राष्ट्र के अन्दर विभिन्न प्रकार से, कितनी प्रकार के अन्याय माइनरटीज पर होते हैं। यद्यपि मैं इस सब के बारे में नहीं जाना चाहता लेकिन माननीय अय्यर साहब, जिन्होंने लम्बा चौड़ा भाषण दिया, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अपनी गर्दन को तो जरा अपने गिरेबान में डाल कर देखें कि इन्दिरा जी की हत्या के बाद न केवल दिल्ली में बल्कि सारे भारत में सिक्खों को जला-जला कर मार दिया गया। दिल्ली में 3-4 हजार मारे गये और अन्य स्थानों पर काफी तादाद में सिक्खों को जलती आग में डाल दिया गया, उनको घसीट-घसीट कर मार डाला गया, मासूम बच्चों और महिलाओं की हत्या कर दी गयी। ये करने वाले कौन थे ? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। इस सब का जीता-जागता प्रमाण भारत मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट है और दिल्ली के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री मींगी लाल जैन की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि यहां पर बैठने वाले सदस्य जो इस सदन में है या नहीं हैं, उनमें कुछ मंत्री हैं, उन्होंने सारी दिल्ली में आग लगाकर दंगे भड़काये। सिक्खों पर अत्याचार किये। उपाध्यक्ष महोदय, जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने गयी तो माननीय सदस्यों की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गयी और आज तक उन मुकदमों को रोका हुआ है। मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि हमें शिक्षा देना चाहते हैं— फिजिशियल हीं दाईसेल्फ—वे अपने को देखें कि क्या उनके दामन पर देश के हजारों सिक्खों को मार

देने परे उनके खून के दाग नहीं लगे हुए हैं कि इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद जो हुआ और कहीं पर उन सिक्खों को फरनेस में डाल दिया गया, मैं उनका वर्णन ज्यादा नहीं करना चाहूंगा तो रिपोर्ट है जो एक न्यायविद ने दी है। मैं चाहूंगा कि वह रिपोर्ट इस सदन पटल पर रखी जाये जिस पर बहस की जाये ताकि असली चेहरे का पता चले कि वास्तव में कौन अल्पसंख्यकों का हितकारी है ? वोट बैंक के खातिर झूठे नारे दिये जाते हैं और एक प्रतिस्पर्द्धा चल रही है इस देश के अन्दर कि कौन दल वोट बैंक पर कब्जा कर सकता है और कौन अल्पसंख्यकों को अपना बना सकता है ? परन्तु इसके कारण से एक दूसरी बात उसी धारणा को लेकर आती है और एक आयोग यहां लाने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि सन 1952 से कांग्रेस का शासन इस देश में लगातार चलता रहा। इनको 43 सालों से नहीं सूझा और यह वासकोडिगामा की भारत खोज जैसा हो गया कि एक आयोग लाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस संदर्भ के अन्दर कि आज हमारे राष्ट्र के अन्दर किसी प्रकार से किसी अल्पसंख्यक को कोई खतरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सिकन्दर बख्त के बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें की गयीं कि बी०जे०पी० की ओर से मुसलमानों के प्रति किसी प्रकार का विश्वास नहीं होता। उनके प्रति घृणा होती है और उनके प्रति इस प्रकार की भावना रहती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केवल एक व्यक्ति राज्य सभा में हमारा है, मुसलमान होते हुए उसको नेता बनाया है। क्या यह संभव था कि हमारे मन में किसी प्रकार की घृणा होती और दूसरी ओर इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस समय राउंड टेबल कान्फ्रेन्स के अंदर माहत्मा गांधी जी गए थे और दूसरी ओर से जिन्ना साहब आए थे जिनके प्रतिनिधित्व में मुस्लिम लीग गई, उन्होंने गांधी जी को क्या कहा जब गांधी जी ने कहा कि देश एक रहना चाहिए, देश अखंड रहना चाहिए। तो जिन्ना साहब ने कहा कि —

[अनुवाद]

"आप भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करते, आप केवल इस देश के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुसलमानों का मुस्लिम लीग प्रतिनिधित्व करती है।"

[हिन्दी]

आज उन्हें ऐसा लगता है कि यहां देशभक्ति की कोई कसौटी और परीक्षा ही रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की भावना जो यहां पर हमारे कुछ मित्रों ने प्रदर्शित की है, वह भावना छोड़कर वह यह नारा चलाते कि पाकिस्तान गलत बना है, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट नहीं बनना चाहिए था, पाकिस्तान का निर्माण फिरकापरस्ती पर हुआ है और इसलिए उसको खत्म किया जाए और भारत के अंदर शामिल किया जाए, अखंड भारत का निर्माण किया जाए, यदि वे ऐसे निर्माण की बात करते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि उनके हृदय में कुछ देश प्रेम है अन्यथा पाकिस्तान के निर्माण के समय खून की नदियां बहाई गईं, कलकत्ता में मुख्यमन्त्री और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, उन्होंने वहां सारी सड़कों को खून से लाल कर दिया था। लखनऊ में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के लोगों ने दंगे भड़काए थे और आज वह शांति की शिक्षा देते हैं। और आज वह कहते हैं कि आपस में भाई-भाई की तरह रहना चाहिए, किसी प्रकार का अंतर नहीं आना चाहिए। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता आडवाणी जी ने कहा कि हमारी नीतियों के अनुसार हम कहीं भेदभाव नहीं करते, किसी प्रकार का अंतर नहीं लाते, परन्तु राष्ट्र-भक्ति निश्चित रूप से हम सब से चाहते हैं। जैसा कि अय्यर साहब ने कहा कि उनके दृष्टिकोण

से पुरुषोत्तम दास टण्डन भी राष्ट्रभक्त नहीं थे, उनकी दृष्टि में सरदार पटेल भी राष्ट्रभक्त नहीं थे। इन्होंने जिस समय कहा कि हैदराबाद के नवाब ने यह नारा लगाया कि हैदराबाद पाकिस्तान के साथ जाएगा और वहां खून-खराबा प्रारंभ हुआ तो सरदार पटेल ने सेना भेजकर पुलिस ऐक्शन के द्वारा उसको राष्ट्र का एक हिस्सा रखा। सरदार पटेल भी उनकी दृष्टि में सांप्रदायिक हैं, वे भी राष्ट्रभक्त नहीं हैं, उनकी दृष्टि में सेठ गोविन्ददास भी सांप्रदायिक हैं, वे भी राष्ट्रभक्त नहीं हैं, उनकी दृष्टि में महाराष्ट्र में गणपति उत्सव करने वाले और स्वतंत्रता का अलख जगाने वाले तिलक और गोखले भी सांप्रदायिक हैं। यदि तिलक, गोखले, सरदार पटेल और पुरुषोत्तम दास टण्डन, ये सब सांप्रदायिक हैं तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा या आश्चर्य नहीं होता कि वे हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाएं। परन्तु ये आयोग के निर्माण की बात और उसमें सरकार को ब्लैंकेट पावर देना कि सरकार जिसको नोटिफाइ कर दे वही माइनोरिटी बन जाएगी, यह एक आपस के नए संघर्ष और कलह को पैदा करेगी। क्योंकि कांस्टीट्यूशन ने माइनोरिटीज को डिफाइन नहीं किया और संविधान की धारा 29 और अन्य धाराओं में रिलीजियस या एजुकेशनल प्रसंगों के ऊपर या लिंग्विस्टिक प्रसंगों के ऊपर माइनारिटीज का उल्लेख हुआ है, लेकिन कहीं पर भी कांस्टीट्यूशन बनाने वाले लोगों ने इसकी डेफिनिशन नहीं दी है कि कौन माइनोरिटी में होगा, किस प्रकार की माइनारिटी देश के अंदर है, कौन कौन है, इसका वर्गीकरण उसमें नहीं किया गया है। अब यदि हम भारत सरकार को यह अधिकार देते हैं तो आज एक दल का शासन है, वह एक वर्ग को माइनारिटीज समझेगा और दूसरे दल का शासन होगा तो वह नोटिफिकेशन इश्यू करके इसे बदल देगा और जो अब तक माइनारिटीज थे वे मेजारिटी में आ जाएंगे और मेजारिटी माइनारिटीज में आ जाएंगे। इस पर बनाया गया ड्राफ्ट भी माइनारिटी कमीशन का ही है। वह ड्राफ्ट निश्चित रूप से जिसका कोई स्टेटस नहीं है, किसी प्रकार का कोई फार्मूला या क्राइटीरिया नहीं है कि कौन मेजारिटी है और कौन माइनारिटी है, यह सरकार को एक प्रकार से अधिकार देना कि वह जिसको चाहे उसको माइनारिटी घोषित कर दे। यह संविधान की भावनाओं के विपरीत है। इस सदन में सब तरफ बैठने वाले जितने माननीय सदस्य हैं, मेरा आग्रह है कि आप इस पर गहन विचार कीजिये कि क्या कारण था कि इस बिल में आप उसे डिफाइन नहीं कर सके। क्यों डिफाइन नहीं कर सके, क्यों नहीं लिख सके। यदि आप समझते हैं कि मुसलमान यहां माइनारिटी में हैं तो मुसलमान शब्द लिखने में आपको क्या तकलीफ है। यदि आप समझते हैं कि सिख यहां माइनारिटी में हैं तो सिख शब्द लिखने में आपको क्या तकलीफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारे आरोप लगाये गये हैं और मैं चाहता था कि उन सब का विस्तृत उत्तर देता। आरोप लगाते समय टाइम का ख्याल नहीं रखा गया, अब उत्तर के लिये, जैसी आप आज्ञा देंगे, मैं उसे स्वीकार करूंगा। परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने सरदार पटेल की स्पीच यहां पढ़कर सुनायी थी। जिस समय सदन के अंदर उपासना बिल पर बहस हो रही थी, मैंने गाडगिल की पुस्तक में से सरदार पटेल के विचारों को पढ़कर सुनाया था। सरदार पटेल को भी यदि ये साम्प्रदायिक समझते हैं, उन्हें भी फिरकापरस्त समझते हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारे संविधान में सैक्यूलर शब्द बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है लेकिन जब कश्मीर में उस संविधान को एप्लाई किया गया, कश्मीर में जब उस संविधान को लागू किया गया तो सैक्यूलरिज्म शब्द को उसमें से निकाल दिया गया। भारत के संविधान के अजर अमर सिद्धांत को, प्रिएम्बल में, जब उस समय अमेंडमेंट लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन विधेयक, वहां कश्मीर में उसे

लागू नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं उनसे कि ये दो प्रकार के स्टैन्डर्ड क्यों अपनाये जा रहे हैं। वे हमें बोलते हैं कि आडवाणी साहब दो तरह से सोचते हैं लेकिन आडवाणी साहब क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, वह तो बहस का विषय है बट इट इज ऑन रिकार्ड, वह कान्सटीट्यूशन के रिकार्ड पर है कि आपने कश्मीर में सैक्यूलरिज्म शब्द को काम में नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्यों शेख अब्दुला को आपने 11 साल तक जेल में रखा, यदि आप समझते थे कि वे देशभक्त थे। यहां बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई कार्य नहीं किया, कहीं किसी स्टेज पर कोई बलिदान नहीं दिया, आज वे ही कहते हैं कि हमारा खून जायेगा लेकिन शेख अब्दुल्ला को, जो निश्चित रूप से जवाहर लाल नेहरू के साथ में थे, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने बाध्य होकर उन्हें जोरदार जेल के सींखचों में क्यों डाला। 11 साल तक कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को क्यों जेल में रखा गया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

आज राजेश पायलट कश्मीर में क्यों जाते हैं, गुलाम नबी आजाद साहब क्यों नहीं जाते, गुलाम नबी आजाद साहब को क्या हो गया, जबकि गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर के रहने वाले हैं और राजेश पायलट हमारे राजस्थान में रहते हैं। पायलट साहब कश्मीर जाते हैं, आजाद साहब नहीं जाते। मैं जानना चाहता हूं कि फारूख अब्दुल्ला को क्या हो गया, चव्हाण साहब को क्या हो गया।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्टवादिता में विश्वास करती है, शुद्ध राष्ट्रीयता में विश्वास करती है और यही कारण है कि पहले हम दो थे, बाद में 89 हुए और आज 119 सांसद यहां जीतकर आये हैं। भारत की जनता शुद्ध राष्ट्रीयता के साथ में हैं और वह समय दूर नहीं जब हम यहां बैठने वाले, शुद्ध राष्ट्रीयता के उपासक, भारतमाता के सपूत उस ओर बैठेंगे और उस ओर जो लोग शुद्ध राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करते, उनके स्यूडो सैक्यूलरिज्म का पर्दाफाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की पूरे तरीके से तो ताईद नहीं कर सकता, इसलिये कि इस बिल में अगर वाकई आप यह चाहते कि यहां अकलियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, जो नाइंसाफी हुई है, अगर आप उसको हल करना चाहते हैं तो फिर इस बिल के अंदर आपको वे ही अख्तयारात देने चाहिये थे जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो बिल पेश किया गया था, जिसको पास किया गया, वे ही अख्तयारात आपको हमें भी देने चाहिये थे। लेकिन यह कांग्रेस की एक अजीबोगरीब पौलिसी रहती है कि सिर्फ वह हमदर्दी की तो बात करती है लेकिन जब देने का सवाल आता है कुछ तो बहुत सी चीजें काट-कूट कर देती है। यही वजह है कि आज सब जगह बदजनी फैली हुई है। अगर आप समझते हैं कि वाकई इसका इलाज होना चाहिये तो आपको चाहिये था कि पूरे-पूरे अख्तयारात देते। ताकि जो नाइन्साफियां हुई हैं उसका मदावा हो सके। लेकिन यहां देखने में यह आया है कि बिल में माईनौरिटी कमीशन को वे अख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि सिर्फ रिपोर्ट पेश करके रह जाएंगे और इसके सिवा कुछ नहीं हो सकेगा। बिल के साथ मुसलमानों के अन्दर यह बात भी आएगी कि आज हमारे साथ इम्तियाज बरता गया है। हरिजनों को कमीशन के लिए जो अख्तियारात दिए गए वह हमारे लिए नहीं दिए जाते। यहीं से आपका सैकुलरिज्म मालूम होता है। सवाल सैकुलरिज्म पुकारने का नहीं है, सवाल यह है कि सैकुलरिज्म

को गवाही कौन दे। सैकुलरिज्म की गवाही अगर मुसलमान देते हैं तो यकीनन दुनिया उसको सैकुलर कह सकती है। लेकिन आप अगर सिर्फ सैकुलरिज्म का ढिंढोरा पीटते रहे तो सैकुलरिज्म नहीं कहलाया जा सकता।

आज इस बिल के लिए जो जद्दो-जहद की जा रही थी उसका मकसद यही था कि जो फसादात होते हैं, जो हंगामें होते हैं, मरते भी हम हैं, लुटते भी हम हैं और उसके बाद गिरफ्तारियाँ भी हमारी होती हैं। यही चीज थी, हम चाहते थे कि हकीकी जाँच हो और हर चीज छनछनाके सामने आए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हकीकत फिर भी सामने आने वाली नहीं है। अगर आप पूरे अख्तियारात देते, आप खुद गौर कीजिए कि आजादी के पहले सरकारी मुलाजिमतों में हमारा तनासुब क्या था और आज सरकारी मुलाजमतों में हमारा तनासुब एक फीसदी से भी कम होकर रह गया है। अगर आप सिर्फ आंध्र प्रदेश की हुकुमत पर नजर डालें तो आप देखें कि वहां 7 यूनीवर्सीटी हैं लेकिन एक यूनीवर्सीटी का भी वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है। जहां पर हाई कोर्ट में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है वहां सिर्फ दो जजेस हैं। वे हालांकि काबिल हैं। इसी तरह से इंजीनियरी, डाक्टरी में आपको मालूम होगा कि वहां मुसलमानों का तनासुब क्या है। यह कहना कि मुसलमान इन इम्तियानात के अन्दर नहीं आता है, यकीनन आता है और अच्छे नतायत भी लाता है। लेकिन उसको नीचे किया जाता है और यही वजह है जिसके लिए हम जद्दो-जहद कर रहे हैं।

खुदाया आप महसूस करते हैं कि राजस्थान मे टाडा के तहत आज भी डेढ़ सौ मुसलमान गिरफ्तार हैं। आज दो वर्ष से ज्यादा का अरसा हो गया है।.......(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों गिरफ्तार हुए।........ (व्यवधान) वे इसलिए गिरफ्तार हुए क्योंकि उनके यहां से बम मिले थे।.........(व्यवधान)

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हां, हम छोड़ना चाहते हैं। यहां सिर्फ ये चाहते हैं कि शोर पुकारा करके हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा तो ये जान लें कि आपका कब्जा ढीला हो चुका है अब ये बातें चलने वाली नहीं हैं।........(व्यवधान)

आज आप देखें कि ये तमाम चीजें वे चीजें हैं जिसके लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इनके अन्दर मदाखिलत करे। इसी के साथ-साथ हम चाहते हैं कि आज आप पूरे तौर पर जो अमेंडमेंट पेश किए गए हैं, उसे कबूल कीजिए और कबूल करने के बाद हकीकत में, वाकई आप कुछ कर सकेंगे। वरना यदि आप इसे नहीं लाएंगे तो फिर वह चीज होगी, हम समझते रहेंगे कि यहां पर हमारे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वादे हैं। आजादी के बाद से आज तक 45 वर्ष हो गए, लेकिन सिर्फ वादों पर टरकाया गया। ये समझते रहे कि शायद वादों से और सब्ज बाग दिखाकर कुछ हासिल करेंगे। मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि वह जमाना गुजर चुका। नई नस्ल जो आ चुकी है मुसलमानों की, शायद आप को यहां कोई नहीं बताता होगा लेकिन मैं साफ-साफ इस ऐवान को पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि जो मुसलमानों की नई नस्ल आ रही है, उनका जम्हूरियत के ऊपर से इतमाद उठ गया है। आज हम उनको रोकते हैं और वह यह कहते हैं कि हमारी समस्याओं का हल सिवाय बुलेट के कुछ नहीं हो सकता और हम भी इसकी तरफ बढ़ेंगे।

आप बताइये आखिर इसका नतीजा क्या होगा ? हम ज्यादा दिन तक उनको नहीं रोक सकते। आपके पास इंटैलिजैंस की रिपोर्ट्स आई होंगी। आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन आप यह समझते हैं कि आप खुशफहमी में हैं। मैं आपकी उस खुशफहमी को दूर करना चाहता हूं। याद रखिये कि यह मुल्क बिल भयानक होगा अगर अभी से मसायल को हल नहीं करेंगे।

आप न तो इसको धमकी समझें और न हमारे मुस्कराते हुए चेहरे को देखकर यह समझें कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं। यहां आदत रही है कि जब मामला हद में बढ़ जाता है तो उस वक्त आप मसायल को हल करना चाहते हैं। जैसे ही मामला सामने आये तो फौरी उसको हल कीजिये। मामला हद से बढ़ने के बाद और बहुत आगे जाने के बाद पीछे नहीं आता है। आखिर, कब तक इस मुल्क के अन्दर 45 बरस को आजादी के बाद भी नाइन्साफी होती रहेगी और आप खामोश रहेंगे।

हम आज सिर्फ अच्छे अल्फाज के अन्दर यह चाहेंगे कि इसको इम्पलीमेंट करवाया जाये। कभी ह्यूमन राइट्स कमीशन बना दिया जाता है, कभी दूसरा कोई कमीशन बना दिया जाता है लेकिन जो जिस जिन्नत में रहता है, उसको आप अच्छी तरह से समझें। 4-5 बरस के बाद वह हालात नहीं होंगे। इस कारण अभी इसी वक्त हालात को सुधारना पड़ेगा। अगर आप सही रास्ता अख्तियारात करेंगे तो यकीनन सही नतायज निकलेंगे लेकिन अगर गलत रास्ता अख्तियारात करेंगे तो नतायज गलत निकलेंगे। फिर जब हालात बेकाबू हो जायेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सही तौर पर कोई काम कीजिये। अगर कोई कमीशन बना रहे हैं तो इसको अख्तियारात दीजिये।

6.27 म०प०

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

यह क्या बात है कि जब शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का कमीशन बनाया जाता है तो उसके अख्तियारात कुछ होते हैं और मुसलमानों के कमीशन के कुछ होते हैं। क्या आपको इसमें तंगनजरी नजर नहीं आती है ? फिर उसके बाद आप सैकुलरिज्म का नारा लगाते हैं। क्या आपका सैकुलरिज्म हकीकी है ? आप खुद हमें इन सब के बारे में बताइये। ये तमाम चीजें कह कर आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدر آباد): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں اس بل کی پورے

طریقے سے تو تائید نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس بل میں اگر واقعی آپ یہ چاہتے ہیں

کہ یہاں اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جو نا انصافی ہوتی ہے اگر آپ اس کو حل

کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس بل کے اندر آپ کو وہ ہی اختیارات دینے چاہئے تھے جو

شیڈیولڈ کاسٹس اور شیڈیولڈ ٹرائبس کے لئے جو بل پیش کیا گیا تھا جس کو پاس کیا گیا وہ ہی

اختیارات آپ کو ہمیں بھی دینے چاہئیں تھے ۔ لیکن یہ کانگریس کی ایک عجیب و غریب

پالیسی رہی ہے کہ صرف وہ ہمدردی کی تو بات کرتی ہے لیکن جب دینے کا سوال آتا ہے

تو بہت سی چیزوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ آج سب جگہ بدظنی پھیلی ہوئی ہے ۔

اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کا علاج ہونا چاہئے تو آپ کو چاہئے تھا کہ پورے اختیارات

دیتے ۔ تاکہ جو نا انصافیاں ہوتی ہیں اس کا مداوا ہو سکے ۔ لیکن یہاں دیکھنے میں یہ

آیا ہے کہ بل میں مائنوریٹیز کمیشن کو وہ اختیارات نہیں دیئے جا رہے ہیں ۔ اس کا نتیجہ

یہ ہوگا کہ صرف رپورٹ پیش کر کے رہ جائیں گے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکے گا ۔

بل کے ساتھ مسلمانوں کے اندر یہ بات بھی آئے گی کہ آج ہمارے ساتھ امتیاز برتا گیا ہے ۔

ہریجنوں کو کمیشن کے لئے جو اختیارات دیئے گئے وہ ہمارے لئے نہیں دیئے جاتے ۔

یہیں سے آپ کا سیکولرزم معلوم ہوتا ہے ۔ سوال سیکولرزم پکارنے کا نہیں ہے سوال یہ ہے

کہ سیکولرزم کی گواہی کون دے ۔ سیکولرزم کی گواہی اگر مسلمان دیتے ہیں تو یقیناً دنیا

اسکو سیکولر کہہ سکتی ہے ۔ لیکن آپ اگر صرف سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے تو

سیکولرزم نہیں کہلایا جا سکتا ۔

آج اس بل کیلئے جو جدو جہد کی جا رہی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ جو فسادات ہوئے ہیں جو ہنگامے ہوئے ہیں مرنے بھی ہم ہیں لٹنے بھی ہم ہیں اور اس کے بعد گرفتاریاں بھی ہماری ہوتی ہیں ۔ یہی چیز تھی ہم چاہتے تھے کہ حقیقی جانچ ہو اور ہر چیز چھن چھنا کے سامنے آئے ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حقیقت بھی پھر بھی سامنے آنے والی نہیں ہے ۔ اگر آپ پورے اختیارات دیتے آپ خود غور کیجئے کہ آزادی کے پہلے سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب کیا تھا اور آج سرکاری ملازمتوں میں ہمارا تناسب ایک فیصدی سے بھی کم ہو کر رہ گیا ہے ۔ اگر آپ صرف آندھرا پردیش کی حکومت پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سات یونیورسٹی ہیں لیکن ایک یونیورسٹی کا بھی وائس چانسلر مسلمان نہیں ہے ۔ جہاں پر ہائی کورٹ میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی رہتی ہے وہاں صرف دو جج ہیں ۔ وہ حالانکہ قابل ہیں ۔ اس طرح سے انجینیئری ڈاکٹری میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے ۔ یہ کہنا کہ مسلمان ان امتحانات کے اندر نہیں آتا ہے بقینا آتا ہے اور اچھے نتائج بھی لاتا ہے ۔ لیکن اس کو نیچے کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے جس کے لئے ہم جدو جہد کر رہے ہیں ۔

خدارا آپ محسوس کرتے ہیں کہ راجستھان میں ٹاڈا کے تحت آج بھی ڈیڑھ سو مسلمان گرفتار ہیں ۔ آج دو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ۔ ۰ ۰۰۰ (انٹر پشنس) ۰۰

شری داؤد دیال جوشی (کوٹہ) : میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں گرفتار ہوئے۔

.....(انٹرپشنس).....

وہ اس لئے گرفتار ہوئے کیونکہ ان کے یہاں سے بم ملے تھے۔ .....

.....(انٹرپشنس).......

جناب سلطان صلاح الدین اویسی : میں نے چیف منسٹر سے بات کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ہاں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہاں صرف یہ چاہتے ہیں کہ شور شرابہ کر کے ہماری آواز کو دبا دیا جائے گا تو یہ جان لیں کہ آپ کا قبضہ ڈھیلا ہو چکا ہے۔ اب یہ باتیں چلنے والی نہیں ہیں۔ .... (انٹرپشنس) ....

* آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جس کے لئے سینٹرل گورنمنٹ کو چاہئے کہ وہ ان کے اندر مداخلت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ پورے طور پر جو امینڈمنٹ پیش کئے گئے ہیں اسے قبول کیجئے اور قبول کرنے کے بعد حقیقت میں واقعی آپ کچھ کر سکیں گے۔ ورنہ اگر آپ اسے نہیں لائیں گے تو پھر وہ چیز ہوگی ہم سمجھتے رہیں گے کہ یہاں پر ہمارے لئے کچھ نہیں ہے صرف وعدے ہیں۔ آزادی کے بعد سے آج تک پینتالیس سال ہو گئے لیکن صرف وعدوں پر ٹرخایا گیا۔ یہ سمجھتے رہیں کہ شاید وعدوں سے اور سبز باغ دکھا کر کچھ حاصل کریں گے۔ میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ گزر گیا۔

نئی نسل جو آچکی ہے مسلمانوں کی شاید آپ کو یہاں کوئی نہیں بتاتا ہوگا لیکن میں صاف صاف اس ایوان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں کی نئی نسل آرہی ہے اس کا جمہوریت کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے ۔ آج ہم ان کو روکتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل سوائے بندوق کے کچھ نہیں ہو سکتا اور ہم بھی اسکی طرف بڑھیں گے ۔ آپ بتائیے آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا ۔ ہم زیادہ دن ان کو نہیں روک سکتے ۔ آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی ہوگی ۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خوش فہمی میں ہیں ۔ میں آپ کی اس خوش فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں ۔ یاد رکھئے کہ یہ مستقبل انتہائی بھیانک ہوگا اگر ابھی سے مسائل کو حل نہیں کریں ۔ آپ نہ تو اس کو دھمکی سمجھیں اور نہ ہمارے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ ہم آپ سے مذاق کر رہے ہیں ۔ یہاں عادت رہی ہے کہ جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس وقت آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں ۔

جیسے ہی معاملہ سامنے آئے تو فوری اسکو حل کیجئے ۔ معاملہ حد سے بڑھنے کے بعد اور بہت آگے جانے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا ہے ۔ آخر کب تک اس ملک کے اندر پینتالیس برس کی آزادی کے بعد بھی ناانصافی ہوتی رہے گی اور آپ خاموش رہیں گے ۔

ہم آج صرف انہیں الفاظ کے اندر یہ چاہیں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے ۔

کبھی مینوریٹیز کمیشن بنا دیا جاتا ہے کبھی دوسرا کوئی کمیشن بنا دیا جاتا ہے لیکن جو چیز جلد میں رہتا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں ۔ چار پانچ برس کے بعد وہ حالات نہیں ہوں گے ۔ اس وجہ سے ابھی اسی وقت حالات کو سدھارنا پڑے گا ۔ اگر آپ صحیح راستہ اختیار کریں گے تو یقیناً صحیح نتائج نکلیں گے ۔ لیکن اگر غلط راستہ اختیار کریں گے تو نتائج غلط نکلیں گے ۔ پھر جب حالات بے قابو ہو جائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے ۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ صحیح طور پر کوئی کام کیجئے ۔ اگر کوئی کمیشن بنا رہے ہیں تو اس کو اختیارات دیجئے ۔

[Shrimati Malini Bhattacharya in the Chair]

6.27 hrs.

(شریمتی مالنی بھٹاچاریہ پیٹھاسین ہوئیں)

یہ کیا بات ہے کہ جب شیڈیولڈ کاسٹس اور شیڈیولڈ ٹرائبس کا کمیشن بنایا جاتا ہے تو اس کے اختیارات کچھ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے کمیشن کے کچھ ہوتے ہیں ۔ کیا آپ کو اس میں یہ خطرہ نظر نہیں آتی ہے ۔ پھر اس کے بعد آپ سیکولرزم کا نعرہ لگاتے ہیں ۔ کیا آپ کا سیکولرزم صحیح ہے ۔ آپ خود ہمیں ان سب کے بارے میں ... بتائیے ۔ یہ تمام چیزیں کہہ کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ۔

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदया, मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से यह जो अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक शक्ति देने का विधेयक पेश हुआ है, उसका समर्थन करता हूं। मेरी इच्छा है कि सदन में यह बिल एकमत से पारित हो। अगर सदन में एक दल और मुख्य विरोधी दल उसका विरोध करता है तो वह अनुचित है। अगर यह एकमत से पारित होता है तो देश हित की बात बहुत अधिक पूरी होगी। जिस समय में अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण हुआ, उसको अधिनियम का रूप नहीं दिया गया, मगर ऐलान हुआ सरकार की ओर से, उस समय बी०जे०पी० का कोई जन्म नहीं हुआ था, वह शायद गर्भ में भी नहीं थी। जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया था और बाजाफ्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता आडवाणी और वाजपेयी जी उस मंत्रिमंडल के साथ थे जिन्होंने इसको पहले किया था। आज तो इसको सिर्फ वैधानिक रूप दिया जा रहा है ताकि वह जो दंतहीन था उसको दांत भी मिल सकें, वह प्रतिवेदन दे सके, खर्चे का इंतजाम हो सके। इन बिन्दुओं को आडवाणी जी ने समझा और कोई एतराज नहीं किया है और माननीय लोढ़ा जी ने भी उसमें एतराज नहीं किया है। इस पृष्ठभूमि में और भी आवश्यक था कि वह और भी इसका समर्थन करें, नहीं तो क्या होगा, यह समझा जायेगा कि आप सरकार में रहे तो वही चीज की लेकिन जब विरोध पक्ष में गये तो उसका विरोध किया। ऐसा करना बेतुका लगता है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, कोई मापदंड नहीं रह जाता है।

अभी हमारे मंत्री केसरी जी यहां मौजूद हैं। यह ठीक है कि कश्मीर का खास तरह से विलय हुआ। खास बातें हुई, मगर जब अल्पसंख्यक आयोग की बात है और जम्मू और कश्मीर तो नाम ही है, लद्दाख नाम में नहीं है लेकिन हम, आप जानते हैं, इससे उसको अलग करना, मैं अभी भी चाहूंगा कि सरकार द्वारा कल यह पारित होने को है, इसे जांच ले और अगर कोई वैधानिक बाध्यता नहीं हो तो उसको अलग करने की बात इसमे हटा दी जाए ताकि सारे देश पर यह लागू हो।

महोदया, मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। देश के इतिहास के जिक्र का मामला है। आडवाणी जी ने पहले का जिक्र किया है। जिक्र बेतुका नहीं है। अंग्रेजों की चाल थी, फूट डालो, राज करो, उन्होंने अपने भर प्रयास किया। देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले सभी लोगों ने अपनी समझ, अपनी अकल के मुताबिक देश को एकताबद्ध कर अंग्रेजों का मुकाबला करने का, आजादी हासिल करने का प्रयास किया और उसमें, यह ठीक है कि उस समय की मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का नारा दिया, दो राष्ट्र का नारा लगाया, मुस्लिम की अलग कौम का नारा लगाया और उस समय के आर०एस०एस० और हिन्दू महासभा ने जनसंघ का अभी जन्म नहीं हुआ था लेकिन आर०एस०एस० और हिन्दू महा सभा ने, आर०एस०एस० तब थी, हिन्दू राष्ट्र का नारा दिया। हिन्दू राष्ट्र यहां के बाशिन्दों के माने में नहीं, मजबो माने में, दोनों की बात एक हो गई। मुस्लिम लीग ने कहा मुस्लिम अलग कौम है, उनको अलग कीजिए और आर०एस०एस० ने कहा हिन्दू राष्ट्र अलग होना चाहिए। अंग्रेजों की चाल बन गई कि तब तुम भी अलग हो जाओ, तुम भी अलग हो जाओ, हिन्दू राष्ट्र भी कर लो, मुस्लिम राष्ट्र भी कर लो।

हमारे सर्वोच्च नेता महात्मा गांधी ने अपने तरीके से, मैं उस तरीके में शामिल उस वक्त भी नहीं था, अपने तरीके से "ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब को सम्मति दे भगवान" पूरा प्रयास

किया और वह मेरी तरह अपने को लामजहब नहीं कहते थे, वह आपने को हिन्दू भी कहते थे और ईश्वर का नाम लेकर किसी ने उनके कलेजे में गोली मार दी। महात्मा गांधी की रक्षा हम नहीं कर सके और कुछ लोगों ने अल्लाह का नाम लेकर देश को बांट दिया। अगर बंटवारा न हुआ होता तो भारत में मुसलमानों का अधिकार, मुसलमानों की भारत में शक्ति और भी ज्यादा होती।

मैं आशा करता था कि हमारे जो कुछ मित्र बोले हैं, थोड़ा उसपर भी बोलते। चूंकि मेरे जैसे आदमी ने, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, 1947 के 15 अगस्त को बाहर से खुशियां मनाकर रात को भूखा रह गया था कि आजादी मिली लेकिन जहां हमने ऋग्वेद की ऋचाऐं रची थीं, वह विदेश हो गया, जहां हमने आजादी की शपथ ली थी, वह विदेश हो गया तो एक वक्त की बात है, गुजरी हुई बात है। आज फिर वह धमकी दे दी जाती है कि टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा, अभी हमारे मित्र बोले हैं, हैं नहीं सेट साहब, सारी बातें अच्छी बोले हैं, मगर इसका क्या मतलब होता है ?

मैं जानता हूं कि देश की एकता का हक और फर्ज हम दोनों में सबों का बराबर है, इस सदन में सारे देश के 85 करोड़ लोगों का बराबर है। हक भी बराबर है और फर्ज भी बराबर है इसको मोटे तौर पर सभी लोग मानकर आगे बढ़ रहे हैं। मगर 1947 का बंटवारा दिमाग बंटवारा भी हुआ। अगर दंगों की आग को रोकने में गांधी जी की बोली असफल हो गई थी तो गांधी जी के खून ने उस धारा को रोक दिया। गांधी जी की शहादत ने करोड़ों की जान बचा ली, नहीं तो और कितने करोड़ इधर से उधर गये होते और पता नहीं लगता क्या हुआ होता। आज महात्मा गांधी जी जैसी हस्ती हमारे बीच में नहीं है इसलिए इस तरह की धमकी की बातें न हों, यह सब के हित में है, हम सबों के हित में है।

अब इसी प्रसंग में अभी लोढ़ा जी ने गिनाया है कि हम दो थे, दो से 86 हुए और 86 से अब 119 हुए हैं मगर इसमें जितना बड़ा उनका हाथ नहीं है, उतना हाथ इस सरकारी दल का है और हमारे कुछ मित्रों का है, जो अल्पमत के नाम पर बोलते हैं। शाहबानो भारत की एक नागरिक थी, और लाखों शहबानो मेरी बहन भी हैं, जितना दूसरे का दावा है। लेकिन लाखों शाहबानो को भारत में मानवधिकार से वंचित कर दिया गया, वैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया गया, और आज यह हमारे मित्र कहते हैं कि हमने सही किया, जैसा सेट साहब बोले हैं, सही किया है सही करेंगे। मैं समझता हूं, अभी कुछ मित्र हैं, वह साहस करेंगे और इस सवाल पर बोलेंगे। चूंकि यह सब मामूली बात नहीं हैं, यह बी०जे०पी० को एक सुनहरा मौका मिल गया, हर जगह वह बोलते हैं, हम कम्युनिस्टों ने उस समय में विरोध किया था, हम कहते हैं, वह भी गलत हुआ, यह भी गलत हुआ। कांग्रेस वालों की बोलने की हिम्मत आज भी नहीं है कोई वक्ता नहीं बोले हैं कि हमने वह गलती की। नतीजा क्या होता है वह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर लागू नहीं हुआ, शाहबानो के मामले में तो हाई कोर्ट के फैसला अयोध्या पर कैसे लागू होगा। लोगों के बीच में दोहरा नाप चलाना इस देश में कठिन हो जाता है। यह शक्ति श्रीमान् बीजेपी के नेता लोगों को कांग्रेस सरकार ने दी। एक तरफ एक सम्प्रदायवाद के लोगों को खुश करने के लिए, शाहबानो को मानवीय अधिकारों से वंचित करने के लिए और दूसरी तरफ आपने कहा कि शिलान्यास कर लो। नतीजा यह हुआ, न वह साम्प्रदायवाद इनके साथ रहा और न यह साम्प्रदायवाद इनके साथ रहा। हम आप देख चुके हैं। अवसरवाद का नतीजा, हम करें या आप करें, अच्छा नहीं होता है। क्षणिक मालूम भी पड़े, तो ही नहीं पाता है।

उसी तरह से आज फिर एक खतरा और मालूम पड़ रहा है। यहां दिल्ली विश्वविद्यालय, क्या स्थिति है ? चूंकि प्रो-वाईज-चांसलर ने कहा मेरी यह राय है कि किताब पर बंदिश लगाना मुनासिब नहीं था। लोगों के जजबात पर हमला हुआ, दुःख पहुंचा। मैं उसका विरोधी नहीं हूं और अब उन्होंने यह भी कहा अगर किसी को दुःख हुआ है, तो मैं माफी मांग लेता हूं। क्या इलाज होगा ? मेरे जैसा आदमी बाल्मीकि रामायण पढ़ता है, उसमें लंका की सभ्यता के गुण का जिक्र है रावण के बड़प्पन का भी जिक्र है, अगर मैं बोलूं, तो क्या उसकी गर्दन काट दो, इसका मुंह काट दो। इसके लिए अभी भी जामिया-मिलिया में उपद्रव है। जो कुछ भी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आवाज खास कर अल्पमत सम्प्रदाय की है, वे आवाज उठायें, हमारे जो नौजवान बहके हुए हैं, वे मानकर बढ़ें, गलत राय वाले को राय देने दो, लेकिन हम सही राय से उसके जवाब का हम खंडन देंगे। एक खुशी को खबर आई है कि ईरान के कई दर्जन, 50-60 विद्वानों ने अलग राय दी है, इससे वहां पर जामिया-मिलिया में सारा कारोबार बंद है। हमारे मंत्री जी नहीं बोलते हैं, सरकार गूंगी बनी हुई है। जिस सम्प्रदाय के नाम पर हंगामा हो रहा है, वे नेता लोग वहां चुप हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे। बाहर क्या है, जो मुसलमान हैं, देशभक्त मुसलमान हैं, मेरी समझ में सही मुसलमान हैं। इस्लामी मजहब की भाषा तो मजहब में हुई। सूदखोरों के खिलाफ एक इन्कलाब फैसला, एक पैसा भी सूद लेगा, पांच बार नमाज भी पढ़े, तो मुसलमान नहीं हो सकता है। फाजिल दौलत रखेगा और पड़ोसी गरीब है, तो वह भीख नहीं, उससे लेकर गरीब को दी जाएगी। उससे पहले सीधी एक ही बात है, हम गरीब कायम रखेंगे। इससे भारतीयता पर चोट आती है। इन बातों से मुझे शक है कि बी०जे०पी० उसमें मददगार है, क्योंकि उपचुनाव दिल्ली के होने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जामिया मिलिया में उपद्रव रहेगा तो उपचुनाव में मदद मिल जाएगी। मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि यह खतरा है। जो मेरी बात हुई है, उसी के आधार पर मैं यह कह रहा हूं। हमारे सभी मित्र समझें। अगर ये इस दीवार में मारेंगे तो उलट कर उस दीवार में जा गिरेंगे। एक सम्प्रदायवाद का असर दूसरे सम्प्रदायवाद पर पड़ता है। देश में जमायते इस्लामी प्रमुख मजहबी पार्टी है। हमारी अखिल भारतीय पार्टी है, मगर जम्मू-काश्मीर में उसका कोई अंग नहीं है। जम्मू-काश्मीर में जो जमायते-इस्लामी है, वह कहती है कि जम्मू-काश्मीर पाकिस्तान का अंग होना चाहिए, भारत में नहीं होना चाहिए। उनके नेताओं से पूछा कि यह क्या हो रहा है ? कहने लगे कि वह अंग नहीं है, जमायते इस्लामी वह नहीं है, आपका कोई है या नहीं, तो कहा कि नहीं है। हमने कहा—वह कहती है कि जम्मू-काश्मीर भारत से अलग हो जाए। आपने अलग कर दिया। पांच आदमी आपको जमायते इस्लामी में नहीं मिले कि वहां जमायते इस्लामी की संस्था कायम भी हो जाए। दो आदमी भी नहीं। जमायते इस्लामी के सम्पादकीय पृष्ठ पर देखा, भारत में जो सरकार ने रुख लिया था, अयोध्या मामले पर। 1947 के बाद जो मंदिर और मस्जिद की बात है, वह कायम रहे उसकी तारीख थी। पृष्ठ पर दूसरे स्तम्भ पर लिखा कि पाकिस्तान में पहले-पहल सही इस्लामी सरकार कायम हुई है, जो फिरकापरस्ताना आधार पर खड़ी है। आंख वाले दोनों पढ़ेंगे तो लोग क्या समझेंगे। हमारे मित्र सेठ साहब मौजूद हैं। उन्होंने जितना देश भक्ति पर कहा है, और खास कर जो केरल में मुस्लिम लीग के बंटवारे के बाद भी राष्ट्रीय रुख नहीं लिया। वह मजहब फिरका-परस्ती का आधार रखते हुए भी, आज जमायते इस्लामी को यह रुख लेना चाहिए कि उसका फिर जहर फैल रहा है। नया जहर फैल रहा है, यह रुख लेना चाहिए। जम्मू-काश्मीर में जो जमायते इस्लामी है, वहां पर अलग है, भारतीय जमायते इस्लाम का अंग नहीं है। अंग कायम

है। क्या हम सब लोगों को समझा सकेंगे कि यह ठीक है, तुम सम्प्रदायवादी रहो। जब हमने केरल में मुस्लिम लीग से दोस्ती की, मैं सी०पी०एम०, सी०पी०आई० दोनों के लिए कह रहा हूं, मेरे जैसे लोगों ने कहा कि अब आर०एस०एस० को आने का निमंत्रण मिल गया। हमारे बहुत नेताओं ने नहीं समझा, कि यह कैसे होगा ? हमने कहा कि जब वह आएगा और हम कहेंगे मुस्लिम लीग सेक्युलर और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मतलब कम्युनल, यह सब हमारा हुक्म मान लेगा यह नहीं चलेगा और यह हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि एक-दूसरे की मदद की जाती है और कांग्रेस की सरकार अवसरवादिता का शिकार बनी हुई है और भी गलतियां हुई हैं।

अभी लोढा साहब ने बहुत से उदाहरण दिए हैं। यह जो हमारी समर्थित सरकार थी उनका भी समर्थन था और यह कि जगमोहन को गवर्नर बनाया जाए, कश्मीर की सरकार ने कहा कि जगमोहन को न बनाइए और किसी दूसरे को भेजिए। इनकी ताकत ज्यादा थी और इनके जोर पर हमारी समर्थित सरकार झुक गई। (व्यवधान) जगमोहन गए और फारूख अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया, उसके बावजूद विधान सभा को भी जगमोहन ने भंग कर देने का सुझाव दिया। आज कश्मीर में दिल्ली और वहां की जनता के बीच में क्या रिश्ता है, शायद उधर से बम और इधर से बन्दूक का रिश्ता है, कोई जम्हूरी रिश्ता नहीं रह गया है। उस पाप की भागी वह सरकार भी है, जिसमें हम समर्थक थे वह भी एक पाप हुआ और उनके बल पर हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हम लोगों ने गलतियां की हों.... (व्यवधान)

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : यह हर बार एक इलजाम सा लगता है कि जगमोहन को भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर के अंदर, नेशनल फ्रंट की सरकार ने भेजा था। इस समय एक तो मंत्री जी यहां बैठे हैं, जार्ज जी और उस समय के जो प्रधान मंत्री थे वह भी हाउस में होते हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी उसके समर्थक रहे हैं, सरकार के, फैक्ट्स जरूर वेरीफाई करिए। यह हकीकत है कि मुफ्ती मो० सैयद, जो गृहमंत्री थे उनके चाहने पर वे वहां गए, जिस ढंग से आपने जगमोहन को हटाया उसका बी०जे०पी० ने विरोध किया था (व्यवधान) इसमें बी०जे०पी० का कोई हाथ नहीं था। इसलिए यह जो पिटी-पिटाई लाइन को आप बार-बार यहां दोहराते हैं, यह गलत है।

श्री भोगेन्द्र झा : धन्यवाद। मैं यह कहता हूं कि गृह मंत्री नहीं भेजते तो वे कैसे जाते ? यह तो मानी हुई बात है कि मंत्री जी ने उनको भेजा और हमारे मंत्री जी बोलेंगे, कैबिनेट की गुप्त बातें न तो मैं उनसे पूछूंगा और न वे कहेंगे। (व्यवधान)

प्रो० प्रेम धूमल : बी० जे० पी० का हाथ नहीं था। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं उनसे कोई गुप्त बात कहने को नहीं कहूंगा। (व्यवधान) लेकिन फिर भी अगर बी०जे०पी० आज भी यह कह दे कि जगमोहन की नियुक्ति में उसका कोई हाथ नहीं था, उसके नेताओं का हाथ नहीं था तो मैं समझता हूं कि आडवाणी जी बोल देंगे जो उस समय में उस सरकार में थे या हमारे गृह मंत्री जी भी हैं तो एक नयी चीज देश के लिए होगी क्योंकि हम लोगों ने विरोध किया था, कम्युनिस्टों ने विरोध किया था और वहां के मुख्य मंत्री ने कहा था कि वह नहीं आए यहां पर खतरा होगा और खतरा हुआ। विधान सभा भी भंग कर दी गई। जार्ज साहब मौजूद हैं उन पर कोई गुप्त बात न खुले कि ये बोल दें तो मैं खंडन नहीं कर सकूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : यह बात सही है कि उनकी जो नियुक्ति थी उस नियुक्ति में केवल राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी उसी सरकार का फैसला था, उसमें बाहरी किसी भी प्रकार का न दबाव था, न इनफलुऐंस और मैंने इस बात को लेख में लिखा है, जो लेख लाइब्रेरी में सेमिनार के अप्रैल के अंक में आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ बातों को स्पष्ट करना जरूरी है इसलिए जब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूं।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, जो जार्ज साहब ने कहा है मैं उसका खंडन नहीं करता हूं मगर उस वक्त खुले आम उस सरकार के समर्थक हम कम्युनिस्टों ने, सभी वामपंथियों ने कहा था कि जगमोहन की नियुक्ति न की जाए। **(व्यवधान)** आप सुन तो लीजिए। बाहरी तो हम थे ही। **(व्यवधान)** उसके तो हम समर्थक थे ही, हम भी समर्थक थे। मैं उनका खंडन नहीं कर रहा हूं मैं तथ्य को रख रहा हूं। **(व्यवधान)** कश्मीर की सरकार ने भी मुख्य मंत्री ने भी विरोध किया था कि उनको न भेजिए और जब भेज दिया तो उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बीच विधान सभा को भंग करने का सुझाव आया, उसी जगमोहन से। और विधान सभा भंग कर दी गई और अभी तक निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वहां कब विधान सभा बनाएंगे। **(व्यवधान)**

कभी की बात मैं नहीं जानता, उसका विरोध हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन वामपंथियों ने विरोध किया था, यह तथ्य है। **(व्यवधान)**

तब से कश्मीर में यह खतरा बढ़ गया, और बातों से भी बढ़ा, उन पर मैं नहीं जा रहा हूं। अभी भी जो हो रहा है, अभी भी केसरी जी को कह रहा हूं कि वे जांच कर लें और इसमें कश्मीर को जो हटाने की बात की गई है, यदि इससे कोई बहुत वैधानिक बाधा न हो तो उसको हटा लें, क्योंकि जम्मू में, लद्दाख में, श्रीनगर में अभी भी मुसलमान अक्लियत में हैं। कश्मीर को इससे अलग करने की बात इसलिए क्यों जरूरी है, कम से कम मेरी समझ में यह बात नहीं आती। अभी रात भर और विचार कर लें और कल इसको स्वीकार कर सकते हैं।

जिस जजबात से सेठ साहब ने कहा है, मैं चाहूंगा कि यही भावना देश में रहे और अगर बी०जे०पी०समर्थन कर दे तो इसमें चार चांद लग जाते हैं, अगर यह हो जाए कि देश की संसद का यह विचार है, इसलिए देश की एकता और अखण्डता के लिए इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। हम सभी चाहते हैं, भले ही इसके रूप-रंग में फर्क है इसमें यह चीज मददगार होगी, लेकिन अगर ये इसका विरोध करेंगे, 1978 में इसको लागू करने में ये शामिल थे, उस वक्त इसके दांत नहीं थे, 14 साल बाद इसको दांत दिए जा रहे हैं, इसको वैधानिक रूप दिया जा रहा है, तब अगर ये इसका विरोध कर दें तो वह अपने ही शिशु की हत्या में शामिल हो जाएंगे और वह भी 14 वर्ष के बाद, यह अच्छा नहीं लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वे भी इसका समर्थन करें।

साम्प्रदायवाद के बारे में जो मैंने कहा है, दोनों एक-दूसरे को मदद करते हैं। अल्पमत का सम्प्रदायवाद खतरनाक नहीं है, लेकिन इस चीज को इससे बढ़ावा देने का मौका मिलता है। हमारा बहस में पाला पड़ता है और अक्ल वालों से, कान, नाक, आंख वालों से बहस करनी पड़ती है, वे कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानो के मामले पर क्यों बदल गया दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर, वे भी मुसलमान हैं गैर मुस्लिम नहीं हैं फिर

भी कहा जा रहा है कि इनको निकाल दीजिए, नहीं तो इम्तहान नहीं होने देंगे, पढ़ाई नहीं होने देंगे। जो खास कर मजहब के नाम पर नेता बनते हैं, उनको खुल कर इस पर बोलना चाहिए, अपील करिए। नौजवान भी देशभक्त हैं, लेकिन उनको जब गलत मशविरा दिया जाता है तो वे गलत रास्ते पर आ जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं नहीं जानता हूं कि कायदेआजम जिन्ना फिरकापरस्त थे मेरी समझ में नहीं थे। मैं उल्टी बात कह रहा हूं, मगर वे फिरकापरस्त नहीं थे। यह विश्वास है जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति की हैसियत से पहला भाषण जो उन्होंने दिया पाकिस्तान के जन्मदिन के अवसर पर, उन्होंने कहा कि अब जब पाकिस्तान बन गया है तो इस देश में अब कोई मजहबी झगड़ा न हो, हिन्दु, मुसलमान, सिक्ख सब को बराबर के अधिकार हों। पाकिस्तान गैर-मजहबी राष्ट्र होकर रहेगा। पाकिस्तान सरकार इसका प्रचार नहीं करती है, कम से कम भारत में सरकार न करे. लेकिन और लोगों को इसका प्रचार करना चाहिए। उस भाषण का अंश अभी भी मेरे पास है, लेकिन जब गलत घोड़े पर सवारी करते हैं तो नतीजा उसका गलत हो जाता है। इसलिए एक वोट के लिए जो हम फिरकापरस्ती का हिसाब कर रहे हैं, गुणा, भाग कर रहे हैं, 2 से 86 हो गए और 86 से 119 हो गए, क्या इसी प्रकार आप हिसाब करेंगे, भले ही देश टूट जाए। लेकिन यही वह देश है जो 119 से फिर 2 पर ला सकता है, पुनरमूषक:भव यह कोई बड़ी भारी बात नहीं है, एक साधु ने इस चीज को कर दिया था। यहां तो ऐसा भी होता है कि गिनती 100 से शुरू होती है और 99, 98 होते होते एक पर आ जाती है, वही पुनरमूषक:भव वाली बात मैं कह रहा हूं। कुल मिलाकर हमको किसी सिद्धांत पर, देश की एकता के आधार पर आगे बढ़ कर एकमत से इसको पारित करना चाहिए।

कुछ उदाहरण आए हैं कि आदिवासियों के लिए जो सुविधाएं हैं, वे मुसलमानों के लिए क्यों नहीं हैं, जो सुविधाएं हरिजनों के लिए हैं, वे मुसलमानों के लिए क्यों नहीं हैं। आदिवासियों का अलग नस्ल का मामला है, रेशल सवाल है। आदिवासी प्राकाई भारतीय हैं, मैं अबोरिजनल नहीं कह रहा हूं ओरिजनली वह भारतीय हैं, वह अलग किस्म का मामला है। मुसलमान अलग नस्ल के नहीं हैं, 1000 में से 999 एक खून के हैं, 1000 में से एक-आध बाहर से आए होंगे, और इसी खून के हैं। हम अगर खोजेंगे तो 4-10-15 पीढ़ी पहले बहुतों के नाते-रिश्तेदार उसमें मिलेंगे। इसलिए आदिवासी और मुसलमान का सवाल एक नहीं है। वैसे ही जो हरिजन हैं, अनुसूचित जाति के हैं, भारतीय समाज में जब जाति-पाति पैदा हुई, पहले नहीं थी, वर्ण जन्म पर नहीं था, गुण पर था जब जन्म पर पैदा हुआ जाति के रूप में, जिन लोगों ने अमीरी-गरीबी को नहीं माना, विद्रोह किया, वे दुःसाध्य कहलाए, डिफीकल्ट टू कंट्रोल, इसी को दुःसाध्य कहते हैं। हमारे ग्रन्थों में ये बातें वर्णित हैं। ये बातें वेदों में भी हैं, महाभारत में भी हैं और हरिवंश में भी है। मुसलमानों के पिछड़ेपन का एक कारण 1947 का बंटवारा है। लाखों लोग, जो व्यापारी थे, धनी थे, पढ़े-लिखे थे, वे भाग गए, चाहे बंगला देश की तरफ गए, चाहे पाकिस्तान की तरफ गए। जो आगे बढ़े हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मत दिया था उसका एक बड़ा हिस्सा यहां भी रह गया। एक कारण यह भी हुआ। यहां उपेक्षा हुई है, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आज हम आयोग की नियुक्ति को कानूनी रूप दे रहे हैं जो उसकी जांच पड़ताल करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा।

मेरे जीवन का अनुभव है, कोई मुसलमान किसी गैर-मुसलमान से मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है। वह हर मामले में बराबरी पर मुकाबला कर सकता है,

जब उसको मौका मिलता है। वह मुकाबला करके अपने हक की तरफ बढ़ सकता है हम 85 करोड़ लोग, चाहे किसी मजहब के हों, सबका फर्ज है, एक आवाज से इसको उठाएं, ऐसी आवाज न दें कि देश में और भी ज़हर फैल जाए। फिर मैं आग्रह करूंगा, हम एकमत से इस विधेयक को पारित करें, देश की एकता की आवाज दें। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : महोदय, मैं अनाद्रमुक दल की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संबंधी विधेयक, 1992 का हृदय से स्वागत करता हूं।

मैं विधेयक के सिद्धांतों से पूर्णतः सहमत हूं और मैं अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा देने की आवश्यकता से भी सहमत हूं।

जबकि सरकार आयोग को सांविधिक दर्जा देना चाहती है फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे सांविधिक के साथ-साथ लोकतांत्रिक दर्जा भी दिया जाए। यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में एक स्थायी संसदीय समिति गठित की जाए। यह समिति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, लोक लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति की भांति ही गठित की जानी चाहिए। ऐसी समिति गठित करने से बहुत लाभ होगा।

एक आयोग की तुलना में संसदीय समिति अधिक स्वतन्त्रता से कार्य करेगी। इसके पास साक्षी को बुलाने और दस्तावेज मंगाने की शक्ति होगी और यह सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में जा सकेगी तथा साथ ही इसे सभा का विशेषाधिकार प्राप्त होने से इसके कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। समिति की सिफारिशों को जानबूझ कर लागू न करने से विशेषाधिकार के हनन के लिए दंड दिया जा सकेगा। समिति का गठन हर वर्ष अथवा दो वर्ष के बाद करना आवश्यक होगा। प्रस्तावित आयोग को ऐसी शक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए मैं यह आग्रह करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करें। इसके अलावा संसदीय समिति का एक स्वतन्त्र सचिवालय होगा जो माननीय अध्यक्ष के अधीन रहकर समिति का कार्य करेगा।

यदि माननीय मंत्री विधेयक पर आगे चर्चा चाहते हैं तब मेरे कुछ सुझाव हैं।

सबसे पहले यह बात है कि विधि द्वारा यह स्पष्ट किया जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं। जब कानून बनाया जाए तब उसे इस बात को संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। यदि विधि में ही कोई सूची दी जाये तब केवल संसद ही अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में परिवर्तन कर सके। लेकिन विधेयक के खंड 2(ग) के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों की सूची को स्पष्ट करने की यह शक्ति केन्द्र सरकार को दी गई है। संसद की स्वीकृति तो बाद में ली जानी है वह भी यदि सरकार आवश्यक समझे। ऐसी योजना विधेयक की मूल भावना के विरुद्ध है। संसद सदस्य आयोग को गठित करने के लिए मतदान करेंगे लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि ये अल्पसंख्यक कौन है। मैंने खंड 2 और अनुसूची के लिए संशोधन प्रस्तुत किये थे। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री उनको स्वीकार करेंगे।

महोदया, मेरे विचार से आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किए जाने चाहिए। संसद सदस्यों को आयोग के सदस्य चुनने का अधिकार होना चाहिये। केन्द्र सरकार आयोग के एक सदस्य को उसका अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार अपने पास रख सकती है। यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए तथा अल्पसंख्यकों में से गरीब से गरीब लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के एक या दो नेता ही उच्च स्थिति में रहें। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के बीच जन-जागृति पैदा करना और आने वाले वर्षों में समाज के विभिन्न समुदायों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना है ताकि अल्पसंख्यक स्वयं दूसरों के साथ एकात्मकता बना सकें। जब वह स्वर्ण काल आ जाए तब यह कानून निरर्थक हो जाएगा। महोदया, दूसरी ओर यदि आप अल्पसंख्यकों में से निर्धन व्यक्तियों को महत्व नहीं देंगे तब अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ नेता अपने निहित हित बना लेंगे और वे समुदायों के अल्पसंख्यक दर्जे को बढ़ावा देंगे तथा उसे संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आयोग को बनाए रखने के लिए हर 10 वर्ष पर समीक्षा की जाए। मैंने आयोग के गठन और सदस्यों को हटाने के बारे में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए थे। माननीय मंत्री कृपया यह संशोधन स्वीकार कर लें।

मैंने यह भी संशोधन प्रस्तुत किया था कि आयोग की रिपोर्ट राज्य विधान मंडलों में प्रस्तुत की जाये। क्योंकि अधिकांश मामलों में वही क्रियान्वयन प्राधिकारी हैं। इसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। महोदया, मैं विधेयक के मसौदे में एक गंभीर चूक की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि दो वर्ष तक विधेयक लागू करने के बारे में कोई कठिनाई आने पर वे उसका समाधान करने के लिए खंड 16 के अंतर्गत एक आदेश जारी करने के लिए संसद सरकार को अनुमति दी है। यह अत्यंत व्यापक शक्ति है और चूंकि संसद इसे स्वीकार करती है और यह एक प्रत्यायोजित विधान है। तथापि खंड 15(3) में इस आदेश को संसद की जांच के लिए शामिल नहीं किया गया। मैंने स्थिति में सुधार करने के लिए एक संशोधन दिया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

विधेयक के उपबंधों के बारे में कुछ कहने के बाद मैं उन विषयों के बारे में कहना चाहता हूं जिनकी ओर विधेयक में ध्यान नहीं दिया गया।

महोदया, यदि आप तमिलनाडु का मामला लें तो वहां पर अल्पसंख्यकों में मुसलमानों तथा ईसाइयों की संख्या अधिक है और सिक्खों तथा बौद्धियों की संख्या बहुत कम है। तमिलनाडु में कोई भी सांप्रदायिक तनाव प्रवण क्षेत्र नहीं हैं। तथापि, डी०जी०पी० को यह अनुदेश दिया गया है कि जब पुलिस तैनात की जाए तब वह यह देखें कि उसमें सब समुदायों के लोग हों। कुशल, निष्पक्ष तथा विशेष रिकार्ड रखने वाले अधिकारियों को साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नियुक्त किया जाए।

तमिलनाडु पुलिस बल में डी०एस०पी० स्तर तक 18.2% मुस्लिम तथा ईसाई व्यक्ति हैं जो संख्या जनसंख्या औसत से अधिक है।

सब समुदायों के मिले-जुले पुलिस बल को तैनात करना अल्पसंख्यक समुदाय में डर की भावना समाप्त करने के लिए जरूरी है। प्रस्तावित कानून में इस संबंध में कुछ प्रावधान किया जाना चाहिये था।

विधेयक में सांप्रदायिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का उपबन्ध होना चाहिए था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबन्धों के अतिरिक्त सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए तमिलनाडु जन संपत्ति विध्वंस निवारण अधिनियम और गुंडा अधिनियम की भांति विधेयक में विशेष उपबन्ध होने चाहिएं।

7.00 म०प०

महोदया, सम्पूर्ण भारत में अनेकों साम्प्रदायिक तनावों का मूल कारण समाचार पत्र हैं। स्वतन्त्रता के नाम पर साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काने में समाचार पत्रों द्वारा निभायी जा रही भूमिका की हमें निन्दा करनी चाहिए अधिकांश क्षेत्रीय समाचारपत्र पीत पत्रकारिता में लिप्त है। अतः वे लोग जो जन प्रतिनिधियों के विशेषाधिकार की संहिता की बात करते हैं उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि हम प्रेस के लोगों की जो जन प्रतिनिधियों के विपरीत भारत के लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। स्वतन्त्रता पर नियंत्रण के लिए एक कानून बनाना चाहते हैं। प्रेस की स्वतन्त्रता पर नियंत्रण लाने लिए के सरकार को एक कानून बनाना चाहिए।

महोदया, तमिलनाडु में करीब 3,600 अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान हैं। मद्रास में आई०ए०एस० के लिए विशेष रूप से तैयारी कराने हेतु एक संस्थान भी है। दो अल्पसंख्यक संस्थान भी मद्रास में हैं जिनके नाम हैं मुस्लिम एडुकेशनल एसोसियेशन आँफ साउथ इण्डिया, मद्रास तथा जस्टिस बशीर अहमद वुमेन्स कालेज। तमिलनाडु के 12 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 47 पोलीटैक्नीक्स भी हैं। सभी लोगों द्वारा इसकी सराहना की जानी चाहिए कि तमिलनाडु के अधिकांश अल्पसंख्यक 'पिछड़े वर्ग' के विस्तृत समूह के अन्तर्गत आते हैं और रियायत के हकदार है। उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। पुरातची थल्लायभी के गौरवपूर्ण शासन के अन्तर्गत तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों के बीच अलगाव की साम्प्रदायिक मनोभावना नहीं है।

इन्हीं के साथ और इस आशा के साथ कि मेरे परामर्शों पर विचार किया जायेगा, मैं इन उपायों का समर्थन करता हूं।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के माध्यम से अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार दिया जा रहा है, ताकि यह संविधान में दिये गए सुरक्षा सम्बन्धी उपायों की जांच करने में सक्षम हो सके।

दुर्भाग्यवश इन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के बावजूद अल्पसंख्यक हमेशा असुरक्षित और अपने आपको खतरे में महसूस करते हैं। सरकारी सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य हैं। सेवाओं में विशेष कर रक्षा सेवाओं में बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए उनकी निरन्तर मांग के बावजूद हम ज्यादा कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हो पाये है। अतः यह विधेयक सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम है।

इस देश में अल्पसंख्यकों में परायेपन की भावना है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे के सम्बन्ध में भाजपा द्वारा उठाये गये कदम ने इस भय को बढ़ाया हैं। राम जन्म भूमि के मुद्दे के कारण यह भय बढ़ गया है और यही इस वर्ग के लोगों में सोचने की आम विचारधारा है। अतः अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाना एक धर्म निरपेक्ष सरकार के लिए

आवश्यक हो जाता है। इससे लोगों के मन में आत्मविश्वास आयेगा और वे राष्ट्र की मुख्यधारा में ही रह पायेंगे।

कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। यह विधेयक अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति कांग्रेस के रवैये का एक उदाहरण है। जब हम इस बात की जांच करते है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् इस देश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किसने की तो यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से समर्थन देता है।

अन्त में मैं यह विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय कल्याण मंत्री जी को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री एस० एम० लालजान बाशा (गुन्टूर) : चेयरमैन साहिबा, आजादी आने के बाद कांग्रेस पार्टी को माइनरटीज से कितनी मोहब्बत है, इतनी देर से यह बिल लेकर आये, यह इससे से लगता है कि इन माइनरटीज को पूरा अधिकार नहीं दे पाये, खाली आंसू पोंछने की बात आती है। मैं यह सोचता हूं कि इनको माइनरटीज से इतना प्रेम कैसे हो गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी माइनरटीज की है और वाकई इस साईड के जो मित्र बोलने लगे हैं कि सन् 1978 में जनता पार्टी के समय में माईनरटीज के बारे में सोचा गया था लेकिन इन्दिरा गांधी के पावर में आने के बाद वह फाईल पुनः पैंडिंग हो गयी।

चेयरमैन साहिबा, जब मैं 1991 में पार्लियामेंट में चुनकर आया तो मैंने पूछा कि 1976 में 15-प्वांयट प्रोग्राम था उसका क्या हुआ तो इस हाउस के अन्दर श्री सीता राम केसरी ने जवाब दिया यह कहीं भी इम्पलीमेंट नहीं होता है, हम चीफ मिनिस्टर्स को बुलायेंगे और माईनरटीज की ओर पूरा ध्यान दिये जाने के लिये आदेश देंगे और यदि वे आदेश को पालना नहीं करेंगे तो हम लोग उनको दण्डित करेंगे। इसी प्रकार हमारे आन्ध्र प्रदेश में माईनरटीज फाईनेंस कारपोरेशन का विचार 1983 तक न था परन्तु जब एन०टी०आर० पावर में आये तो उन्होंने दो करोड़ रुपया माईनरटीज लोगों को फाईनेंस करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जिससे वहां उन लोगों की तरक्की हुई है। इसी प्रकार देश में हर स्टेट में इसी प्रकार के फाईनेंस कारपोरेशन बनाये जाने की जरूरत है।

चेयरमैन महोदया, मैं एक को एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद को छोड़कर गुन्टूर से माइनरटीज से जीतकर आया हूं। गुन्टूर से अभी कांग्रेस वालों ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है तो इससे उनका माईनरटीज के प्रति प्रेम जाहिर होता है। हैदराबाद में मुस्लिम पापूलेशन को छोड़कर गुन्टूर सैकेंड नम्बर पर है और एन०टी०आर० ने गुन्टूर से एक माइनरटीज को टिकट दिया और वह स्थान डिप्टी लीडर कांग्रेस श्री रंगा को हरा कर इस सदन में आया हूं। इससे साफ जाहिर है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने माईनरटीज को दबा कर रखा हुआ था।

सभापति महोदया, इसी प्रकार फाईनेंस में माइनरटीज को प्राब्लम है। कोई भी हाउसिंग स्कीम में माइनरटीज को घर नहीं मिलता और जब कांग्रेस की हुकूमत होती थी, आन्ध्र प्रदेश

के अन्दर माईनरटीज को इतना ह्रास किया जाता था और कम्युनल रॉयट्स होते थे। मुस्लिम की इतनी जानें वहां तबाह की थीं एन०टी०आर० की 7 साल की हुकूमत में एक इंस्टांस भी कम्युनल रॉयट्स का नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि जहां कांग्रेस सरकार हुकूमत करती है वहीं कम्युनल रॉयट्स—होते हैं। वजह यह है कि वे लोगों को कम्युनल रॉयट्स बताकर डरा धमकाकर सत्ता पर रहना चाहते हैं इससे जाहिर होता है कि यहां भी वैस्ट बंगाल में लो, जहां अपोजीशन पड़ी है वहां कम्युनल रॉयट्स नहीं होते हैं कम्युनल रॉयट्स कौन सी स्टेट में होते हैं—गुजरात, यूपी, बिहार में जहां भी कांग्रेस सत्ता में थी वहां कम्युनल रॉयट्स होते ही थे।

आज कई राज्यों में कांग्रेस हुकूमत नहीं है। आज कितने अमन से नेशनल फ्रंट की हुकूमत में सब माइनॉरिटीज के लिए सोचा जा रहा है और बहुत सी जगह माइनॉरिटीज को टिकट भी दिया है। आज सदन में कई माइनॉरिटीज के लोग जीतकर आए। 1978 में माइनॉरिटीज फाइनेंस कार्पोरेशन बनाया। उसमें 15 पॉइंट को इंप्लीमेंट करके निश्चित रेशियो के हिसाब से माइनॉरटीज को हक देना है, इस बिल के तहत सरकारी सहायता देनी है, ऐसी मांग करते हुए सीताराम केसरी जी जल्द से जल्द इसको ताकत देते हुए और पैसे के लिए हर स्टेट में माइनॉरिटीज फाइनेंस कार्पोरेशन स्थापित करके, एक रेशियो के हिसाब से उनको नौकरी में और एजुकेशन में भी 5 या 10% रिजर्वेशन कर दें तो मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा होगा। यह सुझाव देते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपने बीजेपी के भाईयों के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं। पहले इस सदन में इनकी दो सीटें थीं। वह 2 से 86 कैसे हो गई, अभी भी उनको समझ में नहीं आता है। जब नेशनल फ्रंट के साथ वे लोग अलाइंस में थे तो 89 के इलेक्शन में आप यह देख सकते हैं कि सब अखबारों के अंदर मुस्लिम वोटर्स को जो हमारे बड़े-बड़े मुस्लिम लीडर्स थे, फतवे दिए गए कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को वोट दो, आर०एस०एस० को वोट दो शिव सेना को वोट दो लेकिन कांग्रेस को वोट मत देना। ऐसा 89 के इलेक्शन से 10 दिन पहले सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में छपा था, उसे आज भी देखा जा सकता है। उससे बीजेपी की 86 सीट बनी। बीजेपी को मुस्लिम वोट मिले, इससे 86 हो गए। मुसलमान बीजेपी का दुश्मन नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि हमारी कुरान के अन्दर लिखा है कि—

"लकुमदीनकुम वलियुद्दीन"।

जिसका दीन उसको प्यारा है, जिसका मजहब उसको प्यारा है, तो हम किसी हिन्दू भाई को गलत नहीं सोचेंगे। हम लोग हिन्दुओं का अपने भाई जैसे आदर करते हैं वैसे ही हमें इसी हिन्दुस्तान में मिलकर रहना है, हिन्दुस्तान को सेक्युलर देश का नमूना बनाना है। इसलिए इस गलत भावना को दिल से निकालकर मुसलमान को प्यार और मोहब्बत से देखें। ऐसा निवेदन करते हुए मैं केसरी जी द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछेक बातें कहना चाहूंगा। यह एक तथ्य है और कोई भी इससे इन्कार

नहीं कर सकता है कि हमारे देश के अल्प संख्यकों को संविधान में कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 29 और 30 के अन्तर्गत दिये गये हैं। महोदया, यद्यपि हमारे देश के संविधान में इन अनुच्छेदों का उल्लेख है परन्तु मैं यह कहूंगा कि इन संवैधानिक प्रावधानों को उचित रूप से लागू नहीं किया गया है। इन गारंटियों को लागू नहीं किया गया है और हमेशा से ये सुनिश्चित नहीं है। स्वभाविक है कि इन संवैधानिक अधिकारों को उचित रूप से लागू करने के लिए एक आयोग, जिसे वैधानिक आधार प्राप्त हो, की मांग की गयी है। कोई और संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं उन्हें उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए, उनका अनुपालन किया जाना चाहिए और इसे लागू करने के लिए हमें एक संगठन या एक प्रणाली की आवश्यकता है जो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। उस समय जब अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी, हमने उसका स्वागत किया और मैंने सोचा कि भाजपा भी इसका एक भाग है और उन्हें भी इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गयी थी। निश्चित रूप से इसका कोई वैधानिक आधार नहीं था। अब वैधानिक आधार के बिना एक अल्पसंख्यक आयोग उचित रूप से कार्य नहीं कर पाया और अल्पसंख्यकों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पायी। अतः हम यह मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग का संवैधानिक आधार होना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारे देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, हमारे समाज की सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा अन्य प्रकार की बहुजातीयता के प्रति चिन्ता व्यक्त नहीं की गयी है, तो यह स्मरणीय है कि हमारे समाज में अल्पसंख्यक बहुलवाद की गारंटी और रक्षा, हमारे समाज की बहुभाषिकता, बहुजातीयता और बहुसंस्कृति के प्रदर्शन के प्रति राष्ट्र की कटिबद्धता हमारे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का अंग रहा है। वास्तव में स्वयं हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन में इन बातों का ध्यान रखा गया है और हमेशा से ये मुद्दे हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के अंग रहे हैं। इन उपायों को लाने के सरकार के निर्णय की मैं सराहना करता हूं और हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रति हमारी राष्ट्रीय वचनबद्धता की पूर्ति के लिए मैं इन्हें आवश्यक समझता हूं निश्चित रूप से उन्होंने बहुत विलम्ब से स्वतन्त्रता के 43 वर्षों बाद, जो कि अक्षम्य है, ऐसा किया है परन्तु वे इन उपायों को करने के लिए सहमत हो गये हैं। इस मामले में मैं सभा का और राष्ट्र का ध्यान उन आश्वासनों अथवा हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा ने एक संकल्प को अपनाया था। यह संकल्प हमारे संविधान के उद्देश्यों को प्रदर्शित करने और स्वीकार करने के लिए अपनाया गया था। उस संकल्प को प्रस्तुत करते समय पंडित नेहरू ने कहा था :

"अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दमित एवं अन्य वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।"

महोदया, हमारे संवैधानिक ढांचे की यह विशेषता रही है कि हमारे समाज में बहुलवाद की रक्षा की जाए, इसे बनाये रखा जाए, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय तथा उनके समुदाय के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष सुरक्षा के विवेकसमत प्रतिपूरक उपाय उपलब्ध करने होंगे। यह हमारे संविधान में सामाजिक न्याय के मूल ढांचे को संस्थापित करता है परन्तु मैं कहूंगा कि इसे उचित रूप से लागू नहीं किया गया है।

महोदया, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में संविधान सभा को परामर्श देने हेतु एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। विस्तार से इसकी चर्चा किये बिना मैं मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में उस परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों का सिर्फ उल्लेख करूंगा। इसने एक संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जन संख्या के आधार पर विधायिका में स्थान के आरक्षण की सिफारिश की थी। यह संविधान निर्माण की प्रकिया के विकास की ऐतिहासिक व्याख्या है। इसने प्रशासन की कार्यकुशलता के साथ अल्पसंख्यकों की आबादी के आधार पर उनके दावे को उचित मान्यता देने की भी सिफारिश की है।

महोदया, तीसरी सिफारिश अल्पसंख्यकों के हितों की प्रभावी रूप से रक्षा के लिए केन्द्र और राज्यों में विशेष अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति करने लिए की गयी थी।

मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्बन्ध में परामर्शदात्री समिति द्वारा ये तीन आश्वासन अथवा सिफारिशें की गयी थी परन्तु एक राष्ट्रीय त्रासदी अर्थात् देश के विभाजन के कारण इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सका। इसके फलस्वरूप संविधान सभा की प्रवृत्ति में एक परिवर्तन आया।

मैं यह सब यह स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं कि संविधान सभा, सम्पूर्ण राष्ट्र अल्पसंख्यकों की रक्षा हेतु, हमारे समाज के बहुलवाद, बहुभाषिकता, बहुजातीयता तथा हमारे राष्ट्र की बहुसांस्कृतिक अभिव्यक्ति के प्रति अत्यधिक चिन्तित था।

महोदया, आप पहले ही संकेत कर चुकी हैं अतः मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा और अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में इस भारतीय विशेषता पर इस सभा को ध्यान देना चाहिए। यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे भय है कि भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ जो कुछ हुआ है वह सब इस देश में भी हो सकता है। भूतपूर्व सोवियत संघ में जो कुछ हुआ है उससे सबक लेते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि भारतीय विशिष्टताएं हमेशा यह व्यंजित करती हैं कि हमें सदैव सांस्कृतिक बहुलवाद, संख्या के कारण अल्पसंख्यकों की स्थाई वंशानुगत अलाभप्रद स्थिति को और विगत समय में उन्हें अवसरों की प्राप्ति न होने की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति करने के लिए उनके प्रति राज्य के निश्चयपूर्वक कार्य के रूप में सकारात्मक विवेकसमतता को ध्यान में रखना है।

महोदया, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर पूरा ध्यान देगी और अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाना जारी रखेगी। इसे लागू नहीं किया गया है। यह एक बहानेबाजी है। यह सिर्फ दिखावा मात्र है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक चुनावी वायदा है। उससे अधिक कुछ भी नहीं है। जब तक इन 15 सूत्री कार्यक्रमों की, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक उत्थान के सम्बन्ध में तथा विशेषकर उनके लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने तथा इसको गारंटी प्रदान करने का ध्यान रखे बिना मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है।

इस सन्दर्भ में हमें मंडल आयोग की रिपोर्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें भी यह उल्लेख किया गया है कि कुछ आरक्षण तथा कुछ सुविधायें विभिन्न व्यवसायों में लगे मुस्लिम वर्ग को दी जानी चाहिएं।

इन टिप्पणियों के साथ मैं यह सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाए। यदि सर्वसम्मति से ऐसा किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, परन्तु यदि ऐसी बात नहीं है तो यह सभा जैसा उचित समझे उस प्रकार आज या कल इसे इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिए।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : (किशनगंज) आज मैं उस चर्चा को सुन रहा हूं, जोकि काफी व्यापक चर्चा है और भावनाओं से ओत प्रोत है और इस समय उस महान भारतीय और महान मुस्लिम मौलाना अबुल कलाम आजाद जिनकी जन्म शताब्दी हम मनाने जा रहे हैं, के वे शब्द हमारे कानों में गूंज रहे हैं, जिसे उन्होंने राम गढ़ में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान कहे थे। उन्होंने एक मुस्लिम और एक भारतीय होने का गर्व सहित घोषणा की थी और वास्तव में भारत के मुसलमान उस चौराहे पर खड़े, जहां एक ओर इस्लाम है और दूसरी ओर भारत, वे वह नहीं है जो वे उन दोनों के बिना हैं या उन दोनों में से किसी एक को नकार करके होना चाहिए।

चूंकि मेरा नाम इस चर्चा में लिया गया था, एक प्रश्न यह उठा कि मैं स्वयं को मुस्लिम भारतीय कहूं या भारतीय मुस्लिम। मुझे पता है कि मैं क्या हूं। मैं एक मुस्लिम भारतीय हूं, मैं भारतीय मुस्लिम नहीं हूं और उन लोगों को यह अंतर बताना बहुत मुश्किल है जो अंग्रेजी के सूक्ष्म भेद को नहीं समझ सकते, सभापति महोदया जितना कि आप समझ सकती हैं।

मुस्लिम भारतीय एक ऐसा भारतीय होता है जो मुसलमान है, इस्लाम धर्म में विश्वास करता है; और एक भारतीय मुस्लिम वह मुस्लिम है जो भारत में पैदा हुआ है। सभापति महोदया, आप बताएं कि कौन अधिक राष्ट्रवादी, अधिक धर्मनिरपेक्ष और कौन सा अधिक सकारात्मक सम्बोधन हो सकता है? और इसी तरह मैं अपने अच्छे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर को जवाब देना चाहता हूं।

यह प्रश्न मात्र अर्थविज्ञान अथवा साम्प्रदायवाद या धर्मनिरपेक्षवाद से जुड़ा नहीं है, ये मुद्दे उन लोगों के लिए सम्प्रदायों के जीवन-मरण का है जिन्हें अलग से पहचाना जाता है और जिन्हें एक सामाजिक समूह के रूप में जाना जाता है।। और मनुष्य एकांगी या एक पक्षीय नहीं होता, मनुष्य का बहु आयामी व्यक्तित्व होता है, मनुष्य की बहुपक्षीय पहचान होती है; वह उस राज्य में रहता है जहां मूल रूप से वह पैदा होता है, वह एक धर्म में आस्था रखता है, वह किसी एक जाति का होता है, वह कोई भाषा बोलता है इसलिए उसके व्यक्तित्व की कई पहचान होती हैं। एक राज्य का उद्देश्य, सभ्यता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सारे आयाम का समागम संपूर्णता दे और उसमें किसी आपस में कोई टकराव न हो। और इसीलिए और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों से यह पूछा जाता है कि ठीक है, आप ही बताएं, आप मुस्लिम हैं और एक भारतीय हैं। इन दोनों में से पहले आप क्या हैं? आप पहले मुस्लिम हैं या पहले भारतीय? हिन्दु साम्प्रदायिकता वादियों का एक सुविचारित आम प्रश्न है, यह हम लोगों से आज से नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही पूछा जा रहा है, यही प्रश्न श्री आजाद से भी पूछा गया था, यही उस महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद

अली से भी पूछा गया था जिन्होंने गोल मेज सम्मेलन में ब्रितानी साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी और उन्हें कहा था कि मैं स्वतंत्रता के माँग-पत्र लिए बिना नहीं जाऊंगा या तो आपको मेरी कब्र के लिए जमीन का एक टुकड़ा यहां देना होगा या मुझे मेरी आजादी दें। उनकी आवाज गूंज उठी थी। और गोल मेज सम्मेलन के उसी प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने इस प्रश्न का भी उल्लेख किया था। मुझ से पूछा गया, पहले आप क्या हैं ? आप पहले एक मुस्लिम हैं या एक भारतीय ? और दोपहर बाद उन्हीं के शब्द हमारे कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा, जब भारत के भविष्य का प्रश्न हो, भारत के कल्याण का प्रश्न हो, जब भारत की जनता की बेहतरी का मुद्दा हो तो मैं सबसे पहले भारतीय हूं और हर हाल में अंत तक भारतीय ही रहूंगा, लेकिन मैं एक मुसलमान भी हूं। और इसीलिए जब इस्लाम के खतरे का सवाल हो, जब उसके अपमान का प्रश्न हो तो मैं मुसलमान भी हूं, तब मैं पहले मुसलमान हूं और अंत तक मुसलमान ही रहूंगा।

भारतीय संविधान, जिसे हमने अपनाया है, इस विवाद का समाधान है, इसने उस स्थिति को सुधारा, यह सुनिश्चित किया कि धर्म और राज्य के अंतरसंबंध में कोई मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इसीलिए मैं स्वयं को मुस्लिम-भारतीय मानता हूं।

आज विश्व में कोई भी राज्य पूरी तरह समरूप नहीं है, समान रूप से एकरंगा नहीं है।

ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा होना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। मनुष्य को किसी आवरण में आबध नहीं किया जा सकता। इसलिए अल्पसंख्यक एक विश्वव्यापी बात है। जैसा कि हमारे कुछ मित्र मानते हैं, हमें यह मान कर नहीं चलना है कि अल्पसंख्यक इस धरती पर कलंक हैं, वे लाचारी हैं, अड़चन हैं और वे एक ऐसी मुश्किल हैं जिससे पार पाना मुश्किल है। नहीं, वे ऐसा नहीं हैं। अल्पसंख्यक जीवन के अभिन्न अंग हैं। वे इस बाग की खूबसूरती और सौंदर्य हैं। विभिन्नता के बिना एकरूपता कभी सुन्दर नहीं हो सकती। और यही वह विभिन्नता है जिसे हमने एक राष्ट्र और एक राज्य के रूप में अंगीकार करना स्वीकार किया है। हर तरह की विभिन्नताएं, चाहे वह धार्मिक, भाषायी जातीय कुछ भी हों, ये सभी तत्व जो मानवीय स्वरूप दे सकता है उन सभी को हमने अपनी संस्कृति में सम्पूर्णता के साथ स्वीकार किया है साथ ही इस परम्परा के साथ कि हमने विभिन्नता की चिरकाल से कामना की है और स्वीकारा है। और इसलिये अल्पसंख्यक हैं और वह रहेंगे।

अल्पसंख्यकों का अस्तित्व है अथवा नहीं, एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अल्पसंख्यक हैं। यही हमारे देश में अजीब-सी बात है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अल्पसंख्यकों का अर्थ केवल मुस्लिम या सिक्ख या ईसाई या पारसी ही नहीं होता। निर्णय लिये जाने वाले स्तर पर क्या हिन्दू भी अल्पसंख्यक नहीं हैं ? हिन्दू भी अल्पसंख्यक हैं, वे केवल पूरे देश में बहुसंख्यक हैं। वे हमारे देश के चार या पांच राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। इसलिये मैं एक आम विचार स्पष्ट करता हूं। हमारे देश में प्रत्येक बहुसंख्यक समुदाय, प्रत्येक बहुसंख्यक समूह किसी न किसी स्तर पर अल्पसंख्यक भी हैं। अतः जब हम अल्पसंख्यक आयोग की बात करते हैं तो हमें समाज के उन सभी वर्गों की बात करनी होती है जिसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं, यदि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तो राज्य स्तर पर और यदि राज्य स्तर पर नहीं तो जिला स्तर पर, यदि जिला स्तर पर नहीं तो पंचायत स्तर पर जहां उनके साथ भेद-भाव किया जाता है, उनके साथ अत्याचार और अन्याय होता है और अल्पसंख्यक आयोग का

यह कर्त्तव्य है, मंत्री जी यह आपका कर्त्तव्य है कि जो भी समूह निर्णय लेने के किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यक है उनके लिये यह सुनिश्चित हो कि उन्हें वह सब मिले जो मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिले, किसी भी प्रकार के दबाव से वे मुक्त हों, उन्हें दबाया न जाए उन्हें निराश और वंचित होने का बोध न हो।

7.33 म०प०

[श्री पी०एम० सईद पीठासीन हुए]

सांप्रदायिकता की परिभाषा के सम्बन्ध में प्रश्न किए गए हैं। मेरे पास इसकी एक ही परिभाषा है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सांप्रदायिकता नहीं है। किसी भी समूह को वंचित करना, किसी भी समूह को जानबूझकर उत्पीड़ित करना सांप्रदायिकता है। इसलिए वे जो हमारे मुंह का कौर छीनते हैं, वे जो हमें रोजगार नहीं देते, वे जो मेरी हत्या करते हैं, वे जो मस्जिद गिराते हैं, वे लोग साम्प्रदायिक हैं। यदि हम भी ऐसा कोई कार्य करते हैं तो हम भी सांप्रदायिकता के लिए समान रूप से दोषी हैं। और इस प्रकार सांप्रदायिकता की यही परिभाषा है। सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी समूह को उसके उचित अधिकारों और न्याय से वंचित करना। और इसकी रक्षा करना, बचाव करना ही मानवता है। धर्मनिरपेक्षता है और यह भारतीय संविधान की सर्वोच्च गरिमा है। उन सभी बातों को हम सांप्रदायिकता नहीं कह सकते।

आज पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है। मैं भी समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहता हूं। विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। जातीयता का उदय हो रहा है। हर जगह कोई भी पहचाने जाने योग्य समूह, उनके पहचान का जो भी आधार हो वे चीख-चीख कर अपनी पहचान स्थापित करने, समानता, न्याय और समाज में उनकी भी सहभागिता, सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त करने, रोटी और आवास उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। यह उनकी उचित आकांक्षा है। कोई भी राज्य इससे इन्कार नहीं कर सकता दुनिया का कोई भी राज्य इससे इन्कार नहीं कर सकता। कई ऐसे और राज्य भी हैं मंत्री जी जो हमसे भी आगे निकल गए हैं।

मैं आपको याद दिलाता हूं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। और मुझे खुशी है कि आपने एक चुनावी वादा पूरा किया जिसे पिछली सरकारों ने नहीं किया था। क्योंकि 1979 से यह मामला देश की कार्य सूची में शामिल है।

आपने प्रधान मंत्री के उस वादे को भी पूरा किया जो उन्होंने इस सत्र के दौरान इस सभा में किया था कि एक विधेयक यहां प्रस्तुत किया जाएगा। उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। साथ ही मैं आपको विश्व की ओर देखने के लिए कहता हूं। विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। (युनाइटेड किंगडम) ब्रिटेन में सी०ओ०आर०ई० अल्पसंख्यकों के सरकारी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व अथवा कम प्रतिनिधित्व के शिकायतों पर ध्यान देती है। और सी०ओ०आर०ई० के निदेशक जोकि सी०ओ०आर०ई० का नियंत्रण करते हैं ने स्वयं ही मुझे बताया कि 'होम आफिस, में जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम है। सी०ओ०आर०ई०

ने 'होम आफिस' के विरुद्ध मुकदमा करने का निर्णय किया है। उस मुकदमे के लिए धन का आबंटन भी 'होम आफिस' के द्वारा ही किया जाना था। हम अंग्रेजों के विरुद्ध बोल सकते हैं। लेकिन यह एक उदाहरण है जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। (यू०के०) ब्रिटेन की सरकार के गृह मंत्रालय ने 'होम आफिस' के सी०ओ०आर०ई० को धन उपलब्ध कराया है ताकि वह मुकदमा दायर कर सके और अपने विरुद्ध ही किए गए मुकदमा से लड़ सके जिसके तहत 'होम आफिस' पर यह आरोप है कि अल्पसंख्यक समूह को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है।

मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। मैं कनाडा में था जहां जमीन सम्बन्धी एक बड़ा विवाद चल रहा था उस भूमि पर आदिम जाति का आरक्षित अधिकार था, उसे धीरे-धीरे छीना जा रहा है। आदिम जाति का प्रतिनिधित्व करने वालों को उन्होंने धन उपलब्ध कराया है ताकि वे ब्रिटिश कोलम्बिया प्रांत के विरुद्ध उस जमीन के अधिकार के लिए मुकदमा कर सकें। ये ऐसे प्रश्न हैं जिसे उन आयोगों द्वारा देखा जाता है जैसा कि आप गठित करना चाहते हैं। इसमें पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था लगी है। मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा से भी वे आगे बढ़ चुके हैं। अब वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पर कार्य कर रहे हैं। हमारा देश जिसने —मानवाधिकारों सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र पर जो कि धार्मिक असहिष्णुता के विरुद्ध एक पार्टी है, हस्ताक्षर किए हैं तो यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों सम्बन्धी चार्टर को मानने के लिए बाध्य है। और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही होगा यदि आप मंत्री पद पर रहें।

अतः विषय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भी हम यहां इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या अल्पसंख्यक हैं, क्या अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलने चाहिए अथवा नहीं, क्या अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया जा सकता है या नहीं। हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों का मुद्दा केरल शिक्षा विधेयक में उठाया गया था। यदि आप उस संबंध में की गई घोषणा को देखें तो स्पष्ट परिभाषा यह पाएंगे कि "अल्पसंख्यक" शब्द या वह समूह जिसमें अल्पसंख्यक हैं उन्हें विधि के परिधि के अंदर ही परिभाषित किया जा सकता है। वह क्षेत्र जहां विधि का शासन है वहां जिस भी समुदाय अथवा समूह की संख्या कम है वह अल्पसंख्यक है। इससे अधिक स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि जो कानून आप बनाने जा रहे हैं वह पूरे देश पर लागू होना चाहिए। यह बात जम्मू और काश्मीर राज्य पर भी लागू होनी चाहिये और आपको अल्पसंख्यकों की परिभाषा करनी चाहिये क्योंकि हमारे भारत देश में दोहरी शासन प्रणाली है। एक ओर तो कुछ क्षेत्र केन्द्र सरकार के अधीन हैं जिन्हें हम संघ प्रशासित प्रदेश कह सकते हैं और दूसरी कुछ राज्यों की अपनी सरकार है जिन्हें स्वशासित राज्य कह सकते हैं और आपने इस अधिनियम के अन्तर्गत जिस सूची का प्रस्ताव किया है उसमें आपको संघ के मामले में और राज्यों के मामले में अलग-अलग तथा सुस्पष्ट उल्लेख करना चाहिये ताकि कहीं पर भी हमारे अल्पसंख्यक भाई अपने आपको उपेक्षित न समझें।

सभापति महोदय, मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों की समस्या केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है। यह तो एक राजनैतिक समस्या है और राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या का

असली निचोड़ क्या है ? महोदय इस पुस्तक में, इस विधि में हमने काफी सुरक्षात्मक बातों का वर्णन किया है। लेकिन हमें निगरानी की आवश्यकता है; हमें एक स्वायत्त-निकाय की आवश्यकता है जोकि कथनी और करनी के बीच के अन्तर को दूर कर सके। उपेक्षित वर्गों की समस्यायें केवल इसलिए ही नहीं पैदा होती क्योंकि अधिकारों की परिभाषा नहीं की गई और संविधान में इनका वर्णन नहीं मिलता। यह सब तो वर्णित है। यह समस्यायें तो इसलिये पैदा होती हैं क्योंकि असली व्यवहार में, आदमी चाहे जो कुछ भी है, उसकी कथनी और करनी में हमेशा ही अन्तर रहा है, संवैधानिक सुरक्षात्मक उपायों और उनके कार्यान्वयन में सदैव ही अन्तर रहा है। इसलिए अल्पसंख्यक-आयोग का असली निचोड़ निगरानी का कार्य करना और संविधान के अन्तर्गत मांगे गये अधिकारों पर नजर रखने की क्षमता रखने में होगा। मेरे लिए संविधान ही वास्तविकता की कसौटी है। यों तो मैं चांद की मांग कर सकता हूं। और आपको मुझे चांद के लिए मना करने का पूरा अधिकार है। यदि मैं किसी ऐसी चीज के लिए कहता हूं, जिसका संविधान में बाकायदा वर्णन है, तो आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे ऐसा करने से मना करें और यदि आप मुझे मना करते हैं, तो मुझे यह अधिकार होना चाहिये कि किसी को भी अपील कर सकूं। इसलिये मैंने अल्पसंख्यक आयोग के लिये संवैधानिक दर्जे की मांग की थी। मुझे खुशी है कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। मुझे खेद है कि अल्पसंख्यक आयोग के लिए आज तक का हमारा अनुभव सुखद नहीं रहा है। मैं इस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं पटना के एक सुप्रसिद्ध कवि की एक पंक्ति यहां उद्धृत करता हूं :

[हिन्दी]

"तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं।"

[अनुवाद]

यह तो हमारे हाथों में खिलौने की तरह था; इसमें जान नहीं थी; आत्मा नहीं थी; यह सही मायनों में कार्य नहीं कर रहा था; यह तो एक मशीनी खिलौना भी नहीं था; यह एक ऐसा सख्त और ठोस खिलौना था जो न हंस सकता था, न चिल्ला सकता था और न रो सकता था। इसलिये आज आप इसमें जान डाल रहे हैं। यह 1978 में बना था। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों को स्मरण कराना चाहूंगा कि आप लोगों ने ही इसे बनाया था। उन्हें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिये (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आपको यह नहीं भूलना चाहिये अभी तक भी इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया जबकि 1992 में इसे बने 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं।

बारह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। मुझे यकीन है कि अब तक संबंधित मंत्रियों द्वारा नौ रिपोर्टें सभा पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी होंगी। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इनमें से एक भी रिपोर्ट पर इस सभा में चर्चा नहीं की गई। भले ही हमारी सरकार रही हो अथवा उनकी सरकार रही हो, अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट पर और अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों पर सभा में कभी भी चर्चा नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि इस विधेयक के पारित होने पर, हम अवश्य ही यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों की जो दशा है, उस पर कम से कम वार्षिक चर्चा तो होती ही है।

मैं एक बात के बारे में आपको सचेत कर रहा हूं कि कभी-कभी अल्पसंख्यक लोग, पूरे विश्व में अपने दुखों, अपनी परेशानियों, अपने कष्टों और अपनी यातनाओं का बढ़ा-चढ़ा कर जिक्र करते हैं। इसमें एक सन्तुलन होना चाहिये और सही मांगों और सरकार की ऐसी भूलें और चूकें, जो सही मायनों में उनकी उपेक्षा करती हैं, के बीच इन अधिकारों के प्रयोग से ही इस तरह का सन्तुलन पैदा किया जा सकता है यह सन्तुलन केवल तभी पैदा किया जा सकता है जबकि इस माननीय सदन में राष्ट्रीय भावना पर खुली और निष्पक्ष चर्चा हो। इसलिये, मुझे यह आशा है कि कम से कम यह तो एक आम बात बन सकेगी। यह तो एक डैड लैटर-आफिस बन चुका था और इससे भी बढ़ कर यह तो मात्र डाकघर बन कर रह गया था। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कुछ जान डाल सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि यह विधेयक ही पर्याप्त नहीं है और इस विधेयक में बहुत सी खामियां हैं। इन्हें दूर किया जा सकता है। निःसंदेह मानव ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हमने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी अपनी तर्क-शक्ति से इनमें से कुछ संशोधनों को स्वीकार करेंगे। इन संशोधनों का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है कि उन्होंने कोई सफलता हासिल नहीं की अथवा उन पर कोई लांछन लगाए जाएं या फिर उनके इरादों पर शक किया जाये। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन संशोधनों का केवल यह अभिप्राय है कि एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनायी जाये जोकि, जैसा कि मैंने कहा है कि 'डैड लेटर आफिस' न हो और न ही केवल डाकघर की तरह कार्य करती हो। इसके साथ-साथ मैं उन्हें स्मरण कराना चाहूंगा कि डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की एक सुप्रसिद्ध रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई। चाहे विगत सरकारों ने इसके प्रति जो भी दृष्टिकोण अपनाया हो, चाहे विगत सरकारों ने इसमें कितनी भी देरी क्यों न की हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि श्री सीता राम केसरी इस बात को ऊपर लायेंगे; इस पर विचार करेंगे, पुनः इसका मनन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि गोपाल सिंह पैनल की जो सिफारिशें लागू की जा सकती हैं, लागू की जायें क्योंकि वह ही अल्पसंख्यकों के कल्याण मंत्री हैं।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने 15 सूत्री कार्यक्रम के पुनर्गठन के बारे में भी वायदा किया है। मैंने इस पर विस्तार में चर्चा नहीं करनी है। वह इस बात में मुझसे पूर्णतया सहमत हैं कि इस कार्यक्रम के पुनर्गठन की आवश्यकता है। इसे लागू नहीं किया गया है क्योंकि कई कारणों से यह लागू करने योग्य नहीं है। इसलिये मुझे आशा है कि वह इस विषय पर सभी संबंधित राजनैतिक दलों से, सभी संबंधित विधायकों से बातचीत आरंभ करेंगे और यह देखेंगे कि इसका पुनर्गठन हो और यह इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये एक प्रभावकारी कार्यक्रम बन सके।

अंत में, इन्होंने हमसे यह वायदा किया है कि अल्पसंख्यकों के विकासार्थ वित्त व्यवस्था के लिये एक निगम बनाया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए इन्होंने एक निगम बनाया है। इन्होंने इस विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया था और राष्ट्रीय सम्मेलन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में असफल हो रहा। श्री जफरशरीफ जी उसमें मौजूद थे; और कांग्रेस दल के कई अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की गई है। मुझे आशा

है कि संचालन समिति ने अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को तत्काल स्थापित करने के लिए कार्यवाही करेंगे।

मेरी अंतिम बात यह है कि इस विधेयक में दो मौलिक खामियां हैं। 1978 के संकल्प की किसी बात को नजर अंदाज न कीजिए। मैं जानता हूं कि आपका ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन इस बात को नजर अंदाज न करें। दूसरे, मैं निःसंदेह इस बात को नहीं मानता कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग के पास इस आयोग की अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां, अधिक अधिकार व विशेषाधिकार हों। इसे संवैधानिक दर्जा मिला है अथवा नहीं, इस बात का इतना महत्व नहीं है। कम से कम कानून के अन्तर्गत तो इसे समान अधिकार मिलने चाहिएं और इसका कार्यक्षेत्र भी समान होना चाहिए ताकि ये प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सकें और ताकि अगले वर्ष हमें जफर की इन पंक्तियों को न पढ़ना पड़े;

[हिन्दी]

"दौरे हयात मांग कर लाए थे चार दिन,
दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में।"

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी, मुझे आशा है कि हमें और अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : सभापति महोदय, यह अल्पसंख्यक आयोग बिल ऐसी परिस्थिति में लाया गया है जैसा पहले राजा-रजवाड़ों में हुआ करता था। जैसे कोई राजा 20-25 वर्ष की उम्र में बिना शादी किए राजगद्दी पर बैठ जाता था, राजशाही में उसको अपने परिवार का ख्याल नहीं रहता था और जब 20-25 वर्ष गुजर जाते थे, तब उसको अपनी धन और सम्पत्ति का ध्यान आता था कि अगर उसका कोई वंशज नहीं होगा तो इसका कौन भोग करेगा। तब जाकर 40-45 वर्ष की उम्र में इस आशा के साथ उसकी शादी की जाती थी कि उसको संतान हो जाए और उसकी धन दौलत का वह मालिक बने। मुझे लगता है कि 45 साल के बाद यह बिल भी इसी इरादे से लाया गया है, जब कांग्रेस ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को खिसकते हुए देखा, तब इस परिस्थिति में इस बिल को लाया गया है।

सभापति महोदय, कोई बात नहीं, देर से सही, इसको दुरुस्त आना चाहिए था। जैसा कि आप सुन रहे हैं, सभी मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि इस आयोग को पूरे पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं। इसी तरह से अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, क्रिश्चियन हैं, सिक्ख हैं। पहले ऐसा होता था कि केन्द्र नीति तैयार करता था और राज्यों को निर्देश दिया जाता था कि वे उस नीति का पालन करें, लेकिन आज इस तरह का बिल पहले बिहार में लाया गया है और वहां पर इस आयोग का गठन किया गया है। बिहार ने केन्द्र को रास्ता दिखाया है कि इस तरह से अल्पसंख्यकों का विश्वास जीता जा सकता है, उनको विश्वास दिलाया जा सकता है कि हिन्दुस्तान में उनको बराबर का अधिकार है। वहां पर जो अल्पसंख्यक आयोग बिल है, उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि यदि चेयरमैन मुसलमान होगा तो दो वाइस चेयरमैनों में एक क्रिश्चियन और एक सिक्ख होगा, और वहां पर ऐसा है। यहां पर भी यह व्यवस्था होनी चाहिए थी, एक चेयरमैन और दो वाइस चेयरमैन होने चाहिएं, ताकि सबको बराबर हक मिल सके, इस तरह से होना

चाहिए, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। बहुत सारे सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है और हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता पर प्रश्नचिन्ह लगाने जैसी बात की है, शंका प्रगट की है। आज मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर नजर उठायी जा रही है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा अगर नहीं होता तो आज हमारे देश में इतनी बातों की चर्चा नहीं होती। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा सत्ता के भूखे भेड़ियों ने इसलिए किया कि दो आदमियों को देश का प्रधान मंत्री बनाया जा सके। इसी कारण हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया। अगर इस देश का प्रधान मंत्री मुसलमान बन जाता तो कौन सा हर्ज होता, हिन्दुस्तान का बंटवारा तो नहीं होता। लेकिन हिन्दुस्तान का बंटवारा केवल गद्दी के लिए किया गया है। आज उसी तरह से फिर एक बार हिन्दुस्तान के लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हो रही है कि इस देश में सत्ता के जो भूखे लोग हैं वे धर्म के नाम पर आवाज उठा कर हिन्दुस्तान को गद्दी के लिए बांटने का कुचक्र कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं कि हिन्दुस्तान में निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के मन में चिन्ता पैदा हो। आज हिन्दुस्तान में नारा लगाया जाता है कि मुसलमान अगर राम की पूजा करेंगे तो हिन्दुस्तान में उन्हें रहने दिया जाएगा। ऐसी बात कही जाती है।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 90 फीसदी जो मुसलमान बने हैं वे हिन्दुस्तान के ही लोग हैं, वे शतप्रतिशत यहीं के ही हैं। हिन्दुस्तान का बंटवारा होने के बाद जो हिन्दू लोग थे वे मुसलमान बने। क्यों बने, किस कारण से बने? किस के अत्याचार से बने, इस पर कभी इस देश के लोगों ने सोचा है? बिहार में नसीरुद्दीन हैदर साहब शिक्षा मंत्री थे, वे बुरकेल सिंह के खानदान के रहने वाले थे। वे मुसलमान बन गए। क्यों? क्योंकि मुसलमान के घर में मुर्गा खा लिया, इसलिए हिन्दुओं ने उसको मुसलमान बना दिया। जिन वर्गों ने अपने स्वार्थ के लिए हिन्दू धर्म को कमजोर किया, हिन्दू धर्म में भेदभाव पैदा किया आज वही लोग हिन्दू धर्म के शुभचिन्तक हैं। आज आदिवासी और हरिजन मुसलमान बने हैं, क्रिश्चियन बने हैं। ये क्यों बने हैं? क्या ये कर्म से बने हैं? तेज नारायण सिंह या शाहाबुद्दीन के कर्म से बने हैं? ये इसलिए बने हैं कि जो लोग सत्ता में थे, आज भी जो लोग हिन्दू को कुहाई देते हैं, उन्हीं लोगों के दबाव से हरिजन मुसलमान बने हैं, आदिवासी क्रिश्चियन बने हैं।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आदिवासी इस देश में सत्ता के लिए लड़ाई नहीं करता है, वह अपनी रक्षा के लिए लड़ाई करता है। आज मुसलमानों को, आदिवासियों को इस देश के अन्दर समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए तभी जा कर देश की एकता और अखण्डता को बरकरार रख सकते हैं।

जब मंडल कमीशन लागू करने की बात हुई तो मंडल कमीशन की आड़ में रथ यात्रा निकालकर, उसको दबाने का काम किया गया। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वी०पी० सिंह ने कहा था कि दस प्रतिशत उच्च-जाति को आरक्षण दिया जा सकता है और मुसलमानों को भी उसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए, इस बात को किसी ने नहीं सुना। आज यहीं पर बैठी सरकार द्वारा इस समय दस प्रतिशत आरक्षण की बात की जा रही है कि आर्थिक दृष्टि से उच्च जातियों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। दिल्ली के गुलमोहर पार्क में आग लगी थी तो पूरे देश के मीडिया ने

उसको दिखाया था कि दिल्ली में आग लगी, लेकिन कहीं नहीं आग लगी। कमीशन बनाया जाता है लेकिन कमीशन को कोल्ड स्टोरेज में रखने का काम नहीं होना चाहिए। इस देश में काका कालेलकर कमीशन बना था। उस कमीशन की सिफारिशों को इस देश में लागू किया जाता तो मंडल कमीशन की जरूरत नहीं होती। आपको गद्दी चाहिए। मंडल कमीशन बनाया गया तो जनता दल यानी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने उसकी सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की ··· ·········· (व्यवधान) इस देश के अन्दर तीन करोड़ आदिवासियों की आबादी है। ग्यारह प्रतिशत आदिवासी मंदिर में नहीं जाते हैं, हिन्दू धर्म नहीं मानते हैं। बाबा अंबेडकर के अनुयायी जो सनातन धर्म को मानते हैं और आदिवासी जो हिन्दू धर्म नहीं मानते हैं तो उनके लिये इस देश में खतरा पैदा हो सकता है। वे गद्दी के नीचे पूजा करते हैं ············· (व्यवधान) यदि हिन्दू राष्ट्र बनेगा तो उसके लिये क्या सोचा गया है। यह लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म के पीछे सत्ता की लड़ाई है और धर्म का नाम लेकर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। बहुत देर से सही इस तरह का बिल आयोग का गठन करने के लिये लाया गया है। हमने सुझाव दिया है कि इसमें दो वाईस चेयरमैन बनाइए और बारी-बारी से लाईए। हिन्दू का एक आदमी ठेकेदार नहीं है। हम भी हिन्दू हैं। दूसरे लोग जो हरिजन, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं तो उनको भी इस देश में उतना ही अधिकार है क्योंकि उनके पूर्वजों ने देश की आजादी में उतना ही योगदान दिया है जितना और पूर्वजों ने योगदान दिया था इसलिए उनके मन में बराबर सुरक्षा की गारन्टी में एक विश्वास पैदा हो रहा है। क्योंकि वे सोचते हैं कि इस देश में उनको घृणा और शक की दृष्टि से देखा जाता है, इन सब बातों को हम सभी को मिलकर दूर करना चाहिए। मुसलमानों के दिल में यह भावना पैदा हो गई है जो कि हिन्दू-मुस्लिम समुदाय यह कहता है कि मुसलमां आगे मत बढ़, मस्जिद को संभाल। उनके दिल में यह शंका पैदा हो गई है इसलिए वह कहता है कि आगे मत बढ़िए और मस्जिद और धर्म की सुरक्षा कीजिए इस देश में धर्मों का बराबर आदर होना चाहिए। आजकल धर्म के नाम पर सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं उनको बहुत जल्दी देश की जनता ऐसा जवाब देगी जैसा कि दो से छियासी या एकसौ बीस हो सकते हैं या इससे नीचे भी आ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

8-00 म०प०

[अनुवाद]

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने के विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम इस बात पर कल चर्चा कर लेंगे।

सभापति महोदय : डेनिस जी, आप इस पर कल चर्चा कर लेना।

अब सभा कल 11-00 बजे म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

8-02 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार 12 मई, 1992/22 वैशाख, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रभासमुनी—94/लोक सभा/93—8-7-93—250 पु०।